दशम माला, खण्ड 11; अंक 31

सोमवार, 20 अप्रैल, 1992
31 चैत्र, 1914 (शक)

7

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र
(दसवीं लोक सभा)



LIBRARY
No. 63
Date 16/8/92

(खंड 11 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।]

विषय-सूची

वशम माला, खण्ड 11, तीसरा सत्र; 1992/1914 (शक)

अंक 34, सोमवार, 20 अप्रैल, 1992/31 चैत्र, 1914 (शक)

विषय		पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	... ...	1—2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	... ...	2—37
*तारांकित प्रश्न संख्या : 653, 654, 658, 660, 665 और 666		
प्रश्नों के लिखित उत्तर	... ...	37—264
तारांकित प्रश्न संख्या : 656 से 667, 659, 661 से 664 और 657 से 673		
अतारांकित प्रश्न संख्या : 6998 से 7232		
रूस से राकेट टैक्नोलाजी के हस्तांतरण के बारे में	... ...	265—284
सभा पटल पर रखे गए पत्र	... ...	289—291, 339—42
नियम 377 के अधीन मामले	... ...	291—293
(एक) चण्डीगढ़ से हरिद्वार, लखनऊ तथा पटना के लिए सीधी रेलगाड़ियां चलाए जाने की आवश्यकता		
श्री पवन कुमार बंसल	... ...	291
(दो) सेंधवा होते हुए मनमाड (महाराष्ट्र) और इंदौर को जोड़ने के लिए बड़ी रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता		
श्री रामेश्वर पाटीदार	... ...	291—292

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही * सदस्य ने पूछा था।

विषय पृष्ठ

(तीन) बरेली, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 पर, उप-मार्ग का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री संतोष कुमार बंगवार 292

(चार) इंटिग्रेटेड गाइडिड मिसाइल्स प्रोग्राम को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री विजय कृष्ण हान्डिक ... ... 292—293

(पांच) कानपुर स्थित राष्ट्रीय वस्त्र निगम तथा ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन की मिलों को दी जा रही आर्थिक सहायता वापस लेने सम्बन्धी निर्णय की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री मोहन सिंह 293

(छः) एझीमाला, केरल में नौसैनिक अकादमी को शीघ्र शुरू करने की आवश्यकता

श्री एम० रमन्ना राय 293

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1992-93 ... ... 294—342

विदेश मंत्रालय

श्री जसवन्त सिंह ... ... 295—303

श्री सैयद शाहाबुद्दीन ... ... 303—307

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया ... ... 307—311

श्री सुदर्शन राव चौधरी ... ... 311—317

श्री विजय कृष्ण हान्डिक ... ... 320—323

प्रो० प्रेम धूमल ... ... 323—326

श्री मणि शंकर अय्यर ... ... 326—333

श्री इन्द्रजीत गुप्त ... ... 333—338

लोक सभा

सोमवार, 20 अप्रैल, 1992/31 चैत्र, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अध्यक्ष महोदय, सदन के स्थगन काल के दौरान नागालैंड के राज्यपाल को हटा दिया गया है। नागालैंड में एक घटना घटी है। वहां के राज्यपाल को हटा दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने नोटिस दिया है कि स्थगन आवर को सस्पेंड किया जाए और···(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब पहले मुझे निधन संबंधी उल्लेख करना चाहिए।

11.01 म०पू०

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को अपने एक भूतपूर्व साथी श्री कस्तूरी चन्द्रमोली के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री चन्द्रमोली संविधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने वर्ष 1946-48 के दौरान मद्रास प्रेजीडेन्सी का प्रतिनिधित्व किया। वे 1937 तथा 1946 में कम्पोजिट मद्रास राज्य की विधान सभा के भी सदस्य रहे।

श्री चन्द्रमोली वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने नमक सत्याग्रह तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भाग लिया।

एक कुशल प्रशासक के रूप में उन्होंने तत्कालीन मद्रास राज्य तथा आंध्र प्रदेश राज्य में अनेक पदों पर कार्य किया और एक मंत्री के रूप में अनेक महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कार्यभार संभाला।

वे एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थे।

श्री कस्तूरी चन्द्रमौली का निधन 93 वर्ष की आयु में 21 जनवरी, 1992 को आन्ध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में हुआ।

हम इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। यह सभा मेरे साथ मिलकर शोक-संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करेगी।

अब माननीय सदस्य दिवंगत आत्मा के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए कुछ क्षणों के लिए मौन खड़े होंगे।

तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ देर तक के लिए मौन खड़े रहे।

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, जैसा कि पहले मैं कह चुका हूं कि नागालैंड के राज्यपाल को हटा दिया गया है। निश्चयरूप से हम कल इस पर चर्चा करेंगे। सरकार नागालैंड के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पेश करेगी। लेकिन इसी बीच राज्यपाल को कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है। यह संविधान का उल्लंघन है। उन्होंने संविधान के अनुसार कार्य किया है। लेकिन नागालैंड के राज्यपाल को दंड दिया गया था।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : इसमें आश्चर्य की क्या बात है ?

श्री वसुदेव आचार्य : क्या इसमें आश्चर्य की बात नहीं है ? क्या आप ऐसा नहीं कहते हैं ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, मैंने तो आपको बकायदा नोटिस दिया है कि अमरीका ने रूस के ऊपर दबाव डालकर जो राकेट टैक्नोलोजी के ट्रांसफर का मामला है···

एक माननीय सदस्य : यह तो क्वश्चन-आवर है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हां, तो मैं क्वश्चन आवर को ही सस्पेंड कराना चाहता हूं क्योंकि देश के सामने एक ऐसी खतरनाक परिस्थिति का निर्माण किया गया है जिसको हम जानते थे कि ऐसी परिस्थिति का निर्माण होना है। जब अमरीका के सामने झुकने का काम कोई भी मुल्क करता है, तो उसको अमरीका कहां तक पहुंचा सकता है, इसके दो ताजा उदाहरण हमारे सामने हैं—इराक हम लोगों का जीवन भर का साथी रहा, हम उसको 10 हजार टन चावल नहीं दे पा रहे हैं। अमरीका कल से यह कहता है कि अगर तुम भारत को राकेट टैक्नोलोजी ट्रांसफर करोगे, तो··· (व्यवधान)

यह हमारे देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ मामला है। ये चिल्लाने वाले इसको नहीं जानेंगे। इससे बढ़कर महत्वपूर्ण मामला इस देश के लिए और क्या हो सकता है ? (व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : प्रश्न काल को निलम्बित किया जाना चाहिए, तथा इस पर चर्चा होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : वे देश की प्रभुसत्ता के साथ समझौता कर रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे नोटिस प्राप्त हुआ है। मेरे विचार से माननीय सदस्यगण यह सोचते हैं कि यह मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि वे ऐसा चाहते हैं तो निश्चित रूप से प्रश्न काल समाप्त होने के तुरन्त बाद ही इस पर चर्चा की जा सकती है। साथ ही, दोपहर में हम विदेश मंत्रालय की मांगों पर चर्चा करेंगे।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, इसे इसके साथ मत मिलाइएगा।

अध्यक्ष महोदय : इस पर चर्चा करते समय अन्य सदस्यों को भी, जो इसमें भाग लेना चाहते हैं, एक अवसर प्राप्त होगा। अन्यथा गैर-सरकारी सदस्यों को प्रश्न करने के अधिकार को नकार दिया जायेगा। इस दृष्टिकोण से ही हम प्रश्नकाल को जारी रखेंगे।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : महोदय, सरकारी प्रवक्ता पहले ही इसे नकार चुके है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : प्रश्न काल के पश्चात् इस पर एक चर्चा की जाए। स्थगन प्रस्ताव के अन्तर्गत इस पर चर्चा की जानी चाहिए। (व्यवधान)

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : संयुक्त राज्य अमरीका अन्य देशों पर दबाव डाल रहा है...

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह प्रश्न पढ़ा है।

11.06 म०पू०

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दामोदर घाटी निगम में बिजली का उत्पादन

[हिन्दी]

*653. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :

क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम के अन्तर्गत दुर्गापुर की यूनिटों में बिजली का उत्पादन ठप्प हो गया है;

(ख) क्या चन्द्रपुर स्थित छः यूनिटों में से तीन यूनिट तथा बोकारो स्थित दो यूनिटों में से एक यूनिट बन्द हो गई है;

(ग) इससे बिजली के उत्पादन में कितना नुकसान हुआ है; और

(घ) इन यूनिटों को पुनः चालू करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाने का विचार है ?

[अनुवाद]

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) दामोदर घाटी निगम के दुर्गापुर ताप विद्युत केन्द्र के यूनिट 1 और 2 (2×55 मे० वा०) में आग लगने के परिणामस्वरूप काफी अधिक क्षतिग्रस्त होने के कारण इन यूनिटों को अक्तूबर, 1985 से बन्द कर दिया गया था। दुर्गापुर के यूनिट 3 एवं 4 (1×40 मे०वा०; 1×20 मे०वा०) को टर्बाइन एवं एल०पी० रोटर ब्लेड्स में दोष आ जाने के परिणामस्वरूप बन्द किए जाने के कारण इनके द्वारा क्रमशः 29 जनवरी एवं 11 फरवरी, 1992 से विद्युत उत्पादन किया जाना बन्द कर दिया गया था।

चन्द्रपुर ताप विद्युत केन्द्र के यूनिट नं० 1 (140 मे०वा०) में नये जनरेटर ट्रांसफार्मर एवं इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटेटर की प्रतिष्ठापना सहित पूर्वनिर्धारित मरम्मत कार्य किए जाने के लिए यह यूनिट 29 नवम्बर, 1991 से नियोजित बन्दी के अन्तर्गत बन्द है।

बोकारो ताप विद्युत केन्द्र का यूनिट नं 4 (40 मे०वा०) एल०पी० रोटर ब्लेड्स में दोष आ जाने के कारण फरवरी, 1989 से बन्द है।

(ग) प्रतिष्ठापित क्षमता में हानि जिससे विद्युत उत्पादन प्राप्त किया जा सकता था। लगभग 890 मे०वा० बैठती है जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है :

दुर्गापुर ताप विद्युत केन्द्र	
यूनिट-3	140 मे०वा०
यूनिट-4	210 मे०वा०
बोकारो ताप विद्युत केन्द्र	
यूनिट-4	40 मे०वा०

(घ) आवश्यकता होने पर कलपुर्जों की व्यवस्था किए जाने, अन्य यूनिटों से कुछ कलपुर्जों को उपलब्ध कराये जाने तथा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० एवं अन्य संस्थानों द्वारा कार्य शीघ्र निष्पादित किए जाने के लिए दामोदर घाटी निगम द्वारा सभी सम्भव उपाय किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : अध्यक्ष महोदय, विद्युत उत्पादन में प्रमुख भूमिका महत्वपूर्ण योगदान विद्युत अभियन्ताओं का होता है। विद्युत अभियंताओं और निगम में वर्षों से झगड़ा चल रहा है और मुकदमेबाजी हो रही है। निगम हारता जाता है लेकिन फिर अपील करता जाता है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने दास गुप्ता चीफ इंजीनियर के मुकदमे में जजमेंट लिखा है··· (व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पर आइए।

[अनुवाद]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : यह निगम निष्पक्ष तथा वास्तविकता से काफी दूर है।

[हिन्दी]

उसने उस जजमेंट में यह भी लिखा है कि :

[अनुवाद]

"वास्तविकता यह है कि अनेक बार कुछ अधिकारियों ने निगम को गुमराह किया है।"

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है वर्मा जी ?

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : मैं क्वश्चन कर रहा हूं। यह जो उत्पादन ठप्प है, उसका प्रमुख कारण है विद्युत अभियन्ताओं में असन्तोष। यह असन्तोष दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। कारपोरेशन के तीन मैम्बरों में से एक मैम्बर श्री बी०के० सिंह कमीशनर, सेक्रेटरी ऊर्जा विभाग ने चेयरमैन को लिखा है, जनरल मैनेजर को लिखा और एडिशनल सेक्रेटरी भारत सरकार को लिखा है। क्या सरकार को··· ···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछें।

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : मैं पूछ रहा हूं। क्या सरकार को इसकी जानकारी है ? क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि हाई कोर्ट ने जजमेंट में जिन अफसरों के बारे में लिखा है, वे अफसर कौन हैं ?

[हिन्दी]

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है उसका मूल सवाल से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिए सैपरेट नोटिस की जरूरत होगी।

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : ऐसा हो नहीं सकता है। विद्युत उत्पादन का विद्युत अभियन्ताओं से बहुत संबंध है। यदि मंत्री महोदय को इसकी जानकारी नहीं है तो मैं समझता हूं कि बिजली के बारे में इन्हें दूसरी कोई जानकारी नहीं हो सकती है। जब उनमें असंतोष होगा और मुकदमेबाजी होगी तो उत्पादन कैसे बढ़ेगा ? क्या सरकार यह समझती है कि विद्युत अभियन्ताओं और निगम में असंतोष और मुकदमेबाजी है तो विद्युत उत्पादन बढ़ता रहेगा ?

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, 21 जून, 199। को जब सरकार ने सत्ता संभाली थी उस दिन प्लांट लोड फैक्टर डी०वी०सी० का 28 परसेंट था, आज वह 36 परसेंट है और जनवरी में 48 परसेंट था, यानी इसमें सुधार हुआ है और उत्पादन बढ़ा है।

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : यह तो स्पष्ट है···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आपने दोनों सप्लीमेंटरी पूछ लिए हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, उनके अपने कथनानुसार दो यूनिटों को 1985 में बन्द कर दिया गया था। 1985 में ऐसा हुआ था और अब सन् 1992 है। मैं उसका यहां विस्तारपूर्वक उल्लेख नहीं करना चाहती हूं। अब स्थिति यह है कि विद्युत उत्पादन 400 (140,210,20 मे० वा०) मेगा वाट से अधिक कम है। यह काफी लम्बे समय से जारी है। आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा दामोदर घाटी निगम से की जा रही विद्युत पर निर्भर हैं। वहां की जनता कठिनाई में है। उन्होंने यह कहा था कि दामोदर घाटी निगम द्वारा जहां कहीं भी आवश्यक है, अतिरिक्त विद्युत की पूर्ति के लिए यूनिटों में उपलब्ध अतिरिक्त बिजली के उत्पादन की दूसरी जगह आपूर्ति करने तथा मेल तथा अन्य द्वारा कार्य संचालन आरम्भ करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। यह एक अस्पष्ट उत्तर है। हम यह जानना चाहेंगे कि इसके लिए कौन-सा समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है ताकि इन आने वाली गर्मियों में हम दामोदर घाटी निगम से बिजली की सही पूर्ति प्राप्त कर सकें ?

श्री कल्प नाथ राय : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या की इस बात से सहमत हूं कि 1985 में हुई आग दुर्घटना के कारण दुर्गापुर के दो यूनिट बन्द कर दिए गए थे और दो यूनिटों का कार्य रोक दिया गया था। दुर्गापुर के दो यूनिटों को भी बन्द कर दिया गया है क्योंकि जितना विद्युत उत्पादन चाहिए, उतना नहीं हो रहा है। हम इसलिए कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि यह दोनों यूनिट जर्मनी से खरीदे गए थे। विद्युत मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। जबकि विदेशी मुद्रा पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है और जब भी धनराशि उपलब्ध होगी इसे ठीक किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री राम लखन सिंह यादव : महोदय, दामोदर घाटी की विभिन्न जगहों में 5 यूनिटों में कहीं आग लगने के कारण, कहीं मशीन में खराबी आने के कारण और अन्य कारणों से जो खराबियां आ गईं, जिसके चलते 400 मेगावाट से अधिक बिजली नहीं मिल रही है। बिहार का मेन स्रोत वहीं से बिजली आने का है तो उसका बिहार पर क्या असर पड़ा है और उसके लिए मंत्री महोदय क्या सोचते हैं कि कैसे उसकी पूर्ति की जाय ?

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, वह ठीक है लेकिन दामोदर घाटी निगम को जो पैसा मिलना चाहिए, बिहार और बंगाल दो सरकारें इससे बिजली लेती हैं लेकिन आज बिहार पर 403 करोड़ रुपया बकाया है और बंगाल पर 103 करोड़ रुपया बकाया है। 1989 से आज 1992 तक बिहार सरकार ने बिल्कुल पैसा नहीं दिया है। अगर मशीन में कोई खराबी होगी या मशीन खराब होगी तो उसके लिए हम जो रिपेयर करेंगे तो उसके लिए पैसों की आवश्यकता होगी। भारत सरकार ने बिहार सरकार को पचासों पत्र लिखे हैं और मैं आदरणीय राम लखन जी से प्रार्थना करूंगा कि 403 करोड़ रुपया जो बकाया है, थोड़ी कृपा करें, वह रुपया दिला दें तो हम मशीन रिपेयर करने की कोशिश करेंगे।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चौधरी : महोदय, सात वर्षों में, आग द्वारा दो यूनिट नष्ट हो चुके हैं। मैं जानना

चाहता हूं कि क्या इस बीच सरकार ने उनकी देश में उपलब्ध तकनीक द्वारा मरम्मत कराने की कोशिश की गई है और यदि नहीं, तो क्यों ? दामोदर घाटी निगम द्वारा जर्मनी के साथ बातचीत करने में तथा सात वर्ष बाद सरकार की अनुमति लेने में इतना लम्बा समय क्यों लगा ? इसके क्या कारण हैं ?

श्री कल्प नाथ राय : अध्यक्ष महोदय, मूलत: जब दामोदर घाटी निगम बनाई गई थी, तब यह मशीनें जर्मनी देती गई थी। अब यह मशीनें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इन मशीनों और तकनीक के पुन:स्थापन के लिए हमें उस देश से मदद लेनी पड़ेगी और उसके लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है। आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए एक समिति का गठन कर दिया गया है। (व्यवधान)

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, यह एक असल मुद्दा है। हम आग के बारे में नहीं पूछ रहे हैं।

मेरा प्रश्न यह है कि आग द्वारा नष्ट हो जाने के बाद आपने तत्काल ही जर्मनी से पुर्जों का क्यों नहीं आयात किया अथवा देश में ही उपलब्ध तकनीक द्वारा इसकी मरम्मत क्यों नहीं कराई गई। आपने इस अवधि के दौरान क्या प्रयास किए; हम आपसे इस बारे में ठोस जानकारी जानना चाहते हैं।

श्री कल्पनाथ राय : मेरी सरकार ने कदम उठाए हैं। अब टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। निर्णय लिए जाने के लिए टेंडर लम्बित पड़े हैं··· (व्यवधान)···जैसा कि आप जानते हैं कि दो वर्ष के लिए गैर-कांग्रेस सरकार सत्ता में रही है और पूरा देश आग में जल रहा था। कुछ भी नहीं हुआ।··· (व्यवधान)···

श्री लोकनाथ चौधरी : आप केवल गैर-कांग्रेस सरकार को ही दोष नहीं दें, अपने को भी दोष दें।

श्री कल्पनाथ राय : मेरा फर्ज है प्रश्न का उत्तर देना। अब भारत सरकार कदम उठा रही है। हमने टेंडर मंगवाए हैं। यहां तक कि सेल को मरम्मत करने के लिए कार्य का ठेका दे दिया था लेकिन उन्होंने उस कार्य को सही तरीके से नहीं किया। मशीनें फिर से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। प्रश्न यह है कि जहां तक कि विदेशी तकनीक का सम्बन्ध है, उसकी आरम्भिक अवस्था में यदि उसको कोई क्षति पहुंचती है, तो उस क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत करने के लिए हमें उन सम्बन्धित प्राधिकरण को ही अनुरोध करना होता है।

"तिरुक्कुरल" के उद्धरणों का दूरदर्शन प्रसारण

* 54. श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी केन्द्र, विशेषकर तमिलनाडु आकाशवाणी केन्द्र द्वारा महान सन्त तिरुवल्लुवर की प्रसिद्ध रचना "तिरुक्कुरल" से सम्बन्धित कार्यक्रमों का किस रूप में तथा कितना प्रसारण किया जाता है;

(ख) इस सम्बन्ध में रेडियो प्रसारण के विस्तार की भावी योजनाएं क्या हैं;

(ग) क्या दूरदर्शन को "तिरुक्कुरल" उद्धरणों को प्रसारित करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) कवरेज में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :—

(1) लघु व्याख्यात्मक वार्ता के साथ तिरुक्कुरल से एक दोहे का पाठ

(2) "आज का विचार" कार्यक्रम में तिरुक्कुरल के दोहों का शामिल करना

(3) तिरुक्कुरल पर आधारित वार्ताएं/साक्षात्कार/चर्चाएं

(4) तिरुक्कुरल और उसके लेखक तिरुवल्लुवर से सम्बन्धित सामाजिक समारोहों का कवरेज

(ख) आकाशवाणी के राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारण के लिए तिरुक्कुरल के तीन अध्यायों में से प्रत्येक अध्याय पर तीन-तीन कार्यक्रमों की शृंखलाएं तैयार की जा रही हैं।

(ग) और (घ) दूरदर्शन केन्द्र, मद्रास पहले ही अपने दैनिक कार्यक्रम "नमदू चिन्तनैक्कू" (आज का विचार) के लिए अपने मैट्रो चैनल पर तिरुक्कुरल के दोहों को ले रहा है। प्रादेशिक चैनल पर, कार्यक्रमों के बीच के समय में तिरुक्कुरल के दोहे प्रायः शीर्षकों के रूप में दिए जाते हैं।

श्री एम० आर० कावन्नूर अनार्डनन : बिना किसी धार्मिक और भाषाई विवाद के, 2000 वर्ष पूर्व तिरुवल्लुवर द्वारा किए गए महान् कार्य को विश्व द्वारा सराहना की गई। महान् बुद्धिजीवियों द्वारा इसका वर्णन विश्व नीति शास्त्र के साहित्य तथा सार्वभौमिक सिद्धान्त के रूप में किया गया है।

उनके उत्तर से यह स्पष्ट है कि आकाशवाणी केन्द्र एक विशेष शीर्षक कुरलामृतम के अन्तर्गत इसे प्रतिदिन प्रायः प्रसारित कर रहा है। मैं मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या आकाशवाणी केन्द्र का राष्ट्रीय चैनल तिरुक्कुरल के उद्धरणों के इस कार्य को तमिल के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं में भी प्रसारित करेगा।

श्री अजित पांजा : राष्ट्रीय चैनल में हम कुछ कार्यक्रम आरम्भ करने जा रहे हैं ताकि हम उसे तमिल के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में भी प्रसारित कर सकें और उस महान् संत तथा दार्शनिक को सम्मान दे सकें, जिसने 2000 वर्ष पूर्व कुछ सिद्धान्तों के बारे में विचार प्रकट किए थे और जो कि आज भी हमारे लिए मूल्यवान हैं। अतः न केवल तमिल में बल्कि उक्त भाषाओं में भी, सन् 1993 में कुछ कार्यक्रम भारत की जनता के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे ताकि वे उन्हें अपनी भाषा में समझ सकें। हम ऐसे कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं।

श्री एम० आर० कावन्नूर अनार्डनन : मैं इसके लिए मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। दूरदर्शन के संबंध में आपके उत्तर से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि दूरदर्शन इस महान् कार्य को कोई महत्व नहीं दे रहा है। अतः मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या मद्रास दूरदर्शन यदा-कदा कभी-कभी 'नमदू चिन्तनैक्कू' शीर्षक के अन्तर्गत केवल अपने मैट्रो चैनल पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम को आकाशवाणी पर विशेष शीर्षक "कुरालामृतम" के अन्तर्गत प्रसारित होने वाले कार्यक्रम की तरह प्रसारित करेगा जो कि एक नियमित प्रक्रिया है। मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सभी लोगों के

लिए बनाए गए इस गैर-जोखिम तथा शिक्षात्मक कार्य को राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत भी किसी विशेष शीर्षक के अन्तर्गत प्रसारित किया जाएगा। इन दिनों यह युवाओं को पवित्र भावनाओं तथा चरित्र निर्माण की प्रकृति की शिक्षा देना। चूंकि यह महान् कार्य सभी उम्र के लोगों के लिए है, क्या राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत तिरुक्कुरल जैसे महान् कार्य को भी महत्व दिया जाएगा और इसे अकाशवाणी की तरह किसी विशेष शीर्षक के अन्तर्गत प्रसारित किया जाएगा ?

श्री अजित पांजा : एक लम्बे समय से आकाशवाणी में परम्परा है और उन्होंने इस कार्यक्रम का प्रचार करने के लिए इतना समय खोज लिया है जितना कि इस महान संत के कार्य को शिक्षा के उद्देश्य से भी प्रचार के लिए दिया जा सकता था।

जहां तक कि दूरदर्शन का संबंध है, "नमदू सिन्त नैक्कू" नाम के कार्यक्रम अर्थात "थाट आफ दि डे" अथवा "थाट आफ दैट डे" को आजकल मेंट्रो चेनल पर 7.30 अपराह्न पर प्रस्तुत किया जा रहा है। माननीय सदस्य का सुझाव इसे राष्ट्रीय चैनल पर प्रस्तुत करने के लिए नोट कर लिया गया है तथा यहां तक कि हम अगले वर्ष सन् 1993 में दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल में भी कुछ कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं ताकि पूरा देश इस संत के महान कार्य की प्रशंसा कर सके।

श्री के० तुलसिऐया वान्डायार : 'तिरुक्कुरल' तमिल में एक व्यावहारिक दार्शनिक सिद्धांत है जो कि नैतिक मार्गदर्शन करता है। क्या दूरदर्शन को 'तिरुक्कुरल' के हिन्दी अनुवाद को प्रतिदिन दो मिनट के लिए प्रसारित करने की कोई योजना है ?

श्री अजित पांजा : अभी ऐसी कोई योजना नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव को नोट कर लिया गया है।

श्री पी० जी० नारायणन : सर्व सम्मति से देश को 'तिरुवल्लुवर' के आश्चर्यजनक योगदान से बहुत लाभ मिला है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या 'तिरुवल्लुवर' के जीवन इतिहास तथा उसके सिद्धांतो को दूरदर्शन पर प्रसारित करने का कोई प्रस्ताव है तथा क्या किसी निजी कम्पनी ने तिरुक्कुरल के धारावाहिकों को दूरदर्शन पर प्रसारित करने के लिए प्रतिवेदन भेजे हैं।

सभापति महोदय : दूसरे भाग को पूछने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

श्री अजित पांजा : जहां तक कि इस महान व्यक्ति का संबंध है, उनके द्वारा 2000 वर्ष पूर्व यह कार्य किया गया था और उनका जीवन वृतांत उपलब्ध नहीं है। मैंने स्वयं यह पता लगाने की कोशिश की कि कम से कम उस महान व्यक्ति के जीवन वृत्त के बारे में कुछ तो मालूम हो जाए उनका जन्म स्थान, उनकी जन्म तिथि अथवा कब उनका स्वर्गवास हुआ इत्यादि। लेकिन उनकी कुछ पुस्तकें हमारे पास हैं और वेतीन भागों में हैं। एक का नाम 'आराम' है जिसे नीति शास्त्र कहा जाता है। और दूसरा है 'पोरुल' जिसमें जीवन का भौतिक पहलू है और तीसरा है 'इवाम' जिसमें प्यार अथवा विवाहित जीवन की व्याख्या की गई है। इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। यह न केवल भारत के बल्कि पूरे विश्व के लिए एक महान दर्शन-शास्त्र है। यह मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को छू लेता है। वास्तव में यह प्रत्येक उस पहलू को छूता है जिसमें जीवन है। अतः हम अपने विद्युत माध्यमों की मदद से उस महान व्यक्ति के विचारों को चित्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जहां तक कि उनके जीवन के विभिन्न पहलूओं का संबंध है, हमारे पास कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं हैं। अगर माननीय सदस्य के पास कोई रिकार्ड मौजूद है या वे उस स्थान को जानते हैं जहां वे रिकार्ड हैं तो रिकार्ड

पाकर हम बहुत ही लाभान्वित होंगे और उनके बारे में इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जानकारी देंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री पटनायक, यह सिर्फ 'विस्कुरल' में ही है इसलिए आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है

श्री शरत चन्द्र पटनायक : महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सरकार ने दूसरी भाषाओं की प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों का प्रसारण हेतु चयन करने के लिए किसी विशेषज्ञ समिति का गठन किया है ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इसकी अनुमति नहीं है। अगला प्रश्न।

इस्पात के मूल्यों में वृद्धि

*658 श्री प्रतापराव जी० भोंसले :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का विचार इस्पात के मूल्यों में वृद्धि करने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का विचार देश में उत्पादित इस्पात की गुणवत्ता में सुधार करने का भी है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ङ) एक विवरण सदन-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) आदान लागतों में वृद्धि के आधार पर सामान्य मूल्य वृद्धि की घोषणा सितम्बर, 1990 में की गयी थी। उसके बाद इस्पात उत्पादन के लिए अपेक्षित विभिन्न आदानों के मूल्यों में वृद्धि हुई है।

16-1-1992 को नियंत्रण समाप्त किये जाने के पश्चात "सेल" द्वारा की गयी मूल्य वृद्धि आदान लागत में वृद्धि तथा बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।

(ग) से (ङ) गुणवत्ता में सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है और इसके लिए "सेल" द्वारा समय-समय पर अपेक्षित कदम उठाये जाते हैं। उत्पादों की गुणवत्ता के उन्नयन के लिए किये गये विभिन्न उपायों जिनमें प्रचालन के विभिन्न पहलू भी शामिल हैं, निम्नलिखित हैं :—

(1) प्रौद्योगिकीय मानदण्डों का कड़ाई से पालन।

(2) आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(I) उन्नत कच्ची सामग्री तैयार करना

(II) क्वालिटी में सुधार करने की प्रौद्योगिकियों को अपनाना जैसे कि तप्त धातु को पूर्व अभिक्रिया इस्पात का गौण परिशोधन, कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया नियंत्रण इत्यादि।

(3) सतत अनुसंधान एवं विकास तथा नये उत्पाद विकास कार्य

(4) अंत: संयंत्र की संबंद्ध सहायक क्रियाओं में सुधार ताकि बेहतर क्वालिटी, मूल्यवर्धित इस्पात के उत्पादों का उत्पादन हो सके।

"सेल के संयंत्रों में परीक्षित उत्पाद की प्रतिशतता 1991-92 में बढ़कर 88% हो गई जो 1988-89 में 75% थी।

[हिन्दी]

श्री प्रतापराव बी० भोंसले : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया है, मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट था कि इस्पात की कीमतों में वृद्धि करने का क्या सरकार का विचार है और उस विचार से ईयरवाइज क्या स्थिति रहेगी ? इसमें तो उत्तर देने की कोशिश नहीं हुई, यहां अंत में कहा गया है कि सेल के संयंत्रों में परीक्षित उत्पाद की प्रतिशतता 1991-92 में बढ़ कर 88 प्रतिशत हो गई जो 1988-89 में 75 प्रतिशत थी। अब क्षमता बढ़ी है तो कीमतों में बढ़ोत्तरी करने का क्या कारण है ? जो ब्योरा देना चाहिए था वह नहीं दिया है, क्या यह ब्योरा माननीय मन्त्री जी देना चाहते हैं ?

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, 16 जनवरी, 1992 से इस्पात पर से नियंत्रण हटा लिया गया है। इस मुक्त व्यवस्था के अन्तर्गत, जहां तक एकीकृत इस्पात प्लांटों का सम्बन्ध है, वे मूल्य-वृद्धि के बारे में निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं। यही कारण है कि मैं किसी खास समय और दिन के बारे में नहीं बता पाया हूं कि मूल्य में कब वृद्धि की जाएगी या नहीं की जाएगी। यह पूर्णतया उनके विवेक पर निर्भर करता है।

जैसाकि मैंने अपने उत्तर में बताया है कि पिछली वृद्धि सितम्बर, 1990 में हुई थी। उसके बाद इस्पात की लागत-मूल्य बढ़ा है। लेकिन नियन्त्रण हटाते समय सरकार ने यह मंशा जाहिर की थी कि इस्पात के मूल्य में तुरन्त वृद्धि नहीं होनी चाहिए और उसी के अनुरूप अब तक इसके मूल्य नहीं बढ़ाये गये हैं। लेकिन अब वे ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। अब चूंकि विभिन्न वस्तुओं के लागत मूल्यों में वृद्धि हो चुकी है, यह लगभग 1200 से 1500 रुपये प्रति टन की हिसाब से बढ़ी है स्टील अथारिटी आफ इंडिया को उपयुक्त समय पर मूल्य बढ़ाना पड़ सकता है।

यह सही है कि उत्पादन क्षमता बढ़ी है। यही कारण है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण अयस्कों के दामों में 1200 रुपये प्रति टन के हिसाब से हुई वृद्धि के बावजूद अपने लागत मूल्य को समाहित करते हुए इस वर्ष लगभग 280 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित करने में सफल रहा है। ऐसा मुख्यत: इस्पात प्लांटों के कुशल संचालन के कारण संभव हो पाया है। इसका श्रेय प्रबंधन और कामगारों दोनों को जाता है।

[हिन्दी]

श्री प्रताप राव बो० भोंसले : माननीय अध्यक्ष महोदय, नियंत्रण समाप्त करने के बाद कीमतों में वृद्धि हुई है या नहीं, यह हमने पूछा है ? बढ़ोतरी करने का क्या कारण है, यह हमने पूछा है। माननीय मंत्री जी ने, नीति क्या रहेगी, उसके बारे में उत्तर दिया है। मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी यह है कि जो नीति सरकार ने बनायी है उसके कारण क्या कीमतों में वृद्धि होगी ? उसकी रेशो क्या है ?

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, नियंत्रण समाप्त करने की नीति के तहत सरकार के द्वारा इसके मूल्य में कोई भी वृद्धि करने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह तो पूर्णरूप से व्यापार का मामला है। लेकिन मैं 16.1.1992 और 1.4.1992 के बीच मूल्यों को दर्शानेवाली एक बड़ी तालिका जो मेरे पास इस समय मौजूद है, इस सदन में प्रस्तुत कर सकता हूं। उत्पादन शुल्क और रेल-भाड़े को मद्देनजर रखते हुए जो भी वृद्धि की गई हो, उसको छोड़कर मूल्य में कोई भी वृद्धि भारतीय इस्पात प्राधिकरण के द्वारा नहीं की गई है।

गौण क्षेत्रों में समेकित इस्पात प्लांटों की अपेक्षा इसका मूल्य ज्यादा है। तो भी जब इस पर नियंत्रण समाप्त करने की घोषणा हुई, इसमें 100 से 200 रुपये प्रति टन के हिसाब से मामूली वृद्धि की गई। बाजार में, इस्पात के दामों में असमान्य वृद्धि नहीं हुई है। इसमें मुश्किल से 100 से 200 रुपये प्रति टन के हिसाब से वृद्धि हुई है। लेकिन जैसाकि मैंने बताया है कि समय आने पर भारतीय इस्पात प्राधिकरण को मूल्य बढ़ाना ही पड़ेगा। इसके सम्बन्ध में उसे ही निर्णय करना पड़ेगा। मैं इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कह सकता हूं। (व्यवधान) उन्हें ऐसा करने का अधिकार दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस्पात के आयात पर भारत को पिछले एक साल में कितनी विदेशी मुद्रा व्यय करनी पड़ी और किन-किन देशों से भारत ने इसका आयात किया ? दूसरा, क्या यह सही है कि भारत लाखों प्रयत्न करने के बावजूद इस्पात के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हुआ है ? भारत को सस्ता लोहा विदेशों में निर्यात करके हम बड़ी तादाद में इस्पात आयात करते हैं, यह कब तक समाप्त हो जाएगा, कृपया स्पष्ट उत्तर दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न नियंत्रण समाप्त करने की नीति से संबंधित है। अगर आप उत्तर देना चाहें, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री संतोष मोहन देव : इसी मुद्दे पर दूसरा प्रश्न भी है। उन्हें इसे पूछने की अनुमति दी जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : अगर आपके पास जानकारी है, तो आप अभी दे सकते हैं।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, देश में 7 मिलियन टन स्क्रैप की आवश्यकता है। लेकिन हमारे यहां इसकी उपलब्धता मात्र 3 मिलियन टन की है।

इसके अलावा स्पंज लोहा भी स्क्रैप का विकल्प है, जो 1.28 मिलियन टन की मात्रा में उपलब्ध है। हम तीन मिलियन टन तक आयात करते हैं। चूंकि इसका उद्योग प्रभावित हो रहा था, इसलिए

सरकार को सीमा-शुल्क 35 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करना पड़ा। अब इस उद्योग को पहले की तरह कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जैसाकि एक विकल्प के रूप में हम स्पंज लोहे के उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं। इसका उत्पादन 1.2 मिलियन टन से बढ़कर 5 मिलियन टन तक हो जाएगा क्योंकि देश में गैस पर आधारित और कोयले पर आधारित स्पंज लोहे के कुछ नये प्लांट लगाये जा रहे हैं जो आगामी दो या तीन वर्षों में उत्पादन करना शुरू देंगे।

श्री ई० अहमद : भाड़ा-सामानीकरण की एक योजना थी जिससे दक्षिण के राज्यों को काफी मदद मिलती थी। इस योजना के समाप्त कर देने से तमिलनाडु और केरल जैसे दक्षिणी राज्यों में स्थित उद्योगों के लिए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना बहुत ही कठिन हो गया है क्योंकि इस्पात से बनी वस्तुओं के दाम अनुचित और असंगत रूप से बढ़े हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस पहलू पर विचार करेगी और दक्षिण के राज्यों के छोटे इस्पात उद्योगों को थोड़ा संरक्षण देगी जिससे वे इस्पात की अनुचित मूल्य वृद्धि से उत्पन्न स्थिति का सामना कर सकें ?

श्री संतोष मोहन देव : भाड़ा-समानीकरण की नीति को सिद्धांततः समाप्त कर दिया गया है। लेकिन माननीय सदस्य ने जो भी कहा है उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस्पात उत्पादित करने वाले राज्यों में वास्तविक भाड़ा वसूलने का निर्णय किया है और दक्षिण और पश्चिम के राज्यों में जिन्हें पहले भाड़ा कम देने की सुविधा प्राप्त थी, उनसे इस्पात के लिए 1080 रुपये प्रति टन और कच्चा लोहा के लिए 730 रुपये प्रति टन के हिसाब से भाड़ा अथवा उनका वास्तविक भाड़ा जो भी कम होगा उसीके हिसाब से वसूला जाएगा। दूसरे शब्दों में वर्तमान से समेकित इस्पात प्लांट को इस मद में लग-भग 100 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। अतः यह कहना सही नहीं है कि पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी राज्यों के उपभोक्ताओं को उनकी सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। सरकार उन्हें भाड़ा में संरक्षण प्रदान कर रही है। पूर्वी क्षेत्र के उद्योगों को 88 करोड़ रुपये वार्षिक अतिरिक्त भाड़ा के रूप में देना पड़ता था और उन्हें अब वास्तविक भाड़ा ही देना पड़ता है जो 1080 रुपये प्रति टन से भी कम है। यह कहना सही नहीं है कि दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। मैंने सम्बन्धित मुख्य मंत्रियों को पहले ही सूचित कर दिया है और वे इससे संतुष्ट हैं। इस प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए।

गैस पर आधारित विद्युत परियोजनाएं

*660. कुमारी कुसुमला पद्मशो :

श्री वंगावरा सानीपल्ली :

क्या विद्युत और वैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार को गैस पर आधारित विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु विभिन्न राज्यों से प्राप्त हुए उन प्रस्तावों का राज्यवार ब्योरा क्या है जो इस समय विचाराधीन पड़े हैं;

(ख) इन परियोजनाओं को स्वीकृति कब तक दे दिए जाने की संभावना है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार ऐसी कितना परियोजनायें स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

• विद्युत और वैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के संबंध में विभिन्न राज्यों से प्राप्त स्कीमों जिनके संबंध में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान की जानी है का ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है। गैस लिंकेज, जल की उपलब्धता, सम्बद्ध पारेषण व्यवस्था, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा-29 का अनुपालन आदि जैसे सभी आवश्यक निवेश सुनिश्चित किए जाने और संबंधित परियोजना प्राधिकारियों द्वारा केन्द्रीय एवं राज्य प्राधिकारियों के पर्यावरण संबंधी स्वीकृति सहित सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त किए जाने के बाद केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इन स्कीमों को तकनीकी आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत किए जाने के संबंध में विचार किया जा सकता है।

(ग) उन गैस आधारित परियोजनाओं जिन्हें आठवीं योजना अवधि (1992-97) के दौरान राज्य क्षेत्र में प्रतिष्ठापित किए जाने की परिकल्पना की गई है का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध-2 में दिया गया है।

अनुबंध-1

इन स्कीमों जिनकी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांच की जा रही है, का राज्यवार ब्यौरा

क्र० सं०	स्कीम/राज्य का नाम	क्षमता (मे०वा०)
1	2	3
	गुजरात :	
1.	पिपावाव संयुक्त साइकिल गैस टर्बाइन जिला दक्षिणी सौराष्ट्र	615
2.	उमाग सं० साईकिल गैस टर्बाइन चरण-2 जिला सूरत	135
3.	वानकबोरी सं० साइकिल गैस टर्बाइन	600
	मध्य प्रदेश :	
4.	ग्वालियर सी०सी०पी०टी० जिला ग्वालियर	817
	महाराष्ट्र :	
5.	उरण सी०सी०पी०टी० जिला रत्नागिरी	760
6.	नागोथाने सी०सी०पी०टी० जिला रायगढ़	820

1	2	3
	तमिलनाडु :	
7.	पिल्लई पेरुमलनल्लूर चरण-2 जिला तंजावुर	200
	असम :	
8.	नामरूप सं० साइकिल गैस टर्बाइन जिला नामरूप	60

अनुबन्ध-2

स्वीकृत एवं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक सूचि, से अनुमोदित उन गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा जिनसे 8वीं योजना अवधि (1992-97) के दौरान लाभ प्राप्त किए जाने की परिकल्पना की गई है।

क्र०सं०	स्कीम/राज्य का नाम	क्षमता (मे०वा०)
1	2	3
	स्वीकृत परियोजनाएं :	
	दिल्ली	
1.	अपशिष्ट ऊष्मा रिकवरी यूनिट	3 x 34
	राजस्थान	
2.	रामगढ़ गैस टर्बाइन केन्द्र	1 x 3
	जम्मू और कश्मीर	
3.	पम्पोर गैस टर्बाइन चरण-2	4 x 25
	गुजरात	
4.	उत्तर सं० साइकिल गैस टर्बाइन चरण-2, सूरत	जी०टी०—3 x 33 एम०टी०—1 x 45
	महाराष्ट्र	
5.	उरण अपशिष्ट ऊष्मा रिकवरी यूनिट	3 x 120
	तमिलनाडु	
6.	बेसिन ब्रिज गैस टर्बाइन	4 x 30

1	2	3
	पांडिचेरी	
7.	कट्टालेइ सं० साइकिल गैस टर्बाइन	बी०टी०—3 × 5 एस०टी०—1 × 7.5
	असम	
8.	लाकवा जी०टी० फेज-2 जिला शिवसागर	3 × 20
9.	लाकवा वेस्ट हीट रिकवरी यूनिट	1 × 22
10.	लखवुड़ी सी०सी०जी०टी० जिला शिवसागर	8 × 30 4 × 30
	कुल क्षमता	1293·5 मे०वा०

तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत एवं सरकार की स्वीकृति हेतु लंबित परियोजनाएं

बिहार :

1.	बवावा	800 मे०
	गुजरात :	
2.	भंडार सी०सी०जी०टी०, जिला भरूच	615
	आन्ध्र प्रदेश :	
3.	जेचुरपाडू सी०सी०जी०टी० पूर्वी गोदावरी जिला	400
	तमिलनाडु :	
4.	पिल्लई पेरुमलनल्लूर सं० साइकिल गैस टर्बाइन चरण-1, जिला तंजावूर	300
	त्रिपुरा :	
5.	रोकिया जी०टी० फेज-2 जिला पश्चिमी त्रिपुरा	2 × 8
6.	रोकिया जी०टी० फेज-3 जिला पश्चिमी त्रिपुरा	2 × 8

कुमारी पद्मश्री कुडुमुला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहूंगी कि क्या सरकार के पास निजी क्षेत्रों या विदेशी निवेशकों को गैस पर आधारित बिजली परियोजना स्थापित करने के लिए आमंत्रित करने का प्रस्ताव है ?

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक प्रश्न किया है कि राज्य द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं की संख्या कितनी है । मैं पहले ही कह चुका हूं कि एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है । महोदय, गैस तो देश में उपलब्ध है लेकिन आप तो जानते ही हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है । हम आवश्यक धनराशि जुटाने के लिए केन्द्र और विश्व बैंक से सहायता ले रहे हैं जिससे गैस आधारित बिजली परियोजनाओं को पूरा किया जा सके और बिजली की समस्या को हल किया जा सके ।

कुमारी पद्मश्री कुडुमुला : मैं प्रस्तावित बिजली परियोजनाओं हेतु निर्धारित गैस की मात्रा और प्रति वर्ष उपयोग होने वाली उनकी मात्राओं के बारे में जानना चाहती हूं ।

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, गैस आधारित परियोजनाओं को जल्दी ही पूरा किया जा सकता है क्योंकि इसमें समय कम ही लगता है । पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा प्रस्तावित परियोजना के लिए गैस उपलब्ध कराने की गारंटी देने के बाद ही केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण इसे मंजूरी देता है । पर्यावरण संबंधी मंजूरी, योजना आयोग की मंजूरी और तकनीकी वार्षिक मंजूरी मिलने के बाद यह प्रस्ताव पी० आई० बी० के पास मंजूरी के लिए आता है ।

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि सूरत में उत्तराई में गैस एलोकेशन हो गया है, 150 करोड़ रुपये की लागत लग गई है, गैस अथारिटी आफ इंडिया ने या जिसने भी गैस देने का वचन दिया है वह पूरा किया है, अगर नहीं किया है तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, 150 करोड़ रुपया देश का लगा है उसकी चिन्ता कौन करेगा और कब तक गैस अथारिटी आफ इंडिया गैस देगी ? वह एक-दो साल से तैयार है आप कब तक गैस लेकर बिजली पैदा करवायेंगे ?

श्री कल्पनाथ राय : मैं माननीय सदस्य की बातों से सहमत हूं जो विद्युत मंत्रालय है वह किसी भी योजना की स्वीकृति प्रदान करता है तो टेक्नो इकोनोमिक क्लियरेंस होती है जो पेट्रोलियम मंत्रालय गारंटी करता है कि हम इस प्रोजेक्ट को गैस देंगे । उसके बाद योजना आयोग स्वीकृति देता है । पेट्रोलियम मंत्रालय के ही कहने पर हमने इस योजना को स्वीकृति प्रदान की, जो आपने चिन्ता बताई है हम उससे सहमत हैं । हमने पेट्रोलियम मंत्रालय को और प्रधान मंत्रीजी को भी पत्र लिखे हैं कि गुजरात में गैस की आवश्यकता है और यह उत्तराई का प्रोजेक्ट बनकर तैयार है और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के कहने पर बना है इसलिए इसकी स्वीकृति प्रदान कर गैस देने की शीघ्र व्यवस्था करायें । पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि हम जल्दी ही गैस उपलब्ध कराने की व्यवस्था करा रहे हैं ।

श्री पी० सी० चाको : महोदय, माननीय मंत्री ने अपने बयान में कहा है कि आठवीं योजना अवधि में गैस आधारित बिजली परियोजनाओं को चालू करने के लिए मंजूरी दी जा रही है । दुर्भाग्य से उत्तर के साथ संलग्न सूची में केरल की दो परियोजनाओं के नाम हटा दिये गये हैं जिनमें एक तो एरणाकुलम में ब्रह्मापुरम के लिए और त्रिवेन्द्रम में कासरगोड़ के लिए है जिनको 8वीं योजना अवधि में चालू करने के लिए हाल ही में मंजूरी भी मिल चुकी है । क्या माननीय मंत्री यह आश्वासन देंगे कि

इन दो परियोजनाओं को जिनको केरल में लागू करने के लिये केन्द्रीय सरकार की मंजूरी मिल चुकी है, 8वीं योजना में लागू कर दिया जाएगा ? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि गैस की सप्लाई को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जाएगा ?

श्री कल्पनाथ राय : महोदय, केरल द्वारा प्रायोजित गैस पर आधारित परियोजनाएं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के विचाराधीन हैं। इस सम्बन्ध में तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से मंजूरी और योजना आयोग की मंजूरी मिल जाने के बाद वित्तीय संसाधन का प्रश्न सामने आयेगा। सरकार इन परियोजनाओं पर ये सारी मंजूरी मिल जाने के बाद विचार करेगी।

लम्बित सिंचाई परियोजनाएं

*665. श्री नारायण सिंह चौधरी† :

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी विभिन्न राज्य सरकारों, विशेष कर हरियाणा, कर्नाटक, असम, महाराष्ट्र और केरल की प्रस्तावित सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) ये परियोजनाएं कब से लम्बित पड़ी हैं और उसके क्या कारण हैं;

(ग) इनमें से कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है और प्रत्येक स्वीकृत परियोजना के लिए कितनी धनराशि का नियतन किया गया है; और

(घ) शेष परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दिये जाने की सम्भावना है ?

श्री राम विलास पासवान : महोदय, मंत्री जी कहां पर हैं ? सम्बद्ध मंत्री सदन में उपस्थित नहीं हैं।...(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, यह अत्यन्त आपत्तिजनक बात है। इसके लिए किसी को जिम्मेदारी लेनी होगी। सरकार इस तरह कार्य नहीं कर सकती।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : सरकार फेल हो गई है...(व्यवधान)...यह बहुत गम्भीर मामला है। आपने कहा था इसी सदन में कि एक-एक प्रश्न पर इतना खर्चा होता है...(व्यवधान)

इतना पैसा देश का खर्च हो रहा है और सरकार इतनी इर्रेस्पांसिबल है।

[अनुवाद]

सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

[हिन्दी]

सरकार को इसी समय बर्खास्त कीजिये ! (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। कोई भी मिनिस्टर रेस्पांसिबल नहीं

देना चाहता है तो लिखकर भेजता है कि वह नहीं है उसकी जगह फलांना-फलांना मिनिस्टर जवाब देगा। क्या आपके पास लिखकर आया है ?

[अनुवाद]

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इसका उत्तर दूं।

श्री श्रीकान्त जेना : उनको मंत्री महोदय द्वारा उत्तर देने के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : मेरा प्वायंट ऑफ इनफारमेशन यह है कि जो मिनिस्टर का वहां उत्तर होना चाहिए, उसको यहां उपस्थित रहना चाहिए और यदि सदस्य भी कोई कारण से उपस्थित नहीं रहता है तो उसको भी लिखकर आपको बताना चाहिए। यदि सदस्य ने आपको बताया होगा है तो साथ-साथ मंत्री को भी आपको जानकारी दी है या नहीं ? हम यह प्वायंट ऑफ इनफरमेशन के लिए पूछना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री तरितवरन तोपदार : महोदय, आप इस मुद्दे पर विनिर्णय दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय की सदन में उपस्थिति की मांग करना आप का अधिकार है। शायद मन्त्री महोदय को यह उम्मीद नहीं होगी कि अन्य सदस्य उपस्थित नहीं होंगे तथा यह प्रश्न चर्चा के लिए आ जायेगा। भविष्य में वे ऐसा नहीं करेंगे।

श्री राजेश पायलट इस प्रश्न का उत्तर देने की अनुमति मांग रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : उन्होंने आपको इन्फार्म किया है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने जो कुछ इस सम्बन्ध में कहना था, कह दिया है। मेरे विचार में वे एक साहसिक कार्य करने जा रहे हैं। मैं उन्हें इसकी अनुमति दे रहा हूं। श्री राजेश पायलट।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय···(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री वाजपेयी की बात सुनूंगा।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मेरा औचित्य का प्रश्न है। यदि यह मान भी लिया जाये कि मंत्री महोदय को यह अनुमान नहीं था कि इतने सदस्य गैर-हाजिर हो जायेंगे और उनका सवाल आ जायेगा, फिर जैसा आपने कहा उनको रहना चाहिए था, वे भविष्य में रहें। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि पायलट साहब अपने ऊपर यह जिम्मेवारी कैसे ले रहे हैं? उनको ब्रीफ नहीं किया गया है, वे उसके लिए तैयार होकर नहीं आये हैं···

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स : संयुक्त उत्तरदायित्व का यह एक अद्भुत उदाहरण है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्री बुक्सा जो ने उन्हें अथोराईज नहीं किया है। क्या आप समझते हैं कि पायलट साहब सवाल के साथ न्याय करेंगे। आप उन्हें नयी मुसीबत में नहीं डालिये। वे तो हर जगह अपनी सींग अड़ाते रहते हैं। मगर इसकी अनुमति नहीं होनी चाहिए क्योंकि सवाल के साथ न्याय होना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे सहमत हूं।

[हिन्दी]

वाजपेयी साहब ने जो कहा है, बिलकुल दुरुस्त है कि सवाल के साथ न्याय होना चाहिए। और अब दो रास्ते हमारे लिए खुले हैं—एक तो मिनिस्टर साहब जवाब दे दें, नहीं तो दूसरा रास्ता—इस क्वश्चन को पोस्टपोन कर दें। मैंने कह दिया है कि मिनिस्टर साहब जो हिम्मत से आगे आ रहे हैं, मैं उन्हें चांस दे रहा हूं···

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त : नियमों में परिवर्तन करना पड़ेगा। अन्यथा वे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अगर मेरा समाधान नहीं हुआ और आपका भी समाधान नहीं हुआ उनके उत्तरों से, तो उसके बारे में कार्रवाई करूंगा।

(व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, यदि आप उसकी चिन्ता नहीं करें लेकिन उसकी निन्दा अवश्य करें।

अध्यक्ष महोदय : आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने क्या कहा है?

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, यदि हाउस में उनकी गलती हुई है तो देख लीजिये कि यदि यही हाल हुआ हो और उसको डिसमैन्बर किया गया हो। इस हाउस में मिनिस्टर साहब नहीं आ रहे हैं···

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : मन्त्री महोदय को पहले सरकार की तरफ से क्षमायाचना करनी चाहिए।

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय: आपकी अनुमति से, अपने सहयोगी की ओर से उनकी अनुपस्थिति के लिए क्षमा याचना करने का कारण मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं प्रश्न संख्या 665 का उत्तर देना चाहूंगा।

"(क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।"

विवरण

31-3-92 को कुल मिलाकर देश की 99 नयी वृहद तथा 67 नयी मध्यम सिंचाई परियोजनाएं केन्द्र में मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में हैं। असम, हरियाणा; कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र राज्यों में परियोजनाओं का श्रेणीवार ब्यौरा निम्नवत है :

क्र०सं०	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत करोड़ रुपये में	लाभ (हजार हेक्टेयर)	केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्ति की तारीख	मूल्यांकन की स्थिति
1	2	3	4	5	6
I.	तकनीकी-आर्थिक जांच पूर्व परामर्शदात्री समिति द्वारा स्वीकार्य पायी गयीं तथा निवेश स्वीकृति के लिए योजना आयोग को प्रस्तुत की गई।				
1.	असम		—शून्य—		
2.	हरियाणा		—शून्य—		
3.	कर्नाटक		—शून्य—		
4.	केरल		—शून्य—		
5.	महाराष्ट्र				

1	2	3	4	5	6
(क) वृहद् :					
	(i) कोयना कृष्णा	187.90	86.78	1/87	आठवीं योजना प्रस्तावों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।
	(ii) वान	48.16	19.18	12/87	—वही—
(ख) मध्यम :					
	(iii) देवघड़	21.76	8.34	3/87	आठवीं योजना प्रस्तावों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।
II.	तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन पूर्ण, कुछ टिप्पणियों की अनुपालना के अध्यधीन परामर्शदात्री समिति द्वारा स्वीकार्य पाई गयीं।				
1.	असम	—शून्य—			
2.	हरियाणा	—शून्य—			
3.	कर्नाटक				
(क) वृहद्					
	(i) हिप्पारगी सिंचाई	186.70	59.69	8/85	राज्य को पश्च जल के प्रभाव के लिए अध्ययन करना है तथा यदि आवश्यक हो तो महाराष्ट्र में सुरक्षाकार्यों का प्रस्ताव करना है तथा पर्यावरणिक स्वीकृति प्राप्त करनी है।
4.	केरल	—शून्य—			
5.	महाराष्ट्र				

1	2	3	4	5	6
(क)	वृहद् :				
	(i) नोसीबुर्ड	372.00	250.00	12/83	राज्य को पर्यावर्णिक एवं वन स्वीकृति प्राप्त करनी है।
	(ii) वर्ना	284.73	113.92	8/88	राज्य को वन स्वीकृति प्राप्त करनी है।
	(iii) कारवा	22.61	10.32	4/87	राज्य को पर्यावर्णिक एवं वन स्वीकृति प्राप्त करनी है।
	(iv) बलगावली	60.07	25.15	12/87	राज्य को पर्यावरण एवं वन, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना पहलुओं पर स्वीकृति प्राप्त करनी है।
	(v) संघोला बाबा नहर	25.43	9.224	2/86	राज्य को पर्यावरण एवं वन स्वीकृति तथा राज्य वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करनी है।
	(vi) तिल्लारी	47.87	23.654	1/77	राज्य को पर्यावरण एवं वन स्वीकृति प्राप्त करनी है तथा विद्युत के लिए लागत के आवंटन को अन्तिम रूप देना है।
	(vii) बावनचाड़ी	159.35	57.12	3/89	राज्य को पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना योजनाओं, भूखण्ड के उपयोग से संबंधित मुद्दों को हल करना है।

1 2	3	4	5	6
(viii) पुनंद	30.36	18.846	3/89	राज्य को पर्यावरण, वन, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना स्वीकृति प्राप्त करनी है।
(ix) लोअर वर्ना	74.53	28.82	2/89	—वही—
(ख) मध्यम :				
(i) सोकोल	2.61	2.00	3/89	राज्य को वन स्वीकृति प्राप्त करनी है तथा संशोधित अनुमान पर मुद्दों को हल करना है।
(ii) रायगोहन	2.81	1.95	3/84	राज्य को वन स्वीकृति, विस्थापितों के पुनर्वास, जल विज्ञान आदि की पुनरीक्षा संबंधी मुद्दों को हल करना है।
(iii) अंगमहाटी	3.45	3.46	12/81	राज्य को वन स्वीकृति प्राप्त करनी है तथा जल विज्ञान की पुनरीक्षा करनी है।
(iv) जाम	5.66	8.70	12/84	राज्य को अद्यतन अनुमानों पर मुद्दों को हल करना है।
(v) मोरना गुरेधर	7.31	5.329	5/83	राज्य को वन स्वीकृति प्राप्त करना, पर्याप्त निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा अद्यतन लागत अनुमान प्रस्तुत करना है।
(vi) मसलगा	3.23	2.88	9/83	राज्य को संशोधित प्रोफार्मा रिपोर्ट पर मुद्दों को हल करना है।

1	2	3	4	5	6
	(vii) कार	8.00	7.48	8/85	राज्य को वन स्वीकृति प्राप्त करना, निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा संशोधित प्रोफार्मा रिपोर्ट पर मुद्दों को हल करना है।
	(viii) हेतवाने	19.56	12·83	4/83	राज्य को वन स्वीकृति प्राप्त करनी है तथा लागत अनुमान प्रस्तुत करने हैं।
	(ix) अपर माहर	26.22	8.28	4/87	राज्य को वन स्वीकृति प्राप्त करना, निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा अद्यतन लागत अनुमान प्रस्तुत करना है।
	(x) बेनेथोरे	4.01	2.51	4/87	राज्यों को संशोधित प्रस्ताव पर मुद्दों का हल करना है।
	(xi) तम्बापुरी	7.4	4.27	4/82	—वही—
	(xii) शिवना तकली	8.56	6.60	9/81	राज्य को वन स्वीकृति प्राप्त करनी है तथा अद्यतन लागत अनुमानों पर मुद्दों को हल करना है।
III.	तकनीकी-आर्थिक जांच पूर्ण लेकिन परामर्शदात्री समिति द्वारा विचार अस्थगित।				
I.	असम				
(क)	बृहद् :				
	(i) पगलादिया बांध	287.86	54.16 +बाढ़ कप करना	6/90	ब्रह्मपुत्र बोर्ड को पर्यावरण एवं वन स्वीकृति प्राप्त करना, भूजल उपयोग की पुनरीक्षा करना तथा जल विद्युत उत्पादन को शामिल करना है।

1	2	3	4	5	6
2.	हरियाणा				
(क)	वृहद् :				
	(i) हथनी कुंड बराज	8.64	कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं	4/90	अन्तर्राज्यीय पहलुओं को हल नहीं किया गया है ।
3.	कर्नाटक				
(क)	वृहद :				
	(i) करंजा सिंचाई	98.00	48.97	5/87	राज्य को पर्यावरणिक स्वीकृति प्राप्त करनी है।
4.	केरल	—शून्य—			
5.	महाराष्ट्र				
(क)	वृहद् :				
	(i) दुध गंगा	154.73	81.97	9/83	राज्य को पर्यावरण एवं वन स्वीकृति प्राप्त करनी है।
(IV)	तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता स्थापित करने के लिए राज्य सरकार के साथ पत्राचार की जा रही है।				
1.	असम				
(क)	वृहद् :	—शून्य—			
(ख)	मध्यम :				
	(i) बुरीसाती सिंचाई	25.31	11.58	12/90	राज्य को वित्तीय और तकनीकी पहलुओं पर मुद्दों को हल करना है ।
	(ii) गडफलला सिंचाई	28.63	10.85	9/90	—वही—

1	2	3	4	5	6
2.	हरियाणा				
(क)	बृहद :				
(i)	जल जमाव क्षेत्रों के लिए जल निकास	32.99	10.50	5/91	राज्य को वित्तीय और तकनीकी पहलुओं पर मुद्दों को हल करना है ।
(ii)	विद्यमान चैनलों का आधुनिकीकरण	159.45	63.80	6/91	—वही—
(iii)	प्रवाह और लिफट कमाल में जल मार्गों का आधुनिकीकरण करना	300.20	100.00	5/91	—वही—
(iv)	सतलुज यमुना सम्पर्क नहर	55.31	56.00	11/90	—वही—
(v)	सोपान-I से पूर्व की संरचनाओं का आधुनिकीकरण करना	11.91	कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं	5/91	—वही—
(vi)	सेवानी लिफ्ट	27.52	72.10	8/91	—वही—तथा अन्तर्राष्ट्रीय पहलुओं
(vii)	डब्ल्यू०जे०सी० का आधुनिकीकरण	48.10	32.00	5/91	—वही—तथा अन्तर्राज्यीय पहलू

1	2	3	4	5	6
	(viii) संवर्धन नहर से डब्ल्यू० जे०सी० के खेरी, बुधा, खेरा, करनाल वितरणी का पुराना नरदक के पोषण के लिए परियोजना अनुमान	42.90	75·00	5/90	राज्य को तकनीकी तथा वित्तीय पहलुओं को हल करना है।
	3. कर्नाटक				
	(क) वृहद् :				
	(i) बेन्नीथोरा	73.23	20·234	8/91	राज्य को पर्यावरणिक स्वीकृति प्राप्त करनी है तथा तकनीकी और वित्तीय मुद्दों को हल करना है।
	(ii) रामथल लिफ्ट	79.60	22.27	11/91	—वही—
	(iii) अपर तुंगा	379.87	94.698	2/92	संशोधित रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है।
	4. केरल				
	(क) वृहद् :				
	(i) इदमलयार	75·61	27·50	2/92	—वही—

1	2	3	4	5	6
(ख) मध्यम :					
	(ii) मीनाचिल घाटी सिंचाई	49.56	9.96	12/91	राज्यों को जल उपलब्धता, डिजाइन, बाढ़ तथा फसल जल आवश्यकता पर बाकी टिप्पणियों की अनुपालना करने के बाद संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।
6.	महाराष्ट्र				
(क) बृहद :					
	(i) ह्यूमेन	168.15	15.99	9/91	राज्य को सिंचाई, संयंत्र आयोजना, जल प्रबंध लागत अनुमान पहलुओं को अन्तिम रूप देना है तथा पर्यावरण एवं वन स्वीकृति प्राप्त करनी है।
	(ii) तुलतुली	82.64	30.59	11/90	राज्य सरकार को फसल आयोजना, नींव इन्जीनियरिंग, बांध और नहरों के डिजाइन लागत अनुमान, निर्माण सामग्री से संबंधित पहलुओं को अन्तिम रूप देना है तथा पर्यावरण, वन, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना योजनाओं पर स्वीकृति प्राप्त करनी है।
(ख) मध्यम :					
	(i) साई-की-मकारलोकर।	12.20	5.028	8/91	राज्य को वित्तीय और तकनीकी मुद्दों को हल करना है।
	(ii) बोर देहागांव	7.50	1.795	5/90	—वही—

1	2	3	4	5	6
(iii)	गोमई	16.92	13.18	:/92	संशोधित रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है।
(iv)	तेजनापुर लिफ्ट	9.37	2.74	1:/90	राज्य को वित्तीय और तकनीकी मुद्दों को हल करना है।
(v)	कोरडीनाला	4.18	2.44	5/87	—वही—

टिप्पणी : 1. परियोजनाओं की निवेश स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि कितनी जल्दी राज्य सरकारें केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करती हैं, अन्तर्राज्यीय मुद्दे हल करती है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा कल्याण मंत्रालय से पर्यावरण, वन तथा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना पहलुओं पर स्वीकृति प्राप्त करती है तथा योजना में पर्याप्त निधियों का प्रावधान करती हैं।

2. श्रेणी-I तथा II के अन्तर्गत सूचीबद्ध की गई परियोजनाओं का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन पूरा हो गया है तथा निवेश स्वीकृति के लिए स्वीकार्य पाई गई बशर्ते कि राज्य सरकारों द्वारा टिप्पणियों की अनुपालना की जाए।

[हिन्दी]

श्री नारायण सिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के उत्तर में हरियाणा राज्य की मेजर हैड के अन्तर्गत हथिनीकुंड बैरेज के सम्बन्ध में उल्लेख है। इसमें यह बताया गया है कि यह पिछले दो वर्षसे इसलिए लंबित पड़ा है कि "इंटर स्टेट आस्पैक्ट्स हैव नॉट बीन रिसाल्वड"। तो इस संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि हथिनीकुंड बैरेज का निर्माण अत्यावश्यक है क्योंकि ताजेवाड़ा हैड पर जो बैरेज है, वह अनसेफ डिक्लेयर किया जा चुका है और इस बैरेज के कोलप्स होने पर आधे से ज्यादा हरियाणा रेगिस्तान की शक्ल में बदल जाएगा। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा, जल संसाधन मंत्री द्वारा जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट इस संबंध में है, उसका समाधान करने के लिए क्या पग उठाए जा रहे हैं तथा कब तक इस डिस्प्यूट के समाधान किए जाने की संभावना है ?

श्री राजेश पायलट : स्पीकर सर, वह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और इसके बारे में हरियाणा सरकार से कई बार बातचीत की है लेकिन कुछ तथ्य ऐसे हैं जो सॉर्ट आउट नहीं हो पाए हैं, उसमें खोजबीन जारी है। अगर शुक्ल जी कुछ बताना चाहें तो वह खुद आ गए हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : पहले आप को सदन से क्षमा याचना करनी चाहिए।

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : सबसे पहले मैं आपसे तथा सदन से अपनी गलती की क्षमा मांगता हूं। मैं आशा करता हूं कि मुझे माफ किया जायेगा। अगर माननीय सदस्य अपना प्रश्न दोहरा दें तो मैं इसका उत्तर दूंगा।

[हिन्दी]

श्री नारायण सिंह चौधरी : मेरा सप्लीमेंटरी प्रश्न यह था कि हथिनीकुंड बैरेज जिसका यमुना के ऊपर निर्माण होना है और यमुना सिस्टम से हरियाणा में ज्यादा सिंचाई होती है और ताजेवाड़ा पर बना बैरेज अनसेफ डिक्लेयर किया जा चुका है और उसके कोलैप्स होने पर आधा हरियाणा रेगिस्तान बन सकता है। इस संबंध में यह उल्लेख किया गया है कि दो साल से इसलिए इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है कि इंटर स्टेट आस्पैक्ट रिसाल्व किए जाने हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा जल संसाधन मंत्रालय द्वारा इन दो राज्यों के मतभेद जो इसके निर्माण पर बने हुए हैं उनको रिसॉल्व करवाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या पग उठाए गए हैं और इनका समाधान कब तक कर दिया जाएगा यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष जी, इसके बारे में मुख्य मंत्रियों के साथ मेरी बात हुई है और हम लोगों ने एक बैठक आयोजित की थी इसी महीने की 26 तारीख को। वह बैठक इस वक्त कुछ कारणवश आगे बढ़ाई गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इन प्रश्नों को बिना जल संसाधन प्राधिकरण को भेजे हुए आपसी बातचीत से सुलझा लेंगे।

श्री नारायण सिंह चौधरी : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि इस जवाब के अतर्गत अन्य आठ परियोजनाओं का भी हरियाणा की मेजर हेड के नीचे उल्लेख है और इसमें कहा गया है कि हरियाणा द्वारा केन्द्र सरकार को भेजी गई जो सिंचाई में सुधार हेतु आठ परियोजनाएं हैं, ये सभी एक वर्ष से अधिक समय से केन्द्र के पास लंबित पड़ी हैं और कारण बताया है कि राज्यों द्वारा

कुछ फाइनेंशियल तथा टेक्निकल आस्पैक्ट के संबंध में कुछ इश्यू सार्ट आउट किए जाने बाकी हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि जिन फायनेन्शयल और टेक्निकल आस्पेक्टस की बात इस संबंध में कही गयी है, वे आस्पेक्टस क्या हैं तथा इन आस्पैक्टस को सौर्ट आउट करने के लिए, भारत सरकार का जल-संसाधन मंत्रालय क्या योगदान दे रहा है और कब तक इन आस्पैक्टस और इन ईश्यूज का समाधान कर लिए जाने की संभावना है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : अध्यक्ष जी, टेक्निकल आस्पेक्टस, जो जल से सम्बन्धित मामले होते हैं; जब वे मामले साफ हो जाते हैं, उस वक्त फिर पुनर्वास और पर्यावरण के दो और मामलों को हल करना होता है। जहां अन्तर्राज्यीय मामले होते हैं, वहीं राज्य सरकारों की विभिन्न कठिनाईयां भी होती हैं, उनको हम मिलकर, उनके साथ विचार-विमर्श करके हल करने का प्रयास करते हैं। इस मामले में हम लोगों ने काफी प्रयास किया है और काफी सफलता भी इसमें हमें मिल चुकी है। पिछली बार जब 28 मार्च को हमारी बैठक हुई थी, उसमें काफी हद तक हम लोगों का समझौता भी हो गया था परन्तु मुख्य चिन्ता का जो विषय है, इस मामले में, जो माननीय सदस्य उठा रहे हैं, वह ताजेवाला बैराज से सम्बन्धित है, जो बहुत पुराना हो चुका है और उसे ठीक करके, जब तक हम लोग नया नहीं करेंगे, तब तक उससे सम्बन्धित जो मूल प्रश्न हैं, वे हल नहीं हो सकते। इस लिए हथनीकुंड बैराज बनाने का प्रावधान किया गया है और मुझे इस बात को बताते हुए खुशी हो रही है कि बहुत दिनों से जो यह मामला अटका हुआ है, उसमें अब काफी प्रगति हो चुकी है और हम लोग समझौते के काफी करीब हैं। मुझे उम्मीद है कि अगली बैठक में, हरियाणा द्वारा हथनीकुंड बैराज बनाये जाने पर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा इन सभी राज्यों में एक समझौता हो सकेगा और हम लोग उस पर दस्तखत भी कर सकेंगे।

श्री नारायण सिंह चौधरी : अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। अब नहीं। आपने पूछ तो लिया है।

श्री नारायण सिंह चौधरी : लेकिन मेरे प्रश्न का जवाब तो दिया नहीं गया।

अध्यक्ष महोदय : आपने तीन दफा पूछ लिया, फिर चौथी दफा पूछना चाहते हैं। अब आप नहीं पूछ सकते।

श्री नारायण सिंह चौधरी : मैंने पूछा, लेकिन उत्तर नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय : श्री सूर्य नारायण यादव। यह प्रश्न बिहार से सम्बन्धित नहीं है बल्कि हरियाणा, कर्नाटक, असम, महाराष्ट्र और केरल से सम्बन्धित है। आप प्रश्न से सम्बन्धित ही जानकारी पूछिये।

श्री सूर्य नारायण यादव : बिहार का सम्बन्ध इससे विशेष रूप से जुड़ा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : बिहार से सम्बन्धित नहीं। इसमें बिहार का कुछ भी नहीं है।

श्री सूर्य नारायण यादव : भारत सरकार की परियोजनाओं में, बीरपुर बैराज योजना 1952 में बनायी गई थी और बिहार सरकार ने उस योजना को भारत सरकार के पास भेजा है। विशेष सम्बन्ध इसलिए है कि उस बैराज की अवधि मात्र 25 वर्ष निर्धारित की गयी थी, उसकी लाईफ

फिक्स की गयी थी, जबकि उसे अब 40 वर्ष से भी अधिक हो रहा है, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि भारत सरकार क्या तुरन्त उस प्रस्ताव की स्वीकृति देकर लागू करेगी ताकि नौर्थ बिहार की सारी जमीन उससे लाभान्वित हो सके।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मूल रूप से हरियाणा, कर्नाटक, असम, महाराष्ट्र और केरल से सम्बन्धित है।

श्री सूर्य नारायण यादव : मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार उस प्रस्ताव को फिर से लागू करेगी, मरम्मत करायेगी या बनायेगी।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं सूचना एकत्रित करके सभा-पटल पर रख दूंगा।

[अनुवाद]

श्री तारा सिंह : ताजेवाला तथा हथिनीकुण्ड परियोजनाएं मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आती हैं। 1982 तक मैं सिंचाई तथा विद्युत मंत्री था। इस बैराज को वास्तव में 1979 में साफ करना था। तब से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के साथ अनेक बैठकें की गई है तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने बार-बार यह कहा है कि वे इस पर सहमत होने के लिए तैयार हैं। मैं यह अनुभव करता हूं कि बड़ा राज्य होने के कारण उनके मन में यह बात रहती है कि अगर इस परियोजना की सफाई प्रत्येक 15-20 वर्ष के पश्चात् की जाती है तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पानी का उपयोग किया जा सकता है। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे कोई ऐसी निश्चित तिथि बता सकते हैं, जब तक कि बैराज का निर्माण कर दिया जायेगा।

मेरे मित्र ने कहा है इससे आधा हरियाणा क्षेत्र प्रभावित होगा। परन्तु मेरा यह कहना है कि अगर यह बैराज बह गया तो सारा हरियाणा इससे प्रभावित होगा।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह बैराज हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश, दोनों राज्यों के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों को इससे काफी लाभ मिल रहा है। इस बैराज की कार्य अवधि समाप्त हो चुकी है। इसका पुनर्निर्माण करना पड़ेगा। हथिनी कुण्ड पर नये बैराज के निर्माण के लिए तकनीकी कार्य तथा अन्य तैयारिया पूरी हो चुकी है। इसीलिए राज्य सरकारें सहयोग कर रही हैं। यह सत्य नहीं कि कोई राज्य सरकार विशेष कर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार इसके सहयोग नहीं कर रही है। वह इस मामले में पूरा सहयोग कर रही है। हम इस मामले के समाधान के काफी करीब हैं जो कि कई वर्षों से लटका हुआ था, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है। हमें आशा है कि अगली बैठक में हमारा समझौता हो जायेगा अगली बैठक के लिए 26 तारीख निश्चित की गई थी। अपरिहार्य कारणों से इसे बदलना पड़ा। परन्तु हम इस बैठक को यथाशीघ्र आयोजित करवाने की चेष्टा करेंगे। मुझे पूरी आशा है कि हम इस मामले को अन्ततः सुलझा लेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, इसमें महाराष्ट्र के जो प्रोजैक्ट्स बताए गए हैं उनमें सबसे बड़ा और सबसे पहला प्रोजैक्ट गोसीखुर्द है, जो महाराष्ट्र के विदर्भ में आता है। दिसम्बर, 1983 में यह प्रोजैक्ट सरकार के पास आया है। प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया और बाद में श्री राजीव गांधी जी ने दुबारा इसका उद्घाटन किया। यह 3 2 करोड़ रुपये की योजना है और इससे 25 लाख हैक्टेयर जमीन को पानी मिलने वाला है। अब जब प्रधान मन्त्री जी ने इसका

उद्घाटन कर दिया तो हम यह समझते हैं कि बात पूरी हो गई, लेकिन अभी तक बात पूरी नहीं हुई है। इसलिए मेरा सवाल यह है कि जब तक इसको सभी क्लीयरेंस नहीं मिल जाती हैं, तब तक आगे किसी भी प्रोजेक्ट का भूमि-पूजन या उद्घाटन नहीं करेंगे, क्या इस बात के लिए सरकार तैयार है।

श्री विद्याचरण शुक्ल अध्यक्ष जी, जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं इसके लिए तैयार हूं।

[अनुवाद]

श्री अनन्त वेंकट रेड्डी : महोदय, तेलगू गंगा परियोजना केन्द्रीय जल आयोग के पास स्वीकृति के लिए पिछले आठ साल से लम्बित पड़ी है। क्या मैं माननीय मन्त्री जी से यह जान सकता हूं कि तेलगू गंगा परियोजना को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस परियोजना का मामला तीन राज्य सरकारों के साथ उठाया गया। परन्तु तीन सम्बन्ध मुख्य मंत्रियों ने हम को लिखा कि तीनों मुख्य मंत्री केन्द्र के हस्तक्षेप के बिना ही आपस में इस मामले को सुलझा लेंगे। इस सम्बन्ध में उन्होंने अभी तक तीन बैठकें की हैं। वर्तमान स्थिति यह है कि इस सम्बन्ध में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। हम तीनों राज्य सरकारों को फिर से लिखेंगे तथा यह प्रयास करेंगे कि इस मामले में कुछ प्रगति हो क्योंकि इस मामले में वे स्वयं कोई प्रगति नहीं कर पाये हैं।

विद्युत परियोजनाएं

[हिन्दी]

*666. श्री अर्जुन सिंह यादव :

मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार और उड़ीसा की उन विद्युत परियोजनाओं सहित सभी परियोजनाओं का मूल्यांकन किया है जो केन्द्र से स्वीकृति न मिलने के कारण लम्बित पड़ी हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले के अनुपालन हेतु राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के बारे में की कई टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) इस समय, उड़ीसा एवं गुजरात में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के संबंध में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन० टी० पी० सी०) का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में लम्बित नहीं

है। तथापि, उत्तर प्रदेश में दादरी गैस आधारित विद्युत परियोजना (चरण-2) (408 मे० वा०) और फर्रुखाबाद गैस आधारित विद्युत परियोजना (चरण-1) (800 मे० वा०) से संबंधित एन० टी०-पी० सी० के प्रस्ताव, गैस लिंकेज की सुनिश्चितता एवं अन्य स्वीकृतियों हेतु लम्बित है। एन० टी०-पी० सी० की बिहार में उत्तरी कर्णपुरा (चरण-1) (1000) मे० वा० और उत्तर प्रदेश में रिहन्द (चरण-2) (500 मे० वा०) सुपर ताप विद्युत परियोजनाएं पर्यावरणीय स्वीकृति तथा निवेश सम्बन्धी निर्णय हेतु लम्बित हैं।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ कारणों से कुछ योजनाएं लम्बित पड़ी हुई हैं, तो क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ये योजनाएं कब तक पूर्ण कर ली जाएंगी ?

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश और बिहार में रिहन्द सैकिंड स्टेज और उत्तरी कर्णपुरा (बिहार) ये योजनाएं विचाराधीन है, लेकिन नाथ कर्णपुरा चरण-1 योजना को एनवायरनमेंटल क्लीयरेंस नहीं मिल रही है और रिहन्द चरण-2 फाइनेंशियल स्थिति ठीक न होने के कारण पूरी नहीं कर पा रहे हैं।

श्री अर्जुन सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने स्पष्ट तौर पर स्वीकार करते हुए अपने उत्तर मे कहा है कि उत्तर प्रदेश में दादरी गैस आधारित विद्युत परियोजना तथा फर्रुखाबाद गैस आधारित परियोजना गैस लिंकेज की सुनिश्चितता एवं अन्य स्वीकृतियों हेतु लम्बित है, तो मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि ये स्वीकृतियां कब तक मिल जाएंगी और ये योजनाएं कब तक पूर्ण हो जाएंगी, यह स्पष्ट बताया जाए, समय या तिथि बताइए ?

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, जो विद्युत परियोजनाएं हैं, उन पर भारी पैसा खर्च होता है।

भारत सरकार का विदेशी रिहन्द सेकिण्ड स्टेज एन० ई० आई० इंगलैंड ने बनाया है लेकिन इसका फाइनेंशियल टाई-अप नही हुआ है। नाथ कर्मपुरा का इनवायरनमेंट क्लीयरेंस नहीं हुआ है। टैक्नो-इकोनामिक क्लीयरेंस मे यह बहुत बड़ी बाधा है। जब टैक्नो-इकोनामिक क्लीयरेंस हो जाएगा और सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथारिटी इसका क्लीयरेंस देगी व फाइनेंशियल टाई-अप हो जायेगा तब इन योजनाओं पर सरकार काम शुरू करेगी।

मोहम्मद अली अशरफ फातमी : अध्यक्ष महोदय, बिहार को जितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसका सिर्फ 15 परसेंट बिहार को अभी अवलेबल है। क्या सरकार का कोई स्पेशल एमरजेन्सी प्रोग्राम है जिससे वहां की इलेक्ट्रिसिटी क्षमता को बढ़ाया जा सके। इसी में दूसरा हिस्सा मेरे प्रश्न का यह है कि अभी पिछले दिनों भारत सरकार ने नेपाल से कोई संधि की थी जिससे बिहार के लोगों को काफी उम्मीद बंधी थी कि उस प्रोजेक्ट को पूरा हो जाने से बिहार को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी लेकिन किसी कारणवश वह अभी खटाई में मामला पड़ गया है। क्या इसके लिए सरकार कोई अर्ली स्टैप्स उठा रही है जिससे इस मामले को आगे बढ़ाया जा सके और बिहार की इलेक्ट्रिसिटी का प्राबलम हल हो सके।

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, बिहार में 1300 मेगावाट इंस्टाल कैपेसिटी है, लेकिन

वह केवल 300 मेगावाट पैदा हो रही है। बिहार का प्लांट लोड फैक्टर हिन्दुस्तान में सबसे खराब है। मैं चाहूंगा कि आप बिहार सरकार से कहिये वह प्लांट लोड फैक्टर बढ़ाने की कृपा करे।

[अनुवाद]

बिहार सबसे अधिक प्रभावित राज्य है जहां प्लांट लोड फैक्टर 20 प्रतिशत है। इसलिए हमें प्रतिस्थापित क्षमता का पूरा लाभ उठाना होगा तथा विद्युत उत्पादन बढ़ाना होगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं यह घोषणा करता हूं कि प्रश्न काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

साइनाइड से सोना निकालना

[अनुवाद]

*655. श्री बी० कृष्णा राव :

श्री के० एच० मुनियप्पा :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साइनाइड से सोना उपलब्ध होने के बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सोना निकलने के बाद जो साइनाइड सोने की खानों के आस-पास इकट्ठा हो जाता है, उससे सोना निकालने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो साइनाइड से कितने प्रतिशत सोना उपलब्ध होने की संभावना है ?

खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी हां।

(ख) यह अनुमान लगाया गया है कि कोलार स्वर्ण क्षेत्र (कर्नाटक) में लगभग 40 मिलियन टन पछोड़न बालू है। 22 मिलियन टन ढेरों (डंप्स) से लिए गये नमूनों से पता चलता है कि उसमें 0.4 से 0.8 ग्राम प्रति टन स्वर्ण है।

(ग) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड हीप लीचिंग प्रक्रिया से अर्द्ध-वाणिज्यिक प्रायोजिक संयंत्र द्वारा इस पछोड़न से पहले ही स्वर्ण निकाल रहा है।

(घ) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड पछोड़न बालू से हीप-लीचिंग प्रक्रिया की मार्फत उपलब्ध स्वर्ण का लगभग 54% स्वर्ण प्राप्त करने में सफल हुआ है।

पर्यटन के लिए विदेशी पूंजी निवेश

*656. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :

कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि उन्हें पर्यटन के क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश प्राप्त करने की अनुमति दी जाये;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया है; और

(घ) क्या अन्य राज्यों को इसी तरह की कार्यवाही करने के लिए कहा गया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार की सिफारिशों पर, 14 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है। दिसम्बर, 1991 में नई दिल्ली में आयोजित राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन में एक अनुसंशात्मक संकल्प पारित किया गया जिसमें शेष राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे भी पर्यटन को उद्योग घोषित करें।

बोइंग 777 विमानों की खरीद

*659. श्री समत कुमार मंडल :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 मार्च, 1992 के "इकोनोमिक टाइम्स" में बोइंग 777 विमानों की खरीद के सम्बन्ध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) आगामी दशक में इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया द्वारा अपने-अपने विमान बेड़ों में पुराने विमानों के स्थान पर बोइंग 777 विमानों को शामिल कर लिए जाने पर उन्हें क्या-क्या लाभ होने की सम्भावना है; और

(घ) प्रस्तावित कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होने का अनुमान है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) एयर इंडिया और इण्डियन एयरलाइन्स को, उन विमानों के सिवाय जिनके लिए निश्चित खरीद करारों पर पहले ही हस्ताक्षर कर लिए गए हैं, कोई अन्य विमानों को प्राप्त करने की तत्काल कोई योजनाएं नहीं है। बोइंग-777 एक मध्यम क्षमता वाला मध्यम से दीर्घ रेंज का विमान है और संबंधित बेड़ा नवीकरण योजनाओं के अनुसार इसी प्रकार के अन्य विमानों के साथ-साथ इसका भी मूल्यांकन किया जाएगा।

हाट ब्रिकेटिड आयरन और स्पंज आयरन का उत्पादन

*660. श्री आर० धनुष कोडी आदित्यन :

श्री सी० श्रीनिवासन :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खपत की तुलना में हाट ब्रिकेटिड आयरन तथा स्पंज आयरन की आपूर्ति कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) हाट ब्रिकेटिड आयरन और स्पंज आयरन के उत्पादन हेतु स्क्रेप आयरन का आयात करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) हाट ब्रिकेटिड लोहा (एच०बी०आई०) तथा स्पंज लोहा विद्युत ताप भट्टी इकाइयों में इस्पात तैयार करने के लिए इस्पात गलन स्क्रैप की एवजी सामग्री है। विद्युत चाप भट्टी इकाइयों की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्पात गलन स्क्रैप का भारी मात्रा में आयात किया जाता है, अतः सरकार देश में स्पंज लोहा/एच० बी० आई० के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है और जिससे स्क्रैप के आयात को कम किया जा सके। स्पंज लोहे का उत्पादन 1991-92 में बढ़कर 12 लाख टन हो गया जबकि वर्ष 1989-90 में यह केवल 3 लाख टन था। प्रयोक्ता उद्योग अपनी कच्चे माल की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्पात गलन स्क्रैप और स्पंज लोहे/एच० बी० आई० का सीधा आयात भी कर सकते हैं।

(ग) और (घ) स्पंज लोहा/एच० बी० आई० का उत्पादन लौह अयस्क/लौह अयस्क पैलेटों से किया जाता है न कि लौह स्क्रैप से।

आकाशवाणी केन्द्र, कोल्हापुर

*661. श्री उदय सिंह राव गायकवाड़ :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कोल्हापुर के आकाशवाणी केन्द्र के भवन निर्माण, उसमें लगी मशीनरी तथा इसके रख-रखाव पर कितना खर्च हुआ है;

(ख) यह आकाशवाणी केन्द्र सभी दृष्टियों से कब पूरा हुआ था;

(ग) क्या यह केन्द्र इस बीच चालू हो गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (घ) कोल्हापुर में नये रेडियो केन्द्र के भवन निर्माण और प्लांट तथा मशीनरी लगाने में फरवरी, 1992 तक किये गये खर्च का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) भवन-सिविल और विद्युत संबंधी कार्य	84.42 लाख रुपये (लगभग)
(2) प्लांट और मशीनरी	176.00 लाख रुपये (लगभग)

चूंकि अभी केन्द्र चालू नहीं हुआ इसलिए रख-रखाव पर कोई खर्च नहीं किया गया।

कोल्हापुर का रेडियो केन्द्र तकनीकी रूप से तैयार है और इस केन्द्र के प्रचालन तथा रख-रखाव

के लिए आवश्यक अपेक्षित स्टाफ के वास्तविक रूप में तैनात होते ही इसे चालू किए जाने का कार्यक्रम है।

विश्व समाचार बुलेटिन

[हिन्दी]

*662. श्री यशवन्त राव पाटिल :

श्री राजेश कुमार :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन से प्रतिदिन प्रसार हेतु विश्व समाचार बुलेटिन तैयार करने का कार्य किसी निजी कम्पनी को सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निजी कम्पनियों को अन्य कौन-कौन से कार्यक्रम सौंप देने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

आकाशवाणी की कार्यक्रम सलाहकार समिति का पुनर्गठन

[अनुवाद]

*663. प्रो० मालिनी भट्टाचार्य :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से कोई पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें आकाशवाणी की कार्यक्रम सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाये हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने कार्यक्रम सलाहकार समितियों के गठन के नियमों में संशोधन करने की इच्छा व्यक्त की है।

(ग) राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह अपने विशिष्ट सुझाव दे कि वह किस स्तर पर और किस सीमा तक इन समितियों में अपनी भागीदारी चाहती है।

गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में डाक व्यवस्था

[हिन्दी]

*664. श्री नारायण भाई जमलाभाई राठवा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के आदिवासी बहुल जिलों, विशेषकर भड़ौच और बड़ौदा में डाक व्यवस्था ठीक से कार्य कर रही है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार किया गया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) उपर्युक्त (क) में दिए गए उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) डाक प्रणाली में आगे और सुधार करने और उसका विस्तार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(क) बड़ोदरा जिले में छोटा उदयपुर और कावंट तथा कावंट और कुदीपुरी के बीच डाक लाने-लेजाने के लिए 1-4-92 से शुरू हुई राज्य परिवहन बस सेवा का उपयोग किया जा रहा है।

(ख) भड़ोच और बड़ोदरा के जनजातीय इलाकों में कुछ और डाकघर खोलने प्रस्तावों पर कार्रवाई की जा रही है।

परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब

*667. श्री विलासराव नागनाथ राव गूंडेवार :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों द्वारा स्वीकृति के लिए भेजी गई परियोजनाओं के मामले में असाधारण विलम्ब होने के कारण उनकी लागत/बजट में भारी वृद्धि हो जाती है तथा अन्य कठिनाइयां भी पैदा होती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस तरह के विलम्ब को रोकने के लिए विभिन्न संस्थाओं/मंत्रालयों को निदेश जारी करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या करण हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, नहीं। विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों/युटिलिटियों द्वारा भेजी गई परियोजनाओं से संबंधित व्यवहार्यता रिपोर्टों में, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के० वि० प्रा०) द्वारा तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन किए जाने के संदर्भ में अपेक्षित विभिन्न निवेशों/स्वीकृतियों को शामिल न किये जाने के कारण विद्युत परियोजनाओं के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन में विलम्ब हो जाता है। इसके अलावा, तकनीकी-आर्थिक

स्वीकृति एवं निवेश सम्बन्धी स्वीकृति विभिन्न घटकों पर निर्भर करती है जिनमें ये शामिल हैं— परियोजना प्राधिकारियों से प्राप्त परियोजना रिपोर्ट की व्यापकता; केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और/अथवा केन्द्रीय जल आयोग की विभिन्न टिप्पणियों/उनके प्रक्षेपणों के सम्बन्ध में उत्तर देने में परियोजना प्राधिकारियों द्वारा लिया जाने वाला समय; ईंधन की उपलब्धता, कोयले की ढुलाई, गैस; बन्दरगाह सम्बन्धी सुविधाओं, जल की उपलब्धता, पर्यावरणीय एवं वन सम्बन्धी स्वीकृति जैसे विभिन्न निवेशों एवं स्वीकृतियों की उपलब्धता; निधियों संबंधी बाधाएं आदि।

(ख) और (ग) विद्युत परियोजनाओं से सम्बन्धित व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार किए जाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1978 में विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों/युटिलिटियों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए थे। विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृत किये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा हर सम्भव प्रयास किया जाता है।

निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाएं

*668. श्री काशीराम राणा :

श्री राम टहल चौधरी :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गुजरात और बिहार में निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति देखने के लिए कोई दल भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

छंटाई मशीनें

[अनुवाद]

*669. श्री जो० माडे गौडा :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न डाकघरों में छंटाई के लिए कितनी मशीनें लगाई गई हैं और उनकी लागत कितनी है;

(ख) देश में 1992-93 के दौरान कितनी मशीनें लगाने का विचार है;

(ग) उनमें से कितनी मशीनें कर्नाटक में लगाई जाएंगी;

(घ) क्या इस प्रकार की मशीनें बंगलौर के प्रधान डाकघर में भी लगाई गई हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो वहां पर ऐसी मशीनें कब तक लगाए जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) कोई नहीं।

(ख) 8वीं पंचवर्षीय योजना प्रारूप में ऐसी छह मशीनें लगाने का विचार किया गया है। इनमें से दो मशीनें वर्ष 1992-93 में लगाने का विचार है। बम्बई में लगाई जाने वाली एक ऐसी ही मशीन के लिए पिछले वर्ष आर्डर दिया गया था, वह भी इसी वर्ष मिल जाएगी।

(ग) कोई नहीं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) विभाग की 8वीं योजना के प्रस्तावों में बेंगलूर को एक ऐसा महानगर समझा गया है जिनमें मेकेनाइज्ड सार्टिंग मशीनें लगाने का विचार है।

पर्यटन विकास हेतु अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

[हिन्दी]

*670. श्री जीवन शर्मा :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के कुमाऊं क्षेत्र में पर्यटन विकास हेतु निवेश करने की अनुमति के लिए अनिवासी भारतीयों/संस्थाओं से केन्द्रीय सरकार को कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस क्षेत्र में पर्यटन विकास हेतु निवेश करने के लिए अन्य अनिवासी भारतीयों को आकर्षित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय को अनिवासी भारतीयों से उत्तर प्रदेश के कुमाऊं क्षेत्र में पर्यटन का विकास करने के लिए पूंजी-निवेश करने हेतु अनुमोदन प्रदान करने से सम्बन्धित कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ग) और (घ) देश में विदेशी पूंजी-निवेश को आकृष्ट करने लिए, अनिवासी भारतीयों और विदेशी निगम निकायों (ओवरसीज कार्पोरेट बाडिज) (ओ० सी० बी० एस०) को, जो अनिवासी भारतीयों के स्वामित्व में है, होटल एवं पर्यटन उद्योग में 100% तक पूंजी लगाने की अनुमति है तथा लगाई गई पूंजी और उससे होने वाली आय को इस देश से बाहर ले जाने की पूरी सुविधा उपलब्ध है। ऐसे पूंजी-निवेश के लिए, विशिष्ट पैरामीटरों के अन्तर्गत, स्वत: अनुमोदन मिल जाता है।

सुपर ताप विद्युत परियोजनाएं

[अनुवाद]

*671. श्रीमती रीता वर्मा :

श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सुपर ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें प्रत्येक परियोजना पर कितनी अनुमानित लागत आएगी; और

(घ) इनमें से प्रत्येक परियोजना के कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) से (ग) केन्द्रीय क्षेत्र में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन० टी० पी० सी०) द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली सुपर ताप विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी० ई० ए०) द्वारा स्वीकृत किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा निम्नवत् है :—

क्र० सं०	स्कीम तथा राज्य का नाम	क्षमता (मे० वा०)	अद्यतन अनुमानित लागत (करोड़ रुपये)
1	2	3	4
1.	रिहन्द सुपर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार चरण-2 यूनिट 3 और 4— उत्तर प्रदेश, जिला मिर्जापुर ।	2×500	1528.25 (चौथी तिमाही/88)
2.	विंध्याचल सुपर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार चरण-2—मध्य प्रदेश, जिला सिंधी ।	2×500	3595.57 (तीसरी तिमाही/91)
3.	चन्द्रपुर सुपर ताप विद्युत केन्द्र चरण-1 महाराष्ट्र, जिला चन्द्रपुर।	2×500	1746.40 (चौथी तिमाही/88)
4.	यमुना नगर सुपर ताप विद्युत केन्द्र— हरियाणा, जिला यमुना नगर ।	4×210	2014.64 (तीसरी तिमाही/91)
5.	मंगलौर सुपर ताप विद्युत केन्द्र चरण-1 कर्नाटक, जिला दक्षिण कन्नड़ ।	2×210	1258.41 (तीसरी तिमाही/91)
6.	कायमकुलम सुपर ताप विद्युत केन्द्र चरण-1, केरल	2×210	1145.11 (तीसरी तिमाही/91)

(घ) इन स्कीमों को चालू किए जाने की समय सूची, सरकार के निवेश सम्बन्धी निर्णय तथा पर्यावरणीय स्वीकृति, निधियों की उपलब्धता आदि जैसे अपेक्षित निवेश सुनिश्चत किये जाने पर निर्भर करेगी।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड का टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को सौंपा जाना

*672. श्री पीयूष तीरकी :

क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड को टाटा आयरन एण्ड स्टील को सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकेक्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस कम्पनी की 49 प्रतिशत इक्विटी पूंजी का अन्तरण भी किसी अनिवासी भारतीय को करने का है; और

(घ) यदि हां, तो किन शर्तों पर ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (घ) इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० (इस्को) के बर्नपुर इस्पात कारखाने के आधुनिकीकरण के प्रस्ताव की जांच करते समय वित्त मंत्रालय और योजना आयोग द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसार एस० बी० आई० कैपिटल मार्केट लि० (एस० बी० आई०—कैप) को इस्को में किसी भागीदारी की संभावनाओं का पूर्ण रूप से पता लगाने और उसके बारे में "सेल" को सलाह देने का कार्य सौंपा गया है।

एस० बी० आई० कैप सम्भावित निजी भागीदारों (भारतीय, अनिवासी भारतीयों तथा विदेशियों) की भागीदारियों जिसमें टिस्को और कापरो ग्रुप लि० भी शामिल हैं, जिसके साथ अनिवासी भारतीय श्री स्वराज पाल संबंधित हैं, के साथ सम्पर्क बनाए हुए है। सरकार को अभी निजी पार्टियों द्वारा दिये गये प्रस्तावों के ब्यौरों की कोई जानकारी नहीं है।

एस० बी० आई०—कैप की रिपोर्ट "सेल" को मई, 1992 में प्राप्त होने की सम्भावना है। रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने के बाद और उसकी पूरी तरह जांच करने के पश्चात ही इस्को में निजी भागीदारी के बारे में उपयुक्त निर्णय लिया जाएगा।

किसानों को राजसहायता

*673. श्री नरेश कुमार बालियान :

श्री अन्ना जोशी :

क्या अन्न संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार छिड़काव-सिंचाई उपकरणों को खरीदने के लिए किसानों को कोई राज-सहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन उपकरणों की अधिक लागत को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार इस राजसहायता-राशि में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार गहन कपास विकास कार्यक्रम, तिलहन उत्पादन कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना जैसी विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत ड्रिप्रकलर सिंचाई उपस्करों की खरीद के लिए किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

कार्यकारी अभियन्ताओं के पदों पर भर्ती

6998. श्री शशि प्रकाश :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कार्यकारी अभियन्ता (सिविल) के वेतनमान में पदोन्नति द्वारा कितनी नियमित तथा तदर्थ रिक्तियां भरी गयीं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इनमें से कितनी रिक्तियों पर अनुसूचित जातियों/जनजातियों के अभ्यार्थियों को नियुक्त किया गया;

(ग) आरक्षित पदों पर भर्ती न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) कार्यकारी अभियन्ता (सिविल) के वेतनमान में न भरे गए आरक्षित पदों पर भर्ती करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० बी० रंगय्या नायडु) : (क) कार्यकारी इंजीनियर (सिविल) के ग्रेड में निम्नलिखित 2 श्रेणियों में से पदोन्नति की जाती है :—

(i) ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा सहित सहायक कार्यकारी इंजीनियर (समूह—क)

(ii) ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा सहित सहायक इंजीनियर (समूह—ख)

पिछले 3 वर्षों के दौरान जबकि सहायक इंजीनियर श्रेणी में से कोई पदोन्नति (न्यायालय के निर्देश के आधार पर की गई एक तदर्थ पदोन्नति के अतिरिक्त) नहीं की गई, सहायक कार्यकारी इंजीनियर श्रेणी में से की गई पदोन्नतियों की संख्या इस प्रकार है :—

नियमित पदोन्नति	—	26
तदर्थ पदोन्नति	—	5

(ख) ऊपर (क) में बताई गई पदोन्नतियों में से, अनु० जा०/अनु० ज० जाति के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों की संख्या और वे जो वास्तव में अनु०जा०/अनु०ज०जा० से भरी गई हैं, इस प्रकार हैं :—

	आरक्षित		भरी गई	
	अनु० जा०	अनु० ज० जाति	अनु० जा०	अनु० ज० जाति
नियमित पदोन्नति	8	5	3	शून्य
तदर्थ पदोन्नति	1	1	1	शून्य

(ग) नियमानुसार अपेक्षित न्यूनतम निर्धारित सेवा सहित सहायक कार्यकारी इंजीनियर ग्रेड में अनु० जा०/अनु० जन० जाति अधिकारी पदोन्नति के लिए उपलब्ध नहीं थे।

(घ) पिछले आरक्षित रिक्त स्थान तभी भरे जा सकते हैं जब फीडर ग्रेड में अपेक्षित अर्हता प्राप्त सेवा हित अनु० जा०/अनु० ज० जा० के अधिकारी उपलब्ध हो जाएंगे क्योंकि कोई सीधी भर्ती नहीं की जा रही है।

सी-डाट प्रणाली

6999. श्री राम नारायण बैरवा :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान "सी-डाट" प्रणाली पर कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(ख) क्या योजना अवधि के दौरान निर्धारित किए गए लक्ष्य प्राप्त कर किए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० पी० रंगय्या नायडू) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सी-डाट पर लगभग 71.96 करोड़ रुपए खर्च किए गए।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्राइवेट संगठनों को ट्रालरों का आवंटन

7000. श्री आर्ल फर्नान्डीज :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार ने विभिन्न प्राइवेट संगठनों को आयातित ट्रालर आवंटित किए थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) जी; नहीं। परन्तु जिन मात्स्यिकी उद्यमियों ने ट्रालरों (ट्रालरों) के आयात के लिए आवेदन किया

था और जिनके आवेदन-पत्र विद्यमान नीति के अनुसार स्वीकार्य पाये गये थे उन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान ट्रालरों का आयात करने की मंजूरी दी गई थी।

फल उत्पादों का आया होना

[हिन्दी]

7001. श्री गोविन्दराव निकाम :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आम, पपीता, केला, संतरा जैसे फलों की फसल का 20 से 50 प्रतिशत विभिन्न कारणों से आया हो जाता है;

(ख) यदि हां; तो क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) विभिन्न कारणों से फलों का आया होना रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ङ) क्या उनके मंत्रालय का विचार फलों को आया होने से बचाने के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन खाद्य प्रसंस्करण एककों की स्थापना करने का है; और

(च) यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) यद्यपि विशिष्ट रूप से आम, पपीते, केले और संतरे के लिए उनकी बर्बादी का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है परन्तु खराब, होने वाली कृषि वस्तुओं पर योजना आयोग के तत्कालीन सदस्य डा० एम० एस० स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक दल द्वारा मई 1981 में तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार यह अनुमान है कि उचित फसलोत्तर बुनियादी सुविधाओं के अभाव और उत्पादों के खराब हो जाने के कारण कुछ फलों और सब्जियों का 40% तक हिस्सा बर्बाद हो जाता है।

(घ) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने फसलोत्तर बुनियादी सुविधायें सुदृढ़ करने और फसलोत्तर नुकसान को कम करने के लिए अनेक स्कीमें तैयार की हैं।

(ङ) और (च) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वयं कोई खाद्य प्रसंस्करण यूनिट स्थापित नहीं करता परन्तु इसने फल एवं सब्जी प्रसंस्करण के लिए सरकारी सेक्टर, सहकारिता सेक्टर, संयुक्त सेक्टर को सहायता देने की अनेक योजना स्कीमें तैयार की हैं।

बिहार में अभ्रक की खानों को बन्द करना

7002. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :

डा० लाल बहादुर राजभ :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभ्रक की कई खानों को बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्योरा क्या है;

(ग) क्या बिहार के हजारीबाग तथा गिरडीह में सैकड़ों अभ्रक की खानें चल रही थीं तथा इस उद्योग में लाखों लोग अपनी आजीविका कमा रहे थे;

(घ) यदि हां, तो इन खानों को बन्द करने से कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई; और

(ङ) इन खानों के बन्द होने से बेकार हुए श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पारेषण और वितरण में क्षति

[अनुवाद]

7003. श्री अनादि चरण दास :

क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पारेषण और वितरण में क्षति का अखिल भारतीय औसत क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों को पारेषण और वितरण में कितने प्रतिशत क्षति हुई;

(ग) राज्याध्यक्ष समिति की सिफारिश के अनुसार विद्युत पारेषण और वितरण में कितने प्रतिशत क्षति को तर्कसंगत माना गया है; और

(घ) अत्यधिक विद्युत क्षति होने के कौन-कौन से कारक हैं और सरकार द्वारा/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इस क्षति को न्यूनतम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) देश में पारेषण एवं वितरण हानियां 22 से 23 प्रतिशत के बीच रही हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान पारेषण एवं वितरण हानियों का राज्यवार ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है। विद्युत सम्बन्धी राजाध्यक्ष समिति ने उल्लेख किया है कि क्षमता सम्बन्धी आयोजना के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्त के रूप में, पारेषण एवं वितरण हानियो के सन्दर्भ में निम्नलिखित पूर्वानुमान लगाए जा सकते हैं :—

	प्रतिशत हानियां
1982-83 तक	18
1987-88	17
1992-93	16
2000-01	15

(ख) पारेषण एवं वितरण हानियों में तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियां शामिल हैं। तकनीकी हानि, विद्युत के पारेषण एवं वितरण सम्बन्धी प्रणाली में उपयोग किए जाने वाले कन्डक्टर्स एवं उपस्करों में ऊर्जा के क्षय के कारण होती है। इस प्रकार की हानि को रोक पाना सम्भव नहीं है जो कि प्रणाली में स्वाभाविक है। तथापि, लाइनों के बेहतर डिजाइन, वितरण उपकेन्द्रों को अन्य स्थान पर स्थापित किए जाने, कैपेसिटर्स प्रतिष्ठापित किए जाने, अधिक दक्ष ट्रांसफार्मर का उपयोग किए जाने आदि के माध्यम से इस हानि को कुछ सीमा तक कम किया जा सकता है। वाणिज्यिक हानि और/अथवा अस्पष्टीकृत हानि मुख्य रूप से वितरण प्रक्रिया के दौरान होती है। यह गलत मीटर रीडिंग, दोषपूर्ण मीटर, बिना मीटर के सप्लाई, ऊर्जा की चोरी आदि के कारण होती हैं।

इन हानियों में कमी करने के उद्देश्य से विद्युत यूटिलिटीज को व्यापक मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं :—अत्यधिक हानियों के लिए उत्तरदायी प्रणालीगत अवयवों का पता लगाने के लिए ऊर्जा सम्बन्धी लेखा-परीक्षा किया जाना, वोल्टता संबंधी घटक में सुधार करने के लिए कैपेसिटर्स की प्रतिष्ठापना करना, पारेषण एवं वितरण प्रणालियों को सुदृढ़ करने एवं इनमें सुधार करने के लिए प्रणाली सुधार स्कीमें तैयार करना, ऊर्जा की चोरी को रोकने के लिए टैम्पर प्रूफ मीटर बक्सों को प्रतिष्ठापित करना और ऊर्जा की चोरी के मामलों का पता लगाने के लिए सतर्कता दस्तों का गठन करना। भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 की धारा 39 के प्रावधानों के अन्तर्गत अगस्त, 1986 से ऊर्जा की चोरी को एक संज्ञेय अपराध बना दिया गया है। पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी लाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा वर्ष 1987 से राज्य बिजली बोर्डों के लिए एक प्रोत्साहन स्कीम भी आरम्भ की गई है।

विवरण

राज्य बिजली बोर्डों के सम्बन्ध में प्रतिशत परिणमन, पारेषण एवं वितरण हानियां
(विद्युत की चोरी आदि जैसी वाणिज्यिक हानियों सहित)

क्षेत्र	राज्य बिजली बोर्ड	1988-89	1989-90	1990-91*
1	2	3	4	5
उत्तरी	1. हरियाणा	26.62	29.19	27.59
क्षेत्र	2. हिमाचल प्रदेश	22.08	18.74	17.51
	3. जम्मू और कश्मीर	41.46	49.46	46.16
	4. पंजाब	18.32	18.09	19.00
	5. राजस्थान	25.34	24.39	24.89
	6. उत्तर प्रदेश	27.41	26.10	26.08
पश्चिमी	1. गुजरात	19.61	22.09	22.05
क्षेत्र	2. मध्य प्रदेश	22.07	19.48	18.76

1	2	3	4	5
	3. महाराष्ट्र	15.77	17.60	15.52
	4. गोवा	25.61	25.22	24.58
दक्षिणी	1. आन्ध्र प्रदेश	19.35	20.20	19.60
क्षेत्र	2. कर्नाटक	21.29	20.48	19.60
	3. केरल	25.23	22.54	21.02
	4. तमिलनाडु	17.66	18.51	18.40
पूर्वी	1. बिहार	23.95	21.50	21.00
क्षेत्र	2. उड़ीसा	27.52	23.96	23.00
	3. सिक्किम	21.38	23.36	22.92
	4. पश्चिम बंगाल	23 23	22.69	21.90
उत्तर	1. असम	24.98	21.38	2100
पूर्वी	2. मणिपुर	35.71	20.83	20.50
क्षेत्र	3. मेघालय	9.60	10.90	11.35
	4. नागालैंड	29.00	20.93	22.00
	5. त्रिपुरा	30.57	30.00	29.00
	6. अरुणाचल प्रदेश	24.89	27·55	20.00
	7. मिजोरम	29.66	29.00	28.00
अखिल भारत (यूटिलिटीज)		22.31	22.88	22.90

*अनन्तिम

गढ़वाल के जनजातीय और लोक नृत्यों का दूरदर्शन से प्रसारण

[हिन्दी]

7004. श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चमोली, गढ़वाल के जनजातीय और लोकनृत्यों के कार्यक्रमों को दूरदर्शन पर सुबह के प्रसारण में प्रसारित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ था और इसे कब तक स्वीकृति दिए जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या पिछड़े हुए आदिवासी व जनजाति बहुल क्षेत्रों से प्राप्त ऐसे प्रस्तावों को स्वीकृति देने में सरकार कोई प्राथमिकता देती है; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क), (ख) और (घ) जी, हां । प्रस्ताव फरवरी, 1990 में प्राप्त हुआ था । इस प्रस्ताव पर, दूरदर्शन की समय-समय पर समग्र कार्यक्रम अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बारी आने पर, विचार किया जायेगा ।

(ग) जी, नहीं ।

वायुदूत का हैंडलिंग स्टाफ

[अनुवाद]

7005. श्री रोशन लाल :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुदूत का अपना हैंडलिंग स्टाफ नहीं है;

(ख) क्या यह कार्य निजी ठेकेदारों को सौंपा गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार निजी एजेंटों को ठेका देने की प्रणाली को समाप्त करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) जहां वायुदूत का कारोबार इतना न हो कि उसका स्वयं अपना कार्यालय खोलना औचित्यपूर्ण हो, वहां वह टिकट/हैंडलिंग कार्य इस प्रयोजन के लिए नियुक्त एजेन्टों को सौंप देता है ।

(ग) और (घ) वाणिज्यिक और परिचालनात्मक कारणों से इस समय वायुदूत के लिए उन सभी स्टेशनों पर अपने कार्यालय खोलना संभव नहीं है जो उसके मार्गतंत्र पर हैं ।

स्वर्ण और चांदी के भण्डार

7006. श्री वी० देवराजन :

डा० लाल बहादुर रावल :

क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने स्वर्ण अयस्क के लिए

दक्षिणी क्षेत्र में कितने स्थानों का सर्वेक्षण किया और उसका क्या परिणाम निकला;

(ख) क्या इस क्षेत्र में आगे कोई और अध्ययन कराया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या तब से कोई खोज की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के विभिन्न भागों में 21 स्थानों पर स्वर्ण के लिए सर्वेक्षण और गवेषण किया है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा इस अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में किए गए गवेषण के फलस्वरूप, निम्नलिखित स्वर्ण भंडारों की पुष्टि की गई है :—

राज्य/क्षेत्र	भंडार (मिलियन टन में)	स्वर्ण (ग्राम/टन में)
आन्ध्र प्रदेश :		
1. भद्रमपल्ली	0.062	3.05
2. सुरापल्ली	0.077	3.97
कर्नाटक :		
1. चिचेरगी	0.091	5.0
2. टूप्पाधर	0.085	3.96
3. सांगली खान	1.16	4.06
4. कैम्पिनकोट	0.65	4.099
5. अजानहाली	0.67	4.50

(ख) से (ङ) : भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण फील्ड सत्र 1991-92 के दौरान सोने के लिए इन क्षेत्रों में प्राथमिक गवेषण कर रहा है—कर्नाटक में हट्टी (उत्तर), ऊटी टेम्पल, टूप्पाधर, सम्बाल, मस्की और अजानहाली क्षेत्र, आंध्र प्रदेश में रामगिरी पंकचेरला, शिष्ट पट्टी, केरल में कपिल-मन्काडा तथा कडम्नमना-वेलम्बूर। खोज कार्य पूरे होने के बाद परिणामों का पता चलेगा।

बिहार में ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज

[हिन्दी]

7007. श्री नवल किशोर राय :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान बिहार में जिन स्थानों पर ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए, उनका जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन टेलीफोन एक्सचेंजों ने काम करना आरंभ कर दिया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1992-93 के दौरान कुछ और एक्सचेंज कहां-कहां स्थापित किए जायेंगे ?

संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडु) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) ऐसे स्थानों पर, जहां पंजीकृत दर मांग 10 या उससे अधिक हो गई है, वहां 1992-93 के दौरान नए टेलीफोन कनेक्शन लगाए जायेंगे बशर्ते कि ऐसा तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो और संसाधन उपलब्ध हों ।

विवरण

बिहार में उन स्थानों की जिलावार सूची जहां ग्रामीण (रूरल) टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं ।

1990-91 के दौरान

क्रम सं०	जिला का नाम	एक्सचेंज का नाम
1	2	3
1.	देवघर	2
2.	गिरडिह	1
3.	हजारीबाग	2
4.	सहरसा	1
5.	अररिया	1
		7

1991-92 के दौरान

1.	पटना	5
2.	दरभंगा	3

1	2	3
3.	गया	2
4.	हजारीबाग	10
5.	सिंहभूम (पूर्व)	3
6.	पश्चिमी सिंहभूम	1
7.	भागलपुर	5
8.	छतरा	1
9.	गिरिडिह	3
10.	पूर्व चम्पारन	1
11.	जहानाबाद	1
12.	डालटेन गंज	1
13.	वैशाली	1
14.	मुजफ्फरपुर	1
15.	छपरा	2
16.	धनबाद	5
17.	देवघर	1
18.	कटिहार	2
19.	अररिया	1
20.	रांची	1
21.	मधुबनी	1
22.	भोजपुर	1
		52

खाद्य प्रसंस्करण एकक लगाने के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का प्रस्ताव

[अनुवाद]

7008. श्री विश्वनाथन कैनिथी :

श्री के० तुलसिऐया वान्डायार :

श्री प्रकाश वी० पाटील :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा भारत में पे-बैक आधार पर खाद्य प्रसंस्करण एकक स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो शर्तों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे एककों को बढ़ावा देने का है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

पालाक्काड जिले में दूरदर्शन ट्रांसमीटर द्वारा मलयालम कार्यक्रम

7009. श्री वी० एस० विजयराघवन :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने केरल के पालाक्काड जिले में दूरदर्शन ट्रांसमीटर से मलयालम कार्यक्रम के प्रसारण के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार "सूक्ष्म तरंग" सम्पर्क का विस्तार त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन केन्द्र से पालाक्काड तक करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (घ) यद्यपि, पालाक्काड जिले सहित केरल के अल्प शक्ति टी०वी० ट्रांसमीटरों को माइक्रोवेव लिंक के जरिए दूरदर्शन केन्द्र, त्रिवेन्द्रम से जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है, किन्तु इन ट्रांसमीटरों को उपग्रह के जरिए दूरदर्शन केन्द्र, त्रिवेन्द्रम से जोड़ना, इस प्रयोजन के लिए भविष्य में साधनों की और अपेक्षित अंतरिक्ष खंड क्षमता की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

इस्पात संयंत्रों के कामगारों के लिए सुरक्षा कूट

7010. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों और अधिकों

के लिए सुरक्षा बूटों की आवश्यकता प्रति वर्ष कितनी है;

(ख) इन संयंत्रों द्वारा विगत दो वर्षों के दौरान इनकी खरीददारी के लिए खर्च की गई धन-राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सुरक्षा बूटों की गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायतें आई हैं;

(घ) क्या अधिकतर इस्पात संयंत्र कर्मचारियों और श्रमिकों की उपयुक्त सुरक्षा आवश्यकताएं पूरी नहीं कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) अच्छे सुरक्षा बूटों और अन्य उपस्करों की आपूर्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर तथा राउरकेला इस्पात संयंत्र में सुरक्षा बूटों की वार्षिक आवश्यकता का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

1.	भिलाई	53,000 जोड़े
2.	बोकारो	60,000 जोड़े
3.	दुर्गापुर	35,000 जोड़े
4.	राउरकेला	41,000 जोड़े

(ख) इन संयंत्रों द्वारा सुरक्षा बूटों की खरीद पर वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान किए गए खर्च का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

		1990-91	1991-92
1.	भिलाई	49.34 लाख रुपये	65.57 लाख रुपये
2.	बोकारो	185.82 लाख रुपये	125 09 लाख रुपये
3.	दुर्गापुर	37.06 लाख रुपये	32.06 लाख रुपये
4.	राउरकेला	24.60 लाख रुपये	28.73 लाख रुपये

(ग) जी, हां ।

(घ) संयंत्र उपयुक्त सुरक्षा शर्तों का पालन कर रहे हैं और कामगारों तथा कर्मचारियों को केवल बढ़िया क्वालिटी के ही सुरक्षा बूट सप्लाई करते हैं ।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता ।

कलकत्ता और बंगलौर में टेलीफोनों के लिए जमा धनराशि की वापसी

7011. श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि बंगलौर और कलकत्ता टेलीफोन के प्राधिकारियों ने अस्थायी और अनियत टेलीफोन उपभोक्ताओं के वर्षों पहले फोन काटे जाने के बाद भी उनकी प्रतिभूति राशि को वापस नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्राधिकारियों द्वारा जमा प्रतिभूतियों पर कोई ब्याज नहीं दिया जा रहा है; और

(घ) सरकार का उपभोक्ताओं की जमा राशि को ब्याज सहित वापस करने हेतु तत्काल कार्रवाई के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

कर्नाटक में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज

7012. श्री एस० बी० सिदनाल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय कर्नाटक के बेलगांव, बीजापुर, धारवाड़ और उत्तर कन्नड़ जिलों में कितने स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज कार्यरत हैं और ये एक्सचेंज कहां-कहां हैं;

(ख) इन एक्सचेंजों की क्षमता क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार 1992-93 के दौरान इन जिलों में कुछ नए स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) एक्सचेंजों की जिलेवार सूची तथा उसकी क्षमता संलग्न अनुबन्धों में दी गई है।

(i) बेलगांव	विवरण-एक
(ii) बीजापुर	विवरण-दो
(iii) धारवाड़	विवरण-तीन
(iv) उत्तर कन्नड़	विवरण-चार

(ग) जी हां।

(घ) 1992-93 के दौरान जिलेवार खोले जाने वाले नए एक्सचेंजों की सूची इस प्रकार है :—

बेलगांव जिला	बीजापुर जिला	धारवाड़ जिला
1. कालभावी	1. ईगालगेरी	1. मुशालगिरी
2. नन्दगांव		2. गुजागाड
3. बुवाटियालूपुर		
4. मंजारी		

उत्तर कन्नडा जिला

1. मत्तीघट्टा 2. आली 3. कलककरकोप्पा 4. मालवाली

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण-I

बेलगांव जिले की 31-3-92 को एक्सचेंजों की वर्णक्रमानुसार सूची :

क्रम सं०	एक्सचेंज का नाम	क्षमता	क्रम सं०	एक्सेंचज का नाम	क्षमता
1	2	3	4	5	6
1.	ऐगाली	46	15.	बेलवाडी	30
2.	ऐमपुरा	88	16.	बंलवाम	3000
3.	अकोल	88	17.	बेल्लाधामेदाडी	90
4.	अलगावाडी	25	18.	बेनावी	455
5.	अंकालगडी	90	19.	बेलगरी	25
6.	अंकाली	176	20.	मंदवाड	25
7.	असुन्दी	25	21.	चचाडी	25
8.	अठानी	352	22.	चापगांव	25
9.	वादाकम्डरी	25	23.	चिकाखगुलु	25
10.	बैल्हवांव	576	24.	चिलकोडी	472
11.	बटकुकरी	25	25.	चिमचाली	25
12.	बेअकायल	90	26.	दादी	25
13.	बीडी	45	27.	देवलपुरा	25
14.	बेलयुंडी	45	28.	डोडावाड	25

1	2	3	4	5	6
29.	इरसाम्बा	45	56.	कागवाड	88
30.	गेरेलागुंजी	25	57.	काकाटी	176
31.	चतरपराडा	176	58.	काकेरी	25
32.	घोडरी	25	59.	काल्लोली	45
33.	गुकाक	888	60.	कान्हवाडी	35
34.	गुडास	25	61.	कान्हवाडी	30
35.	हलागा	88	62.	कारागांव	25
36.	हंचीलाल	35	63.	कारोसी	30
38.	हरसुसेरी	90	64.	कटकोल	45
39.	हिरेदाकाडवी	45	65.	केरूर	45
40	हिलकाम्बी	88	66.	खाडालकाई	90
41.	हुल्ली	45	67.	बानागांव	25
42.	होसकोटी	25	68.	खानपुर	300
43.	होसुर	25	69.	कित्तूर	176
44.	हुडली	46	70.	कोगनोली	28
45.	हुक्केरी	145	71.	कोकातनूर	25
46.	हुलकुन्द	25	72.	कोन्नूर	45
47.	हुनासीकट्टी	25	73.	कोजालगी	25
48.	इनामहोगल	25	74.	कडाची	88
49.	इंचल	25	75.	कुलगोद	25
50.	इनसालगी	35	76.	लोंदा	90
51.	इटागा	88	77.	एम० के० हुबली	88
52.	के० के० कोप्पा	45	78.	मादबावी	25
53.	कड्डाडी	25	79.	मालाबाद	25
54.	कडोली	45	80.	मामदपुर	25
55.	कागडाल	25			

1	2	3	4	5	6
81.	मंडोली	88	109.	साम्पागांव	88
82.	मंत्रासूली	25	110.	सकेश्वर	304
83.	मानगुड	45	111.	कांतिवशीवाड	88
84.	मनौली	25	112.	बट्टी	25
85.	मासगुप्पी	30	113.	सौदात्ती	188
86.	मेसवांकी	25	114.	शंकरात्ती	25
87.	मुचावाडी	25	115.	शीरागुप्पी	88
88.	मुडालगी	90	116.	सीरगांव	25
89.	मुसलखोड	25	117.	शीरशासांगी	45
90.	मुरगोड	25	118.	सौंदगला	30
91.	नागनूर	35	119.	सुलेभावी	90
92.	नावनूर	25	120.	सुलतानपुर	25
93.	नन्दगाड	45	121.	सुरबान	45
94.	नंदीकुरली	25	122.	तल्लूर	25
95.	नेगीनहाल	25	123.	तुरंगल	25
96.	नेरली	25	124.	ऊंचागांव	88
97.	नेसरगी	45	125.	ऊमरखुर्व	88
98.	निंबासोसी	25	126.	यानियामुरी	30
99.	निप्पानी	1000	127.	सादवाड	45
100.	पी० के० नागानूर	25	128.	यक्कुंडी	25
101.	पाचापूर	45	129.	यल्लूर	45
102.	परमानंदवाडी	25	130.	यायकनमूरडी	144
103.	परिसवाड	30	131.	याराणट्टी	90
104.	रायबाग	232	132.	अम्बाडगट्टी	25
105.	रामदुर्ग	264	133.	गुंजी (एम)	25
106	सदालगा	90			
107.	सल्हाली	25			
108.	सामरा	144			

विवरण-II

31-3-1992 की स्थिति के अनुसार बीजापुर जिले में एक्सचेंजों की वर्णक्रमानुसार सूची

क्रम सं०	एक्सचजों का नाम	क्षमता	क्रम सं०	एक्सचेंज का नाम	क्षमता
1	2	3	4	5	6
1.	अगरखेड	25	23.	डी० हिप्परगी	88
2.	अलमत्ती	88	24.	डी० निम्बारकी	45
3.	अलमेल	56	25.	गड्डनकेरी	88
4.	अमीनगड	48	26.	गालाबाली	88
5.	अरीकेरी	25	27.	घनिहार	25
6.	अथरगा	25	28.	गोलगेरी	25
7.	बालेश्वर	88	29.	गुडुर	88
8.	बादामी	176	30.	गुलेदगुड	300
9.	बागलकोट	1100	31.	गुलेदगुड	88
10.	बेगवाडी	192	32.	गुनादल	88
11.	बल्लोली	56	33.	गुनाडकनाल	25
12.	बासरकोड	25	34.	हालागाली	25
13.	बेलूर	45	35.	हालासांगी	35
14.	बेनकट्टी	25	36.	हल्लूर	35
15.	बीजापुर	3000	37.	हिप्परगी	25
16.	बिज्जासी	25	38.	हिदेसबी	25
17.	बिसबी	88	39.	हान्नाबनहाल्ली	25
18.	चादवन	88	40.	होन्नाली	25
19.	चाइकल	56	41.	होन्नटागाई	25
20.	चिक्कलागुंडी	25	42.	होनवाड	25
21.	चिकपडबालगी	56	43.	होरती	56
22.	देवनगांव	25	44.	हुलियाल	56

1	2	3	4	5	6
45.	हुंगागुंड	112	70.	लोकपुर	88
46.	हुमिनहिप्परगी	56	71.	लोनी	25
47.	इलकाल	440	72.	मजीकेशवबार	25
48.	इंडी	264	73.	महालिंगपुरा	352
49.	इंगलेश्वर	25	74.	ममदापुरा	25
50.	आमचंदी	500	75.	मनुगोली	25
51.	आमखंडी	88	76.	मंटुर	25
52.	जुमसनाल	25	77.	मसुती	36
53.	काकनूर	25	78.	मोराटगी	56
54.	कलाडगी	88	79.	मुदेविहाल	264
55.	कलकेरी	25	80.	मुधोल	352
56.	कामतागी	56	81.	मुगलखेड	25
57.	कनामाडी	25	82.	मुगलतोली	45
58.	कंकनवाडी	56	83.	मुचनूर	45
59.	कन्नूर	25	84.	मुलवाड	45
60.	कटगेरी	35	85.	मुटागी	45
61.	खेडगी	125	86.	नागधन	25
62.	खेरूर	176	87.	नालवतवाड़	88
63.	कोल्हार	56	88.	नन्दीकेश्वर	25
64.	कोरवार	35	89.	नरसालगी	25
65.	कुडालसंगम	25	90.	नीलगुड	35
66.	कुलगेरीक्रास	56	91	निंगापुर	25
67.	कंचनूर	25	92.	ओतीहाल	45
68.	कुंडारसी	25	93.	पचनूर	25
69.	लोहारचिंच	25	94.	पचवी	400

1	2	3	4	5	6
95.	रबकवी	88	107.	टाकोकोटी	264
96.	रामपुर	25	108.	टमुआ	88
97.	रावतवाउन	25	109.	तांगडगी	25
98.	रोनीहाल	45	110.	तेलगी	66
99.	सलोटगी	25	111.	टरडाल	176
100.	समीरवाड़ी	88	112.	तिकोटा	88
101.	सारवाड़	25	113.	तोदलाबागी	25
102.	सवनूर	45	114.	उयल	25
103.	सवालगी	56	115.	वडवाडगी	25
104.	सिरूर	25	116.	वांडल	45
105.	सिंदगी	264	117.	यालवाड़	25
106.	टाडवलगा	35			

विवरण-III

31-3-1992 की स्थिति के अनुसार धारवाड़ जिले में एक्सचेंजों की वर्ण क्रमानुसार सूची

क्रम सं०	एक्सचेंज का नाम	क्षमता	क्रम सं०	एक्सचेंज का नाम	क्षमता
1	2	3	4	5	6
1.	अबीवेरे	25	10.	असुन्डी	25
2.	अवरसुंची	45	11.	बायगानूर	25
3.	अमाडो	25	12.	बांकापुर	45
4.	अकियालूर	45	13.	बेलवांकी	25
5.	अलगवाड़ी	25	14.	बेलविनी	56
6.	अलनावाड़	88	15.	बेलगापेट	25
7.	अमिनभवी	45	16.	बेलालट्टी	45
8.	अनिगेरी	90	17.	बोमनहाली	45
9.	अरलीकट्टी	45	18.	ब्याडगी	320

	2	3	4	5	6
19.	चिकहांडोगोल	5	44.	हेबल	25
20.	चिकमन्नूर	25	45.	हेबल	25
21.	चिकनरगुंड	25	46.	हेबाली	35
22.	चिकरूर	25	47.	हेबनूर	25
23.	डांबल	25	48.	हिरेविदरी	56
24.	देवगिरी	25	49.	हिरेवाल	25
25.	धारवाड़	4000	50.	हिरेकरूर	
26.	धुम वाड़	25	51.	हिरवडपट्टी	45
27.	धुंडाशी	25	52.	होलियालूर	88
28.	दोनी	25	53.	होंबल	25
29.	गडाग	1888	54.	होन्नाटी	56
30.	गजेन्द्रगढ़	176	55.	बोसारिट्टी	45
31.	गराग	56	56.	हुबली	6300
32.	गुडमेरी	25	57.	हुबली	3700
33.	गुट्टल	144	58.	हुलगुर	45
34.	हाडली	25	59.	हुल्लूर	25
35.	हलमेरी	56	60.	इंगालगी	35
36.	हलीहाल	45	61.	इटागी	56
37.	हमीगी	25	62.	जयसरहरलहाल्ली	56
38.	हंगल	144	63.	कलघाटगी	90
39.	हनुमानहट्टी	56	64.	कलकेरी	56
40.	हरगिरी	56	65.	करैयगी	29
41.	हारटी	45	66.	कलकेरचलवेरी	56
42.	हौंसभवी	25	67.	कोड	29
43.	हवेरी	688	68.	कोन्नूर	25
					65

1	2	3	4	5	6
69	कोट्टूर	29	91.	पेट्टालुर	25
70.	कुंडगोल	88	93.	रानेबेन्नूर	988
71.	कुप्पेलूर	56	94.	रट्टीहाली	56
72.	कुरुवकोटी	25	95.	रोन	88
73.	कुरुबंगोला	25	96.	सांगुर	35
74.	लक्कुंडी	25	97.	सुंसी	45
75.	लक्मेश्वर	176	98.	बाबनूर	144
76.	मदापुर	56	99.	सेलवाड़ी	9
77.	मकनूर	56	100.	शिरगांव	88
78.	मासुर	90	101.	शिमली	25
79.	मेडलेरी	56	102.	शिरगोड	45
80.	मिसरीकोटी	25	103.	शिरहट्टी	34
81.	मोराब	25	104.	शिरोल	25
82.	मुगाड	45	105.	शिरूर	94
83.	मुलगुंड	88	106.	सुडी	56
84.	मुंडागली	179	107.	टाडास	35
85.	नालवाड़ी	25	108.	तरीहाल	176
86.	नरेबाल	45	109.	तैयारमेल्लीहाल्ली	25
87.	नारगुंड	264	110.	तिलवाल्ली	45
88	नवलगुंड	144	111.	तिरलापुर	75
89.	नेगालूर	56	112.	तुमिनकट्टी	56
90.	निडगुंडी	25	113.	उप्पिनवेटगेरी	45
91.	निगाडी	45	114.	विद्यानगर	1500

विवरण-IV

31-3-1992 की स्थिति के अनुसार आन्ध्र जिले में एक्सचेंजों की वर्णक्रमानुसार सूची : (उत्तर कन्नड़)

क्र० सं०	एक्सचेंज का नाम	क्षमता	क्र० सं०	एक्सचेंज का नाम	क्षमता
1	2	3	4	5	6
1.	अगादी	25	22.	एक्कम्बी	56
2.	अंससूर	25	23.	गणेशगड्डी	56
3.	अकडल्ली	45	24.	गेरसूप्पा	25
4.	अम्बिकानगर	45	25.	गोकरन	192
5.	अंकोला	388	26.	गुल्लापुर	25
6.	अरियंगड्डी	25	27.	हल्दीपुर	88
7.	बाड	88	28.	हाल्सा	56
8.	बक्कल	45	29.	हलियाल	160
9.	बल्कूर	35	30.	हसीकट्टा	25
10.	बनवासी	88	31.	हेगडेकट्टा	25
11.	बेलकेरी	88	32.	हेग्गारानी	45
12.	बेल्क	25	33.	हेरूर	88
13.	भैरूम्बे	88	34.	होन्नावुर	488
14.	भटकल	1184	35.	इडंगुण्डी	25
15.	बिदरकन	25	36.	ईटागी	35
16.	बिदूड	25	37.	जानमाने	56
17.	कास्लरोक	25	38.	जोएडा	25
18.	चेंदिया	56	39.	जुगलपेट	25
19.	दण्डेली	488	40	केद्रा	176
20.	दासनकोप्पा	56	41.	कडवाड	88
21.	दोड्डामान	25	42.	केवा	88

1		3	4	5	6
43.	कैंकोनी	96	62.	मांकी	88
44.	कक्कल्ली	25	63.	मवींकवें	45
45.	कालचे	25	64.	मन्नगोंड	176
46.	कनसूर	45	65.	मर्कवाड	56
47	करनार	1388	66.	मरूड	56
48.	केगल	56	67.	मुरूदेश्वर	160
49.	कट्टर	25	68.	नीरानाहल्ली	25
50.	केवलक्की	88	69.	सदाशिवगढ़	160
51.	किवाटी	25	70.	सल्कानी	25
52.	कोडकानी	56	71.	सम्बरानी	56
53.	कूम्टा	984	72.	संटेगल्ली	56
54.	कुनीवानी	25	73.	सिदवापुर	176
55.	मदनगिरि	56	74.	सिद्दर	25
56.	मगोड	35	75.	सिसी	1088
57.	मगोड (बाई)	25	76.	सुगवी	56
85.	मजली	88	77.	स्वर्णगद्दे	25
59.	मल्गी	25	78.	उमाचागी	25
60.	मल्लापुर	56	79.	यल्लापुर	192
61.	मचीकेरे	25			

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के सब-स्टेशन में आग

[हिन्दी]

7013. **श्रीमती संतोष चौधरी :**

श्री राजवीर सिंह :

क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1992 में बाहरी रिंग रोड पर नए निर्मित "संसद विहार" के विद्युत

सब-स्टेशन में आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) "डेसू" द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृति को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अनुसार त्रिवेणी को-आपरेटिव ग्रुप हाऊसिंग सोसायटी के विद्युतीकरण संबंधी कार्य करते समय इस सोसायटी को फीड़ करने वाली भूमिगत केबल में खराबी के कारण तथाकथित उपकेन्द्र में आग लगने की घटना घटी थी। केबल में खराबी को पहले ही सुधार दिया गया है। इस प्रकार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान पारेषण एवं वितरण प्रणाली के नियमित रूप से अनुरक्षण कार्य करता है।

बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में ग्रामीण विद्युतीकरण

7014. **श्री रास लखन सिंह यादव :**

मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

श्री राम टहल चौधरी :

श्री श्रीकांत जेना :

श्री सुकदेव पासवान :

श्री हरिकेवल प्रसाद :

श्री नवल किशोर राय :

श्री छेदी पासवान :

क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के कुछ जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण की गति बहुत धीमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(ग) आगामी पांच वर्षों के लिए विद्युतीकरण का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) राज्य बिजली बोर्डों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना में 31-3-91 की स्थिति के अनुसार बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के निम्नलिखित जिलों में ग्राम विद्युतीकरण का स्तर 83 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत स्तर की अपेक्षा 50 प्रतिशत से कम बताया गया है तथा राज्यवार औसत क्रमशः 68.5 प्रतिशत, 73.4 प्रतिशत तथा 65.97 प्रतिशत बताई गई है :—

बिहार	उत्तर प्रदेश	उड़ीसा
जहानाबाद	झांसी	कोरापुट
पलामू	सीतापुर	फूलबनी
हजारीबाग	हरदोई	
गिरीडीह	बाराबांकी	
गुमला	मिर्जापुर और	
साहिबगंज	सोनभद्रा	
दुमका	बस्ती और	
गोड्डा	सिद्धार्थ नगर	

(ग) ग्राम विद्युतीकरण संबंधी राज्यवार लक्ष्यों का निर्धारण योजना आयोग द्वारा वार्षिक आधार पर किया जाता है। जिलेवार लक्ष्यों के बारे में निर्णय राज्यों द्वारा किया जाता है।

श्री सेलमलेफ्ट बैंक नहर

[अनुवाद]

705. श्री धर्ममिक्षम :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को श्री सैलम लेफ्ट बैंक नहर को कार्यान्वित करने के लिए सुरंग योजनाओं के संबंध में कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो उससंबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक मंजूरी मिल जायेगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) 480 करोड़ रु० की अनुमानित लागत की दो सुरंगों सहित 185 कि०मी० लम्बी नहर का निर्माण करके गुरुत्व प्रवाह द्वारा श्रीसैलम बाचां तट नहर के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव फरवरी, 1985 में केन्द्र में प्राप्त हुआ था। इसमें नालगोंडा शहर को पेय जल प्रदान करने के अलावा नालगोंडा जिले में 1, 1,408 हेक्टे० क्षेत्र को वार्षिक सिंचाई उपलब्ध कराने की परिकल्पना है। बाद में इस प्रस्ताव के विकल्प के रूप में अक्तूबर, 86 में एक और प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसमें शीघ्र लाभ प्राप्त करने के लिए 353 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर नागार्जुन सागर जलाशय के अग्रतट से जल निकालने की परिकल्पना है।

(ग) परियोजना में कृष्णा जल विवाद अधिकरण के पंचाट द्वारा किए गए आबंटन से अधिक अधिशेष जल के उपयोग की परिकल्पना है। चूंकि अधिशेष जल की उपलब्धता निश्चित नहीं है, इसलिए परियोजना जून, 1987 में राज्य सरकार को लौटा दी गई तथा उनसे दीर्घकालीन आधार पर जल उपलब्धता स्पष्टत: स्थापित करने की अपेक्षा है।

कदवन जलाशय परियोजना

7016. श्री छेदी पासवान :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार सरकार से कदवन जलाशय संशोधित परियोजना की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस परियोजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) आठवीं योजना प्रस्तावों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। किसी परियोजना को शामिल करना उस परियोजना की तकनीकी आर्थिक स्वीकार्यता पर निर्भर करता है।

लवण रहित करने के संयंत्र

7017. श्री राम नाईक :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम ने इस्राइल की तरह अपने देश में ही लवण रहित करने का संयंत्र विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो इन सरकारी उपक्रमों के क्या नाम हैं और अब तक कितने संयंत्र विकसित किए गए, किन स्थानों पर लगाये गये और उससे क्या परिणाम प्राप्त हुए;

(ग) क्या केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड ने महाराष्ट्र के "बसई-विरार" क्षेत्र में अधिकांश नलकूपों की लवणता के कारण और भूमिजल संभावनाओं के मूल्यांकन के लिए कोई अनुसंधान और अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो बोर्ड के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रकार का अध्ययन कराने और समयबद्ध कार्यक्रम में रिपोर्ट देने के लिए बोर्ड को निदेश देने पर विचार करेगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) से (ङ) वसन्त विहार क्षेत्र में भूजल क्षमता का आकलन करने एवं लवणीयता के

कारण का पता लगाने के लिए केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा इस समय अध्ययन किया जा रहा है और परिणामों की प्रतीक्षा है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की कोचीन शाखा में इस्पात की उपलब्धता

7018. श्री पी० सी० थामस :

क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की कोचीन शाखा में जून, 1991 से फरवरी, 1992 तक की अवधि में इस्पात की उपलब्धता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आवेदकों को प्राथमिकता के आधार पर इस्पात दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो कितने आवेदन लम्बित पड़े हैं;

(घ) क्या आवेदकों को इस्पात देने में विलम्ब होता है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० के कोचीन शाखा विक्रय कार्यालय से इस्पात की माहवार बिक्री का ब्यौरा निम्नानुसार है :

माह	मात्रा (टन)
जून, 91	3066
जुलाई, 91	3627
अगस्त, 91	3317
सितम्बर, 91	1962
अक्टूबर, 91	3718
नवम्बर, 91	4966
दिसम्बर, 91	3640
जनवरी, 92	3567
फरवरी, 92	6532
कुल :	34395

(ख) दिनांक 16-1-1992 से लोह और इस्पात पर से नियंत्रण समाप्त करे दिए जाने पर सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि रक्षा, रेलवे, लघु उद्योग क्षेत्र, इंजीनियरी माल के निर्यातकों

तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को लोहे और इस्पात की आवश्यकताओं को उत्पादकों द्वारा घोषित मूल्यों पर प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाता रहेगा। अन्य उपभोक्ताओं को लोहे और इस्पात की सप्लाई समय-समय पर उनकी मांग-पंजीकरण तथा मांगी गयी सामग्री की उपलब्धता के आधार पर मुख्य उत्पादकों द्वारा की जाएगी।

(ग) उपभोक्ताओं से प्राप्त आवेदनों/मांग पंजीकरणों और उत्पादकों द्वारा सप्लाई निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। अतएव विचाराधीन आवेदन पत्रों की संख्या समय-समय पर तथा एक स्टाकयार्ड से दूसरे स्टाकयार्ड में भिन्न-भिन्न रहेगी।

(घ) और (ङ) एक निश्चित समय पर पंजीकृत मांग उपलब्धता से अधिक हो जाने तथा संचलनात्मक/संचलन अड़चनों आदि के कारण उपभोक्ताओं को मांगे गए माल की सप्लाई किए जाने में किन्हीं समयों में विलम्ब हो जाता है।

नार्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कारपोरेशन

7019. **श्री मोहन सिंह :**

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स नार्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कारपोरेशन (नैरामैक) की फल उत्पादों की स्थापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन का ब्योरा क्या है और इसकी पूरी क्षमता का उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) इसे अर्थक्षम बनाने हेतु और व्यय को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सिरिवर गोमांगो) : (क) और (ख) उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम के नलकटा (उत्तरी त्रिपुरा) स्थित फल रस सांद्रण संयंत्र की संस्थापित क्षमता प्रतिदिन 48 मी० टन अनन्नास का प्रसंस्करण करने की है। परियोजना रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र की वार्षिक संस्थापित क्षमता 5760 मी० टन अनन्नास फल प्रसंस्करण और 554 मी० टन अनन्नास रस सांद्रण की है। वर्ष 1988-89 से 1991-92 की अवधि के दौरान फल प्रसंस्करण और फल उत्पादों का वास्तविक उत्पादन इस प्रकार है :

वर्ष	फल (अनन्नास)	फल उत्पाद	
		अनन्नास रस सांद्रण	गूदा
1988-89	641.54	36.05	—
1989-90	1023.60	62.82	—
1990-91	219.36	15.00	—
1991-92	650.00	38.52	24.00

क्षमता का पूरा उपयोग न होने के निम्नलिखित कारण हैं :—

(1) गर्मी के मौसम में केवल 60/70 दिन के लिए और सर्दी के मौसम में केवल 30/40 दिन के लिए फलों की उपलब्धता।

(2) कैप्टिव/ठेके पर और वर्ण संकर किस्म के अनन्नास के फलों की अन्तराल पर खेती का न होना जिससे प्रसंस्करण मौसम के दौरान क्वालिटी के फल न मिलने से निवेश-उत्पादन अनुपात में कमी।

(3) वित्तीय कठिनाइयां।

(4) परियोजना चालू होने के समय से घरेलू/बाहरी बाजार में अनन्नास रस सांद्रण बेचने के लिए व्यवस्थित विपणन प्रयत्नों की कमी।

नुकसान को कम से कम करने के लिए निगम अनन्नास की कैप्टिव/सांतराल खेती आरंभ करने के कदम उठा रहा है जिससे वर्ष में कम से कम 200 दिनों तक अच्छे किस्म के फल उपलब्ध हो सकें। अनन्नास गूदा (जो अनन्नास सहोत्पाद है) जिसे अभी तक दूसरे निस्रावों के साथ बहा दिया जाता था, सफलतापूर्वक तैयार करने के प्रयत्न किए गए हैं; इसके अलावा विद्यमान उत्पाद के मानकीकरण, नये उत्पादों के विकास, परिवहन एवं परिचालन लागत आदि में कमी लाने के लिए निगम का अनुसंधान एवं विकास कार्य करने का विचार है।

चार्टर नीति

7020. **श्री बापू हरि चौरे :**

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चार्टर नीति को उदार बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) अप्रैल, 1990 में चार्टर नीति सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धांतों को उदार बनाया गया था जिनके तहत चार्टरों को अधिक संख्या में हवाई अड्डों पर परिचालन की अनुमति दी गई तथा परिचालन के स्थानों, अग्रिम रूप से यात्रियों की सूची के प्रस्तुतीकरण और वसूल किये जाने वाले किरायों पर प्रतिबंध को हटाने की व्यवस्था है।

1992 के दौरान, मंदी के मौसम (अप्रैल-सितम्बर) में और अधिक पर्यटक चार्टरों को प्रोत्साहित करने के लिए, सात दिन के पैकेज के लिए प्रति व्यक्ति देय विदेशी मुद्रा की राशि 350 अमरीकी डालर से घटाकर 300 अमरीकी डालर किया गया।

एयर इंडिया का लोगो बदलना

7021. **श्री मोहन रावले :**

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया ने अपना लोगो, किन्नर से बदलकर सूरज रख दिया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ग) क्या इसे फिर से किन्नर में बदलने का निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इसे बदलने में कितनी धनराशि व्यय होने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) एअर इण्डिया ने अपने छवि निर्माण कार्यक्रम के भाग के रूप में "लोगो" में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। इस पर 33 लाख रुपये व्यय हुआ।

(ग) और (घ) जी, हां। चूंकि पुराना लोगो सुविदित था और दीर्घावधि से एअर इण्डिया के साथ इसकी पहचान की जा रही थी, अत: पुराने लोगो को पुन: चालू करने का निर्णय लिया गया है। पुराने लोगो को पुन: चालू करने पर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा तभी किया जाएगा जबकि विमान का सामान्य रूप से अनुरक्षण किया जाना होगा।

अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र

[हिन्दी]

7022. श्री भगवान शंकर रावत :

श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटन स्थलों के अन्तर्राष्ट्रीय मानचित्र में महत्वपूर्ण भारतीय पर्यटन स्थलों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के कुछ शहरों को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्रों के रूप में घोषित किए जाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) ऐसा कोई मानक मानचित्र या अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थलों की सूची नहीं है, अत: भारतीय पर्यटक-स्थलों के नाम बताना संभव नहीं है जो उनमें दर्शाए गए हों।

(ख) से (घ) सरकार की ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिसके अंतर्गत वह किसी अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के शहर को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक केन्द्र घोषित करे।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा इस्पात का उत्पादन

[अनुवाद]

7023. श्री परसराम भारद्वाज :

क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अन्तर्गत भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर और राउरकेला स्थित प्रत्येक इस्पात संयंत्र के लिए वर्ष 1992-93 में विक्रय किये जाने वाले इस्पात के उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) इन संयंत्रों में से प्रत्येक संयंत्र का मार्च, 1991 तक अनुमानित उत्पादन कितना था; और

(ग) इन संयंत्रों में इस्पात की प्रति टन श्रम लागत कितनी-कितनी है ?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) स्टील अथॉरिटी आफ इण्डिया लि० के चार एकीकृत संयंत्रों में विक्रेय इस्पात का वर्ष 1991-92 में उत्पादन तथा वर्ष 1992-93 के लक्ष्य निम्नलिखित हैं :

(दस लाख टन)

संयंत्र	1991-92 में उत्पादन	1992-93 के लिए लक्ष्य
भिलाई इस्पात संयंत्र	3.104	3.040
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	0.682	0.710
बोकारो इस्पात संयंत्र	2.730	2.980
राउरकेला इस्पात संयंत्र	1.125	1.080
कुल :	7.641	7.810

(ग) बिक्री योग्य इस्पात की कुल लागत की श्रम लागत का प्रतिशत उपरोक्त चार संयंत्रों में वर्ष 1990-91 में इस प्रकार है :—

संयंत्र	प्रतिशत
भिलाई इस्पात संयंत्र	14.5
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	22.5
बोकारो इस्पात संयंत्र	12.5
राउरकेला इस्पात संयंत्र	14.4

भोपाल में टेलीफोन कनेक्शन

7024. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भोपाल शहर में कितने टेलीफोन कनेक्शन हैं और भविष्य में नये कनेक्शन

उपलब्ध कराने के लिए क्या योजना बनाई गई है;

(ख) प्रत्येक माह टेलीफोन कनेक्शनों के लिए औसतन कितने आवेदन-पत्र मिलते हैं;

(ग) नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने आवेदन-पत्र लम्बित पड़े हैं; और

(घ) टेलीफोन कनेक्शनों के लिए लम्बित आवेदन-पत्रों को कब तक निपटाये जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय के उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) 31-3-92 की स्थिति के अनुसार भोपाल शहर में 33044 टेलीफोन कनेक्शन हैं। भविष्य में नये टेलीफोन कनेक्शनों की मांग पूरा करने के उद्देश्य से आठवीं पंचवर्षीय योजना मसौदे में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची की अवधि को 2 वर्ष तक सीमित करने पर विचार किया गया है। तदनुसार भोपाल टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार करने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान प्रत्येक माह औसतन 500 आवेदन प्राप्त हुए।

(ग) 31-3-1992 की स्थिति के अनुसार नये कनेक्शनों के लिए 6068 आवेदन लम्बित पड़े हैं।

(घ) उपर्युक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए मौजूदा प्रतीक्षा सूची को 8वीं योजना अवधि के दौरान उत्तरोत्तर रूप से निपटाये जाने की आशा है।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा मैसर्स रेडीसन के साथ किये गये समझौते को रद्द करना

7025. **श्री विजय कुमार यादव :**

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने संयुक्त राज्य अमरीका की एक अन्तर्राष्ट्रीय होटल शृंखला मैसर्स रेडीसन के साथ अपने समझौते को रद्द कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) मैसर्स रेडीसन होटल कारपोरेशन आफ यू० एस० ए० ने भारत पर्यटन विकास निगम के साथ हुए विपणन-करार को समाप्त करने हेतु नोटिस दिया है।

हरियाणा में एस० टी० डी० सुविधा

7026. **डा० जी० एल० कनोजिया :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी टेलीफोन एक्सचेंजों, विशेषतौर पर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के बाबैन-लाडवा टेलीफोन एक्सचेंज में एस० टी० डी० की सुविधा प्रदान कर दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त सुविधा कब तक प्रदान कर दिए जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, नहीं।

(ख) अम्बाला में ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज तथा नाडवा और कुरुक्षेत्र के बीच संचारण माध्यम तैयार हो रहा है और इसके पूरा हो जाने पर एस० टी० डी० प्रदान कर दी जाएगी।

(ग) मार्च, 1993 तक।

विदेशी सहयोग से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

7027. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में वर्ष 1991-92 के दौरान विदेशी सहयोग से कितने संयुक्त उद्यमों की स्थापना की गई;

(ख) क्या कुछ ऐसे प्रस्ताव सरकार की स्वीकृति हेतु लम्बित हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ) गहन समुद्री मात्स्यिकी में संयुक्त उद्यम सहयोग के 15 प्रस्तावों, मांस प्रसंस्करण के 1 प्रस्ताव, फल एवं सब्जी प्रसंस्करण के 4 प्रस्तावों और मैं० जे० एम० आर० पी० कम्पनी एवं मैं० केलॉग के प्रस्तावों को वर्ष 1991-92 के दौरान मंजूरी दी गई है। दूसरे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए संयुक्त उद्यम सहयोगों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तमिलनाडु में पर्यटक विश्राम गृह और होटल

7028. डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्दरम :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सहायता से कितने पर्यटक विश्राम गृह, होटल और यात्री निवास बनाए गए और इस कार्य के लिए उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) तमिलनाडु सरकार के कितने प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित हैं; और

(ग) सरकार उन्हें निपटाने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में अलग-अलग स्थानों पर तीन पर्यटक परिसरों का निर्माण करने के लिए 47.57 लाख

रुपये की केन्द्रीय वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है। तथापि, उक्त अवधि के दौरान कोई नया यात्री निवास स्वीकृत नहीं किया गया है क्योंकि राज्य सरकार से अनुमानों सहित कोई प्रस्ताव नहीं मिला था। विभाग होटलों का निर्माण करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता नहीं देता।

(ख) और (ग) 1991-92 के दौरान, दो प्रस्ताव यथा उधगमंडलम् में पर्यटक स्वागत केन्द्र और कोडइकनाल में पर्यटक कुटीरें स्वीकृत नहीं किए जा सके क्योंकि राज्य सरकार से पूरे परियोजना प्रस्ताव नहीं मिले थे। राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना भिजवाने के लिए अनुरोध किया गया है।

दामोदर घाटी निगम से उत्पादित विद्युत के सम्बन्ध में बंगाल तथा बिहार के बीच समझौता

[हिन्दी]

7029. श्री ललित उरांव :

श्री रामदेव राम :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार, बिहार तथा पश्चिम बंगाल सरकारों के मध्य समझौते हुए थे और उनकी मुख्य शर्तें क्या हैं;

(ख) दामोदर घाटी निगम की प्रस्तावित विद्युत क्षमता कितनी है तथा समझौते के अनुसार प्रत्येक राज्य को किस अनुपात में बिजली देने का प्रस्ताव था;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान दामोदर घाटी निगम में औसत विद्युत उत्पादन दर क्या थी तथा प्रत्येक राज्य को वर्षवार किस समानुपात में बिजली दी गई;

(घ) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार को समझौते के अनुसार बिजली नहीं दी गई;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) प्रति वर्ष कितनी विद्युत का उत्पादन होता है और इसके वितरण का राज्यवार अनुपात कितना है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (च) इस प्रकार के किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान दामोदर घाटी निगम द्वारा उत्पादित विद्युत और बिहार एवं पश्चिम बंगाल में विद्युत की बिक्री का ब्योरा इस प्रकार है :—

	1989-90	1990-91	1991-92
विद्युत उत्पादन (मि० यू०)	5464	4946	5838
विद्युत की बिक्री (%)			
बिहार में	64.83	65.53	65.5
पश्चिम बंगाल में	35.17	34.47	34.5

इंडियन एयरलाइन्स में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के अधिकारियों की पदोन्नति

[अनुवाद]

7030. श्री राम विलास पासवान :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की पदोन्नति के संबंध में अनियमितताओं के मामले में सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारी कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(ग) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों का अधिक्रमण किया गया है और इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) पिछले एक वर्ष में इंडियन एयरलाइंस में की गई पदोन्नतियों और चयनों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसी भी अधिकारी का अधिक्रमण नहीं किया गया है ।

असम में इस्पात संयंत्र

7031. श्री प्रबीन डेका :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में इस्पात संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) संसाधनों की अड़चनों के कारण, आसाम अथवा अन्य कहीं सरकारी क्षेत्र में कोई नया इस्पात संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । जहां तक निजी क्षेत्र का संबंध है, जुलाई, 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति के तहत इस्पात क्षेत्र को उद्योग (विकास और विनियमन) नियम 1951 के तहत आवश्यक लाइसेंसिंग के उपबन्धों से मुक्त कर दिया गया है । उद्यमियों को लाइसेंस के लिए केवल तभी आवेदन करने की आवश्यकता होती है जब इकाई 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों से 25 किलो मीटर की दूरी के अन्दर स्थित हो ।

बिहार में डाकघर

7032. श्री सैयद शाहाबुद्दीन :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान बिहार में खोले गए डाकघरों की जिलावार संख्या व ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1992-93 में राज्यवार कितने-कितने डाकघर खोलने की योजना है; और

(ग) वर्ष 1992-93 में बिहार के किशनगंज, अररिया और पूर्णिया जिलों में कितने डाकघर खोलने की योजना है और गत तीन वर्षों के दौरान कितने वास्तव में खोले गए हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) 1991-92 के दौरान बिहार में खोले गये डाकघरों का जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) हालांकि 1992-93 के दौरान डाक नेटवर्क का विस्तार करने का प्रस्ताव है, किन्तु खोले जाने के लिए प्रस्तावित डाकघरों की राज्यवार संख्या बता पाना सम्भव नहीं है क्योंकि ब्यौरेवार लक्ष्यों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार के किशनगंज, अररिया और पूर्णिया जिलों में खोले गए डाकघरों की संख्या नीचे दी गई है :—

	1989-90	1990-91	1991-92
किशनगंज	-	—	3
अररिया	4	3	1
पूर्णिया	2	?	4

जहां तक 1992-93 के दौरान किशनगंज, अररिया और पूर्णिया जिलों में खोले जाने के लिए प्रस्तावित डाकघरों की संख्या का संबंध है, उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए उनकी संख्या बता पाना सम्भव नहीं है।

विवरण

बिहार में 1991-92 के दौरान खोले गए डाकघरों का जिलावार विवरण

क्र० सं०	जिला	डाकघरों की संख्या
1	2	3
1.	रांची	3
2.	गुमला	1
3.	हजारीबाग	2
4.	पलामू	3
5.	सिंहभूम	1
6.	गोड्डा	1

1	2	3
7.	गया	3
8.	नवादा	1
9.	भागलपुर	1
10.	पटना	5
11.	भोजपुर	5
12.	नालंदा	3
13.	सारण	6
14.	वैशाली	3
15.	बेगूसराय	4
16.	खगड़िया	2
17.	दरभंगा	7
18.	मधुबनी	2
19.	समस्तीपुर	6
20.	सीतामढ़ी	7
21.	मुजफ्फरपुर	12
22.	सीवान	8
23.	गोपालगंज	6
24.	मुंगेर	4
25.	सरहसा	4
26.	मधेपुर	4
27.	अररिया	1
28.	पुर्णिया	4
29.	कटिहार	4
30.	किशनगंज	3
31.	पूर्वी चम्पारण	7
32.	पश्चिमी चम्पारण	4

टेलीफोन अदालत

7033. **श्री गोपीनाथ गजपति :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में टेलीफोन अदालत चलाये जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश के अन्य भागों में ऐसी अदालतें स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दूरसंचार विभाग के अन्तर्गत दूरसंचार सर्किलों/जिलों में टेलीफोन अदालतों के सृजन (आयोजन) और संचालन के लिए अनुदेश पहले से ही हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

टेलीफोन अदालतों के नियम :

टेलीफोन अदालत की अवधारणा, विभाग में किसी निश्चित तारीख को जनता की शिकायतों में सुधार लाने की दृष्टि से चालू की गई थीं। प्रारम्भ में प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बेंगलूर, हैदराबाद, अहमदाबाद और कानपुर में टेलीफोन अदालतें शुरू की गई थीं। बाद में दूरसंचार सर्किलों के अधीन दूरसंचार सर्किलों तथा छोटे टेलीफोन जिलों तक इसका विस्तार किया गया। इस प्रकार की अदालतों का आयोजन 3 महीने के अन्तराल पर किया जाता है।

पीठ :

अदालत पीठ में जिला/महाप्रबन्धक तथा वित्त एवं इंजीनियरी पक्ष के एक-एक सदस्य शामिल होते हैं। सार्वजनिक शिकायत सेल का एक प्रभारी आवश्यक रूप से एक सदस्य होता है।

कार्य क्षेत्र :

सेवा सम्बन्धी शिकायतों जैसे अधिक राशि के टेलीफोन बिल की शिकायतें, टेलफोन कनेक्शन/सहायक उपकरणों की व्यवस्था न कर पाने/व्यवस्था करने में विलम्ब, विभिन्न कारणों से टेलीफोन काटे जाने की शिकायतें आदि टेलीफोन अदालत के कार्यक्षेत्र में आती हैं।

विधि :

टेलीफोन अदालत करने के बारे में स्थान, तारीख तथा जनता के प्रतिवेदन प्राप्त करने वाले अधिकृत अधिकारी के नाम और पता के संबंध में स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाता है। सामान्यतया, जनता को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए लगभग 30 दिन का समय दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त प्रतिवेदनों पर अन्तिम निर्णय लिए जाने के लिए विधिवत जांच की जाती है। प्रतिवेदनकर्ताओं को निर्णय के बारे में उपयुक्त उत्तर दिए जाते हैं अथवा उन्हें टेलीफोन अदालत की कार्यवाही में उपस्थित रहने के लिए कहा जाता है।

मूल्यांकन :

विभिन्न स्थानों पर आयोजित टेलीफोन अदालतों के सत्रों की कार्यवाही का दूरसंचार विभाग के मुख्यालय पर विश्लेषणात्मक उद्देश्यों तथा प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिए किस प्रकार की सुधारात्मक कार्रवाई की जाए, इसकी बाबत निर्णय लेने के लिए मूल्यांकन किया जाता है।

इंडियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों को वर्दी

7014. श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस में ग्रेड एक से नौ तक केस भी पुरुष और महिला कर्मचारियों को वर्दी दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में नियम क्या हैं;

(ग) क्या ग्रेड एक और दो के कर्मचारियों की वर्दी अर्थात साड़ियों के कपड़े की क्वालिटी ग्रेड तीन से नौ तक के कर्मचारियों को दी जाने वाली साड़ियों के कपड़े की क्वालिटी की तुलना में घटिया है;

(घ) क्या ग्रेड एक या दो के कर्मचारियों को भी एक ही क्वालिटी की साड़ियां दिए जाने का कोई प्रावधान है;

(ङ) क्या ग्रेड एक और दो की महिला कर्मचारियों को दो वर्ष में केवल चार साड़ियां दी जाती हैं जबकि अन्य कर्मचारियों को दो वर्ष में आठ साड़ियां दी जाती हैं;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इनकी संख्या चार से आठ करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) यात्रियों के सम्पर्क में आने वाले इंडियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों को वर्दियां दी जाती हैं और अन्य कर्मचारियों को वर्दी अनुसूची में निर्दिष्ट हकदारी के अनुसार सुरक्षात्मक वस्त्र दिए जाते हैं।

(ग) जबकि ग्रेड एक और ग्रेड दो की महिला कर्मचारियों को रेशमी फिनिश युक्त पोलिस्टर साड़ियां दी जाती हैं। तथापि, ग्रेड तीन से ग्रेड नौ तक की महिला कर्मचारियों को रेशमी साड़ियां दी जाती हैं। कपड़े की गुणवत्ता का चयन/अनुमोदन एक वर्दी समिति द्वारा किया जाता है जिसमें इंडियन एयरलाइन्स के सभी विभागों से वरिष्ठ कार्यपालक होते हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यात्री जनता के सम्पर्क में आने वाली महिला कर्मचारियों को, चाहे उनका कोई भी ग्रेड हो, 2 वर्षों में 8 साड़ियां जारी की जाती हैं। अन्य महिला कर्मचारियों को 2 वर्षों में 4 साड़ियां दी जाती हैं।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

रावी-व्यास न्यायाधिकरण में कर्मचारी

7035. **श्री मदन लाल खुराना :**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रावी-व्यास न्यायाधिकरण को रिपोर्ट पेश किए जाने से पूर्व इसमें कितने कर्मचारी कार्य कर रहे थे तथा इस समय प्रत्येक श्रेणी में कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) इस न्यायाधिकरण में साठ वर्ष से ऊपर के कर्मचारियों की संख्या कितनी है तथा इन्हें सेवा में बनाए रखने के क्या कारण हैं; और

(ग) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत अन्य परियोजनाओं में साठ साल से अधिक आयु के अब भी कार्य कर रहे सेवानिवृत्त व्यक्तियों की, कार्यालय/संस्थावार, संख्या कितनी है।

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) अधिकरण की सेवा में 60 साल से अधिक की आयु के 4 व्यक्ति कार्यरत हैं। अधिकरण के भविष्य की अनिश्चितता को देखते हुए उनके स्थान पर दूसरे व्यक्तियों को नियुक्त करने के पहले उपर्युक्त की सेवाओं को जारी रखा गया।

(ग) इस मंत्रालय में साठ वर्ष से अधिक आयु का कोई सेवानिवृत्त व्यक्ति कार्यरत नहीं है। तथापि, वाटर एण्ड पावर कन्सलटेन्सी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, जो इस मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी उपक्रम है, में विशेष परामर्शी कार्यों के लिए परामर्शदाता के रूप मे साठ वर्ष से अधिक आयु के 30 व्यक्ति हैं। परामर्शदाताओं को जब कार्य मे लगाया जाता है तो उन्हें उनके कार्य की अवधि के अनुसार केवल एक मुश्त राशि की प्रतिपूर्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त, कावेरी जल विवाद अधिकरण के अन्तर्गत दो निर्धारक कार्यरत हैं, जो साठ वर्ष से अधिक आयु के हैं।

विवरण

क्र० सं०	पद नाम	रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख अर्थात 30- -87 को भरे हुए पदो की संख्या	अब भरे गए पदों की संख्या
1	2	3	4
1.	अध्यक्ष	1	1
2.	सदस्य	2	1
3.	निर्धारक	2	—
4.	रजिस्ट्रार	1	1
5.	सहायक रजिस्ट्रार	2	—

1	2	3	4
6.	अध्यक्ष के निजी सचिव	1	—
7	अनुभाग अधिकारी	2	1
8.	कोर्ट मास्टर	2	—
9.	आशुलिपिक ग्रेड "बी"	3	1
10.	आशुलिपिक ग्रेड "सी"	1	—
11.	सहायक	4	—
12.	सहायक तथा रोकड़िया	1	—
13.	उच्च श्रेणी लिपिक	1	—
14.	अवर श्रेणी लिपिक	2	—
15.	स्टाफ कार ड्राइवर	3	1
16.	गेस्टेटनर आपरेटर	1	1
17.	जमादार	3	—
18.	दफतरी	2	1
19	डिस्पेच राइडर	1	—
20.	चपरासी	10	3
21.	फराश	1	—
22.	सफाई वाला	1	1
23.	चौकीदार	1	—
24.	सदस्य के निजी सचिव	—	—
25.	सदस्य के वैयक्तिक सचिव	—	—
		48	12

मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराने सम्बन्धी मानदण्ड

[हिन्दी]

7036. **श्री भीम सिंह पटेल :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में सरकार द्वारा क्या मानदण्ड एवं प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं;

(ख) वर्ष 1991-92 में कुल कितने सार्वजनिक टेलीफोन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किय गया था; और

(ग) मध्य प्रदेश के रीवा जिले में ऐसी कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं जिनमें उक्त सुविधा अभी तक प्रदान नहीं की गई है ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) सरकार ने, संसाधन उपलब्ध होने की शर्त पर 31-3-1995 तक उत्तरोत्तर सभी ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई है इसमें निम्नलिखित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी :—

(i) कानून और व्यवस्था की स्थिति से प्रभावित क्षेत्र ।

(ii) संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र ।

(iii) पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्र ।

(iv) तूफानग्रस्त क्षेत्र ।

(ख) 12,000 ।

(ग) 31-3-1992 की स्थिति के अनुसार 115 ।

राष्ट्रीय ऊर्जा नीति

7037. श्री गोविन्दराव निकाम :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय ऊर्जा नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) पंचवर्षीय योजनाओं/कार्यक्रमों को तैयार किए जाने के माध्यम से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा नीति को स्पष्ट किया जाता है एवं इसकी पुनरीक्षा की जाती है । इसका उद्देश्य न्यूनतम लागत पर पर्याप्त ऊर्जा सप्लाई, ऊर्जा सप्लाई में आत्मनिर्भरता और पर्यावरणीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना है । आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय वर्तमान ऊर्जा संबंधी स्थिति के प्रभाव को ध्यान में रखा जाएगा । सरकार की वर्तमान ऊर्जा नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :—

—कोयला, जल-विद्युत तथा न्यूक्लीय विद्युत जैसे घरेलू पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के विकास कार्य में तेजी लाना;

—ऊर्जा के नए एवं नवीकरणीय स्रोतों का विकास एवं समुपयोजन करना;

—ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि करने हेतु ऊर्जा संरक्षण एवं प्रबन्धन संबंधी उपाय करना;

—तेल तथा ऊर्जा के अन्य स्रोतों की मांग का प्रबन्ध करना;

—देश में विद्यमान क्षमता का इष्टतम समुपयोजन करना;

—ऊर्जा क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर कार्यरत कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना।

सामान्य पूल से आवासों का आबंटन

7038. श्री लाल बाबू राय :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एम० टी० एन० एल० के कर्मचारियों को सामान्य पूल से सरकारी आवास देने के लिए कुछ प्रावधान करने का विचार है क्योंकि वे दूरसंचार विभाग के कर्मचारी हैं और केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों के कर्मचारियों की तरह उन पर भी समान सेवा शर्तें लागू होती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या उनके मंत्रालय ने शहरी विकास मंत्रालय से इस बारे में कभी चर्चा की है; और

(ग) यदि हां, तो इस बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) से (ग) जी, नहीं।

महानगर टेलीफोन निगम लि० के कर्मचारी सामान्य पूल से आवास के पात्र नहीं हैं क्योंकि इन कर्मचारियों का आवास आबंटन का अपना अलग पूल है।

इस संबंध में सम्पदा निदेशालय, शहरी विकास मंत्रालय से विचार-विमर्श किया गया है।

सरकार द्वारा निर्धारित नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों और मात्र कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के सामान्य पूल से आवास आबंटन की भारी कमी को देखते हुए, सम्पदा निदेशालय ने महानगर टेलीफोन निगम लि० के कर्मचारियों को सामान्य पूल से आवास देने में अपनी असमर्थता प्रकट की है।

वृत्त-चित्र "सिक्किम" का प्रसारण

[अनुवाद]

7039. श्रीमती विमल कुमारी मण्डारी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वृत्त-चित्र फिल्म "सिक्किम" पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रस्तावित वृत्त-चित्र की प्रति सरकार के पास है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) इस फिल्म के प्रसारण पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। तथापि, यह फिल्म केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा अभी प्रमाणित नहीं की गई है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

इंडियन एयरलाइन्स में साइकिल स्टैंड का ठेका देने में अनियमितताएं

[हिन्दी]

7040. **श्री रतिलाल वर्मा :**

डा० रमेश चन्द्र तोमर :

श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

श्री देवी बक्स सिंह :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने सफदरजंग हवाई अड्डे पर साइकिल स्टैंड का ठेका देने के लिए निविदाएं मांगी हैं;

(ख) क्या यह सच है कि यह ठेका नियमों का उल्लंघन करके इंडियन एयरलाइन्स के एक अधिकारी के रिश्तेदार को दिया गया है और यह सबसे कम मूल्य की निविदा को नहीं दिया गया;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसमें शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई/करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

अकोला हवाई पट्टी, महाराष्ट्र

7041. **श्री पांडुरंग पुंडलिक फुंडकर :**

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में स्थित अकोला से विमान सेवाएं स्थगित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना में हवाई पट्टी के विस्तार के लिए धनराशि प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) कम आय गुणक और विमानों की कमी के कारण, अगस्त, 1990 से अकोला के लिए वायुदूत के परिचालन बन्द कर दिए गए थे।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

बरेली में टेलीफोन

7042. **श्री संतोष कुमार गंगवार :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बरेली, उत्तर प्रदेश में विशेषकर अति-विशिष्ट व्यक्तियों के अधिकांश टेलीफोन खराब रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) टेलीफोन प्रणाली को सरल और कारगर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय के उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) यह सही नहीं है कि बरेली में अधिकांश टेलीफोन विशेषरूप से विशिष्ट व्यक्तियों के टेलीफोन खराब रहते हैं।

(ख) पिछले तीन महीने के दौरान विशिष्ट व्यक्तियों के टेलीफोन के कार्यकरण के सम्बन्ध में छह शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिन पर तत्काल कार्रवाई कर दी गई थी।

(ग) बरेली की टेलीफोन प्रणाली के कार्यकरण में सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गये हैं :—

—पुराने टेलीफोन उपकरणों को बदलना।

—खराब इंसुलेटेड ड्राप वायरों को बदलना।

—खराब होने वाली ओवरहैड लाइनों के स्थान पर भूमिगत केबिलें लगाना।

—खराब होने वाली भूमिगत केबलों को बदलना।

—केबलों के पुराने वितरण बाक्सों को बदलना।

—8वीं योजना के दौरान 1000 लाइनों के ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंज सहित 4000 लाइनों की रिमोट लाइन इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज यूनिट चालू करने की योजना है।

बोकारो इस्पात संयंत्र में सेवानिवृत्त अधिकारियों को रोजगार

[अनुवाद]

7043. **श्रीमती गिरिजा देवी :**

क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र अपने कर्मचारियों के हितों को क्षति पहुंचाकर सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों को पुनः रोजगार दे रहा है :

(ख) यदि हां, तो प्रबन्ध द्वारा कितने सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों को पुनः रोजगार दिया गया है और किस-किस पद पर नियुक्त किया गया है;

(ग) सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों को पुनः रोजगार देने के क्या कारण हैं; और

(घ) बोकारो इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों के हितों की रक्षा हेतु क्या उपाय करने का विचार है ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) बोकारो इस्पात संयंत्र ने कुछ सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों को उनकी विशेषज्ञता का इस्तेमाल करने के लिए विशिष्ट कार्यों हेतु बिल्कुल अस्थायी आधार पर सलाहकार के रूप मे रखा है । सलाहकार के रूप में ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति बोकारो इस्पात के कर्मचारियों के हितों में किसी प्रकार भी बाधक नहीं है।

(ख) बोकारो इस्पात संयंत्र में सलाहकार के रूप में रखे गए चार सेवानिवृत्त अधिकारियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1. आन्तरिक जांच एवं आसूचना में सहायता करने के लिए एक सेवानिवृत्त पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सलाहकार के रूप में रखा गया है ।
2. संयंत्र और बस्ती की आन्तरिक सुरक्षा संबंधी कार्यों को संगठित करने तथा सुरक्षा और सम्बद्ध मामलों के बारे में जिला कानून एवं व्यवस्था प्राधिकारियों के साथ सम्पर्क बनाए रखने के लिए एक सेवानिवृत्त पुलिस उप-महानिरीक्षक को सलाहकार के रूप में रखा गया है ।
3. बिहार सरकार के श्रम विभाग के सेवानिवृत्त दो कर्मचारियों को ठेका-श्रमिकों तथा अधिकारी-कर्मचारी संबंधों से संबंधित विशिष्ट कार्यों के लिए तथा विभिन्न स्तरों पर बिहार सरकार से सम्पर्क बनाए रखने के लिए रखा गया है ।

(ग) व्यक्तियों को अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए बिल्कुल अस्थायी आधार पर विशिष्ट कार्यों के लिए रखा गया है तथा कार्य की समाप्ति के बाद बोकारो इस्पात संयंत्र से उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी । संयंत्र के लिए उनके कार्य महत्वपूर्ण रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में पर्याप्त विशिष्ट अनुभव है ।

(घ) पुनर्नियुक्त अधिकारी बोकारो इस्पात संयंत्र की नियमित स्थापना में नहीं हैं, अतः सलाहकारों के रूप मे उनको रखे जाने से कर्मचारियों के हित में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है ।

फ्रीगोसकेनडिया द्वारा संयुक्त उद्यम

7044. डा० सी० सिलवेरा :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वीडन की फ्रीगोसकेनडिया फर्म ने भारत की विन्नर टेकनालाजी के सहयोग से देश में संयुक्त उद्यम स्थापित करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संयुक्त उद्यम स्थापित करने की शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या प्रस्तावित संयुक्त उद्यम से भारत में प्रसंस्करण तरीकों में सुधार की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे निर्यात की क्या संभावना है;

(ङ) क्या सरकार ने प्रस्तावित संयुक्त उद्यम पर कोई निर्णय ले लिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस परियोजना की स्थापना हेतु प्रस्तावित स्थान का नाम क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय या उद्योग मंत्रालय या औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा गैर-सरकारी इस्पात संयंत्रों में पूंजी निवेश

7045 श्री रवि राय :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के प्रमुख क्षेत्रीय अर्थशास्त्रियों ने इस्पात मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम सामान्यत: गैर-सरकारी क्षेत्र की तीन परियोजनाओं में पूंजी-निवेश करने की योजना बना रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) मंत्रालय को अवगत कराया गया था कि आई० एफ० सी० निजी क्षेत्र में लोहे और इस्पात परियोजनाओं में निवेश करने के लिए इच्छुक होगी। मैसर्स डेनरो को मैसर्स ईस्सर स्पंज आयरन प्रोजेक्ट की पैलेटोकरण तथा टिस्को की तीसरे चरण की आधुनिकीकरण/विस्तार परियोजनाओं में निवेश के प्रस्ताव उनके द्वारा विचाराधीन बताये गये हैं।

डेसू में वित्तीय संकट

7046. श्री ताराचन्द खण्डेलवाल :

श्री जोबन शर्मा :

श्री मदन लाल खुराना :

श्री भोगेन्द्र झा :

क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का विचार वित्तीय संकट पर नियंत्रण पाने के लिए शुल्क में वृद्धि करने का है;

(ख) क्या डेसू कुप्रबन्धन व दोषपूर्ण योजना के कारण वित्तीय संकट का सामाना कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा व कारण क्या है;

(घ) क्या उपभोक्ताओं पर कर-भार को दूर करने के लिए डेसू में व्याप्त कुप्रबन्धन, बिजली की चोरी और भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति स्थापित की जायेगी; और

(ङ) सरकार का वित्तीय संकट पर काबू पाने के लिए डेसू के प्रबन्धन को चुस्त बनाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) से (ङ) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान मुख्यत: अलाभकारी टैरिफ के कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामाना कर रहा है। विद्युत उत्पादन में विभिन्न निवेशों की लागत में वृद्धि क्षेत्र से बाहर एजेंसियों से विद्युत की खरीददारी तथा अन्य व्यय के कारण टैरिफ में संशोधन किया जाना अपेक्षित होता है। इस संबंध में "डेसू" द्वारा समय-समय पर स्थिति की समीक्षा की जाती है। अपने उत्पादन संबंधी कार्य निष्पादन में सुधार करने, बकाया राशियों को वसूल करने, पारेषण एवं वितरण हानियों, बिलिंग आदि में सुधार करने के लिए डेसू द्वारा पहले ही कदम उठाए जा चुके हैं। दुरुपयोग अथवा भ्रष्टाचार संबंधी विशेष मामलों की सतर्कता विभाग द्वारा जांच की जाती है। कुल मिलाकर इसके कार्य-निष्पादन में सुधार किए जाने के लिए सरकार द्वारा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के कार्यकरण की भी समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का निजीकरण

7047. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी :**

श्री भगवान शंकर रावत :

श्री शंकर सिंह वाघेला :

श्री हरि किशोर सिंह :

श्री मुमताज अंसारी :

श्री गुरुदास कामत :

श्री तेज नारायण सिंह :

श्री राजेश कुमार :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का निजीकरण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, नहीं। दोनों वायु निगमों, अर्थात् इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया को प्रतिस्थापित करने के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत दो कम्पनियां अर्थात् इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड और एयर इंडिया लिमिटेड निगमित किये जाने का इरादा है ताकि वे संबद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जुटा सकें, कम्पनियों की अंशधारिता में प्रथमत: कामगारों को तथा बाद में यदि आवश्यक हो तो पारस्परिक निधियों, वित्तीय संस्थानों और आम जनता को सहभागिता के अवसर उपलब्ध कराये जा सकें।

उत्तर प्रदेश में डाकघर और तारघर

[हिन्दी]

*448. श्री रामपाल सिंह :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में छः जिले बनाए हैं;

(ख) क्या सरकार ने अन्य जिलों में अपनाए जा रहे स्तर के समान नए डाकघर और तारघर खोलने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ग) यदि हां, तो सभी जिलों में विशेषत: सिद्धार्थ जिले में नए डाकघर और तारघर खोलने के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) डाकघर : जी हां। इन जिलों के लिए भी वही मानदंड हैं जो कि देश के अन्य भागों के लिए लागू होते हैं।

तारघर : जी हां।

(ग) डाकघर : इन जिलों में डाकघर खोलने का प्रस्ताव है और ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

तारघर : सभी जिला मुख्यालयों में स्वतंत्र तारघर (विद्यालीय तारघर) खोल दिए गए हैं। इनमें वह जिले भी शामिल हैं जिनका (क) में उल्लेख है।

विवरण

उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में सृजित किए गए छः जिलों में खोले जाने वाले नए डाकघरों के स्थानों का ब्यौरा।

जिले का नाम	स्थान का नाम
फिरोजाबाद	1. अकलबाद, 2. अलीफाबाद, 3. गढ़ी सोरान, 4. रायपुरवा, 5. बिलहेना।
हरिद्वार	शून्य

सिद्धार्थनगर	1. नगवा, 1. सुगाही, 3. सैराखास, 4. कर्जा, 5. मोहन कोला, 6. हरैया नवासर, 7. नकरौर, 8. महादेव बजर्स।
मऊ	1. बैरीयाडीह, 2. गंगापुर, 3. जोगरी, 4. मौरझोग।
सोनभद्र	1. धीवाही, 2. करकारी प्रोजेक्ट।
महाराजगंज	1. निपनिया, 2. लक्ष्मीपुर बेरवा 3. पचरुपोख, 4. सुंदरी, 5. मांसी।

"गोल्डन लाइन" परियोजना के विस्थापितों का पुनर्वास

7049. श्री साईमन मरान्डी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने "गोल्डन लाइन" परियोजना के विस्थापितों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(ख) कितने विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया और अभी तक कितने परिवारों को मुआवजा दिया गया है;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) शेष विस्थापित परिवारों को कब तक पुनर्वास किए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) सिंचाई क्षेत्र में "गोल्डन लाइन परियोजना" नामक कोई परियोजना नहीं है। स्पष्टत: माननीय सदस्य का आशय बिहार राज्य में सुवर्ण रेखा परियोजना के विस्थापित व्यक्तियों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना है। 31-1-1992 तक विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए उठाये गये कदम, पुनर्स्थापित परिवारों की संख्या तथा मुआवजा प्रदान किए गए परिवारों की संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) बिहार सरकार द्वारा सामना की जा रही मुख्य समस्या वित्तीय बाधाओं की है जिसके लिए राज्य सरकार ने केन्द्र से केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त करने के वास्ते अनुरोध किया है।

(घ) राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी कार्य योजना की सोपान-I के अनुसार परियोजना से प्रभावित 16 गांवों के 3767 परिवारों का पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन सम्बन्धी कार्य जून, 1992 तक पूरा कर लिए जाने की प्रत्याशा है। शेष परिवारों के लिए इस परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के सोपान-II और III के वास्ते कार्य योजना राज्य सरकार द्वारा तैयार की जा रही है।

विवरण

31-1-92 तक सुवर्णरेखा बहुप्रयोजनी परियोजना के पुनर्वास कार्यक्रम के सोपान-I के अन्तर्गत चांदिल जल मग्नता के 16 गांवों के लिए पुनर्वास सहायता सम्बन्धी सूचना :

क्र०सं०	सहायता की मद	परिवारों की संख्या
1.	प्रभावित परिवारों की कुल संख्या	3767
2.	पुनर्स्थापना स्थल पर गृह भूखण्डों का आवंटन	970
3.	गृह भूखंडों के एवज में नकद	914
4.	750/- रुपये प्रति परिवार की दर पर स्थानान्तरण प्रभार	2124
5.	20,000/- रुपये प्रति परिवार की दर पर पात्र परिवारों को गृह निर्माण अनुदान	526
6.	परियोजना में नियोजन	406 व्यक्ति

विद्युत क्षेत्र में विदेशी और गैर-सरकारी क्षेत्र की पूंजी का प्रभाव

[अनुवाद]

7050. श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में बिजली शुल्क पर न्यूनतम लाभांश देकर विद्युत क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र की पूंजी को प्रोत्साहन देने के संबंध में पड़ने वाले दीर्घावधि प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ख) क्या विद्युत उत्पादन और वितरण में निवेश की क्षमता की लागत पर इसके प्रभाव का कोई आकलन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप प्रति मैगावाट की लागत और बिजली शुल्क में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने विद्युत क्षेत्र में निवेश के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र को 16 प्रति-शत लाभ कैसे दिया ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (ख) से (घ) विद्युत उत्पादन केन्द्र, जिनको भविष्य में स्थापित किया जाना है, से बिजली की बिक्री के लिए टैरिफ के निर्धारण हेतु मानकीय पैरामीटरों का निर्धारण करते समय सरकार ने विद्युत क्षेत्र में

अतिरिक्त निवेश को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, निवेश पर उपयुक्त लाभांश की मात्रा 16% निर्धारित की है। चूंकि इस संबंध में जारी की गई अधिसूचना में अनेक निर्धारक एवं दक्षता पैरामीटरों को ध्यान में रखा गया है इसलिए उपयुक्त लाभांश की मात्रा के कारण टैरिफ में वृद्धि उपभोक्ताओं के हित में हानिकारक नहीं होगी। विद्युत उत्पादन एवं वितरण में निवेश की लागत पर भी इसका कोई सुनिश्चित प्रभाव नहीं पड़ेगा।

"भोपाल दूरसंचार जिले" के लिए वस्तुओं की खरीद

[हिन्दी]

7051. श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में "भोपाल दूरसंचार जिले" द्वारा टेलीफोन खम्बों के लिए ब्लाक-हुक, टीक-हुक बनाने के लिए नारियल जटा तथा लाइनों की फिटिंग के लिए पी०वी०सी० पाइपों की कब खरीद की गई है;

(ख) क्या इस कार्य हेतु निविदायें आमंत्रित की गई थीं;

(ग) क्या सरकार को उक्त वस्तुओं की खरीद के संबंध में शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) ब्लाक हुक बनाने के लिए नारियल की जटा और टेलीफोन के खंबे बनाने के लिए टीक की लकड़ी नहीं खरीदी गई है। केवल 1-7-91 से आज तक मध्य प्रदेश भोपाल दूरसंचार जिले में 3/4" और 1" के पी०वी०सी० पाइप खरीदे जा रहे हैं।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग "ग" को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय जल समझौता विशेषज्ञों की बैठक

[अनुवाद]

7052. श्रीमती वासवाराजेश्वरी :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1992 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल समझौता विशेषज्ञों की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में क्या-क्या सुझाव दिए गए;

(ग) क्या इन सुझावों की जांच कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो इन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं। तथापि "जल संरक्षण" के मुख्य विषय पर तीसरा राष्ट्रीय जल सम्मेलन 5/2/92 एवं 6/2/9 को नागपुर में आयोजित किया गया था।

(ख) से (घ) इस सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं। ये, भारत सरकार के संबंधित मन्त्रालयों और विभागों तथा राज्य सरकारों को जांच करने एवं उन्हें क्रियान्वित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने के वास्ते भेज दी गई हैं।

विवरण

नागपुर में 5 तथा 6 फरवरी, 1992 को आयोजित तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन
सिफारिशें

1. मानसून के दौरान नदियों में अधिक मात्रा में प्रवाहित होने वाले जल को काम में लाने के लिए समयबद्ध तरीके से उपयुक्त जलाशय बनाने आवश्यक हैं ताकि बढ़ती हुई आबादी के लिए खाद्यान्न, चारा, रेशा और ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके।

2. सिंचाई क्षेत्र के लिए योजना प्रावधानों को पहली तथा चौथी योजना के अनुसार कुल परिव्यय के 15% के स्तर तक फिर से शुरू किया जाना चाहिए। इसमें से, विद्युत क्षेत्र से बराबर-बराबर प्रावधान करके बड़ी बहु-प्रयोजनी भंडारण परियोजनाओं के विकास के लिए विशेष आवंटन निर्धारित किया जाना चाहिए तथा इन परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में शुरू किया जाना चाहिये।

3. शुष्क भूमि वाले कृषि क्षेत्रों के लिए जल आपूर्तियां बढ़ाने के वास्ते जल विभाजक प्रबंध और विकास की तकनीकों को अपनाया जाना चाहिए।

4. जल संरक्षण उपायों में सरकार द्वारा प्रोत्साहन और सहयोग देकर लाभग्राहियों को शामिल करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

5. भूजल की बढ़ती हुई मांगों तथा कुछ क्षेत्रों में जल स्तरों की गिरावट को देखते हुए भूजल संवर्धन तकनीकों तथा सतही और भूजल के संयुक्त उपयोग को पुन: शुरू किया जाए।

6. जल संसाधन परियोजनाओं के आयोजना, क्रियान्वयन और प्रचालन के लिए नदी बेसिन प्राधिकरण स्थापित किए जाने चाहिए ताकि जल का इष्टतम् उपयोग करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किए जा सकें। इन प्राधिकरणों को पर्यावरणिक प्रबन्ध योजनाओं के क्रियान्वयन का प्रबोधन करना चाहिए।

7. चूनिन्दा पहुंचों को पक्का करने के साथ-साथ उचित डिजाइन और निर्माण पद्धतियां, जलवाहन प्रणालियों में रिसाव और वाष्पीकरण-हानियों को कम करके जल संरक्षण प्रयासों में सहायता करेंगी।

8. नहर प्रणालियों के निष्पादन मूल्यांकन अध्ययनों को नियमित प्रक्रिया तथा अनुरक्षण प्रयोग को आवधिक रूप में शुरू किया जाना चाहिए और जल संरक्षण करने तथा प्रणाली की प्रभाव-

कारिता में सुधार करने के लिए उपचारात्मक उपाय किए जाने चाहिए।

9. बारहमासी नदियों के लिये प्रत्येक नदी प्रणाली में न्यूनतम प्रवाह को पारिस्थितिकी दृष्टिकोणों से, बनाये रखने की आवश्यकता है। इसे विभिन्न उपयोगों के लिए विकास हेतु स्कीमें बनाने से पहले ध्यान में रखा जाना चाहिए।

10. आयोजना स्तर पर जल संसाधन विकास परियोजना में नौवहन संभावनाओं का पता लगाया जाना चाहिए और यदि तकनीकी आर्थिक रूप से व्यवहार्य पाई जाती हैं, तो उन्हें परियोजना घटक के रूप में शामिल किया जाना चाहिये।

11. ड्रिप, स्प्रिंकलर आदि जैसे गैर-परम्परागत सिंचाई पद्धतियों को बड़ी मात्रा में अपनाने के लिए असमान कृषि-जलवायु विषयक तथा कृषि स्थितियों के अन्तर्गत, इसकी तकनीकी और आर्थिक सम्पोषिता पर, अनुसंधान को पर्याप्त रूप से सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

12. विभिन्न फसलों के लिए जल की उत्पादन प्रभावकारिता में सुधार किये जाने की आवश्यकता है। तदनुसार यथार्थ तरीके से हां जल की भावी आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जाना चाहिए।

3. जल जमाव की सामान्य स्वीकार्य परिभाषा विकसित करने तथा आंकड़ा आधार को युक्तियुक्त बनाने के लिए राज्यवार और परियोजना-वार आंकड़े एकत्र करने की आवश्यकता है। जल जमाव को कम करने के वास्ते खरीफ मौसम के दौरान सिंचाई आपूर्तियों का प्रबोधन किया जाना चाहिए तथा जहां तक संभव हो रबी की फसल के लिए भूजल का उपयोग किया जाना चाहिए।

14. विभिन्न फसलों को विशेष रूप से "जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल आपूर्ति के लिए प्राथमिकताएं देने" पर एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करने की आवश्यकता है।

15. भारत सरकार और राज्यों को जल संरक्षण और इसके उचित उपयोग संबंधी विषय माध्यमिक विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम में लागू करने की सलाह दी जाये।

अमरीका के मोटरोला निगम द्वारा "पेजिंग सिस्टम" का निर्माण

7053. श्री संजोपान भगवान घोरात :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 मार्च, 1992 के "पालिटिकिल आब्जर्वर" के दिल्ली संस्करण में अमरीका के मोटरोला निगम द्वारा "पेजिंग सिस्टम" के निर्माण से मुकर जाने के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले के तथ्य क्या हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में की गई/की जाने वाली कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) समाचार पत्र में दी गई रिपोर्ट सही और तथ्यात्मक नहीं है। पेजिंग सिस्टम का विनिर्माण दूरसंचार उपस्कर का विनिर्माण करने के लिए सरकार की उदारवादी नीति के अंतर्गत किया जाएगा।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के व्यवसाय को प्रोत्साहन देने की योजना

[हिन्दी]

7054. **कुमारी उमा भारती :**

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गहन समुद्री मात्स्यिकी और मछली प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए अनेक स्कीमें तैयार की गई हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ गहन समुद्री मात्स्यिकी एवं प्रसंस्करण में इक्विटी भागीदारी, ट्रालर खरीदने के लिए ऋण पर ब्याज सब्सिडी देने, विविध प्रकार की मात्स्यिकी के लिए सहायता देने, टूना और दूसरी मछलियों के प्रसंस्करण के लिए सुविधाएं स्थापित करने हेतु सहायता प्रदान करने की स्कीमें और राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी विकास बोर्ड का गठन शामिल है।

भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की कोरबा परियोजना

[अनुवाद]

7055. **श्री भवानी लाल वर्मा :**

क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत एल्यूमिनियम कम्पनी की मध्य प्रदेश स्थित कोरबा परियोजना के लिए कच्चा माल उसकी आवश्यकतानुसार सप्लाई किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसकी वार्षिक आवश्यकता क्या है और उसे कितनी सप्लाई की जाती है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा कच्चे माल की नियमित सप्लाई के लिए क्या प्रबन्ध किये जा रहे है;

(घ) क्या उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग किया जा रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) बाक्साइट अयस्क, जो एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए मुख्य कच्चा माल होता है, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि० (बाल्को)

के कोरबा संयंत्र को उनकी आवश्यकता के अनुसार सप्लाई किया जाता है।

(ख) और (ग) : कोरबा में 5.5 लाख टन बाक्साइट अयस्क की वार्षिक आवश्यकता में से 2 से 2.5 लाख टन कंपनी की गृहीत खान से निकाला जाता है। चूंकि बाल्को की गृहीत खान समाप्त होती जा रही है और पूरी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकती, इसलिए शेष मात्रा इस समय बाहरी स्रोतों से खरीद कर पूरी की जाती है।

(घ) बाल्को ने कोरबा संयंत्र में एल्यूमिनियम उत्पादन की स्थापित क्षमता का उच्च स्तर, लगभग 93% क्षमता उपयोग किया है।

(ङ) भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आठवीं योजना के दौरान फल प्रसंस्करण संयंत्र

7056. **श्री के० वी० तंगकाबालू।**

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में फल प्रसंस्करण एकक स्थापित करने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) आठवीं योजना के दौरान खाद्य प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने के लिए यद्यपि कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है, परन्तु ऐसा अनुमान है कि आठवीं योजना के दौरान फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों के लिए संस्थापित क्षमता 9.50 लाख टन से बढ़कर 20 लाख टन हो जायेगी।

गुजरात में गैस आधारित विद्युत परियोजनाएं

7057. **श्री दिलीप भाई संघानी :**

श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :

श्री काशीराम राणा :

श्री रतिलाल वर्मा :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में गैस पर आधारित अधिक विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर इन संयंत्रों की स्थापना किये जाने की संभावना है;

(ग) इन संयंत्रों की स्थापना के परिणामस्वरूप गुजरात में विद्युत उत्पादन की क्षमता में कितनी वृद्धी होगी;

(घ) पीपावव गैस आधारित विद्युत परियोजना को स्वीकृति प्रदान किये जाने के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा सभी प्रस्तावित विद्युत संयंत्रों को कब तक स्वीकृति प्रदान किये जाने की संभावना है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) से (ङ) गुजरात में गैस-आधारित विद्युत संयंत्रों की प्रतिस्थापना हेतु प्राप्त प्रस्ताव निम्नानुसार हैं :—

1.	राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि० द्वारा जिला भरुच में गंधार संयुक्त साइकिल गैस टर्बाइन परियोजना	650 मे० वा०
2.	गुजरात पावर कारपोरेशन लि० द्वारा जिला भरुच में गंधार संयुक्त साइकिल गैस टर्बाइन परियोजना	615 मे० वा०
3.	गुजरात बिजली बोर्ड द्वारा जिला दक्षिणी सौराष्ट्र में पिपावाव संयुक्त साइकिल गैस टर्बाइन परियोजना	615 मे० वा०
4.	गुजरात बिजली बोर्ड द्वारा जिला सूरत में उत्राण संयुक्त साइकिल गैस टर्बाइन परियोजना चरण-2	135 मे० वा०
5.	गुजरात बिजली बोर्ड द्वारा वानकबोरी संयुक्त साइकिल गैस टर्बाइन परियोजना	600 मे० वा०

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन० टी० पी० सी०) द्वारा संयुक्त साइकिल गैस टर्बाइन परियोजना की प्रतिष्ठापना संबंधी प्रस्ताव को सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और इसे एन० टी० पी० सी० द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके चालू होने पर गुजरात की प्रतिष्ठापित क्षमता में 650 मे० वा० की वृद्धि होगी।

615 मे० वा० की पिपावाव संयुक्त साइकिल गैस टर्बाइन परियोजना को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अक्तूबर, 1989 में तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत कर दिया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह शर्त रखी गई थी कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 2.25 एम० सी० एम० डी० गैस की सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। इस परियोजना हेतु गैस लिंकेज को अभी पुष्टि नहीं की गई है।

वित्तीय व्यवस्था किए जाने सहित सभी आवश्यक निवेश/स्वीकृतियां सुनिश्चित किए जाने तथा निवेश संबंधी अनुमोदन प्रदान किए जाने के बाद ही पीपावाव संयुक्त साइकिल परियोजना एवं अन्य परियोजनाओं का कार्यान्वयन कार्य आरम्भ किया जा सकेगा।

गहरे समुद्र में मत्स्यन उद्योग को हो रही कठिनाइयां

7058. श्री गुरुदास कामत :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गहरे समुद्र में मत्स्यन उद्योग को अपने बेड़े के घटिया रखरखाव के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का का विचार है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) यह सूचना दी गई थी कि कम श्रिम्प पकड़ी जाने, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में श्रिम्प के मूल्यों में गिरावट आने, परिचालन लागत में वृद्धि और कर्मीदल के एक वर्ग द्वारा आन्दोलन करने से पिछले तीन-चार वर्षों के दौरान गहन समुद्री मात्स्यिकी को कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। स्थिति को सुधारने के लिये फिशिंग क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड (एस० सी०आई०सी० आई०) द्वारा अप्रैल, 1991 में गहन समुद्री मात्स्यिकी यूनिटों के पुनर्स्थापन की एक स्कीम की योजना की गई थी।

दिल्ली और इलाहाबाद के बीच विमान सेवाएं

[हिन्दी]

7059. श्रीमती सरोज दुबे :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और इलाहाबाद के बीच विमान सेवाएं नियमित नहीं है और इन्हें हाल ही में स्थगित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस विमान सेवाओं को पुन: शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) जी हां,। विमान क्षमता की कठिनाई के कारण, इंडियन एयरलाइन्स ने दिल्ली और इलाहाबाद के बीच अपनी सेवाएं बन्द कर दी थी।

(ग) और (घ) जी, हाँ। 15-4-1992 से लागू समयावली में, इंडियन एयरलाइन्स ने दिल्ली और इलाहाबाद के बीच सप्ताह में बी-737 की दो सेवाएं पुन: आरम्भ कर दी है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात के बनासकांठा जिले में लघु समाचारपत्रों का पंजीकरण

7060. श्री हरि सिंह चावड़ा :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के बनासकांठा जिले से पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक लघु वर्ष में समाचार-पत्रों से पंजीकरण के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान ऐसे कितने पत्रों का पंजीकरण किया गया; और

(ग) शेष समाचारपत्रों को कब तक पंजीकृत कर लिया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान पंजीयन के लिए 1989 में 10, 1990 में 1 और 1991 में 4 अर्थात कुल 15 आवेदन प्राप्त हुए थे।

(ख) और (ग) इन 15 समाचारपत्रों में से जिनके संबंध में आवेदन प्राप्त हुए थे, पांच का पंजीयन पहले ही किया जा चुका है। अन्य 10 आवेदनों के सम्बन्ध में विसंगतियों की सूचना प्रकाशकों को दे दी गई है। प्रकाशक द्वारा प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 में अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी किए जाने पर ही इनका पंजीयन किया जा सकता है।

कर्नाटक में पुराने टेलीफोन एक्सचेंजों को बदलना

[अनुवाद]

7061. **श्री एच० डी० देवगौडा :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में कितने पुराने स्ट्रोजर मैक्स-11 इलैक्ट्रो-मैकेनिकल टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या इन पुराने उपकरणों के कारण टेलीफोन सेवा प्रभावित हो रही है;

(ग) इन्हें इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों में बदलने संबंधी सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन्हें कब तक बदला जाएगा ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) कर्नाटक में एम ए एक्स-11 किस्म के सात स्ट्रोजर इलेक्ट्रो मैकेनिकल एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) इनको बदलने की प्रस्तावित योजना इस प्रकार है :—

—1992-93 के दौरान तीन एक्सचेंजों में 2500 लाइनें।

—1993-94 के दौरान चार एक्सचेंजों में 2200 लाइनें।

जोधपुर में सौर ऊर्जा संयंत्र

7062. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :**

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जोधपुर जिले में मथानिया में 30 मेगावाट का सौर आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित करने हेतु राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी से कोई परियोजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि इस परियोजना को एन० टी० पी० सी० जैसे सरकारी उपक्रम को सौंप दिया जाए;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इसे कब तक मंजूरी दी जाएगी ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां। सरकार को राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण से जोधपुर में मथानिया में 30 मे० वा० के एक सौर ताप-विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए नवम्बर, 1988 में एक व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। प्रस्तावित प्रौद्योगिकी परबोलिक ट्रफ संग्राहकों पर आधारित है।

(ख) व्यवहार्यता रिपोर्ट की समीक्षा करते समय योजना आयोग ने कुछ गायब उप-प्रणाली ब्यौरों का उल्लेख किया था जिनकी प्रचालन सम्बन्धी दृष्टिकोण से आवश्यकता है और प्रणालियों की कम लागत का भी जिक्र किया था जिसके संशोधन तथा अद्यतन किए जाने की अपेक्षा है। इन टिप्पणियों के बाद इस विभाग ने कार्यदल का गठन किया जिसमें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०, विद्युत विभाग, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग, राजस्थान उर्जा विकास अभिकरण और राजस्थान बिजली बोर्ड से सदस्य हैं। कार्यदल ने अक्तूबर, 1990 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण को इस सुझाव के साथ भेज दिया गया था कि व्यवहार्यता रिपोर्ट में तदनुसार संशोधन किया जाए। संशोधित व्यवहार्यता रिपोर्ट मई, 1991 में विभाग को प्राप्त हुई थी। उसके बाद प्रस्ताव कानूनी तकनीकी-आर्थिक निरापत्ति के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को भेजा गया था। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की टिप्पणियां दिसम्बर, 1991 में प्राप्त हुई थी।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की समीक्षा के अनुसार, सुझाई गई प्रौद्योगिकी के आधार पर 30 मे० वा० क्षमता का सौर ताप-विद्युत संयंत्र बहुत ही पूंजी प्रवण और आर्थिक दृष्टि से अव्यवहार्य साबित हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखकर इस परियोजना को अनुमोदन न देने का निर्णय लिया गया। इस परियोजना की तकनीकी-आर्थिक विश्लेषण के दौरान इस परियोजना के कार्यान्वयन में राष्ट्रीय ताप-विद्युत निगम जैसे किसी केन्द्रीय संगठन को शामिल करने सम्बन्धी संभावना पर भी विचार किया गया। राजस्थान सरकार ने ऐसी किसी संभावना के लिए अपनी अनापत्ति सूचित की थी।

इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया की अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों में धूम्रपान

7063. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्से :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स/एयर इंडिया की अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां; तो उन अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों के नाम क्या हैं, जिन्होंने अपनी उड़ान में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, नहीं, भारत के लिए परिचालन कर रही किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई कम्पनी ने अपनी उड़ानों में धूम्रपान पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया है।

अन्तर-राज्यीय जल विवाद

7064. श्री विजय नवल पाटील :

डा० डी० वेंकटेश्वर राव :

श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से अन्तर-राज्यीय जल-विवाद केन्द्रीय सरकार के पास निपटारे के लिए लम्बित पड़े हैं; और

(ख) इन समस्याओं को सरकार किस प्रकार हल करने पर विचार कर रही है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अन्तर्गत अधिशेष रावी-व्यास जल का बंटवारा तथा कावेरी जल का बंटवारा नामक दो विवाद अधिकरणों को क्रमश: अप्रैल, 86 और जून, 1990 में सौंपे गये थे। रावी और व्यास जल अधिकरण ने अपनी रिपोर्ट जनवरी, 1987 में प्रस्तुत की तथा भारत सरकार एवं पक्षकार राज्यों ने इस अधिनियम में किए गए प्रावधान के अनुसार इस रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण/मार्ग-दर्शन प्रदान करने के लिए अधिकरण को और पत्र लिखा है। कावेरी जल विवाद अधिकरण ने दिनांक 25-6-91 को एक आदेश पारित किया जिसमें तमिलनाडु और पांडिचेरी को अन्तरिम राहत प्रदान की गई है। अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम के तहत माही बजाज सागर से सम्बद्ध प्रश्नों के विचार के लिए मध्य प्रदेश से प्राप्त प्रस्ताव के बारे में एक प्रारंभिक अन्तर्राज्यीय बैठक दिनांक 6 फरवरी, 1991 को आयोजित की गई।

इनके अतिरिक्त, यमुना जल (ओखला तक) का बंटवारा, सोन जल के विषय में बाण सागर करार के निर्वचन, राजस्थान और गुजरात के बीच माही जल करार के निर्वचन जैसे पूर्व करारों एवं अधिशेष जल के बंटवारे के मामलों से संबंधित कुछ अन्तर्राज्यीय मुद्दे हैं। राज्यों के बीच जल संसाधनों में अन्तर्राज्यीय मुद्दों के सौहार्दपूर्ण हल के लिए राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की एक स्थायी समिति का गठन किया गया है।

खाड़ी के देशों को विमान सेवा

7065. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रीष्म ऋतु के दौरान खाड़ी क्षेत्र को और अधिक विमान सेवाएं चलाए जाने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, हां। एयर इंडिया ने 92 के ग्रीष्मकाल से त्रिवेन्द्रम और आबू धाबी के बीच एक अतिरिक्त साप्ताहिक सेवा आरंभ कर दी है। इंडियन एयरलाइन्स का 3 मई, 1992 से, कालीकट-शारजाह-कालीकट सेवा की आवृत्ति को सप्ताह में तीन से बढ़ाकर पांच बार करने का प्रस्ताव है।

निजी क्षेत्र के लिए आई०टी०डी०सी० के होटल तथा ट्रेवल एजेंसियां

7066. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री शंकर सिंह बाघेला :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों और यात्रा अभिकरणों को चलाने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार पर्यटन के विकास के लिए विदेशों में तैनात कर्मचारियों को वापस बुलाने का भी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) सरकार ने एक स्कीम बनाई है जिसके अन्तर्गत भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के छोटे-छोटे समूह बनाए जाएंगे ताकि उनका प्रमुख विदेशी होटल शृंखलाओं के साथ संयुक्त उद्यमों के रूप में विकास किया जा सके।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युतीकृत पम्प सेट

7067. **श्री वी० सोमनाद्रीश्वर राव वाड्डे :**

क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 के दौरान राज्यवार कितने पम्प सेटों को बिजली दी जायेगी और इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी-कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ख) 1-1-1992 को किसानों के पम्प सेटों को बिजली कनेक्शन देने की स्वीकृति देने के लिए राज्यवार कितने आवेदन प्राप्त हुए; और

(ग) इन आवेदनों को कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) योजना आयोग द्वारा ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए किये गये आवंटन और वर्ष 1992-93 के लिए पम्पसेटों के ऊर्जन संबंधी निर्धारित वास्तविक लक्ष्यों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

वर्ष 1992-93 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम का राज्यवार ब्यौरा
(परिव्यय एवं वास्तविक लक्ष्य)

परिव्यय (लाख रु० में)

क्र०सं०	राज्य	पम्पसेटों के ऊर्जन संबंधी लक्ष्य (एस० पी० ए० कार्यक्रम को छोड़ कर)	ग्राम विद्युतीकरण एवं लोड इन्टेसिफिकेशन सम्बन्धी कार्यों सहित पम्पसेटों के ऊर्जन के लिए
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	11500	2100
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	1265
3.	असम	—	1350
4.	बिहार	4250	2355
5.	गोवा	—	20
6.	गुजरात	7000	2440
7.	हरियाणा	14000	3650
8.	हिमाचल प्रदेश	100	500
9.	जम्मू और कश्मीर	100	650
10.	कर्नाटक	15000	2525
11.	केरल	3000	650
12.	मध्य प्रदेश	25150	6045
13.	महाराष्ट्र	20000	10000
14.	मणिपुर	—	1400

1	2	3	4
15.	मेघालय	—	475
16.	मिजोरम	—	720
17.	नागालैंड	50	175
18.	उड़ीसा	4000	3302
19.	पंजाब	10000	3800
20.	राजस्थान	20150	6915
21.	सिक्किम	—	460
22.	तमिलनाडु	5000	1878
23.	त्रिपुरा	100	805
24.	उत्तर प्रदेश	11350	7400
25.	पश्चिम बंगाल	2000	2795
	जोड़ (राज्य)	152750	65672

डाक-टिकट

[हिन्दी]

7068. श्री देवी बक्स सिंह :
श्री रतिलाल वर्मा :
श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री अब्दुल्ला प्रसाद शुक्ल :
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
श्रीमती सुमित्रा महाजन :
श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्से :
श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :
श्री राम नाईक :
श्री कोडीकुन्नील सुरेश :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "संस्कृत दिवस" (रक्षाबन्धन), मध्य प्रदेश में सिंहस्थ मेला, इलाहाबाद में भारती

भवन पुस्तकालय, स्वतन्त्रता सेनानियों और प्रमुख व्यक्तियों के जन्म शताब्दी पर स्मारक डाक-टिकट जारी करने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा वर्ष 1992 के दौरान जारी किये जाने वाले स्मारक डाक-टिकटों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां।

(ख) 1992 के दौरान जारी किये जाने वाले संभावित स्मारक/विशेष डाक टिकटों की प्रस्तावित सूची संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1992 के लिए प्रस्तावित स्मारक/विशेष डाक-टिकट

क्र०सं०	विषय
1	2
1.	राष्ट्रीय अभिलेखागार
2.	विजय सिंह पथिक
3.	हरियाणा की पच्चीसवीं वर्षगांठ
4.	भारत तिब्बत सीमा पुलिस
5-8.	साहसी खेल
9.	फड़ चित्र : देव नारायण
10.	कृष्ण चन्द्र गजपति
11-14.	शिकारी पक्षी
15.	साम्प्रदायिक एकता
16.	हेनरी गिडनी
17-20.	ओलम्पिक खेल
21-24.	अजन्ता गुफा चित्र
25.	उधम सिंह
26-27.	भारत छोड़ो आन्दोलन
28.	एस०आर० रंगनाथन
29.	मदन लाल ढींगरा

1	2
30-33.	पुष्पद वृक्ष
34.	60 पैरा एम्बुलेंस की स्वर्ण जयन्ती
35.	राकेट डाक : स्टीफन स्मिथ
36-39.	भारतीय वस्त्र
40-41.	शुभकामनाएं
42-43.	भारतीय वायुसेना की हीरक जयन्ती
44-45.	धन्वन्तरि (औषधीय पौधे और जड़ी बूटी)
46-49.	भारत की समुद्री सम्पदा
50.	बाल दिवस
51.	छोटू राम
52-57.	रागमाला चित्र
58-61.	भारतीय रेल इंजन
62.	भारतीय भवन पुस्तकालय
63.	(तिरह अभियान की शताब्दी) सेना सेवा कोर
64.	खान अब्दुल गफ्फार खान
65.	दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र, जबलपुर

वर्ष 1992 के दौरान पहले की जारी किए गए डाक-टिकटों की सूची

1.	वाई०एम०सी०ए० की राष्ट्रीय परिषद
2-3.	अन्तर्राष्ट्रीय सेतु एवं संरचनात्मक अभियांत्रिकी संस्था
4.	बकरियों पर पांचवां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन।

उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना

[अनुवाद]

7069. **श्री ज्ञानेन्द्र रत्न मौर्य :**

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गाजीपुर, मिर्जापुर और आजमगढ़ जिले के फल उत्पादक क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन क्षेत्रों में विदेशी सहयोग से भी कोई परियोजना स्थापित की जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) यद्यपि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय ने अनेक योजनाएं स्कीमें तैयार की हैं जिनके अन्तर्गत राज्य सरकारी सेक्टर, संयुक्त सेक्टर और सहकारिता सेक्टर आदि में फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, परन्तु उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गाजीपुर, मिर्जापुर और आजमगढ़ जिलों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से योजना स्कीमों के अन्तर्गत सहायता का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा भूमि का अर्जन

[हिन्दी]

7070. श्री सुरेशानन्द स्वामी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट कोई भूमि अर्जित की है;

(ख) क्या भूमि के मूल्य का भुगतान वर्तमान दर पर किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार भूमि से बेदखल होने वालों को रोजगार प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, हां ।

(ख) भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अधीन भूमि अधिग्रहण समाहर्ता के निर्णय के अनुसार दिया जाता है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

कर्नाटक में हुबली में हवाई अड्डा

[अनुवाद]

7071. श्री डी० के० नायकर :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में हुबली में हवाई अड्डे के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका निर्माण कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) से (ग) चूंकि हुबली में पहले से ही एक हवाई अड्डा मौजूद है, अत: वहां किसी नये हवाई अड्डे के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

इन्दौर हवाई अड्डे पर आई० एल० एस० उपकरण

7072. श्रीमती सुमित्रा महाजन :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दौर के हवाई अड्डे पर इन्स्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो यह सुविधा वहां पर कब तक उपलब्ध कराये जाने की सम्भवना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सुविधा 1994 में उपलब्ध कराए जाने की आशा है।

दक्षिणी अफ्रीका के साथ विमान सम्पर्क

7073. श्री धर्मण्णा सोंडम्या सावुल :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण अफ्रीका के साथ विमान सम्पर्क स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) दक्षिण अफ्रीका एक अच्छा वाणिज्यिक अवसर सुलभ करा सकता है। तथापि, राजनयिक संबंध स्थापित किए जाने और उसके बाद हवाई सेवा करार सम्पन्न किये जाने के बाद ही उसके साथ हवाई सम्पर्क स्थापित किए जाने का निर्णय लिया जाएगा।

एफ० एम० ट्रांसमीटरों को प्रसारण ट्रांसमीटरों में बदलना

7074. श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी मौलिक और गैर-मौलिक स्थानीय रेडियो एफ० एम० ट्रांसमीटरों को प्रसारण ट्रांसमीटरों में परिवर्तित करने का है;

(ख) क्या इससे स्थानीय लोगों को अपनी सहभागिता से वंचित नहीं होना पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

आकाशवाणी मिथिला (दरभंगा) केन्द्र

[हिन्दी]

7075. श्री भोगेन्द्र झा :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी मिथिला (दरभंगा) केन्द्र की स्थापना कब की गई, इसको ट्रांसमीशन क्षमता कितनी है और भाषावार प्रसारण समय के आबंटन का ब्योरा क्या है;

(ख) इसकी क्षमता कब तक बढ़ा दी जाएगी और इस पर कितना व्यय होगा; और

(ग) विशेषकर तराई क्षेत्र में रहने वाले अशिक्षित ग्रामीणों की सुविधा के लिए मिथिला में समाचारों का प्रसारण कब से शुरू होगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) आकाशवाणी का दरभंगा केन्द्र 2 फरवरी, 1976 को चालू किया गया था। इस केन्द्र से 10 कि० वा० (मी० वे०) ट्रांसमीटर के जरिए निम्नलिखित विभिन्न भाषाओं और बोलियों में प्रति माह कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं :—

	भाषा/बोली	अवधि	
		घंटा	मिनट
1.	उर्दू	29	00
2.	मैथिली	13	30
3.	भोजपुरी	02	00
4.	हिन्दी	27	40
5.	अंग्रेजी	00	40
6.	संस्कृत	00	50

(ख) इस समय आकाशवाणी, दरभंगा की प्रसारण क्षमता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) इस समय मैथिली में समाचार बुलेटिन प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मध्य प्रदेश में छोटे इस्पात संयंत्र

[अनुवाद]

7076. श्री मानकूराम सोडी :

क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक उद्यमियों/कम्पनियों ने मध्य प्रदेश में बस्तर जिले के बैलाडीला लौह अयस्क फैक्टरी के आस-पास और इसके बाहर छोटे इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिए आशय पत्र हेतु आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस्पात कम्पनी ने लौह अयस्क की ढुलाई के लिए पाइप लाइन बिछाने की अनुमति मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) (ख) जुलाई, 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति में लोहे और इस्पात को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से निकाल दिया गया है और इसे अनिवार्य लाइसेंसिंग,की अनिवार्यता से भी छूट दे दी गई है। निजी अथवा संयुक्त क्षेत्र में इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिए औद्योगिक लाइसेंस के लिए सरकार की अनुमति केवल उन्हीं संयंत्रों के सम्बन्ध में लेने की आवश्यकता होती है जो संयंत्र 1991 की जनगणना के अनुसार 10 लाख की आबादी से अधिक आबादी वाले शहरों की सीमा के 25 कि० मी० की दूरी के अन्दर स्थित हों। मध्य प्रदेश में किसी स्थान के लिए सरकार को कोई आवेदन नहीं मिला है।

(ग) और (घ) मैसर्स इस्सर इनवेस्मेंट लि० का मध्य प्रदेश में बैलाडिला स्थित उनके प्रस्तावित परिष्करण संयंत्र से लौह अयस्यक चूर्ण/सान्द्रण को आन्ध्र प्रदेश में विशाखापट्टणम में स्थित उसके प्रस्तावित पैलेटीकरण संयंत्र तक ले जाने के लिए पाइप लाइन बिछाने का प्रस्ताव है। इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण आदि आवश्यक कार्रवाई करने के लिए केन्द्र सरकार से सम्बन्धित राज्य सरकारों के अधिकारियों को पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 के तहत सक्षम प्राधिकारी का कार्य करने का अधिकार प्रदत्त किया है।

टी० वी० सीरियल "बाईबल"

7077. श्री कोडीकुन्नील सुरेश :

प्रो० के० वी० थामस :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टी० वी० सीरियल "बाईबल" के प्रसारण किए जाने के मामले में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इसे कब तक प्रसारित किया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) "बाईबल" धारावाहिक को अनंतिम रूप से 9 अगस्त, 1992 से प्रसारित करने का कार्यक्रम है।

राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड में अस्थायी कर्मचारी

7078. श्री के० प्रधानी :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या क्या है;

(ख) इस संगठन के प्रत्येक संवर्ग में अस्थायी कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(ग) उन्हें नियमित/स्थायी बनाने के लिये क्या मानदंड/नियम अपनाये जाते हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) (क) नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (नाल्को) में 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार 5476 कर्मचारी कार्यरत हैं।

(ख) और (ग) इस संगठन में कोई अस्थाई कर्मचारी कार्यरत नहीं हैं और उन्हें नियमित/स्थायी बनाने के बारे में कम्पनी के कोई नियम नहीं हैं।

विभागेत्तर एजेंटों का नामकरण

7079. प्रो० प्रेम धूमल :

श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या संचार उप मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न डाक यूनियनों ने विभागेत्तर एजेंटों का नामकरण बदलने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो संचार मंत्रालय द्वारा इस संबंध में आवश्यक आदेश कब तक जारी किए जाने की संभावना है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० पी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां, यूनियनों ने मौजूदा नाम को "ग्रामीण डाक कर्मचारी" के रूप में बदलने की मांग की है।

(ख) उपर्युक्त मांग को इसकी कानूनी विवक्षाओं के कारण स्वीकार करना संभव नहीं पाया गया क्योंकि अतिरिक्त विभागीय डाक एजेंट विभाग के अंशकालिक एजेंट मात्र हैं जबकि प्रस्तावित नाम का एक अलग अर्थ है जो उन्हें विभागीय कर्मचारियों का दर्जा प्रदान करता है।

(ग) प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कोसी और गंडक पर भारत-नेपाल समझौता

[हिन्दी]

7080. डा० रमेश चन्द्र तोमर :

श्री बलराज पासी :

श्री ललित उरांव :

श्री राम देव राम :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-नेपाल के बीच कोसी और गंडक नदी के संबंध में समझौते पर कब हस्ताक्षर किये गये थे तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) बिहार, उत्तर प्रदेश तथा नेपाल द्वारा कितनी सिंचाई तथा अन्य सुविधाओं का लाभ उठाया गया है; और

(ग) नेपाल, बिहार तथा उत्तर प्रदेश द्वारा इन परियोजनाओं पर पृथक-पृथक कितना खर्च किया गया है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) कोसी करार पर 25 अप्रैल, 1954 को हस्ताक्षर किए गए तथा इसे 19 दिसम्बर, 1966 को संशोधित किया गया। गंडक करार पर 4 दिसम्बर, 1959 को हस्ताक्षरित किए गए। इन परियोजनाओं से लाभ निम्नवत हैं :—

परियोजना का नाम	देश भारत		देश नेपाल
	बिहार	उत्तर प्रदेश	
(i) कोसी परियोजना सिंचाई लाभ (लाख हेक्टे०)	7.75	—	0.395
विद्युत लाभ (मेगावाट)	10	—	10
(ii) गंडक परियोजना सिंचाइ लाभ (लाख हेक्टे०)	10.3	44.43	0.44
विद्युत लाभ (मेगावाट)	7.5	—	7.5

(ग) गंडक परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार ने क्रमश: लगभग 13? करोड़ रुपए तथा 420 करोड़ रुपये व्यय किए है। कोसी परियोजना के लिए बिहार द्वारा ?5 करोड़ रुपए तथा नेपाल के बदले में भारत द्वारा 6?.73 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं।

विदेशी पर्यटकों हेतु पर्यटन स्थलों का पता लगाने की योजना

7081. डा० महादीपक सिंह शाक्य :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में और अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु नए पर्यटन स्थलों का

पता लगाने की कोई योजना है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त योजना को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) से (ग) नए पर्यटक स्थलों का पता लगाना एक सतत प्रक्रिया है और यह जिम्मेवारी मुख्यत: राज्य सरकारों की है। तथापि, 15 परिपथों/गंतव्यों का अभिनिर्धारण किया गया है और इन परिपथों/गंतव्यों के विकास हेतु कार्य-योजनाओं को राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

बिहार की सिंचाई परियोजनाएं

7082. श्री नीतीश कुमार :

श्री सुकदेव पासवान :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा हाल ही में स्वीकृत की गई सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं और उनकी अनुमानित लागत कितनी है तथा इन्हें पूरा करने की अवधि क्या निर्धारित की गई है;

(ख) इनमें केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों का हिस्सा क्रमश: कितना-कितना प्रतिशत है; और

(ग) इनसे सिंचाई क्षमता कितनी बढ़ जाएगी ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ग) 1-1-1992 से 3 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को निवेश स्वीकृति प्रदान की गई है। अनुमानित लागत, लाभान्वित क्षेत्र और पूरा करने की अवधि का विवरण इस प्रकार है :—

क्रम सं०	परियोजना का नाम	नवीनतम अनुमानित लागत (करोड़ रु०)	वार्षिक सिंचाई (हेक्टेयर)	पूरा करने की अवधि
1.	कन्सजोरे	26	6337	8वीं योजना
2.	पंचखेरी	17	2226	8वीं योजना
3.	भैरवा	25	4056	8वीं योजना

(ख) सिंचाई परियोजनाओं में वित्त पोषण पूरी तरह राज्य सरकारों द्वारा अपने "योजना" संसाधनों से किया जाता है।

हवाई अड्डों का निर्माण

7083. डा० लाल बहादुर रावत :

श्री भगवान शंकर रावत :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिलहाल किन-किन स्थानों पर हवाई अड्डे हैं और किन-किन स्थानों पर निर्माणाधीन हैं और प्रत्येक हवाई अड्डे पर हुए कुल निवेश का ब्योरा क्या है;

(ख) इन हवाई अड्डों के संदर्भ में निर्णय कब-कब लिए गए थे;

(ग) किन-किन स्थानों पर नए हवाई अड्डे बनाने का विचार है और किन-किन हवाई अड्डों से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें भरी जाती हैं;

(घ) क्या आगरा में नागरिक हवाई अड्डे के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) इस समय जिन स्थानों पर हवाई अड्डे मौजूद हैं उनका विवरण संलग्न है। सलेम में एक हवाई अड्डा निर्माणाधीन है और इसके निर्माण पर लगभग 3.50 करोड़ रुपये का निवेश किए जाने की आशा है।

(ख) सलेम हवाई अड्डे के निर्माण का कार्य 16 सितम्बर, 1990 से शुरू हो गया था।

(ग) इस समय नए हवाई अड्डे के निर्माण और अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) आगरा में एक विमान क्षेत्र पहले से ही है जो वर्तमान वातायात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

विवरण

राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित सिविल विमान क्षेत्र और सिविल एन्क्लेव

1.	अगत्ती	9.	बेलगाम
2.	अगरतल्ला	10.	भावनगर
3.	अहमदाबाद	11.	भोपाल
4.	अकोला	12.	भुवनेश्वर
5.	अमृतसर	13.	बिलासपुर
6.	औरंगाबाद	14.	बम्बई (जुहू)
7.	बेलूरघाट	15.	कालीकट (करीपुर)
8.	बेहाला	16.	चकुलिया

17. कोयम्बतूर
18. कूच-बिहार
19. कुडप्पाह
20. दीसा (पालनपुर)
21. दिल्ली (सफदरजंग)
22. देहरादून
23. धीमापुर
24. दोनकोंडा
25. गया
26. गुवाहाटी
27. हसन
28. हुबली
29. हैदराबाद
30. इम्फाल
31. इन्दौर
32. जबलपुर
33. जयपुर
34. झांसी
35. झारसुगुडा
36. जोधपुर
37. कैलाशहर
38. कमालपुर
39. कांडला
40. कानपुर
41. कंजोड
42. खंडवा
43. खजुराहो
44. खोवाल
45. कोल्हापुर
46. कोटा
47. कुल्लू (भुंतर)
48. ललितपुर
49. उत्तरी लखीमपुर (जीवाबाड़ी)
50. लखनऊ
51. लुधियाना
52. मदुरै
53. मालदा
54. मंगलोर
55. डिब्रूगढ़ (मोहनबाड़ी)
56. मुजफ्फरपुर
57. मैसूर
58. नादिरबुल
59. नागपुर
60. पानागढ़
61. पन्ना
62. पंतनगर
63. पासीघाट
64. पटना
65. पोरबंदर
66. रायपुर
67. राजामुंदरी
68. राजकोट

69.	रांची	79.	तिरुचिरापल्ली
70.	रक्सौल	80.	तूतीकोरीन
71.	रूपसी	81.	तुरियल (एजवाल)
72.	सतना	82.	उदयपुर
73.	शोलः	83.	बड़ोदरा
74.	शिलांग (बारापानी)	84.	वाराणसी
75.	शिमला (जाबरहट्टी)	85.	वेलूर
76.	शोलापुर	86.	विजयवाडा
77.	तंजौर	87.	वारांगल
78.	तिरुपति	88.	पांडिचेरी

सिविल एन्क्लेव

1.	आगरा	15.	जम्मू
2.	इलाहाबाद	16.	जामनगर
3.	एलांग	17.	जोधपुर
4.	बागडोगरा	18.	जोरहाट
5.	बंगलौर	19.	कानपुर (चकेरी)
6.	बीकानेर	20.	लेह
7.	भुज	21.	पोर्टब्लेयर
8.	चंडीगढ़	22.	पूना
9.	कोचीन	23.	श्रीनगर
10.	दीपारीजो	24.	सुलूर
11.	गोवा	25.	तेजू
12.	गोरखपुर	26.	विशाखापत्तनम
13.	ग्वालियर	27.	जीरो
14.	जैसलमेर	28.	सिल्चर

भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे :

1. बम्बई 2. दिल्ली 3. कलकत्ता 4. मद्रास 5. त्रिवेन्द्रम

वायुदूत को देय राशि

[अनुवाद]

7084. श्री अवध कुमार पटेल :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुदूत ने अपनी बकाया पड़ी राशि को वसूल करने के लिए कोई विशेष अभियान चलाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) वर्ष 1991-92 में कितना लाभ/हानि होने का अनुमान है और 31 मार्च, 19 2 की स्थिति के अनुसार कितना संचित घाटा हुआ है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) एजेंटों के पास बकाया पड़ी राशि की वसूली के लिए गठित विशेष वसूली दल द्वारा किए गए प्रयासों के आशाजनक परिणाम निकले हैं। इससे बकाया राशि में पर्याप्त गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त, दोषी एजेंटों के विरुद्ध बकाया राशि को कम करने में सहायता मिली। हाल ही में नकद/बैंक ड्राफ्टों के द्वारा अग्रिम भुगतान की एक योजना आरम्भ की गई है।

(ग) 1991-92 के दौरान वायुदूत को लगभग 30.59 करोड़ रुपये की अनुमानित हानि हुई है। 1991-92 तक वायुदूत को संचित हानि लगभग 159.00 करोड़ रुपये हुई है।

उड़ीसा में डाकघर के लिए जमीन

7085. श्री अर्जुन चरण सेठी :

क्या संचार मंत्री उड़ीसा में डाकघर के लिए जमीन के बारे में 5 सितम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5776 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के बालासोर जिले में बांता में उप-डाकघर हेतु भवन निर्माण के लिये संशोधित सीमांकन के अनुसार जमीन का कब्जा ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके निर्माण हेतु बनाये गये कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की जायेगी ?

संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) संशोधित ड्राइंग तैयार की जा रही है।

(ग) इस परियोजना का अनुमानित व्यय 15,50,540/- रु० है।

विदेशी विमान कम्पनियां

7086. श्री रामनिहोर राय :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी विमान कम्पनियां अपने किरायों में कटौती करके राष्ट्रीय विमान सेवाओं को घाटा पहुंचा रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान हुये अनुमानित घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किराये में इन कटौतियों को रोकने के लिये कोई प्रवर्तन तंत्र है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस हेतु कोई प्रवर्तन तंत्र के गठन का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो कब; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) से (च) बाजार किराये कभी-कभी एयरलाइन उद्योग में विद्यमान प्रतियोगी तत्वों के आधार पर प्रकाशित किरायों से अपेक्षाकृत कम बताये जाते हैं। विशेषकर इस सम्बन्ध में एयर इण्डिया को हुई हानि, यदि कोई हो, की मात्रा का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है। यात्रियों से वसूल किये जा रहे कम किरायों को रोकने के लिए कोई विशेष तंत्र स्थापित करने का सरकार का कोई विचार नहीं है। राष्ट्रीय वाहक कम्पनियों के हितों की रक्षा करने के लिये अन्य नीति सम्बन्धी साधन उपलब्ध हैं।

पूर्वी दिल्ली में अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन काटना

7087. श्री तेज नारायण सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी दिल्ली में कितने अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन दिये हैं;

(ख) क्या इनमें से कुछ टेलीफोन कनेक्शनों को अवैध रूप से काट दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन कनेक्शनों को फिर से देने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) 1-4-90 से 31-3-92 तक पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में मंजूर किये गये स्थायी कनेक्शनों की कुल संख्या 4400 है। इस क्षेत्र में आज तक चालू टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 2240 है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों से बिजली का उत्पादन

[हिन्दी]

7088. डा० परशुराम गंगवार :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कूड़ा-करकट और धान के भूसे जैसे गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों से बिजली का उत्पादन करने के लिये कोई अनुसंधान कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है;

(घ) इन अनुसंधान कार्यों में कितनी सफलता मिली है; और

(ङ) बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार कौन से कदम उठाने जा रही है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) चावल पुआल/भूसी और कूड़े-कचरे से बिजली का उत्पादन करने के लिये अनुसंधान तथा विकास शाखाओं के साथ परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

(ख) से (ङ) (i) फालतू चावल पुआल को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करके 10 मे० वा० का एक तरलीकृत संस्तर दहन प्रायोगिक विद्युत संयंत्र पंजाब में जलखेड़ी में स्थापित किया गया है। अपरम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग, भारत सरकार, पंजाब राज्य बिजली बोर्ड और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० के संयुक्त प्रयास के रूप में यह प्रौद्योगिकी विकास परियोजना विश्व में अपनी तरह की एक पहली परियोजना है। इस संयंत्र को चलाकर अभी हाल में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और यह नवम्बर, 1992 में आगामी धान के मौसम के दौरान कार्यशील हो जाने की आशा है। नियमित विद्युत उत्पादन के लिए अधिशेष धान पुआल के उपयोग के बारे में इस प्रायोगिक संयंत्र के सफल प्रचालन के बाद विचार किया जाएगा।

(ii) नगर के कूड़े कचरे के भस्मीकरण और 3·75 मे०वा० विद्युत के उत्पादन के लिये डेनमार्क की तकनीकी तथा वित्तीय सहायता से टनं के आधार पर दिल्ली में स्थापित एक अनुसंधान तथा विकास परियोजना सफल साबित नहीं हुई। उपर्युक्त परियोजना के सम्बन्ध में अब तक कुल लगभग 60 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है जिसमें कुल लगभग 22 करोड़ रुपये का आसान शर्तों पर विदेशी ऋण तथा कुल लगभग 6 करोड़ रुपये का अनुदान शामिल है।

(iii) गैसीकरण पद्धति के जरिये चावल पुआल से छोटे पैमाने पर विद्युत उत्पादन के सम्बन्ध में अनुसंधान परियोजनाएं (10-100 कि० वा० शृंखला) भी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलूर और भारतीदसन इन्जीनियरी महाविद्यालय, त्रिची में शुरू की गई हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई में विकसित अभिकल्प के आधार पर निर्मित 15 कि०वा० की एक प्रोटोटाइप गैसीफायर प्रणाली 1000 घंटे सफलतापूर्वक चली है। अन्य परियोजनाओं के परिणामों की प्रतीक्षा है। इन परियोजनाओं पर अब तक कुल लगभग 0.80 करोड़ रुपये का व्यय हुआ। सफल साबित हो जाने के बाद, इन प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यीकरण के लिए प्रयास किये जायेंगे।

भारत एल्यूमिनियम कम्पनी का विधान बाग एकक

[अनुवाद]

7089. श्री हाराधन राय :

क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत एल्यूमिनियम कम्पनी के विधान बाग एकक के कार्य निष्पादन में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार भारत एल्यूमिनियम कम्पनी के विधान बाग एकक का आधुनिकीकरण व विस्तार करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (घ) भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लि० (बाल्को) ने अपनी आर्थिक क्षमता और साधनों के अनुसार क्रमिक आधार पर विधान बाग यूनिट के कार्य में सुधार लाने के लिए कदम उठाये हैं और एक साध्यता अध्ययन शुरू किया है। मूल्य वर्धित मदों में उत्पाद-मिश्र सुधारने के लिए आरम्भिक उपाय के रूप में 1991 में एल्यूमिनियम कण्डक्टर स्टील रिइन्फोर्स्ड के स्थान पर 1,000 टन वार्षिक क्षमता का आल-एल्यूमिनियम एलाय कण्डक्टर प्लांट लगाया गया। यह संयंत्र तब से चालू है। किन्तु, राज्य बिजली बोर्डों से, जो इस उत्पाद के मुख्य खपत-कर्ता हैं, पर्याप्त आर्डर न मिलने के कारण, इस प्लांट की पूरी क्षमता का उपयोग करना संभव नहीं हो पा रहा है।

राजस्थान में ग्रामीण विद्युतीकरण

[हिन्दी]

7090. श्री राम सिंह कस्वां :

क्या विद्युत और वैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 के दौरान राजस्थान में चुरू जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिए सरकार ने कितनी धनराशि मंजूर की है;

(ख) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान कितने ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण किया गया;

(ग) चुरू जिले में ऐसे कितने गांव और कमजोर वर्ग की कालोनियां हैं जिनका विद्युतीकरण किया जाना है; और

(घ) इसके क्या कारण हैं तथा इनका कब तक विद्युतीकरण करने की संभावना है ?

विद्युत और वैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) ग्राम विद्युतीकरण के लिए निधियां योजना आयोग द्वारा समग्र राज्य के लिए आवंटित की जाती

हैं न कि किसी विशेष जिले के लिए तथा ग्राम विद्युतीकरण संबंधित कार्य के लिए क्षेत्रवार प्राथमिकता क्रम को राज्य प्राधिकारियों द्वारा अन्तिम रूप दिया जाता है। वर्ष 1992-93 के लिए ग्राम विद्युतीकरण संबंधी कार्य हेतु समग्र राजस्थान राज्य के लिए योजना आयोग द्वारा 69.15 करोड़ रु० के परिव्यय का अनुमोदन किया गया है।

(ख) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के अन्त तक राजस्थान के चुरू जिले में विद्युतीकरण किए गए गांवों की संख्या निम्नानुसार है :

निम्नलिखित वर्ष के अन्त तक	विद्युतीकरण किए गए गांवों की कुल संख्या (संचयी)
1990-91	688
1991-92	728 (फरवरी, 1992 तक)

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिम बंगाल में जल विद्युत परियोजना

[अनुवाद]

7091. श्री जितेन्द्र नाथ दास :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल में जल विद्युत परियोजना स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय दो जल विद्युत परियोजनाएं नामश: रामम चरण-दो (50 मे०वा०) तथा तीस्ता नहर प्रपात-I से 4 (67.5 मे०वा०) निर्माणाधीन हैं तथा इनको क्रमश: 1993-94 एवं 1993-95 के दौरान चालू किए जाने का कार्यक्रम है।

रामम चरण-I (36 मे० वा०) को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत कर दिया गया है और पर्यावरणीय एवं वन सम्बन्धी स्वीकृति और निवेश सम्बन्धी अनुमोदन प्राप्त कर लिए जाने के पश्चात इसे क्रियान्वयन के लिए हाथ में लिया जायेगा। फरक्का बराज जल विद्युत परियोजना (125 मेगावाट) को भी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति तथा सरकार के निवेश संबंधी निर्णय के पश्चात् परियोजना प्राधिकारियों द्वारा क्रियान्वयन के लिए इसे हाथ में लिया जायेगा।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र

7092. श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के कार्यकरण पर विपरीत टिप्पणी की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इन्दिरा सागर बांध

[हिन्दी]

7093. श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) क्या सरकार का विचार इन्दिरा सागर बांध को पूरा करने के लिए विश्व बैंक से सहायता लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं।

(ख) विश्व बैंक द्वारा नर्मदा सागर परियोजना, जिसका नाम अब इन्दिरा सागर परियोजना कर दिया गया है, का मूल्यांकन वर्ष 1984-85 में किया गया था। तथापि, विश्व बैंक ने सूचित किया है कि पर्यावरणीय निर्धारण आवश्यकताओं पर 1 अक्तूबर, 1989 से लागू विश्व बैंक के नये प्रचालनात्मक निदेशों को, अन्य बातों के साथ-साथ, ध्यान में रखकर, इस परियोजना का पुनर्मूल्यांकन करना आवश्यक होगा। विश्व बैंक ने यह बताया है कि उसके अग्रणी कार्यक्रम में इस परियोजना की पुनरस्थापना पर विचार करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना होगा :—

(I) यथार्थ वित्तीय योजना,

(II) पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन अध्ययन, और

(III) परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापना के लिए एक व्यापक योजना।

मध्य प्रदेश सरकार से उपर्युक्त पहलुओं पर अनुवर्ती कार्रवाई भेजने का अनुरोध किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अमेरिकी फिल्मों का आयात

[अनुवाद]

7094. श्री राम कापसे :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में अमेरिकी फिल्मों के आयात के संबंध में मोशन पिक्चर्स एक्जिबिटर्स एसोसिएशन पर अब तक लगाये गए प्रतिबंध हटा लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस निर्णय से सरकार को कितनी हानि होगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

राज्यों में नए आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना

[हिन्दी]

7095. श्री बी० एल० शर्मा प्रेम :

श्री लखित उरांव :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान कितने नये आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना की गई है;

(ख) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों से नये आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(घ) किन-किन स्थानों पर नये आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किए जाएंगे और इन केन्द्रों द्वारा कब तक कार्य शुरू करने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) 1989-90 से 1991-92 की अवधि के दौरान, देश में 31 नये आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किये गये।

(ख) से (घ) आकाशवाणी की योजना स्कीमें संबंधित राज्यों में रेडियो कवरेज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती हैं। यद्यपि, राज्य सरकारों से संबंधित राज्यों में आकाशवाणी कवरेज के विस्तार के लिए समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते हैं, किन्तु आकाशवाणी की योजनाएं तैयार करने के लिए राज्य सरकारों से विस्तृत प्रस्ताव नहीं मंगाये जाते।

आकाशवाणी की आठवीं योजना का अभी अनुमोदन होना है। तथापि, आठवीं योजना में उपयुक्त स्थानों पर स्टूडियो सहित 84 प्रसारण केन्द्रों का प्रस्ताव किया गया है।

केरल में विद्युत परियोजनाएं

[अनुवाद]

7096. श्री ए० चार्ल्स :

श्री थाइल जॉन अंजलोज :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल विद्युत बोर्ड ने 1990-91 और 1991-92 के दौरान कितनी बिजली का उत्पादन किया;

(ख) केरल की विभिन्न विद्युत परियोजनाओं की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ग) क्या राज्य में बिजली का उत्पादन मांग के अनुपात में कम है;

(घ) केन्द्र सरकार के पास पन बिजली और ताप विद्युत परियोजनाएं स्वीकृति के लिए कब से लम्बित पड़ी हैं और इसमें देरी के क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इन परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान केरल में कुल मिलाकर ऊर्जा का उत्पादन क्रमश: 5494 मिलियन यूनिट और 5327 मिलियन यूनिट था।

(ख) केरल में विभिन्न परियोजनाओं की वर्तमान अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता 1476.5 मेगावाट है।

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान केरल में 7440 मिलियन यूनिट ऊर्जा की आवश्यकता थी इसकी अपेक्षा 7197 मिलियन यूनिट ऊर्जा उपलब्ध थी।

(घ) अपेक्षित ब्यौरा निम्नानुसार है :—

क्र० सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मे० वा०)	के० वि० प्रा० में प्राप्त होने की तारीख	अभ्यक्ति
1	2		3	4
(क) के० वि० प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत/मूल्यांकित				
1.	अदीरापल्ली (जल विद्युत)	2×80=160	1/89	20-6-89 को मूल्यांकन उपयुक्त पाया गया। औपचारिक स्वीकृति, धारा 29 की अनुपालना किए जाने के पश्चात् तथा अन्य शर्तों के अधीन प्रदान की जाएगी।

1	2	3	4
(ख) जिनकी के० वि० प्राधिकरण में जांच की जा रही है			
1. भूथानकट्टु (जल विद्युत)	3 × 10 = 30	4/91	के० वि० प्रा०/के० ज० आयोग की कुछ टिप्पणियों के बारे में उत्तर प्रतीक्षित हैं। प्राप्त हुए उत्तरों की जांच की जा रही है।
2. पल्लीवासल पुनर्वास स्कीम (जल विद्युत)	3 × 20 = 60	7/90	के० वि० प्रा०/के० ज० आयोग की कुछ टिप्पणियों के बारे में उत्तर प्रतीक्षित है।
3. ब्रह्मपुरम के समीप डी० जी० संयंत्र (ताप विद्युत)	10	2/92	जांच की जा रही है।

(ङ) विद्युत परियोजनाओं के लिए तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान किए जाने में विलम्ब का कारण, विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों/यूटिलिटीज द्वारा परियोजनाओं के बारे में भेजी गई व्यवहार्यता रिपोर्टों में विभिन्न निवेशों/ के० वि० प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन किए जाने हेतु अपेक्षित स्वीकृतियों का समावेश न किया जाना है। इसके अतिरिक्त तकनीकी-आर्थिक और निवेश सम्बन्धी अनुमोदन विभिन्न घटकों पर निर्भर करता है इनमें परियोजना प्राधिकारियों से प्राप्त हुई परियोजना रिपोर्ट की व्यापकता, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और/अथवा केन्द्रीय जल आयोग की विभिन्न टिप्पणियों/प्रेक्षण के बारे में परियोजना प्राधिकारियों द्वारा उत्तर दिए जाने में लिया गया समय, विभिन्न निवेशों की उपलब्धता और ईंधन की उपलब्धता, कोयले की ढुलाई, गैस, ईंधन-भंडार सम्बन्धी सुविधाएं जल की उपलब्धता जैसी स्वीकृतियां, पर्यावरण एवं वन सम्बन्धी दृष्टि से स्वीकृति, निधियां सम्बन्धी बाधाएं आदि शामिल हैं। सरकार भरसक प्रयास करती है कि विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने विद्युत परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार किए जाने के बारे में विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत यूटिलिटीज को मार्गदर्शी सिद्धान्त की जारी किए हैं।

आन्ध्र प्रदेश में डीजल विद्युत केन्द्र

7097. कुमारी पदमश्री कुडुमुला :

श्री राम कृष्ण कोंतला :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में रेनीगुंटा में 100 मेगावाट डीजल विद्युत केन्द्र को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और प्रस्तावित परियोजना हेतु तेल आवश्यकता सम्बन्धी अन्य ब्योरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान किए जाने के लिए चित्तर जिले के रेनीगुंटा (आन्ध्र प्रदेश) में 100 मे० वा० का डीजल विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाने से सम्बन्धित अपने प्रस्ताव के बारे में आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने मार्च, 1990 में व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को पहले ईंधन तेल लिंकेज तथा विभिन्न अन्य निवेश/सांविधिक स्वीकृतियां यथा विद्युत प्रदाय अधिनियम (1948) की धारा 29 का अनुपालन, जल की उपलब्धता, भूमि की उपलब्धता, राज्य तथा केन्द्र प्राधिकारियों से पर्यावरणीय स्वीकृति, नागर विमानन की स्वीकृति आदि सुनिश्चित किए जाने के लिए सलाह दी गई है। आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा अभी ये अपेक्षाएं सुनिश्चित की जानी हैं।

(ग) आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड की व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार परियोजना की अनुमानित लागत 133 करोड़ रुपये है। परियोजना को ईंधन तेल सम्बन्धी वार्षिक आवश्यकता 1.30 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है।

कन्हार परियोजना

7098 **श्री श्याम लाल कमल :**

श्री रोशन लाल :

श्री जगत वीर सिंह द्रोण :

श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

श्री सन्तोष कुमार गंगवार :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कन्हार परियोजना सम्बन्धी कोई प्रस्ताव वर्ष 1982 में किए गए समझौते के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से मंजूरी देने अथवा वित्तीय सहायता देने हेतु प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय सरकार ने दोनों राज्य सरकारों से परियोजना रिपोर्ट संबंधी सहमति अलग-अलग भेजने के लिए कहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह मंजूरी कब तक दी जाएगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य सरकारों का कोई संयुक्त प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन और स्वीकृति के लिए जून, 1988 में केन्द्रीय जल आयोग को कन्हर बांध जो उत्तर प्रदेश राज्य को ही सिंचाई सुविधाएं प्रदान करता है, का परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस

रिपोर्ट की जांच की गई थी तथा यह मध्य प्रदेश और बिहार राज्य सरकारों से उनके अपने क्षेत्रों में क्रमश: 253 हेक्टेयर तथा 267 हेक्टेयर भूमि की जल मग्नता की सहमति प्राप्त करने के वास्ते सितम्बर, 1991 में राज्य सरकार को लौटा दी गई थी।

(घ) परियोजना की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि उत्तर प्रदेश सरकार कितनी जल्दी मध्य प्रदेश और बिहार सरकारों से उनके अपने क्षेत्रों में भूमि की जल मग्नता के लिए उनकी सहमति प्राप्त करती है, वन स्वीकृति प्राप्त करती है तथा स्कीम की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता स्थापित करती है।

अनपारा ताप विद्युत परियोजना

[हिन्दी]

7099. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :**

श्री गुरुदास कामत :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में स्थित अनपारा बी० ताप विद्युत परियोजना को हाथ में लेने का है;

(ख) क्या धनराशि को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच विवाद चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस विवाद को समाप्त करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय)।

(क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजली का उत्पादन

[अनुवाद]

7100. **श्री द्वारका नाथ दास :**

क्या विद्युत और गैर-परपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजली का उत्पादन करने में केन्द्रीय सरकार की भागीदारी का प्रतिशत अनुपात उत्तर तथा पश्चिम क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसमें वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) उत्तर-पूर्वी, उत्तरी तथा पश्चिमी क्षेत्रों में कुल अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता में केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत उत्पादन यूनिटों का 31-3-1991 की स्थिति के अनुसार योगदान क्रमश: 24.02%, 31.43% तथा 18.89% है।

फरक्का ताप विद्युत संयंत्र

7101. श्री महासमुद्रम गणेन्द्र रेड्डी :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का ताप विद्युत संयंत्र चरण-दो की लागत में वृद्धि कर दी गई है;

(ख) विद्युत उत्पादन की प्रति किलोवाट वास्तविक लागत कितनी है और इसकी प्रति किलोवाट अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत और राज्य की विद्युत निगम परियोजनाओं की लागत के तुलनात्मक आंकड़ों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां। फरक्का ताप विद्युत परियोजना चरण-दो (2 x 500 मे० वा०) को 1983 की तीसरी तिमाही के मूल्य स्तर के आधार पर कुल मिलाकर 1003.4 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर सितम्बर, 1984 में अनुमोदित किया गया था। 1991 की तीसरी तिमाही के मूल्य स्तर के आधार पर परियोजना की अनुमानित लागत को संशोधित करके 1702.03 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

(ख) व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार 1983 की तीसरी तिमाही के मूल्य स्तर पर अनुमोदित लागत अनुमानों के आधार पर विद्युत उत्पादन की लागत 41 पैसे/किलोवाट ऑवर थी तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार अद्यतन लागत अनुमानों के आधार पर 1991 की तीसरी तिमाही के मूल्य स्तर पर यह लागत 86.76 पैसे/किलोवाट ऑवर है।

(ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के केन्द्रों की 83.52 पैसे/किलोवाट ऑवर की अपेक्षा विभिन्न राज्यों द्वारा उत्पादित विद्युत की औसत लागत 102.10 पैसे/किलोवाट ऑवर है।

मध्य प्रदेश के मांडला जिले में ग्रेनाइट

[हिन्दी]

7102. श्री मोहन लाल झिकराम :

क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के मांडला जिले में पडरीगंज स्टेशन के समीप नैनपुर में कितनी मात्रा में ग्रेनाइट का पता चला है;

(ख) क्या खनन कार्य सरकारी एजेंसी द्वारा कराया जा रहा है अथवा ठेकदार द्वारा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) इस क्षेत्र के विकास के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि दी गई ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सिंचाई जल का मूल्य निर्धारण

[अनुवाद]

7103. श्री राम चन्द्र डोम :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में सिंचाई जल के मूल्य निर्धारण की सिफारिश करने हेतु एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस समिति के विचारार्थ विषय क्या-क्या हैं; और

(घ) इस समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक दिए जाने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां। योजना आयोग भारत सरकार द्वारा सिंचाई जल के मूल्य निर्धारण पर एक समिति योजना आयोग के पूर्व सदस्य डा० ए० वैद्यनाथन की अध्यक्षता में गठित की गई है।

(ख) और (ग) यह समिति 23 अक्तूबर, 1991 को गठित की गई है। उक्त समिति के विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(घ) आशा है कि समिति अपनी रिपोर्ट जुलाई, 1992 के अन्त तक प्रस्तुत कर देगी।

विवरण

सिंचाई जल के मूल्य निर्धारण पर योजना आयोग द्वारा दिनांक 23 अक्तूबर, 1991 की अधिसूचना संख्या 16 (134)/90— आई एण्ड सी एडी के तहत गठित की गई समिति के विचारार्थ विषय :—

(i) सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की सिंचाई परियोजनाओं में विद्यमान जल दर संरचना और आर्थिक सहायता की मात्रा की पुनरीक्षा करना।

(ii) निम्नलिखित के विषय में सुझाव देना :—

(क) जल दर नियत करने के लिए मानदण्ड;

(ख) लाभप्रदायी जल दरों के संगठन एवं पद्धति घटक में लागत वृद्धि के लिए मानदंड;

(ग) विभिन्न कृषि जलवायु संबंधी अंचलों के लिए फसलवार/क्षेत्रवार जल दरों को वाल्यूमीट्रिक आपूर्ति के परिवर्तन के लिए मानदण्ड;

(घ) संगठनात्मक उपाय, जिनमें किफायती जल दरों की कारगर वसूली के लिए क्रिया प्रणाली शामिल है; तथा

(ङ) राज्यों द्वारा उपयुक्त सिंचाई जल दरों की उगाही सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रणों का प्रचालन।

(iii) संयुक्त प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सतही और भू-जल दोनों के लिए एक युक्तियुक्त जल दर संरचना तैयार करना।

(iv) विभिन्न राज्यों में सिंचाई परियोजनाओं के अनुरक्षण की वर्तमान स्थिति का पुनरीक्षण।

(v) पूर्व समितियों और विभिन्न वित्त आयोगों द्वारा संस्तुत अनुरक्षण के मानदण्डों का पुनरीक्षण।

(vi) भिन्न-भिन्न राज्यों में विभिन्न सिंचाई पद्धतियों के लिए स्टाफ स्थापना पर व्यय के वास्ते कमान की प्रति हेक्टेयर उच्चतम सीमा निर्धारित करने के साथ-साथ अनुरक्षण प्रभार नियत करने के लिए मानदण्ड सुझाना।

केरल में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

7104. श्री थाइल जान अंब्रलोज :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार की ओर से राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) इस मंत्रालय की 1991-92 की योजना स्कीमों के अन्तर्गत सहायता के लिए केरल सरकार से दो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिनमें से एक अनन्नास प्रसंस्करण यूनिट और दूसरा मात्स्यिकी के लिए कोल्ड चेन की स्थापना के बारे में था। इन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है और फण्ड रिलीज कर दिये गये हैं। बेकार मछली के उपयोग के लिए भी एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिस पर कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है। केरल एकीकृत बागवानी विकास कार्यक्रम के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय से सहायता के एक प्रस्ताव को पहले ही अन्तिम रूप दे दिया गया है और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ एक करार कर लिया गया है।

सं० ओ० डब्ल्यू० पी० आर० एस० में तकनीशियनों का नियमन

7105. श्री रामचन्द्र खंगारे :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र खड़कवासला, जिला पुणे में तकनीशियन और स्नातक ग्रेड के प्रशिक्षुओं की संख्या 1989, 1990 और 1991 में कितनी थी।

(ख) इनमें से कितने कर्मचारियों को नियमित सेवा में समाहित कर दिया गया है; और

(ग) अनुसंधान केन्द्र में शेष प्रशिक्षुओं को समाहित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, खड़कवासला, जिला पुणे में तकनीशियनों और स्नातक ग्रेड प्रशिक्षुओं की संख्या वर्ष 1989 में क्रमशः 3 और 2 थी। वर्ष 1990 में कोई तकनीशियन नियुक्त नहीं किया गया किन्तु अनुसंधान केन्द्र ने उस वर्ष के दौरान 2 स्नातक ग्रेड प्रशिक्षुओं को नियुक्त किया था। वर्ष 1991 के दौरान अनुसंधान केन्द्र में 4 तकनीशियन और एक स्नातक ग्रेड प्रशिक्षु थे।

(ख) और (ग) इस अनुसंधान केन्द्र में वर्तमान नियमों में नियमित सेवा में किसी ऐसे समावेशन की व्यवस्था नहीं है। तथापि पात्रता शर्तों के होने पर, वे भी सीधी भर्ती पदों के लिए, जब कभी ये पद विज्ञापित किये जाएं, आवेदन कर सकते हैं।

विद्युत के नेटवर्क का एन० पी० टी० सी० को हस्तान्तरण करना

7106. श्री सुधीर गिरि :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्युत क्षेत्र का सम्पूर्ण ट्रांसमिशन नेटवर्क नेशनल पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन को हस्तांतरित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस हस्तांतरण का क्या औचित्य है; और

(ग) भविष्य में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी० ई० ए०) की, यदि कोई भूमिका होगी, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) राष्ट्रीय विद्युत पारेषण निगम (एन० पी० टी० सी०) द्वारा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि०, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लि०, नेवेली लिग्नाइट निगम, दामोदर घाटी निगम, उत्तर-पूर्वी विद्युत शक्ति निगम, टिहरी जल विद्युत विकास निगम, नाथपा झाकरी विद्युत निगम, भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण आदि से पारेषण नेटवर्क सम्बन्धी कार्य सोपानबद्ध रूप से अपने हाथ में लिया जाएगा।

(ख) एन० पी० टी० सी० की स्थापना का उद्देश्य इसके माध्यम से निम्नलिखित कार्य निष्पादित किया जाना है :—

1. इस क्षेत्र में उपलब्ध समग्र सुविज्ञता को एक केन्द्रीय संस्थान के अन्तर्गत लाना।
2. डिजाइन में इकोनामीज आफ स्केल को व्यवस्था करना।
3. इस समय विद्यमान समन्वय सम्बन्धी समस्याओं को हल करना।

4. ग्रिड के कार्यकलापों में बेहतर समन्वय और विभिन्न केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों से प्राप्त विद्युत में से केन्द्रीय हिस्से की विद्युत सम्बन्धित लाभभोगी राज्यों को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करना और

5. क्षेत्रीय ग्रिडों और अन्ततः राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना से सम्बन्धित विकासात्मक प्रक्रिया को तेजी करना :

(ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत गठित एक सांविधिक संगठन है । इस प्राधिकरण के कार्य निम्नानुसार हैं :—

1. विद्युत के विकास के लिए अल्पकालीन तथा संदर्शी योजनाओं का विकास करना ।

2. विद्युत के उत्पादन, वितरण तथा समुपयोजन से सम्बन्धित आंकड़े एकत्र करना, लागत कार्यकुशलता, हानियों, लाभों का अध्ययन करना, रिपोर्टों को प्रकाशित करना और अन्वेषण कार्य करना ।

3. राज्य सरकारों, बिजली बोर्डों, विद्युत का उत्पादन करने वाली कम्पनियों अथवा बिजली के उत्पादन या इसकी सप्लाई करने वाली अन्य एजेंसियों को ऐसे मामलों में सलाह देना जिनसे उनकी प्रणाली के प्रचालन तथा अनुरक्षण में कुशलतापूर्वक तथा समन्वित रूप से सुधार हो ।

4. विद्युत क्षेत्र में स्वीकृत स्कीमों के समय पर पूरा किये जाने को बढ़ावा देना तथा इसमें सहायता करना और स्कीमों के कार्यान्वयन की सतत रूप से मानीटरिंग करना ।

5. बिजली के उत्पादन तथा वितरण में लगे व्यक्तियों के कौशल को बढ़ाने के लिए व्यवस्था करना ।

6. बिजली के उत्पादन, पारेषण तथा वितरण को प्रभावित करने वाले मामलों के संबंध में अनुसंधान को प्रोत्साहन देना और

7. केन्द्रीय सरकार को ऐसे मामले में सलाह देना जिसमें इसकी सलाह मांगी गई हो अथवा बिजली के उत्पादन, वितरण तथा समुपयोजन में सुधार करने हेतु सिफारिशें करना ।

सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में नेपाल के साथ समझौता

[हिन्दी]

7107. श्री सुकदेव पासवान :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल के साथ लगने वाले क्षेत्र में काली नदी, बीरपुर और भीमपुर में कार्यान्वयन हेतु कोई योजना मंजूर की गई है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में नेपाल के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) बीरपुर और भीमनगर क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाएं क्रियान्वित करने के लिए नेपाल के साथ हाल में कोई करार नहीं हुआ है।

आन्ध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम क्षेत्र में बाक्साइट

[अनुवाद]

7108. श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम तथा विजयनगर जिलों और अन्य क्षेत्रों में उत्तम किस्म का बाक्साइट खनिज अयस्क प्रचुर मात्रा में पाया जाता है;

(ख) क्या मैटलर्जिकल इन्जीनियरिंग कन्सलटेंट्स इंडिया लिमिटेड के विश्लेषज्ञों ने कृष्णादेवी पेठ में एल्यूमिनियम का संयंत्र लगाने का सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया है ?

खान मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) आंध्र प्रदेश राज्य में (1-1-1985) को लगभग 455.84 मिलियन टन धातुकर्म ग्रेड बाक्साइट निक्षेपों का पता लगाया लगाया गया है। इसमें से 420.62 मिलियन टन बाक्साइट निक्षेप विशाखापत्तनम जिले में पाए गए हैं।

(ख) और (ग) भारत-सोवियत सहयोग के अन्तर्गत तैयार की गई साध्यता रिपोर्ट में मेकन ने एल्यूमिना संयंत्र के लिए कृष्णदेव पेठ को उचित स्थल के रूप में सुझाया है। पूर्व सोवियत संघ द्वारा बाद में रुचि न लेने की दृष्टि से इस परियोजना को छोड़ने का निर्णय किया गया है। इन बदली हुई परिस्थितियों में कुछ सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की कंपनियों ने आंध्र प्रदेश बाक्साइट निक्षेपों पर आधारित 100% निर्यात प्रधान संयंत्र लगाने में रुचि दिखाई है।

अवैध टेलीफोन कनेक्शन

7109. श्री मोरेश्वर सावे :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अवैध रूप से टेलीफोन कनेक्शनों की व्यवस्था कराने वाले अनेक ग्रुप देश में कार्यरत हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पो० वो० रंगय्या नायडु) : (क) से (ग) जी नहीं।

कोई विशिष्ट मामला या दृष्टांत विभाग की जानकारी में नहीं आया है। इसके अतिरिक्त टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने, स्थानांतरण या शिफ्ट आदि करने के लिए स्पष्ट रूप से नियम निर्धारित किए गए हैं। नया टेलीफोन कनेक्शन जारी करते समय, जनता की जानकारी के लिए प्रमुख समाचार-पत्रों में विज्ञापन भी दिए जाते हैं और टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने में परेशानी या विलम्ब की स्थिति में जनता को संबंधित अधिकारी से मिलने की सलाह भी दी जाती है।

घरेलू टेलीफोन कालें

7110. श्री अनन्त राव देशमुख :

क्या संचार मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) दूरसंचार विभाग घरेलू टेलीफोन कॉलों पर कितना व्यय करता है और विभाग प्रयोक्ताओं से कितना शुल्क वसूल करता है; और

(ख) इस शुल्क निर्धारण का आधार क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) प्रति टेलीफोन काल पर लगभग 0.90 रु० लागत आती है। विभाग दो महीने के लिए 150 निःशुल्क कालों के बाद 1000 कालों तक 0.80 रु० प्रति काल और 1000 से अधिक कालों के लिए 1.10 प्रति काल की दर से प्रभार वसूल करता है।

(ख) किसी काल की लागत (टैरिफ), अन्य बातों के साथ-साथ सेवा के प्रचालन, पारेषण और रख-रखाव पर होने वाले व्यय को ध्यान में रख कर निर्धारित की जाती है।

दूरसंचार परामर्शदात्री समिति

7111. श्री अशोक आनन्दराव देशमुख :

श्री देवीबक्स सिंह :

श्री रतिलाल वर्मा :

डा० रमेश चन्द्र तोमर :

श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों/संघराज्य क्षेत्र में टेलीफोन परामर्शदात्री समिति का गठन कर लिया गया है;

(ख) प्रत्येक राज्य में स्थापित टेलीफोन परामर्शदात्री समितियों के सदस्य कौन-कौन है;

(ग) यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन समितियों पर गैर सरकारी सदस्यों के नामित किए जाने का मानदण्ड क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी नहीं।

(ख) टेलीफोन परामर्शदात्री समितियों का गठन संलग्न विवरण के अनुसार है।

(ग) कुल 120 टेलीफोन परामर्शदात्री समितियों का गठन किया जाता है जिसमें से 87 समितियों का अब तक समीक्षा/पुनर्गठन किया जा चका है। शेष परामर्शदात्री समितियों की समीक्षा/गठन किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। जिसके शीघ्र गठित किए जाने की संभावना है।

(घ) इन समितियों के लिए गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन प्रत्येक राज्य/मेट्रो/बड़े/छोटे

दूरसंचार जिलों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विभिन्न रुचि के व्यक्तियों में से किया जाता है। जिसका वर्गीकरण इस प्रकार है :—

—संसद सदस्य

—राज्य विधानमंडलों के सदस्य

—नियम सिविल वादी

—राज्य प्रशासन

—प्रेस

—चिकित्सा व्यवसाय

—विधि व्यवसाय

—सभी अन्य व्यवसाय जैसे—इंजीनियर; वास्तुविद आदि।

— व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग

—सामाजिक कार्यकर्त्ता तथा अन्य

विवरण

पुनरीक्षित/नवगठित दूरसंचार सलाहकार समितियों के नाम

संसद सदस्य	राज्य विधान मंडल	राज्य प्रशासन	निगम अथवा नगरपालिका	प्रेस	चिकित्सा व्यवस्था	विधि व्यवसाय	अन्य सभी व्यवसाय जैसे इंजीनियर वास्तविद आदि	व्यापार वाणिज्य तथा उद्योग	सामाजिक कार्यकर्त्ता	योग
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	फरीदाबाद	2	1	1	—	2	2	4	2	6	15	35
2.	हरियाणा	3	3	—	1	—	1	2	1	4	14	29
3.	बिहार	5	4	1	—	2	4	5	4	1	27	53
4.	हिसार	1	1	1	1	1	1	3	—	5	12	26
5.	रोहतक	2	2	1	1	1	1	2	1	3	9	23
6.	मध्य प्रदेश	6	5	1	—	4	2	1	1	3	17	40

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	इलाहाबाद	1	2	1	1	1	1	2	2	2	0	23
8.	उत्तर प्रदेश	4	2	1	—	4	2	3	2	4	27	49
9.	मेरठ	1	3	1	1	4	1	1	—	3	1	28
10.	मंगलौर	2	3	1	1	2	2	2	2	5	7	27
11.	बेंगलूर	3	1	2	—	2	2	3	3	3	8	26
12.	कर्नाटक	4	—	—	1	4	2	4	2	6	21	44
13.	प० बंगाल	4	4	1	—	4	1	3	1	3	21	42
14.	कलकत्ता	3	3	—	1	5	2	3	1	6	10	34
15.	गुजरात	4	3	1	—	3	1	2	2	6	18	40
16.	राजस्थान	3	4	3	—	4	2	2	3	7	28	56
17.	जयपुर	3	5	1	—	4	1	2	—	3	22	41
18.	केरल	3	3	—	1	4	2	2	1	4	19	39
19.	आंध्र प्रदेश	4	4	1	—	4	4	3	2	9	19	50
20.	हैदराबाद	2	3	1	1	4	4	3	2	9	15	44
21.	जम्मू व कश्मीर	3	5	2	—	5	2	4	1	5	18	45
22.	मीनचर	4	3	1	—	3	2	1	—	2	18	84

23.	केरल	2	—	1	—	—	1	1	—	5	10
24.	मेघालय	2	3	1	—	1	1	—	8	18	25
25.	असम	5	2	1	—	2	2	3	3	20	40
26.	गुजरात	3	3	1	—	1	1	2	3	13	28
27.	मणिपुर	2	5	1	—	—	1	1	—	11	21
28.	अरुणाचल प्रदेश	2	3	1	1	1	2	2	6	13	33
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1	3	1	—	1	1	1	4	9	21
30.	पुडुचेरी	—	—	1	—	2	3	1	6	14	27
31.	अमृतसर	—	1	1	2	5	2	4	5	15	37
32.	त्रिपुरा	2	4	1	—	2	1	2	6	16	34
33.	पोर्टब्लेयर	1	2	1	—	2	1	1	4	9	21
34.	गोवा	2	3	1	—	1	1	1	5	6	21
35.	सिक्किम	2	3	1	—	2	1	1	2	8	23
36.	नागालैंड	2	3	1	—	1	1	1	—	6	16
37.	हिमाचल-प्रदेश	3	4	1	—	3	1	3	—	13	31

दिल्ली दूरदर्शन पर मद्रास दूरदर्शन के कार्यक्रम

7112. श्री के राममूर्ति तिंडिवनाम :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली दूरदर्शन पर मद्रास दूरदर्शन के दूसरे चैनल के कार्यक्रमों को उपग्रह के माध्यम से प्रसारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली दूरदर्शन पर तमिल भाषा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब से ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना

7113. श्री एम० रामन्ना राय :

क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना पर कुल कितना खर्च हुआ है;

(ख) क्या कुद्रेमुख परियोजना के सम्बन्ध में ईरान और भारत के बीच हुआ समझौता अभी भी मान्य है;

(ग) क्या ईरान सरकार सहायता अथवा ऋण का शेष भाग देने से मना करके लौह अयस्क की खरीद के लिए मना करके समझौते की शर्तों को पूरा करने में असफल रही है;

(घ) क्या यह विवाद दोनों देशों की संतुष्टि के अनुसार निपटा दिया गया है; और

(ङ) इसके कारण केन्द्र सरकार को अनुमानत: कितना नुकसान हुआ है ?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना के खनन और परिष्करण सुविधाओं पर कुल 490.80 करोड़ रुपये का खर्च हुआ है।

(ख) कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना के कार्यान्वयन के लिए ईरान के साथ नवम्बर, 1975 में किए गए आधारभूत करारों, अर्थात वित्तीय करार और विक्रय एवं क्रय अनुबन्ध, से उत्पन्न विवादों को निपटाने के लिए अगस्त, 1989 में भारत और ईरान की सरकारों द्वारा किया गया समझौता ज्ञापन की शर्तों में निहित संशोधनों की शर्तों के साथ बैध है।

(ग) नवम्बर, 1975 में किए गए वित्तीय करार के तहत 6300 लाख अमरीकी डालर ऋण में से ईरान ने 2551.75 लाख अमरीकी डालर दिए। उस देश में हुए घटनाचक्र के कारण नवम्बर, 1975 के करार में मुख रूप से उल्लिखित पैमाने के अनुरूप कुद्रेमुख साम्द्रण की बिक्री नहीं हो पाई।

भारत सरकार ने 781.02 करोड़ रुपये की अपनी निधी निवेश करके परियोजना को पूरा किया। इसमें विविधिकरण करना और 116.65 करोड़ रुपये की लागत से मंगलौर में एक पैलेट संयंत्र की स्थापना करना भी आवश्यक हो गया था।

(घ) और (ङ) भारत और ईरान सरकार के बीच समझौते की शर्तों को दोनों देशों के आर्थिक और राजनीतिक सम्बन्धों को बनाए रखने के व्यापक संदर्भ में संतोषजनक समझा गया।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा विदेशी फिल्मों का आयात

7114. श्री हरीश नारायण प्रभु झांस्ये :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और भारत स्थित विदेशी कम्पनियों आदि द्वारा वर्ष 1991 के दौरान-बिक्री, वितरण और प्रदर्शन के लिये वीडियो अधिकार सहित और बिना ऐसे अधिकार के कितनी विदेशी फिल्में आयात की गई;

(ख) प्रत्येक फिल्म का नाम क्या है, किस देश से उसका आयात किया गया और प्रत्येक फिल्म पर रायल्टी, प्रिंट लागत तथा प्रचार और शुल्क/करों के भुगतान के रूप में कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) पूरे देश में इन फिल्मों की बिक्री, वितरण और प्रदर्शन से फिल्मवार कितनी धनराशि अर्जित हुई; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) वर्ष 1990-91 में विभिन्न ऐजेंसियों द्वारा आयात की गयी विदेशी फिल्मों की संख्या इस प्रकार है:—

(1) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	:	33
(2) एम० पी० ई० ए० ए० कम्पनियां	:	58
(3) अनिवासी भारतीय	:	22
(4) प्राइवेट भारती पार्टियां		26
(5) सोवेक्सपोर्ट फिल्म्स	:	2

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को छोड़कर अन्य एजेंसियों द्वारा किए गए आयातों के मामले में प्रत्येक फिल्म से अर्जित राशि उपलब्ध नहीं है क्योंकि इन एजेंसियों को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को कोई रिपोर्ट नहीं देनी होती है। इसी प्रकार प्रत्येक फिल्म के लिए, प्रिंट प्रचार की लागत अदा की गई सीमा शुल्क की राशि का ब्यौरा

भी राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के पास उपलब्ध नहीं है क्योंकि इस तरह की सूचना विभिन्न एजेंसियों द्वारा निगम को नहीं दी जाती। अनिवासी भारतीयों और प्राइवेट भारतीय पार्टियों के मामले में अदा की गयी रायल्टी की राशि का ब्यौरा उपलब्ध है और इसे प्रत्येक फिल्म के सामने दिया गया है। एम० पी० ई० ए० कम्पनियों और सोवेक्सपोर्ट फिल्म्स के मामले में अदा की गयी रायल्टी और प्रिंट/प्रचार इत्यादि की लागत राशि मालूम नहीं है।

विवरण

1. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा आयातित फिल्में (इन सभी फिल्मों का उपयोग पांच या उससे अधिक वर्षों के लिए किया जाएगा।)

क्र० सं०	फिल्म का नाम	देश	जहाज से उतरी लागत (रायल्टी, प्रिंटों की लागत, प्रचार शुल्क शामिल)	31-1-92 तक अर्जित धन राशि	अभ्युक्तियां
1	2	3	4		5
1.	ए कॉप्स पेरडू	अर्जेंटीना	1.70		रिलीज किया जाना है
2.	द ग्लास मीनागैरई	ग्रेट ब्रिटेन	2.18	0.05	
3.	बिन्सेंट दि लाइफ एंड डैथ ऑफ वान गोघ	आस्ट्रेलिया	2.52	0.02	
4.	दि म्यूजिक टीचर	फ्रांस	2.45	0.06	
5.	दि मॉडर्न	ग्रेट ब्रिटेन	3.90	0.19	
6.	ए गर्ल फ्राम हुनन	चीन	0.08	0.07	
7.	दि हिबसकस टाउन	चीन	1.47	0.01	
8.	रेड सोरघम	चीन	1.58	0.08	
9.	ब्लाइंड एज	अमेरिका	0.37	—	प्रसारण प्रतीक्षित वाणिज्यिक संभावना नहीं
10.	डियर अमेरिका	अमेरिका	1.27		
11.	पास्कल्स आइलैंड	ग्रेट ब्रिटेन	1.37	0.01	
12.	एडीबडी विन्स	ग्रेट ब्रिटेन	4.48	1.70	

1	2	3	4	5	6
13.	ड्राइविंग मिस डेजी	ग्रेट ब्रिटेन	3.71	0.07	अप्रैल के दौरान प्रसारण
14.	डाक्टर एम	जर्मनी	0 42	0.12	
15.	वैन हैरी भॅट सैली	अमेरिका	5.46		सैंसराधीन
16.	क्वीन ऑफ हार्ट	अमेरिका	1.71		—तथैव—
17.	द ब्लड	ग्रेट ब्रिटेन	3.94	2.57	
18.	पीस मेकर	ग्रेट ब्रिटेन	3.77	5.85	
19.	ग्रीवियस बॉडीली हार्म	ग्रेट ब्रिटेन	2.77	0.45	
20.	डाटर्स इन लॉ इन रिवोल्ट	यू०एस०एस० आर०	1.32	0.01	
21.	टोकियो पॉप	अमेरिका	1.82		रिलीज के अधीन
22.	दि नैवी गेटर	न्यूजीलैंड	2.21	0.01	
23.	डोमीनो प्रिंसिपल	अमेरिका	3.10	0.10	
24.	कैप्रीकोन वन	अमेरिका	3.37	0.02	
25.	लीजैंड ऑफ दि लॉन्ग रेंजर	अमेरिका	1.89	0.07	
26.	सैटर्न 3	ग्रेट ब्रिटेन	3.33	0.07	
27.	ऑल क्वाइट ऑन दि वेस्टर्न फ्रंट	अमेरिका	1.98	0.07	
28.	बार्डर लाइन	अमेरिका	1.97	0.07	
29.	फेयरवेल माई लवली	अमेरिका	1.93	0.08	
30.	कसन्ड्रा क्रासिंग	अमेरिका	2.21		रिलीज के अधीन
31.	लव एंड बुलट	अमेरिका	2.91		—तथैव—
32.	ऐस्केप II ऐथेना	अमेरिका	2.21		—तथैव—
33.	वोयेज ऑफ दि डैम्ड	अमेरिका	2.16	0.08	

2. एम० पी० ई० ए० ए० : आयातित फिल्में : 58
जिस देश से आयात की गई : अमेरिका

(वीडियो अधिकारों के बिना ये सभी फिल्में आयात की गई हैं। दी गई/निहित रायल्टी और अन्य लागतें और अर्जित आय ज्ञात नहीं हैं।)

क्र० सं०	शीर्षक	क्र० सं०	शीर्षक
1	2	3	4
1.	वर्थ विनिंग	25.	द लिटिल मरमेड
2.	वार ऑफ रोजिज	26.	द पैकेज
3.	इस्पाई हू लव्ड मी	27.	रेड हीट
4.	फ्राम रशिया विद लव	28.	ब्लू होट
5.	वी आर नो ऐन्जिल्स	29.	नेवी सील्स
6.	ड्रेकनेट	30.	डाई हार्ड—2
7.	बैक टू फ्यूचर II	31.	एडवेंचर ऑफ फौर्ड फियरलिन
8.	बॉन ऑफ 4 जुलाई	32.	टोटल रिकाल
9.	कमांडो	33.	ड्रीम टीम
10.	द डर्टी डोरेन	34.	स्टेनली एंड आइरिस
11.	लवर ब्याय	35.	आसवेज
12.	पुलिस अकाडमी — 6	36.	पेरेन्टहुड
13.	डेड काम	37.	बैक टू द फ्यूचर—III
14.	टेंगो एण्ड कैश	38.	इण्टर नेशनल एफियर
15.	पिंक कैडीलेक	39.	डेथ ऑफ थंडर
16.	ब्लाक रेनन	40.	के—9
17.	वाइल्स प्लेस	41.	नाइट ऑफ द क्रीप्स
18.	ब्लाइंड फ्यूरी	42.	लुक हू इज टाकिंग
19.	बरब्स	43.	डिक ट्रेसी
20.	सी ऑफ लव	44.	बर्ड ऑन ए वायर
21.	इस्काई राइडर्स	45.	द विद्युत फ्राम यू० एच० एफ०
22.	प्रीटी ओमैन	46.	सीक्रेट एडमीरर
23.	टर्नर एंड होच	47.	अप दि क्रीक
24.	हार्ड टू किल	48.	फौरन बाडी

1	2	3	4
49.	वाइटर साइंस	54.	लौक-अप
50.	डाउन टाउन	55.	कम सी द पैराडाइस
51.	लास्ट रोल्स	56.	मिलसं कासिंग
52.	घोस्ट	57.	होम अलोन
53.	फ्लैटलाइनर्स	58.	वुड स्टॉक

3. अनिवासी भारतीय : आयातित फिल्में : 22 (2 के अलावा सभी बिना वीडियो अधिकारों के)
(सामग्री की लागत आदि और अर्जित आय ज्ञात नहीं है)

क्र० सं०	शीर्षक	देश	रायल्टी (अमरीकी डालर)	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5
1.	फियरलैस हाइने	हांगकांग	15,000/-	
2.	पिकासो ट्रीगर	जर्मनी	20,000/-	
3.	लेडी इन वाइट	अमेरिका	15,000/-	
4.	डेविल्स पैराडाइज	ग्रेट ब्रिटेन	17,000/-	
5.	मैन आउटसाइड	हांगकांग	16,000/-	
6.	प्रोजेक्ट "ए" पार्ट-II	हांगकांग	35,000/-	
7.	पुलिस स्टोरी	हांगकांग	20,000/-	
8.	हैप्पी ईस्टर	फ्रांस	10,000/-	
9.	स्लड स्पोर्ट	अमेरिका	50,000/-	
*10.	ए नॉक टू द सिस्टम	अमेरिका	20,000/-	(वीडियो अधिकारों सहित)
11.	माइ ट्यूटर	अमेरिका	12,000/-	
12.	मास्टर विद क्रैक्ड पिंगर्स	हांगकांग	15,000/-	
13.	दि सर्च	अर्जेन्टीना	7,000/-	
14.	ड्रैगन लॉर्ड	हांगकांग	17,500/	

1	2	3	4	5
15.	इन द लाइन ऑफ ड्यूटी-III	हांगकांग	10,000/-	
16.	लांग आर्म ऑफ दि लॉ	हांगकांग	15,000/-	
17.	प्रोडीगल्सन	हांगकांग	12,000/-	
18.	टेक टू	अमेरिका	15,000/-	
*19.	अमिताभ बच्चन इन कंसर्ट (जुम्मा जुम्मा)	ग्रेट ब्रिटेन	—	(वीडियो अधिकारों सहित)
20.	अन्डर दि गन	अमेरिका	25,000/-	
21.	स्नेक इन दि ईग्ल्स शैडो	हांगकांग	25,000/-	
22.	ड्रंकन मास्टर	हांगकांग	25,000/-	

4. *निजी भारतीय पार्टियां :*

आयातित फिल्में : 26 ये सभी फिल्में बिना वीडियो अधिकारों के आयात की गई थीं। सामग्री की लागत शुल्क और अर्जित आय ज्ञात नहीं है।

क्र० सं०	शीर्षक	देश	रायल्टी (अमेरिकी डालर)	अभ्युक्तियां
1		3	4	5
1.	मिराज	चीन	16,000/-	
2.	दि रेन बो	अमेरिका	8,750/-	
3.	स्टर्नबर्ग शूटिंग स्टार	आस्ट्रीया	10,000/-	
4.	स्टीलिंग हैवन	ग्रेट ब्रिटेन	20,000/-	
5.	डाइमंड स्कल	ग्रेट ब्रिटेन	20,000/-	
6.	मोमेंट्स आफ लव	इटली	9,000/-	
7.	जर्नी टू साउथ (इनसेंट गर्ल)	अर्जेन्टीना	15,000/-	
8.	नाइट आफ ब्रीवरली हिल्स	ग्रेट ब्रिटेन	20,000/-	
9.	मोन बेलामोरमा डिजूर	फ्रांस	12,000/-	

1	2	3	4	5
10.	एस० एच० इ०	अमेरिका	13,000/-	
11.	नाइट आफ वाइल्डिंग	अमेरिका	9,000/-	
12.	मैग्नीफीसेंट लवर	फ्रांस	12,000/-	
13.	साउथविंग दि एंड आफ दि गेम	ग्रीस	11,000/-	
14.	ऐलेक्सा	अमेरिका	4,000/-	
15.	लव अराउंड कार्नर	मैक्सिको	7,000/-	
16.	सेन्ट्रल स्टेशन	जर्मनी	7,000/-	
17.	उना माइ लव	यूगोस्लाविया	7,500/-	
18.	पिटफाल	स्वीडन	11,000/-	
19.	मैजिक लेग्स	चान	5,000/-	
20.	स्वीट बंच	ग्रीस	11,000/-	
21.	स्वैप्ट अवे	इटली	15,000/-	
22.	ए बुक आफ हीरोज	हांगकांग	12,000/-	
23.	फेबियन दि लवर	जर्मनी	12,000/-	
24.	टू आल युवर लव्स	चैकोस्लोवाकिया	15,000/-	
25.	इन द लाइन आफ ड्यूटी-4	हांगकांग	12,000/-	
26.	पैराडाइज	अमेरिका	20,000/-	

5. सोवएक्सपोर्ट फिल्म : (दी गई रायल्टी, सामग्री के लिए दी गई धनराशि, दिया गया शुल्क और अर्जित आय ज्ञात नहीं है।)

आयातित फिल्में : 2 (दो) बिना वीडियो अधिकारों के।

क्र०सं०	शीर्षक
1.	किंग्स आफ क्राइम
2.	न्यू फेयरी टेल्स आफ खेरजादे

वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में हाइड्रोजन

7115. श्री भाग्ये गोवर्धन :

क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाइड्रोजन को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करने हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिए भारत में चल रहे कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस प्रयोजन हेतु अभी तक कितनी निधि उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में क्या कार्यक्रम हैं ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए प्रकाश जैविकी, प्रकाश विद्युत, रासायनिक और विद्युत अपघटन प्रविधियों में प्रयोगशाला स्तर पर परिणाम प्राप्त हुए हैं। हाइड्रोजन के संचयन के लिए नई हाइड्राइड सामग्रियां विकसित की गई हैं और ऐसी सामग्रियों की संचयन क्षमता में और सुधार लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में धातु हाइड्राइड संचयन युक्ति का प्रयोग करके एक दुपहिया मोटर साइकिल 25 कि० मी० तक चलाकर परीक्षण किया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली में हाइड्रोजन ईंधन वाले कम अश्व शक्ति की इंजन उपयोक्ता प्रणालियों पर भी परीक्षण किए गए हैं। प्रौद्योगिकियों और उनकी आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार लाने के लिए भी अनुसंधान प्रयास किए जा रहे हैं जिनसे दीर्घकाल में व्यापक उपयोग के लिए परिणाम प्राप्त होने की सम्भावना है।

(ख) इन कार्यक्रमों के लिए 1985—92 के दौरान लगभग 2.56 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है।

(ग) इस क्षेत्र का कार्यक्रम आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए नियतन पर निर्भर होगा जिसे अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

लक्षद्वीप में टेलीफोन कनेक्शन

7116. श्री पी० एम० सईद :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्षद्वीप में टेलीफोन कनेक्शन के लिए लम्बित आवेदनों की संख्या क्या है; और

(ख) वहां टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) 31-1-1992 की स्थिति के अनुसार 406 आवेदन-पत्र लम्बित थे।

(ख) प्रतीक्षा सूची के उपर्युक्त आवेदकों में से लगभग 150 को वर्ष 1992-93 के दौरान टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिए जाने की सम्भावना है। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992—97) के मसौदा उद्देश्यों के अनुरूप बाद के वर्षों में अतिरिक्त टेलीफोन कनेक्शन ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में व्यावहारिक रूप से मांग होने पर (योजना अवधि के अन्त तक) दिए जाने की सम्भावना है।

उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में नए रिले केन्द्र

7117. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 6 माह के दौरान उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में नए रिले केन्द्र कहां-कहां स्थापित किए गए तथा उनकी प्रसारण क्षमता कितनी-कितनी है;

(ख) उत्तर प्रदेश के बुंदेलखण्ड मंडल के सभी पांचों जिलों में कितना प्रतिशत क्षेत्र दूरदर्शन प्रसारण के अन्तर्गत आता है;

(ग) प्रसारण क्षमता बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा निकट भविष्य में उठाने का विचार है; और

(घ) 1992-93 के दौरान उत्तर प्रदेश में कहां-कहां दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) यद्यपि पिछले 6 माह के दौरान मध्य प्रदेश में कोई टी० वी० ट्रांसमीटर चालू नहीं किया गया है लेकिन दिसम्बर, 1991 में उत्तर प्रदेश में मसूरी में एक टी० वी० ट्रांसपोजर (2 × 10 वाट) चालू किया गया था।

(ख) इस समय, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड मंडल का 66.4 प्रतिशत क्षेत्र दूरदर्शन सेवा के अन्तर्गत आता है। इसमें किनारे पर स्थित सेवा क्षेत्र भी शामिल है। जहां संतोषजनक रिसेप्शन प्राप्त करने के लिए ऊंचा एन्टीना और बूस्टर लगाना पड़ता है।

(ग) उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड मंडल में बांदा के अल्प शक्ति (100 वाट) टी० वी० ट्रांसमीटर के स्थान पर एक उच्च शक्ति (1 किलो वाट) टी० वी० ट्रांसमीटर लगाने की परिकल्पना है लेकिन यह साधनों और पारस्परिक प्राथमिकताओं की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(घ) वर्तमान संकेतों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बरेली में मौजूदा अल्प शक्ति (100 वाट) ट्रांसमीटर के स्थान पर 1991-92 के दौरान एक उच्च शक्ति (10 किलो वाट) टी० वी० ट्रांसमीटर चालू हो जाने की संभावना है।

दूरसंचार आयोग में वेतनमानों का कार्यान्वयन

[हिन्दी]

7118. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार आयोग और दूरसंचार इंजीनियरिंग श्रेणी (ख) में वेतनमान, प्रोन्नति आदि संबंधी अनियमितताओं को दूर करने के लिए 1990 में एक समझौता हुआ था और क्या किसी न्यायालय ने इस संबंध में कोई आदेश भी दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या न्यायालय के आदेशों और उक्त समझौते का कार्यान्वयन किया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के उप मन्त्री (श्री पी० बी० रंगय्या नायडु) : (क) और (ख) सदस्य (सेवाएं) दूरसंचार आयोग और महासचिव दूरसंचार, इंजीनियरिंग सेवा संघ तथा कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी संघ के बीच 31-5-1990 को जिस करार पर हस्ताक्षर हुए थे उसका विवरण संलग्न है। इस करार की मद संख्या 5 के बारे में न्यायालय के आदेश हैं। पदोन्नति वाले अधिकारियों के लिए कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के 30 पदों को निश्चित करने की योजना न्यायालय के आदेशों द्वारा निरस्त हो गई।

(ग) न्यायालय के आदेशों के साथ-साथ करार को कार्यान्वित कर दिया है।

(घ) उपर्युक्त (क) और (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी संघ (भारत) और दूरसंचार इंजीनियरिंग सेवा संघ (भारत) द्वारा प्रस्तुत संयुक्त मांग-पत्र पर लिए गए निर्णय।

1. कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारियों को बाद में दी जाने वाली तरक्की :

12 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारियों को मूल-नियम 22 (क) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण का लाभ देते हुए बाद में दी जाने वाली तरक्की के आधार पर 2000 से 3500 रु० तक का वेतनमान दिया जायेगा। इसको लागू करने की तारीख 1-1-1990 से आगे होगी। यह कार्य समान बचत के जरिए किया जाएगा।

2. टी० ई० एस० समूह "ख" अधिकारियों को बाद में दी जाने वाली तरक्की :

टी० ई० एस० समूह "ख" अधिकारियों को समूह "क" में बाद में दी जाने वाली पदोन्नति की बात पर सहमति नहीं हुई। तथापि, अब आगे से वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 12 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले टी० ई० एस० समूह "ख" अधिकारियों को कनिष्ठ समयमान में सीधी पदोन्नति दी जाएगी। प्रशासन इस कार्य को, कनिष्ठ समयमान के पर्याप्त अतिरिक्त पदों में उन्नत करके सुनिश्चित करेगा। इस संबंध में वित्त मंत्रालय की मंजूरी पहले ही प्राप्त कर ली गई है। सीधी भर्ती और कनिष्ठ समयमान पर पदोन्नति पाने वालों के बीच के अनुपात की समीक्षा करने पर भी सहमति हुई है। रिक्त स्थानों के नियमित कोटा के अन्तर्गत पदोन्नतियों को नियमित विभागीय पदोन्नति समितियों द्वारा किया जाएगा और संघ लोक सेवा आयोग को भी सम्मिलित किया जाएगा और पदोन्नतियों का शेष भाग तदर्थ विभागीय पदोन्नति समितियों के जरिए होगा जिसे कनिष्ठ समयमान के भावी पदोन्नति कोटे में नियमित किया जाएगा। इसके लिए समान बचत का पता लगाया जाएगा।

3. अग्रिम वेतन वृद्धियों की मंजूरी :

सेवा के दौरान इंजीनियरिंग में उपाधि या समतुल्य अर्हता प्राप्त करने वाले अथवा प्राप्त कर कर चुके, कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारियों, टी० ई० एस० समूह "ख" अधिकारियों, कनिष्ठ समयमान/वरिष्ठ समयमान में समूह "ख" से पदोन्नत अधिकारियों को संबंधित ग्रेडों में दो अग्रिम

वेतन-वृद्धियां दी जाएगीं। यह 1-5-90 से लागू होगा। जिन अधिकारियों को यह लाभ पहले मिल चुका हो वे इसके लिए पात्र नहीं होंगे।

4. कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारियों को टी० ई० एस० समूह "ख" ग्रेड में पदोन्नति के लिए 3200 पदों का सृजन।

टी० ई० एस० समूह "ख" के 3200 पद बनाने के लिए आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं और विभागीय पदोन्नति समिति गठित करने के लिए कार्यवाई शुरू की जा चुकी है। ये 3200 पद, इस योजना से बाहर मानदण्डों के आधार पर बनाए पदों के अलावा हैं।

5. वरिष्ठ समयमान के पदोन्नति वाले अधिकारियों के लिए कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के पद निश्चित करना।

पदोन्नति पाने वाले मंडल इंजीनियरों द्वारा भरे जाने के लिए कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के 30 पद निश्चित करने का निर्णय लिया गया है। इसमें वरिष्ठ समयमान से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड मे पदोन्नति की सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से की जाने वाली पदोन्नतियां भी शामिल हैं।

6. टी० ई० एस० समूह "ख" ग्रेड के वेतनमान में वेतन को विसंगति को दूर करना :

अध्यक्ष, दूरसंचार आयोग, विसंगति समिति (जे० सी० एम० एन० सी०) के अध्यक्ष को, 14-12-1989 को हुई बैठक के कार्य-वृत्ती में शुद्धियां करने के लिए पत्र लिखेंगे और विसंगतियों को दूर करने के पक्ष में विशेष सिफारिशें करेंगे।

7. वरिष्ठ समयमान में स्थानीय स्थानापन्न व्यवस्था को पुनः कायम करना :

8-5-1989 से पहले विद्यमान स्थिति को पुनः कायम करने के लिए 8-5-89 को जारी किए गए आदेशों को वापस लेने का निर्णय लिया गया है।

8. टी० ई० एस० समूह "ख" ग्रेड में पदोन्नति के लिए ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा को मुल्तवी रखना :

पदोन्नतियों में काफी गतिरोध को देखते हुए, टी० ई० एस० समूह "ख" में पदोन्नति के लिए ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा को तत्काल तीन लगातार वर्षों तक के लिए मुल्तवी रखा जाएगा।

9. छुट्टियों में कार्य करने के एवज में उचित प्रतिपूर्ति :

छुट्टियों में कार्य करने के लिए नकद प्रतिपूर्ति देने की मांग के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि जो कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी, नियमित या सामान्य रूप से छुट्टियों में काम करते हैं उन्हें आवासीय टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। इस प्रयोजन के लिए एस० टी० डी०/आई०एस० डी० सुविधा रहित 5000/रु० से अधिक अतिरिक्त टेलीफोन (सीधी एक्सचेंज लाइनें) प्रदान नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा प्रतिपूरक छुट्टी भी दी जा सकती है।

कोचीन और कालीकट हवाई अड्डों पर एक हवाई कारगो टर्मिनल का निर्माण

[अनुवाद]

7119. प्रो० के० वी० थामस :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन और कालीकट हवाई अड्डों पर हवाई कारगो टर्मिनल सेवा आरम्भ किये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक आरम्भ किये जाने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

एन०टी०पी०सी० द्वारा विद्युत उत्पादन लागत

7120. श्री रामकृष्ण कोंताला :

क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ताप, जल, गैस तथा परमाणु पर आधारित विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन की प्रति किलोवाट औसत लागत क्या है;

(ख) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा विद्युत उत्पादन की प्रति किलोवाट औसत लागत आंध्र प्रदेश राज्य ताप संयंत्रों की लागत से अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के ऊपरी खर्च को कम करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है, और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हिमाचल प्रदेश पंचायतों को टेलीफोन

7121. श्री डी० डी० खनोरिया :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 'सभी पंचायतों में टेलीफोन' योजना को क्रियान्वित करने के लिए हिमाचल प्रदेश को प्राथमिकता देने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) और (ख) सरकार ने पहाड़ी, जनजातीय और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित ग्राम पंचायतों में, जिसमें हिमाचल प्रदेश भी शामिल

है, 31 मार्च, 1995 तक प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई है बशर्ते कि इसके लिए संसाधन उपलब्ध रहें।

भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की सप्लाई

[हिन्दी]

7122. **श्री राम बदन :**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौह अयस्क की कमी और बेलाडिल्ला खानों तक रेल लाइन न बिछाये जाने के कारण भिलाई इस्पात संयंत्र का उत्पादन लक्ष्य प्रभावित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संयंत्र को अपेक्षित मात्रा में लौह अयस्क की सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में गांवों का विद्युतीकरण

[अनुवाद]

7123. **श्री के० तुलसिऐया वान्डायर :**

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तमिलनाडु के तन्जोर जिले में कुल कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया;

(ख) कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जाना बाकी है;

(ग) शेष गांवो का कब तक विद्युतीकरण किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) तमिलनाडु के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत क्षेत्र हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) तमिलनाडु राज्य बिजली बोर्ड द्वारा सूचित किया गया है कि 1971 की जनगणना के अनुसार, तंजोर जिले के सभी आबाद गांवों का विद्युतीकरण, सातवीं पंचवर्षीय योजना से पहले ही कर दिया गया था।

(घ) विद्युत क्षेत्र के सन्दर्भ में आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए तमिलनाडु के लिए आवंटन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

आई०बी० घाटी में ताप विद्युत संयंत्र

7124. डा० कृपा सिंधु भोई :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आई०बी० घाटी में ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना के सम्बन्ध में अमरीकी विद्युत विशेषज्ञों के दल की उड़ीसा यात्रा की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) इस प्रस्ताव पर उड़ीसा की राज्य सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में एस०टी०डी०/टेलेक्स सुविधा

[हिन्दी]

7125. श्रीमती शीला गौतम :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में एस०टी०डी०, टेलेक्स और स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज की सुविधा बिल्कुल अपर्याप्त है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

पन-बिजली की उत्पादन क्षमता

[अनुवाद]

7126. डा० डी० वेंकटेश्वर राव :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में पन-बिजली की अनुमानित उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) इसका उत्पादन मांग से कितना कम है; और

(ग) सरकार ऊर्जा के इस स्रोत को पूरी तरह उपयोग में लाने के लिए क्या उपाय अपनाने पर विचार कर रही है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किए गए जल-विद्युत पुनर्मूल्यांकन अध्ययनों के अनुसार देश में जल-विद्युत शक्यता 60 प्रतिशत भार अनुपात पर 84044 मे०वा० होने का अनुमान लगाया गया है। इसमें से 14.37 प्रतिशत का पहले ही विकास किया जा चुका है और 6.82 प्रतिशत विकास के विभिन्न चरणों में हैं।

(ग) विद्यमान जल-विद्युत शक्यता का विद्युत उत्पादन हेतु समुपयोजन करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों और भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र में विभिन्न जल-विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। जल-विद्युत शक्यता के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

पेप्सी की शर्तें

7127. श्री हरि किशोर सिंह :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेप्सी फूड्स ने एफ०आई०पी०बी० के समक्ष उन्हें अनुमति दिये जाने सम्बन्धी शर्तों में परिवर्तन करने का प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) मै० पेप्सी फूड्स प्रा० लि० ने उन्हें स्वीकृति अनुमोदन की शर्तों में संशोधनों के लिए आवेदन किया है। सरकार ने इस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों की सम्पत्ति में उसके कर्मचारियों द्वारा भागीदारी

7128. श्री कमला मिश्र मधुकर :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत पर्यटन विकास निगम के होटल के शेयरों को वापस लेते समय इन होटलों के कर्मचारियों को इन शेयरों को खरीदने की अनुमति प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तिम रूप से कौन-सी औपचारिकताएं अपनाई जाएंगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया): (क) से (ग) सरकार ने एक स्कीम बनाई है जिसके अन्तर्गत भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के छोटे-छोटे समूह बनाए जाएंगे ताकि उनका प्रमुख विदेशी होटल शृंखलाओं के साथ संयुक्त उद्यमों के रूप में विकास किया जा सके। पूंजी का एक भाग भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों/जनता/वित्तीय संस्थाओं को भी देने का प्रस्ताव है। इस सम्बन्ध में अपनाए जाने वाले तरीकों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में घाटे

7129. श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में घाटे तथा गैर सरकारी क्षेत्र के होटलों की संख्या में वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ख) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) खाड़ी युद्ध और इसके दुष्प्रभाव, देश के कुछ भागों में आंतरिक गड़बड़ी होने से भारत को असुरक्षित गन्तव्य घोषित करते हुए कुछ देशों द्वारा पर्यटन परामर्शिकाएं जारी करने, आदि के कारण भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों सहित भारत के सम्पूर्ण पर्यटन उद्योग को क्षति हुई है।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा अपने होटलों के वित्तीय निष्पादन को सुधारने के लिए उठाए गए कदमों में अन्य कदमों के साथ-साथ उत्पाद सुधार, व्यय पर नियंत्रण, स्वदेशी पर्यटन के संवर्धन हेतु विशेष पैकेज टूअर्स, छूट द्वारा प्रोत्साहन, विपणन एवं आरक्षण समझौते, आदि शामिल हैं ।

जल स्तर में कमी आना

[हिन्दी]

7130. श्री जयमीत सिंह बराड़ :

श्री मचवान शंकर रावत :

डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम :

कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न हिस्सों में भूमिगत जल स्तर कम हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भूमिगत जल स्तर में सुधार करने के लिए कोई योजना बनाई गई है;

(घ) यदि हां, तो स्थानवार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी हां । भूजल स्तर में गिरावट की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) से (ङ) हाल ही में सरकार ने फरवरी, 1992 में निम्नलिखित स्थानों में भूजल के

कृत्रिम पुनर्भरण के लिए केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा तैयार की गई 367 लाख रुपये की लागत की एक स्कीम अनुमोदित की है :—

(i) कर्नाटक के कोलार जिले में गौरीबिदानूर और मुल्बागल तालुक।

(ii) महाराष्ट्र के अमरावती और जलगांव जिले में संतरे तथा केले के उत्पादन वाले क्षेत्र।

(iii) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली।

(iv) संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़।

विवरण

राज्य	निम्न जिले के भागों में स्तरों में दो मीटर से अधिक गिरावट दर्शाने वाले क्षेत्र
1	2
आन्ध्र प्रदेश	चित्तूर, कुडप्पह, कुरनूल, महबूबनगर, नेल्लोर, रंगा रेड्डी
असम	गोलपाड़ा, जोरहाट, नौगांव, नार्थ लखीमपुर
गुजरात	अहमदाबाद, अमरेली, बनासकांठा, भड़ौच, भावनगर, जामनगर; जूनागढ़, खेडा, कच्छ, मेहसाणा, पंचमहल, राजकोट, साबरकांठा, सूरत, सुरेन्द्र नगर
हरियाणा	अम्बाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, रोहतक
हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा, सिरमौर
जम्मू-कश्मीर	जम्मू
कर्नाटक	बंगलौर, बेलगाम, बेल्लरी, बीदर, बीजापुर, चित्रदुर्ग, धारवाड़; गुलबर्ग, मांड्या, मैसूर, रायचूर, साउथ कनारा, तुमकुर
केरल	इडुक्की, कोट्टायम, पथानमथिट्टा
मध्य प्रदेश	बेतुल, भोपाल, बिलासपुर, छिंदवाड़ा, देवास, धार, गुना, इन्दौर; जबलपुर, खंडवा, मांडला, नरसिंहपुर, रायपुर, राजनन्दगांव, सागर सेओनी, शिवपुरी
महाराष्ट्र	अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बीड, जलगांव, नासिक, परभनी, सतारा, शोलापुर, सिन्धुदुर्ग
उड़ीसा	कटक, कोरापुट, फूलबनी

1	2
पंजाब	अमृतसर, भटिंडा, फरीदकोट, फिरोजपुर, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, पटियाला, रोपड़, संगरूर
राजस्थान	अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चुरू, डुंगरपुर, गंगानगर, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झुनझुन, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, सीकर, टोंक, उदयपुर
उत्तर प्रदेश	आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बदायूं, बांदा, बुलन्द शहर, देवरिया, फैजाबाद, फतेहगढ़, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, कानपुर, ललितपुर, लखनऊ, मथुरा, मुरादाबाद, नैनीताल, रायबरेली, सीतापुर
पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी
दिल्ली	सिटी ब्लाक, मेहरौली ब्लाक, अलीपुर ब्लाक

इस्पात का उत्पादन

[अनुवाद]

7131. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :**

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान कुल कितनी मात्रा में इस्पात का उत्पादन हुआ और आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस संबंध में कितना परिव्यय निर्धारित किया गया है;

(ख) विभिन्न इस्पात संयन्त्रों का इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या वर्ष 1995-96 तक लौह-अयस्क के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोई कृत्यक बल गठित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस कृत्यक बल द्वारा तैयार की गई योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) पिछले दो वर्षों के दौरान उत्पादित परिसज्जित इस्पात की कुल मात्रा तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रक्षेपित परिव्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है :--

1990-91	135.3 लाख टन
1991-92 (फरवरी, 1992 तक)	127.7 लाख टन
इस्पात मन्त्रालय के लिए आठवीं योजना हेतु प्रस्तावित परिव्यय (1992-97)	24756.19 करोड़ रुपये

प्रस्तावित योजना परिव्यय अन्य बातों के साथ-साथ विद्यमान सुविधाओं के परिवर्तन, संशोधन

तथा प्रतिस्थापन, पहले से स्वीकृत चल रही योजनाओं, आधुनिकीकरणों,तथा आठवीं योजना के दौरान शुरू की जाने वाली प्रस्तावित नई योजनाओं के लिए है। मुख्य संयंत्र इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेने के इच्छुक हैं।

(ग) और (घ) लौह अयस्क के सम्बन्ध मे इस्पात मन्त्रालय में कृत्यक बल का गठन निम्नलिखित विचारार्थ विषयों के लिए किया गया है :—

(i) सन् 2000 त. लौह अयस्क की सम्भावित माँग और उपलब्धि का मूल्यांकन करना।

(ii) घरेलू प्रयोक्ताओं और निर्यात के लिए समुचित लिंकेज की सिफारिश करना।

(iii) निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीय उन्नयन और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उपयुक्त उपायों के बारे में सुझाव देना।

केरल में इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज

7132. प्रो० सावित्री लक्ष्मन :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना-अवधि के दौरान केरल में किन-किन टेलीफोन एक्सेंजों के स्थान पर इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज लगाये जाने हैं; और

(ख) इसमें से कितने एक्सचेंज वर्ष 1992-93 के दौरान बदले जाएंगे ?

संचार मंत्रालय के उप मंत्री (श्री पो० वो० रंगय्या नायडू) : (क) केरल सहित संपूर्ण देश में टेलीफोन एक्सचेंजों को बदलने के सम्बन्ध में 8वीं योजना के उद्देश्यों के मसौदे में निम्नलिखित शामिल है :—

—जिन स्विचों का कार्यकाल समाप्त हो गया है या जो घिसपिट गए हैं उनका कार्यकाल समाप्त होने पर बदलना।

—सभी स्ट्रोजर एम०ए० एक्स-III एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलना।

—सभी लाइन फाइंडर (एल/एफ) किस्म के एम०ए० एक्स-II एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलना।

इसके अनुसार 8वीं योजना के दौरान 180 एम०ए० एक्स-III एक्सचेंजों और 69 एम०ए० एक्स-11 एल/एफ किस्म के एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदला जाएगा।

(ख) 92-93 के दौरान लगभग 40 एम०ए० एक्स-III एक्सचेंजों और 10 एम०ए० एक्स-II एल/एफ एक्सचेंजों को बदलने का प्रस्ताव है बशर्ते कि संसाधन समय पर उपलब्ध हों।

राजस्थान, गुजरात और पंजाब में उच्च शक्ति के टी० वी० ट्रांसमीटर

[हिन्दी]

7133. श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर, अनुपगढ़ और पंजाब में फाजिल्का तथा गुजरात के कच्छ में उच्च शक्ति के टी० वी० ट्रांसमीटर लगाने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो ये ट्रांसमीटर कब तक कार्य करने लगेंगे; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भुज में और पंजाब के फजिल्का में उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों की स्थापना से सम्बन्धित परियोजनाओं पर विभिन्न चरणों में काम चल रहा है तथा राजस्थान में अनूपगढ़ में भी एक उच्च शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर स्थापित करने का कार्यक्रम है। वर्तमान संकेतों के अनुसार जैसलमेर और फाजिल्का के उच्च शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर क्रमश: 1993-94 और 1995-96 के दौरान और बाड़मेर तथा भुज के ट्रांसमीटर 1994-95 तक चालू हो जाएंगे।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

केरल में तार संदेश का देरी से पहुंचना

[अनुवाद]

7134. श्री के० मुरलीधरन :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल क्षेत्र में तार संदेश देर से पहुंचते हैं; और

(ख) यदि हां; तो सरकार का इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां। जबकि अधिकतर तार समय से वितरित किए जाते हैं, सरकार को ट्रांजिट केन्द्रों पर मैनुअल संचालन के कारण कुछ मामलों मे हो रहे विलम्ब की जानकारी है।

(ख) तार सेवाओं में और अधिक सुधार लाने के लिए एक आधुनिकीकरण योजना को पहले ही कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना में, संचालन के विलम्ब को दूर करने के लिए, स्टोर एवं फारवर्ड मैसेज स्विचन प्रणालियां, इलेक्ट्रानिक टेलीप्रिंटरों, पी० सी० आधारित फोरमेटिड टर्मिनलों इलेक्ट्रानिक कुंजी-पटलों/कन्सन्ट्रेटरों आदि जैसे बेहतर टर्मिनल उपस्कर लगाने का कार्य शामिल है। केरल राज्य के लिए दो स्टोर एवं फारवर्ड तार प्रणालियां (एस०एफ० टी-141) एरनाकुलम में पहले ही उपलब्ध करा दी गई हैं। इसके अतिरिक्त, सिकन्दराबाद और मद्रास में मैसेज स्विचिंग प्रणालियों से 8 टर्मिनल भी उपलब्ध कराए गए हैं।

इस योजना में आगामी दो वर्षों अर्थात् 1992 से 1994 के दौरान एरनाकुलम, त्रिवेन्द्रम और कालीकट में 3 और मैसेज स्विचिंग प्रणालियां, 165 इलेक्ट्रानिक कुंजी-पटल, 18 अदद इलेक्ट्रानिक कुंजी पटल कन्सन्ट्रेटरों और 48 अदद फारवेटिड टर्मिनलों की व्यवस्था करना शामिल है।

दिल्ली में इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज

[हिन्दी]

7135. श्री सत्य देव सिंह :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 1991 के दौरान कुल कितने टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किये गए;

(ख) उसके परिणामस्वरूप कितने टेलीफोन कनेक्शन जारी किये गए;

(ग) 1992 के दौरान कितने नये टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किये जाने का विचार है और उससे कुल कितने लोगों को टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराये जायेंगे; और

(घ) कितने लोग टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची में हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) दिल्ली में 1991 के दौरान नौ नए इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज संस्थापित किए गए हैं। इनमें से एक मुख्य एक्सचेंज है और अन्य आठ आर० एस० यू० (रिमोट लाइन यूनिटें) हैं।

(ख) वर्ष 1991 के दौरान कुल 77964 टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए।

(ग) 1992 के दौरान 11 नए डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज (4 मुख्य एक्सचेंज और 7 रिमोट लाइन यूनिटें) जोड़ने की योजना है। इसके अलावा मौजूदा नेटवर्क का विस्तार भी किया जाएगा ताकि लगभग 70,000 नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जा सकें।

(घ) 1-4-1992 की स्थिति के अनुसार दिल्ली की प्रतीक्षा सूची के आवेदकों की कुल संख्या 3; 17, 143 है।

दिल्ली के विद्युत संयंत्रों में कोयले की कमी

7136. श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 26 मार्च, 1992 के "नवभारत टाइम्स" में दिल्ली में विद्युत उत्पादन के लिए कोयले की कमी के बारे में प्रकाशित समाचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो विद्युत संकट से निपटने के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मार्च, 1992 में झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के आन्दोलन से उत्पन्न होने वाली स्थिति को ध्यान में रखते हुए दिल्ली स्थित ताप विद्युत केन्द्रों के लिए नार्दर्न कोल फील्ड्स लि०, सिंगरौली से कोयले की अतिरिक्त आपूर्ति किए जाने की योजना थी। मार्च, 1992 के दौरान

दिल्ली स्थित ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की आपूर्ति, उनके लिए निर्धारित लिंकेज का 97% थी और इस अवधि के दौरान दिल्ली में किसी प्रकार का विद्युत संकट नहीं था।

भारतीय पर्यटन विकास निगम का पर्यटन कृतिक बल प्रकोष्ठ

[अनुवाद]

7137. **श्री प्रकाश वी० पाटील :**

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम में वर्ष 1991 के दौरान पर्यटन कृतिक बल प्रकोष्ठ स्थापित किए जाने के क्या उद्देश्य थे; और

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा इस प्रकोष्ठ की स्थापना और रख-रखाव पर अब तक कितनी धन-राशि खर्च की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) पर्यटन की सम्भावना वाले नए क्षेत्रों के अभिनिर्धारण एवं विकास के लिए भारत पर्यटन विकास निगम ने मई, 1991 में एक पर्यटन कृतिक बल की स्थापना की थी।

(ख) कर्मचारियों के वेतन अथवा रख-रखाव के लिए कोई अतिरिक्त व्यय नहीं किया गया है क्योंकि पर्यटन कृतिक बल कक्ष के कर्मचारी अपना वेतन संबंधित एककों/प्रभाग से लेते हैं।

केरल में इडुक्की और पठानमथिट्टा जिलों में टी०वी० रिले केन्द्रों के प्रसारण का स्पष्ट रूप से नहीं दिखायी देना

7138. **श्री पाला के० एम० मैथ्यू :**

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में इडुक्की और पठानमथिट्टा जिलों से इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि इन दो स्थानों में टी०वी० रिले केन्द्रों के प्रसारण स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं;

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इडुक्की और पत्तनमथिट्टा में अल्प शक्ति टी०वी० ट्रांसमीटरों का कवरेज स्थानीय भू-भागीय स्थिति के कारण सीमित है। पत्तनमथिट्टा में टी०वी० ट्रांसमीटर का कवरेज बढ़ाने के लिए इसके वर्तमान मस्तूल की ऊंचाई 30 मीटर से बढ़ाकर 45 मीटर करने की योजना है। इडुक्की और पत्तनमथिट्टा जिलों में टी०वी० कवरेज में और सुधार की संभावनाएं भविष्य में साधनों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करती है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में ड्रिलिंग मशीनों को बदलना

7139. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय भूवैज्ञानिक सवक्षण में कितनी ड्रिलिंग मशीनों की उपयोगिता अवधि समाप्त हो गई है;

(घ) इन मशीनों को बदलने हेतु अभी तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में ड्रिलिंग रिगों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) 1 जनवरी, 1992 को 101 ड्रिलिंग मशीनों की उपयोगिता अवधि समाप्त हो गई है;

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को पुरानी ड्रिलिंग मशीनों को बदलने के लिये बजटीय नियंत्रणों के अन्तर्गत धन उपलब्ध कराया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पोरबन्दर, गुजरात में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज

7140. श्री हरिभाई एम० पटेल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में पोरबन्दर में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उन शहरों/नगरों का ब्यौरा क्या है, जहां ये एक्सचेंज स्थापित किये जायेंगे; और

(ग) ये एक्सचेंज कब से कार्य करना शुरू कर देंगे ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां। पोरबन्दर तालुक/तहसील में विद्यमान सभी एक्सचेंज पहले से ही स्वचालित एक्सचेंज हैं।

(ख) और (ग) पोरबन्दर तालुक/तहसील में विद्यमान स्वचालित एक्सचेंजों का ब्यौरा संलग्न विवरण मे दिया गया है।

विवरण

पोरबन्दर तालुका/तहसील में विद्यमान स्वचालित एक्सचेंजों की सूची

क्र०सं०	एक्सचेंज का नाम	क्षमता (लाइनों में)
1	2	3
1.	अडवाना	50
2.	बालोवर	56

1	2	3
3.	बिलेश्वर	50
4.	फाटना	25
5.	काडाछ	25
6.	माधवपुर	100
7.	पोरबन्दर	4000
8.	शरमा	25
9.	रानावडाखा	25
10.	विरवाडा	50

किराया रियायत सुविधाएं

7141. श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस कुछ श्रेणियों के यात्रियों को किराया रियायत सुविधाएं दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कितने प्रतिशत रियायत दी जाती है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को भी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा यात्रियों की कुछेक श्रेणियों को दी जाने वाली छूट की प्रतिशतता सहित किराया रियायत के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) वाणिज्यिक आधारों पर, इंडियन एयरलाइन्स का केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को किराये में रियायत देने का कोई विचार नहीं है।

विवरण

विशेष किरायों की सूची

1		2
1.	सशस्त्र सेनाओं को रियायत	कुल किरायों पर 50%
2.	विद्यार्थी रियायत (अन्तर्देशीय)	मूल किराये पर 50%
3.	विद्यार्थी रियायत (अन्तर्राष्ट्रीय)	25%
4.	अध्यापक रियायत	मूल किराये पर 50%
5.	नेत्रहीन व्यक्ति रियायत	कुल किराये पर 50%
6.	कैंसर रोगी रियायत	कुल किराये पर 50%
7.	परिवार रियायत (पोर्ट ब्लेयर)	50 रुपये
8.	भारतीय रक्षा सेना के गोरखा कार्मिकों के लिए रियायत	भारत-नेपाल मार्ग पर 40%
9.	सामान्य अभिरुचि ग्रुप	अन्तर्राष्ट्रीय सैक्टरों तथा अन्तर्देशीय सम्पर्क सेवाओं पर 10%
10.	विदेशी मिशनों में भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए रियायत	अन्तर्राष्ट्रीय सैक्टरों पर 40%
11.	दक्षिण भारत का 21 दिवसीय भ्रमण	अन्तर्देशीय डालर टैरिफ पर 30%
12.	समुद्री यान कर्मीदल रियायत	यू०एस० डालर किराये/अन्तर्राष्ट्रीय किराये पर 25% रियायत
13.	एयरलाइन/आयटा कर्मचारी रियायत	यू०एस० डालर अन्तर्देशीय किराये/अन्तर्राष्ट्रीय किराये पर 50%
14.	युवा रियायत	यू०एस० डालर टैरिफ पर 25%
15.	पर्यटक संचालक रियायत	10 से 14 के ग्रुप के लिए 50% और 15 या अधिक के ग्रुप के लिए नि:शुल्क
16.	भारत खोज किराया	400 यू०एस० डालर-नियत किराया
17.	भारत आश्चर्य किराया	उत्तर-पूर्व, पश्चिम या दक्षिण भारत क्षेत्र के भीतर यात्रा के लिए 200 यू०एस० डालर

1	2
18. युद्ध विकलांग व्यक्ति	कुल किरायों पर 50%
19. सार्क प्रोत्साहन किराये	व्यक्तिगत 20% ग्रुप – सार्क क्षेत्र के भीतर यात्रा के लिए 20%
20. जी० आर० ई० एफ० (सामान्य आरक्षित इंजीनियरी बल) के कार्मिक	कुल किराये पर 50%
21. शौर्य पुरस्कार विजेता	भूतपूर्व सशस्त्र सेना कार्मिकों को कुल किराये पर 50%

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के डीलर

7142. **डा० आर० मल्लू :**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के कितने डीलर थे और उनमें कितने व्यक्ति अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के थे;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई कोटा निर्धारित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० लोहा और इस्पात सामग्री वितरकों (डीलरों) के माध्यम से नहीं बेचती।

"सेल" उर्वरक आदि जैसे अपने उपोत्पादों की बिक्री राज्य सहकारी संगठनों/विपणन संघों और राज्य कृषि उद्योग निगमों जैसी राज्य एजेंसियों के थोक वितरकों के संजाल के साथ-साथ निजी एजेंसियों के माध्यम से करती है। 1990-91 में ऐसे वितरकों की संख्या आंध्र प्रदेश में 103 और अन्य राज्यों में 263 थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विद्यमान पद्धति में संशोधन करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव "सेल" के विचाराधीन नहीं है।

संचार प्रणाली में समानता

[हिन्दी]

7143. श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महानगरों से जुड़े हुए क्षेत्रों के लिए समान संचार प्रणाली उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिए किसी समिति का गठन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो कब और उक्त समिति की सिफारिशें क्या हैं और इन पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां, ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) सरकार महानगरीय शहरों को उसके आस-पास के क्षेत्रों से जोड़ने के लिए कुशल दूर-संचार नेटवर्क प्रदान करने की आवश्यकता के महत्व को पूरी तरह समझती है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने की दृष्टि से, इस प्रकार के स्टेशनों के बीच सीधी डायलिंग सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(ग) जी हां। इस मामले की जांच करने के लिए एक आंतरिक कार्य समिति गठित की गई थी।

(घ) समिति की सिफारिशें इस प्रकार थीं :—

(1) स्थानीय क्षेत्र का सीमांकन करने के लिए मौजूदा सिद्धांतों को जारी रखा जा सकता है।

(2) आस पास के विशेष क्षेत्रों के बीच कोई भेद नहीं किया जाए। ऐसे एक्सचेंजों की कालों जो कि स्थानीय क्षेत्र के भीतर नहीं आते है परन्तु जिनकी सीमा एक ही है, कोई 0.20 कि०मी० की दूरी का स्लैब बनाकर प्रभारित किया जाए।

(3) उपभोक्ता द्वारा डायल की गई कालों के लिए 100 सेकिंड की पल्स दर से 0-20 कि०मी० की दूरी के स्लैब के लिए शुल्कदर की शुरुआत की जाए।

(4) 0-20 कि०मी० और 21-50 कि० मी० की दूरी के स्लैब में ट्रंक कालों के लिए शुल्क दर में वृद्धि पर विचार किया जाए।

(5) 30,000 और उससे अधिक लाइनों वाली टेलीफोन प्रणालियों में प्रारम्भ में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में स्थानीय क्षेत्र के भीतर कालों की टाइम मीटरिंग शुरू करने पर विचार किया जाए; और

(6) अनुमानित हानि को पूरा करने के लिए किराये आदि में संशोधन के जरिये राजस्व में वृद्धि के सम्बन्ध में अलग से जांच की जाए।

ये सिफारिशें अभी सरकार के विचाराधीन हैं।

इंडियन एयरलाइंस के भाड़ा-प्रभारों में वृद्धि

7144. श्री राजवीर सिंह :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइंस के भाड़ा-प्रभारों में कुल कितनी वृद्धि की गई; और

(ख) इंडियन एयरलाइंस द्वारा अर्जित किए गए कुल लाभ का तथा इसके परिणामस्वरूप इस पर किये गये व्यय का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) इंडियन एयरलाइन्स के अन्तर्देशीय माल-भाड़े में जुलाई, 1989 में 300 किलोमीटर तक 30 प्रतिशत और 301 किलोमीटर तथा इससे अधिक के सेक्टरों पर 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। इन दरों में अक्तूबर, 1991 के दौरान औसतन 16.6 प्रतिशत की और वृद्धि की गई।

(ख) चूंकि कार्गो के वहन से प्राप्त राजस्व मुख्य यात्री राजस्व अर्जन की तुलना में गौण प्रासंगिक है, इसलिए इस संबंध में किसी अलग लाभ/हानि का संकलन नहीं किया जाता है। तथापि; इंडियन एयरलाइंस ने माल भाड़े से 1990-91 में लगभग 65.00 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया।

पन बिजली उत्पादन परियोजनाएं

[अनुवाद]

7145. श्री चेतन पी० एच० चौहान :

श्रीमती रीता वर्मा :

श्रीमती दीपिका एम० टोपीवाला :

श्री नरेश कुमार बालियान :

क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या बिजली उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकार का विचार पन बिजली उत्पादन परियोजनाएं स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) कौन-कौन सी परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार को स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं/उठाने का प्रस्ताव है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय)। (क) जी, हां।

(ख) उन जल विद्युत परियोजनाओं जिन्हें 8वीं योजना (1992-97) के दौरान चालू किये जाने का कार्यक्रम है, का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) उन जल विद्युत परियोजनाओं जिन्हें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को आवश्यक स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है, का ब्यौरा संलग्न विवरण-II तथा III में दिया गया है।

(घ) परियोजनाओं के मूल्यांकन सम्बन्धी कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने के उद्देश्य से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा परियोजना प्राधिकारियों के साथ परस्पर कार्यवाही किए जाने के साथ-साथ नियमित रूप से अन्तःमंत्रालयीय बैठकों का आयोजन किया जाता है। इन परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रगति की विद्युत विभाग द्वारा भी मानीटरिंग की जाती है।

विवरण-I

जल विद्युत परियोजनाओं की सूची जिन्हें 8वीं पंचवर्षीय योजना (1992—97) के दौरान चालू किये जाने का कार्यक्रम है

क्र०सं०	परियोजना का नाम	राज्य	8वीं योजना में लाभ (मे०वा०)
1	2	3	4
(क) केन्द्रीय क्षेत्र			
1.	चमैरा चरण-1 (एन०एच०पी०सी०)	हिमाचल प्रदेश	540
2.	दुलहस्ती (एन०एच०पी०सी०)	जम्मू व कश्मीर	390
3.	सलाल-2 (एन०एच०पी०सी०)	जम्मू व कश्मीर	345
4.	उड़ी (एन०एच०पी०सी०)	जम्मू व कश्मीर	480
5.	टिहरी चरण-1 (टी०एच०डी०सी०)	उत्तर प्रदेश	750
6.	रंगीत-3 (एन०एच०पी०सी०)	सिक्किम	60
7.	रंगानदी (नीपको)	अरुणाचल प्रदेश	270
8.	दोयांग (नीपको)	नागालैंड	75
9.	कोपिली विस्तार (नीपको)	मेघालय	100
(ख) राज्य क्षेत्र :			
(एक) उत्तरी क्षेत्र			
1.	बादुपुर	हरियाणा	6

1	2	3	4
2.	डब्ल्यू०वाई०सी० चरण-2	हरियाणा	16
3.	बनेर	हिमाचल प्रदेश	12
4.	गाज	हिमाचल प्रदेश	10.5
5.	थिराट	हिमाचल प्रदेश	4.5
6.	अपर सिन्ध-2	जम्मू व कश्मीर	70
7.	अपर सिन्ध विस्तार	जम्मू व कश्मीर	35
8.	कारगिल	जम्मू व कश्मीर	3.75
9.	चेनानी-2 एवं 3	जम्मू व कश्मीर	6
10.	सिवा चरण-3	जम्मू व कश्मीर	6
11.	यू०बी०डी०सी० चरण-3	पंजाब	30
12.	एस०वाई०एल०	पंजाब	50
13.	रणजीत सागर	पंजाब	300
14.	श्रीनगर	उत्तर प्रदेश	330
15.	सोन्ला	उत्तर प्रदेश	6
16.	मनेरी भाली-2	उत्तर प्रदेश	304
17.	लखवार व्यासी	उत्तर प्रदेश	200
(बी)	पश्चिमी क्षेत्र		
1.	कदाना पी०एस०एस० विस्तार	गुजरात	120
2.	सरदार सरोवर	गुजरात/मध्य प्रदेश/ महाराष्ट्र	1450 30
3.	बाणसागर टौन्स	मध्य प्रदेश	60
4.	बाणसागर टौन्स फेज-4	मध्य प्रदेश	20
5.	इंदिरा सदेव बांगो	मध्य प्रदेश	120
6.	तावा एम०बी०सी०	मध्य प्रदेश	12
7.	भन्डारडारा चरण-2	महाराष्ट्र	34
8.	मनिकडोह	महाराष्ट्र	6

1	2	3	4
9.	सूर्या	महाराष्ट्र	6
10.	वारना	महाराष्ट्र	16
11.	कोयना चरण-4	महाराष्ट्र	500
12.	उल्हेनी	महाराष्ट्र	12
13.	दुधगंगा	महाराष्ट्र	24
14.	डिम्भे	महाराष्ट्र	8
15.	भिरा पी०एस०एस० (टाटा)	महाराष्ट्र	150
16.	राजघाट	उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश	45
(तीन) दक्षिणी क्षेत्र			
1.	श्रीसैलम एल०बी०पी०एच०	आन्ध्र प्रदेश	150
2.	अपर सिलेरू-2	आन्ध्र प्रदेश	120
3.	पैन्नार अहोबिलम	आन्ध्र प्रदेश	20
4.	गुंटूर कैनाल-1	आन्ध्र प्रदेश	4
5.	गुंटूर कैनाल-2	आन्ध्र प्रदेश	4.5
6.	सिंगुर	आन्ध्र प्रदेश	15
7.	कालीनदी-2	कर्नाटक	270
8.	शारावती टीआर	कर्नाटक	240
9.	मल्लापुर	कर्नाटक	9
10.	वाराही (मनी डैम)	कर्नाटक	9
11.	वृन्दावन	कर्नाटक	12
12.	भाद्रा	कर्नाटक	6
13.	शिवपुर	कर्नाटक	18
14.	सारापाडी	कर्नाटक	90
15.	लोअर पेरियार	केरल	180
16.	मुवात्तीपूझा	केरल	7
17.	काक्क	केरल	50

1	2	3	4
18.	पोरिंगलकुथु विस्तार (यूनिट-4)	केरल	16
19.	कुट्टियाडी विस्तार	केरल	50
20.	लोअर भवानी आर०बी०सी०	तमिलनाडु	8
21.	सतनूर डैम	तमिलनाडु	7.5
(चार) पूर्वी क्षेत्र			
1.	ईस्टर्न मण्डक कैनाल	बिहार	16
2.	सोन वैस्टर्न कैनाल	बिहार	3 3
3.	सोन ईस्टर्न कैनाल	बिहार	3.3
4.	चाम्बिल	बिहार	8
5.	नार्थ कोयल	बिहार	24
6.	अपर रोंथनिचु	सिक्किम	4
7.	अपर इन्द्रावती	उड़ीसा	600
8.	रेंगाली विस्तार	उड़ीसा	50
9.	पोतेरू	उड़ीसा	6
10.	बालीमेला-2	उड़ीसा	120
11.	राम्मम चरण-2	प० बंगाल	50
12.	तीस्ता प्रपात	प० बंगाल	67.5
(पांच) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र			
1.	मुरानांग	अरुणाचल प्रदेश	6
2.	लोअर कोरपानी	असम	100
3.	खानसिरी	असम	20
4.	सिक्किम-रो	नागालैंड	24
		जोड़ :	9396.85

विवरण-II

जल विद्युत परियोजनाओं की सूची जिन्हें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है

क्र०सं०	परियोजना का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मे०वा०)	अनुमानित लागत (करोड़ रु०)
1	2	3	4
जम्मू एवं कश्मीर			
1.	शितकारी कुलां	2 × 42 = 84	152.87
2.	न्यू गन्डरबाल	3 × 15 = 45	115.00
3.	पारनई	3 × 12.50 = 37.50	94.10
4.	सिवा चरण-2	3 × 40 = 120	179.40
5.	किशन गंगा	3 × 110 = 330	722.14 (जी) 33.01 (टी)
6.	लोअर कलनई	2 × 25 = 50	155.35
आंध्र प्रदेश			
7.	लोअर जुराला	4 × 36.9 = 147.6	344.37
8.	नागार्जुन पी०एस०एस० टी० पोण्ड	2 × 25 = 50	138.19
केरल			
9.	बृथाचीकेट्टू	3 × 10 = 30	32.83
10.	पाल्लीवासाल रिहैबिलिटेशन	3 × 20 = 60	45.48
कर्नाटक			
11.	महात्मा	2 × 10 + 2 × 150 + 2 × 12.5 = 345	306.50 (जी) 5.42 (टी)
उत्तर प्रदेश			
12.	मातातार	2 × 40 = 80	166.00

1	2	3	4
महाराष्ट्र			
13.	पिम्पलगांव पी०एस०एस०	2×300=600	438.41
मिजोरम			
14.	तुईरियल	2×30=60	129.63
		जोड़ :	2038.10

विवरण-III

जल विद्युत परियोजनाओं की सूची जिन्हें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है

क्र०सं०	परियोजना का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मे०वा०)	अनुमानित लागत (करोड़ रु०)
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र			
हरियाणा			
1.	डब्ल्यु०बाई०सी० चरण-2	2×8=16	28.72
हिमाचल प्रदेश			
1.	बास्पा-2	3×100=300	331.35
2.	धामवाड़ी सुन्दा	2×35=70	171.10
जम्मू एवं कश्मीर			
1.	सिलकारी कुलां	2×42=84	152.87
2.	पारनाई	3×12.5=37.5	94.20
3.	लोअर कालनाई	2×25=50	155.35
पश्चिमी क्षेत्र			
मध्य प्रदेश			
1.	महेश्वर	10×40=400	351.00

1	2	3	4
2.	बाणसागर टोन्स कैस्केड-4	2×10=20	41.88
	महाराष्ट्र		
1.	पिम्पलगांव पी०एस०एस०	2×300=600	438.41
दक्षिणी क्षेत्र			
	आंध्र प्रदेश		
1.	सिंगुर	2×7.5=15	24.45
2.	प्रियदर्शिनी जुराला	6×36.9=221.4	385.13
3.	लोअर जुराला	4×36.9=147.6	344.37
4.	नागार्जुन सागर पी०एस०एस० टेल पोण्ड डैम	2×25=50	138.19
	कर्नाटक		
1.	सारापांडी	3×30=90	166.02
2.	महादया	2×10+2×150+ 2×12.5=345	306.50 (जी) 6.42 (टी)
	केरल		
1.	बुधाघांकेट्टू	3×10=30	32.83
2.	पाल्लीवासाल रिहैबिलिटेशन	3×20=60	45.48
3.	आदिरापल्ली	2×80=160	92.90
4.	पूयांकुट्टी	2×120=240	250.00
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र			
	सिक्किम		
1.	राथोंग्चु	3×10=30	86.81
	मणिपुर		
1.	थाउबल	3×2.5=7.5	6.78
	अरुणाचल प्रदेश		
1.	कामेंग	4×150=600	932.16

1	2	3	4
मिजोरम			
1.	वहालेश्वरी	3 x 40 = 120	154.06
केन्द्रीय क्षेत्र			
1.	तीस्ता चरण-5	6 x 200 = 1200	1305.77
2.	कोपिली विस्तार	2 x 50 = 100	66.70
		जोड़ = 4974	

मंगलौर को अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन बनाना

7146. **श्री वी० धनञ्जय कुमार :**

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर से मध्य पूर्व के देशों को सीधी विमान सेवा प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंगलौर में अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां ,तो इसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सुवर्णरेखा परियोजना

7147. **श्री सत्यगोपाल मिश्र**

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सुवर्णरेखा परियोजना, पश्चिम बंगाल को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना के कार्यान्वयन में केन्द्रीय सरकार का योगदान कितना है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) और (ख) पश्चिम बंगाल में सुवर्ण रेखा परियोजना को पर्यावरण और वन मन्त्रालय से स्वीकृति प्राप्त न करने के कारण योजना आयोग द्वारा निवेश स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है । पर्यावरण स्वीकृति प्रदान करने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण कार्य योजना उपलब्ध करायी जानी है।

(ग) सिंचाई परियोजनाओं में वित्त पोषण पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा अपने "योजना" संसाधनों से किया जाता है।

गिरिडीह, बिहार में शाखा डाकघर

[हिन्दी]

7148. श्री रामदेव राम :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के नीतिगत निर्णय में प्रत्येक पंचायत के सबसे बड़े गांव में एक शाखा डाकघर खोलने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो गिरिडीह में उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां यह सुविधा अब तक उपलब्ध करा दी गई है;

(ग) क्या बिहार के गिरिडीह जिले के लम्बित 31 मामलों पर शीघ्र ही वर्ष 1992 के दौरान कोई अन्तिम निर्णय लिए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो कब; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) सरकार की नीति में प्रत्येक पंचायत के सबसे बड़े गांव में शाखा डाकघर खोलने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि डाकघर खोलने के उद्देश्य से निर्धारित जनसंख्या, दूरी और आय सम्बन्धी मानदण्डों के पूरा होने पर डाकघर खोले जाते हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता। तथापि, गिरिडीह जिले के डाकघरों का विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) इस सम्बन्ध में जानकारी एकत्र की जा रही है।

विवरण

डिवीजन का नाम—गिरिडीह डिवीजन

जिला का नाम—गिरिडीह

डाकघर का नाम	
प्रधान डाकघर	एच० ओ०—प्रधान डाकघर
	डी० एस० ओ०—विभागीय उप डाकघर
1. गिरिडीह	ई० डी० एस० ओ०— अति० वि० उप डाकघर
	ई० डी० बी० ओ०— अति० वि० शाखा डाकघर

डाकघरों की संख्या

प्र० डा०	वि० उप डा०	अति० वि० उप० डा०	अति० वि० शा० डा०
1	40	—	225

विभागीय उप डाकघर

1.	बगदर	4.	बेंगाबाद
2.	बेनियाडीह	5.	बेरमो
3.	बरगंडा	6.	भंडारीदह

7. बोकारो
8. चंद्रपुरा
9. घोरी
10. दुगडा
11. डुमरी
12. गांवां
13. गिरिडीह बाजार
14. गिरिडीह टाउन
15. गोमिया
16. आई० ई० गोमिया
17. इसरी बाजार
18. जैना
19. जमुआ
20. जरंगडीह कोलियरी
21. जरीडीह बाजार
22. कस्मर
23. कतरा
24. करमडीहा
25. कटपुर
26. मिर्जाचंज
27. पचम्बा
28. पीरटांड
29. फुसरो बाजार
30. पीरटांड
31. पलंजिया
32. राजधनवार
33. आर० बी० तेनुघाट
34. संडे बाजार
35. सिजहरी
36. सुरैया
37. स्वांग कोलियरी
38. तेनुघाट बांध
39. तिसरी
40. टी० टी० पी० एस० लखपनिया

अतिरिक्त जिलाधीश उप्पर बाजार, धनबाद

शून्य

अतिरिक्त जिलाधीश बाजार, धनबाद

1. अचलगामो
2. अरबारा
3. अठकाडीह
4. अउरा
5. बालक
6. बरैन
7. बंधवारो
8. बरवाडीह
9. चोता
10. धरमुडी
11. डुंडलो
12. गोरहर
13. जरमुने
14. हेसलट

15. कपिलो
16. खेतको मुर्म्
17. अकठोईकला
18. करहरवारी
19. मटरखा
20. अहिल्यापुर
21. बरकीतांर
22. बुढ़ुडीह
23. चपुआडीह
24. चौठकी खडीहा
25. बडी नावाडीह
26. गडी सिरसिया
27. घंडे
28. घुरचुट्टा
29. सूच्ची
30. मुंडरो
31. महेश मुंडा
32. कुलची
33. पर्वतपुर
34. फुल झरियां
35. सिवाटांड
36. सोनारडीह
37. टिकलाडो
38. बनलो
39. बुंजारडीह
40. दुरियो
41. गुहिआटो
42. कंजकीरो
43. नारायण पुर
44. पलामू
45. कुरूम्बा
46. नरारा
47. पारसबानी
48. तारानारी
49. तरंगा
50. तेलो
51. अंबमो
52. अंबवाली
53. बिरनो
54. बेंको
55. मेरखर
56. चौधरी बंध
57. चंपुर
58. चारों
59. चिनो
60. चिरडीह
61. आमतारा
62. कुलगी
63. नावाडीह
64. पोरवन
65. पोलो
66. सुखो

67. बेंदरो
68. बिरने
69. चरकी
70. कहुवई
71. माल्दा
72. मंझने
73. बंक
74. पीहरा
75. बड़ोहा
76. बुरहियाडीह
77. चैताडीह
78. बरीडीह
79. बडी सेरमपुर
80. मोतीसेवा
81. एस० पी० कोचियरी
82. सिरसा
83. ताराडांड
84. उदनाबाद
85. हरविधामो
86. हाल्सिर
87. साराम
88. बरकोपुना
89. बसिया
90. नरकी|
91. बरको
92. बेंक
93. बरमसिया
94. रोशनकुंडा
95. गलगी
96. लक्ष्मणकुंडा
97. नगरी
98. पोरया
99. तेलवारा
100. अनन्तपुर-बहादुरपुर
101. बंधडीह
102. बस
103. चन्दो
104. पतुरिया
105 बंगवारी
106. बलवो
107. बाटो
108. चुंगलो
109. चरवारा
110. चिताडीह
111. बुम्या
112. बेरवाडीह
113. तारा
114. बेटको
115. चलकारी
116. अवाधु
117. बयडा
118. बसको

119.	चिलगाडा	145.	बेरहाबाद
120.	हिस्सिम	146.	द्वारपहरी
121.	दुर्गापुर	147.	हंडाडीह
122.	करना	148.	लेडा
123.	खैराबोहाटर	149.	पेशम
124.	मूंजरा	150.	रौवीखावा
125.	पिरमुख	151.	सेनाडोनी
126.	पोंडा	152.	अरजुवा
127.	टोंगटेना	153.	चंडीपुर
128.	बेरिया	154.	चर्ग
129.	चटरो	155.	दहरसो
130.	चिकनाडीह	156.	मिर्जापुर
131.	देवरी	157.	मुंगासरला
132.	घोरनजी	158.	पोरदाना
133.	जगसेमर	159.	रोहर
134.	खरीडीह	160.	उलादारा
135.	मचली	161.	मकोली
136.	मंडरो	162.	पिचरी
137.	माणिकबाग	163.	तंतरी
138.	घुरैटा	164.	अटकी
139.	कुरहोबिन्धो	165.	बिशनपुर
140.	लटाकी	166.	चचंदो
141.	पोवी	167.	चिलगा
142.	शंखों	168.	हरलाडीह
143.	बैरियाबाद	169.	खुदीसर
144.	बरलिया	170.	खुजरा

171. कुम्हारखाओ
172. पाखगंज
173. सोबनपुर
174. बंगराकामा
175. डाबरी
176. बड़ो भरट्टा
177. गंडो
178. जोटा सरोडीह
179. जवाहर नगर
180. कैशोडीह
181. खैरीडीह
182. खुरीजोखो
183. मंझीलाडीह
184. रूपैडीह
185. सरंदा
186. अम्बाटांड
187. अरगाली
188. बद्दीना
189. बरोटांड
190. भंडारों
191. डरियाडीह
192. दोरंडा
193. जामदार
194. हेमद्रोडीह
195. करीहारी
196. खोजूरसोटा
197. खोरीमलुवा
198. किसगो
199. मुरखारी
200. मूरला
201. ओरखर
202. सपारन
203. सिमरिया
204. रेमा
205. चम्पो
206. अलगाडा
207. बेडकारो
208. बागोडो
209. घुटिया पैसरा
210 खसकारी
211. कोरीडीह
212. मंडरो
213. मंडरामो
214. नैटांड
215. कैशवारी
216. पेरसिया
217. सबलपुर
218. हजारी
219. भंडारी
220. खंदौरी
221. गुमगो
222. कतकोको
223. खिजुरी
224. लोकई
225. पपिलो

मध्य प्रदेश के लिए एयरलाइन

[अनुवाद]

7149. श्री अंकुशराव रावसाहब टोपे :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में एयर-टैक्सी सेवा शुरू करने की अनुमति दे दी है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश के अन्य भागों में ऐसी ही एयर टैक्सी सेवाएं शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) से (ग) हवाई टैक्सी प्रचालक, देश में अनुसूचित परिचालनों के लिए उपलब्ध किसी भी हवाई अड्डे के लिए परिचालन करने के लिए स्वतन्त्र हैं। ये निजी क्षेत्र की कम्पनियां हैं और ऐसी सम्भावना है कि वे अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर हवाई टैक्सी सेवाओं का परिचालन करेंगे।

आन्ध्र प्रदेश में डाकघरों का दर्जा बढ़ाना

7150. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय आन्ध्र प्रदेश में श्रेणीवार कितने डाकघर हैं;

(ख) क्या सरकार का इन डाकघरों का दर्जा बढ़ाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) आन्ध्र प्रदेश में उपलब्ध डाकघरों की श्रेणीवार संख्या नीचे दी गई है :—

प्रधान डाकघर	:	104
विभागीय उप-डाकघर	:	2390
अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघर	:	62
अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	:	13665

(ख) जी, नहीं। सिवाय उस हद तक जिसका कि (ग) में उल्लेख है।

(ग) अमालपुरम् डिवीजन के लक्कावरम् अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाकर विभागीय डाकघर बनाने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

इंडियन एयरलाइन्स के पायलटों द्वारा त्यागपत्र

7151. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वर्ष 1991 में कितने पायलटों को पद त्यागने की अनुमति प्रदान की गई और इसके क्या करण हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार पायलटों की सेवा शर्तों को और आधक आकर्षक बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) वर्ष 1991 में, इंडियन एयरलाइन्स के दो विमान चालकों ने त्यागपत्र दिए थे, एक ने व्यक्तिगत करणों से तथा दूसरे ने एयर इंडिया में कार्यभार ग्रहण करने के लिए।

(ख) से (घ) 2 विमान चालकों की सेवा शर्तें, समय-समय पर विमान चालक संघ तथा इंडियन एयरलाइन्स के प्रबन्धकों के बीच बातचीत द्वारा तय होती हैं।

भूमिगत जल कोटर

7152. श्री ए० प्रताप सिंह :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जल के अन्तर्वाह को मापने के लिए भूमिगत जल कोटरों का पता लगाने के लिए कोई नई विधि विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनसे प्रतिदिन कुल कितना पानी निकाला जाता है और सुरक्षा की दृष्टि से खनन कार्य के लिए इस समय कौन-सी नई विधियां अपनाई गई हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) खानों से प्रतिदिन निकलने वाला पानी संस्तर की भू-वैज्ञानिक स्थितियों के अनुसार हर खान में अलग-अलग होता है। धातु और कोयला खानों में सतही पानी और भूमिगत बाढ़ के खतरे के बारे में अपनाई जाने वाली सावधानियां धातु खान विनियमन, 1961 के विनियम 127 और 128 तथा कोयला खानों के लिए कोयला खान विनियमन, 1957 के विनियमन 126 और 127 में निर्धारित की गई हैं।

पश्चिम बंगाल में मैक्स उपकरण हेतु लाइसेंस

7153. डा० प्रसोम बाबा :

श्री वसुदेव आचार्य :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साल्ट लेक में मैक्स उपकरणों के उत्पादन हेतु औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत करने हेतु केन्द्रीय सरकार को कोई अनुरोध प्राप्त हुआ था;

(ख) क्या यह सच है कि उनका मंत्रालय इसमें आई० टी० आई० की भागीदारी की शर्त के साथ लाइसेंस देने के लिए सहमत हो गया था;

(ग) क्या इस परियोजना को इस बीच आई० टी० आई० के बंगलोर एकक में स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

(घ) यदि हां, तो "बेवेल" नामक राज्य सरकार के उपक्रम द्वारा पश्चिम बंगाल में 10 (दस) हजार लाइन मैक्स की स्थापना करने हेतु किए गए अनुरोध को भी स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत, मैक्स सहित सभी प्रकार के स्विचन उपस्कर बनाने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है । तदनुसार, मैसर्स वेवल, भारत सरकार से कोई औद्योगिक लाइसेंस लिए बगैर मैक्स के उत्पादन के लिए कारखाना स्थापित कर सकते हैं ।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में डाक विभाग में भ्रष्टाचार

[हिन्दी]

7154. श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली डिवीजन के डाक विभाग में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है या किये जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान दिल्ली डाक सर्किल के बारे में निम्नलिखित संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं :—

1987-88	:	दो	
1988-89	:	ग्यारह	(2 गुमनाम)
1989-90	:	बारह	(4 गुमनाम)
1990-91	:	तेरह	(7 गुमनाम)
1991-92	:	पांच	(2 गुमनाम)

(ग) सर्किल द्वारा प्राप्त सभी शिकायतों की उपयुक्त स्तर पर जांच करवाई गई। तेरह मामलों में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की गई है। अन्य 30 शिकायतों, जिनमें लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हो सके, या वो गुमनाम शिकायतें थीं, उन्हें जांच-पड़ताल के बाद फाइल कर दिया गया।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में गैर-सरकारी साझेदारी

[अनुवाद]

7165. श्री मृत्युंजय नायक :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक-पूंजी बाजार लिमिटेड (एस० बी० आई० सी० ए० पी०) को अप्रवासी भारतीयों द्वारा पूंजी निवेश करके इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में गैर-सरकारी साझेदारी करने की सम्भावनाओं का पता लगाने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को एस० बी० आई० सी० ए० पी० से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के बर्नपुर इस्पात कारखाने के आधुनिकीकरण के लिए मंत्रालय के प्रस्ताव को अनुमोदित करते समय मूल्यांकन एजेंसियों और सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने मंत्रालय को निदेश दिया था कि वह इस्को/इस्को की आधुनिकीकरण परियोजना में निजी भागीदारी की सम्भावनाओं का पूरी तरह से पता लगाए। तदनुसार, स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने एस० बी० आई०—कैप को निजी भागीदारी (अनिवासी भारतीयों और विदेशियों सहित भारतीयों को भागीदारी) की सम्भावनाओं का पता लगाने तथा इस विषय पर "सेल" को सलाह देने का कार्य सौंपा है।

(ख) और (ग) एस० बी० आई०—कैप की रिपोर्ट अभी सेल को प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) रिपोर्ट प्राप्त होने और उसकी जांच करने के बाद विचारार्थ और अन्तिम निर्णय लेने के लिए उपयुक्त सिफारिशें तैयार की जाएंगी।

दिल्ली में आई० टी० डी० सी० के होटलों को लाभ/घाटा

[हिन्दी]

7186. श्री मुमताज अंसारी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में लाभ/घाटे में चलने वाले आई० टी० डी सी० के होटलों और रेस्टोरेंटों के नाम क्या है; और

(ख) इनमें घाटे के क्या कारण हैं तथा सरकार इस स्थिति से उभरने के लिए क्या उपाय कर रही है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) खाड़ी युद्ध और इसके दुष्परिणाम, देश के कुछ भागों में आंतरिक गड़बड़ी, आदि हानि के कुछ प्रमुख कारण हैं।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा अपने होटलों के वित्तीय निष्पादन में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों में अन्य कदमों के साथ-साथ ये भी शामिल हैं—उत्पाद में सुधार, खर्चे पर नियंत्रण, स्वदेशी पर्यटन का संवर्धन करने के लिए विशेष एक-मुश्त यात्राएं, छूट के जरिए प्रोत्साहन और विपणन तथा आरक्षण समझौते आदि।

विवरण

(लाख रुपये में)
निवल लाभ/हानि)

	1989-90	1990-91	(फरवरी, 1991-92 तक) (अनन्तिम)
1	2	3	4
1. अशोक होटल, नई दिल्ली	233.30	(—) 40.36	(—) 104.03
2. सम्राट होटल, नई दिल्ली	(—) 101.95	(—) 235.23	(—) 224.68
3. कुतुब होटल, नई दिल्ली	30.41	28.30	(—) 12.51
4. होटल कनिष्क, नई दिल्ली	135.35	(—) 21.97	(—) 47.58
5. जनपथ होटल, नई दिल्ली	53.85	10.42	(—) 77.10
6. मोधी होटल, नई दिल्ली	34.79	(—) 13.26	4.77
7. रजपीत होटल, नई दिल्ली	(—) 27.67	(—) 58.47	(—) 52.81

1	2	3	4
8. अशोक यात्री निवास, नई दिल्ली	124.23	90.88	68.77
9. इंदिरा गांधी एअरपोर्ट रेस्तरां, दिल्ली	(—) 20.89	(—) 24.87	(—) 5.11
10. विज्ञान भवन, नई दिल्ली	0.54	(—) 21.04	(—) 18.37
11. वेस्टर्न कोर्ट, नई दिल्ली	(—) 1.05	(—) 2.97	(—) 2.15

विद्युत उत्पादन

[अनुवाद]

7157. श्री माणिक राव होल्डया गावीत :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने विद्युत उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने हेतु कुछ उपाय अपनाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अपनाए गए तथा अपनाए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पिछड़े क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विकास

7158. श्री सुधीर सावन्त :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास हेतु दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करने हेतु सहकारी समितियों; महिलाओं और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को कोई विशेष सहायता प्रदान की गई;

(ग) क्या ऐसे एककों को जो अपने उत्पादों का निर्यात करते हैं, सामग्री को पैकिंग करने हेतु भी कोई तकनीकी सहायता दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चिरिवेल्ला पेद्दीरेड्डी) : (क) आवश्यक सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) इस मंत्रालय द्वारा वर्ष 1991-92 के लिए तैयार की गई योजना स्कीमों के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए विशेष प्रकार की पैकिंग सामग्री और तकनीक विकसित करने के लिए सहायता दी जाती है।

विवरण

1. असम पशुधन एवं पाल्ट्री विकास निगम को सूअर मांस प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के लिए 100 लाख रुपये की सहायता इक्विटी लेवर के रूप में, पाल्ट्री प्रसंस्करण संयंत्र के लिए 62.5 लाख रुपये इक्विटी के रूप में और 25 लाख रुपये ऋण के रूप में और एकीकृत भेड़ और बकरी मांस प्रसंस्करण संयंत्र के लिए 40 लाख रुपये अनुदान सहायता और 50 लाख रुपये इक्विटी लेवर के रूप में।

2. उड़ीसा के कोरापुट जिले में चट्टीलोना फल प्रसंस्करण यूनिट के पुनरुद्धार और विस्तार के लिए उड़ीसा कृषि उद्योग निगम को 24.35 लाख रुपये की अनुदान सहायता का भुगतान।

3. लक्षद्वीप के प्रशासक को सूखे नारियल पाउडर और नारियल दूध परियोजना की स्थापना के लिए 69.91 लाख रुपये की अनुदान सहायता।

4. गुजरात कृषि उद्योग निगम अहमदाबाद को गान्धिधी और जूनागढ़ में स्थापित फल प्रसंस्करण यूनिटों में भंडारण सुविधाएं स्थापित/बढ़ाने के लिए 6 लाख रुपये की अनुदान सहायता इक्विटी के रूप में।

5. मिजोरम खाद्य उद्योग निगम लिमिटेड को साइरंग में खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र और छिनविप में फल एवं सब्जी प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना के लिए इक्विटी के रूप में 70 लाख रुपये की अनुदान सहायता।

6. उड़ीसा कृषि उद्योग निगम को क्योंझर जिले में संयुक्त सेक्टर में टमाटर और आम प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना के लिए इक्विटी के रूप में 10 लाख रुपये की अनुदान सहायता।

7. विधानचन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जिला नादिया, पश्चिम बंगाल को कल्याणी/कूचविहार में सब्जी की खेती के लिए बुनियादी सुविधाओं की स्थापना हेतु 20 लाख रुपये की अनुदान सहायता।

राउरकेला इस्पात संयंत्र की धमन भट्टी को हुई क्षति

7159. कुमारी फ्रिडा तोपनो :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र की धमन भट्टी अतिग्रस्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है;

(क) क्या कोई धमन भट्ठी की स्थापना का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शान्तोष मोहन देव) : (क) 6 जून, 1991 को राउरकेला इस्पात संयंत्र में धमन भट्ठी नं० 4 में एक हार्थ खराब हो गया। तदोपरान्त 10 जून, 1991 से यह प्रचालनरत हो गया।

(ख) मैसर्स मेटलर्जिकल एण्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (इंडिया) लि० (मेकन) जिसे उक्त कारणों का पता लगाने का कार्य सौंपा गया था, ने अपनी रिपोर्ट में हार्थ के खराब हो जाने का कारण रूपांकन दोष बताया है और अपने उपचारात्मक उपायों का सुझाव दिया है। चूंकि हार्थ में खराबी विगत रूपांकन दोषों के कारण हुई थी, अतः किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राउरकेला इस्पात संयंत्र में पहले ही चार धमन भट्ठियां हैं। तथापि राउरकेला इस्पात संयंत्र नौवीं अथवा दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान दीर्घावधिक नीति के रूप में पांचवीं धमन भट्ठी स्थापित करने पर विचार कर रहा है।

आकाशवाणी केन्द्र

7160. श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :

श्री चेतन पी० एस० चौहान :

श्री नरेश कुमार बालियान :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने आकाशवाणी केन्द्र हैं, उनकी क्षमता किसकी-कितनी है तथा ये कहां-कहां हैं;

(ख) कितने आकाशवाणी केन्द्र स्वयं अपने कार्यक्रम बनाते हैं; और

(ग) आठवीं योजनावधि के दौरान कितने केन्द्र स्थापित करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) देश में 128 आकाशवाणी केन्द्र हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) अलेप्पी और अजमेर के रिले केन्द्रों को छोड़कर, सभी आकाशवाणी केन्द्र अपने कार्यक्रम स्वयं तैयार करते हैं और उन्हें प्रसारित करते हैं।

(ग) आकाशवाणी की आठवीं योजना का अभी अनुमोदन किया जाना है। तथापि, आठवीं योजना में उचित स्थानों पर स्टूडियो सहित 8 प्रसारण केन्द्र लगाने का प्रस्ताव है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य तथा स्थान	ट्रांसमीटरों की शक्ति	राज्य में आकाशवाणी केन्द्रों की संख्या
1	2	3	4
	आन्ध्र प्रदेश		10
1.	हैदराबाद	50 कि० वा० मी० वे० 10 कि० वा० मी० वे० 10 कि० वा० मी० वे० 1 कि० वा० मी० वे० 2×3 कि० वा० एफ० एम०	
2.	आदिलाबाद	1 कि० वा० मी० वे०	
3.	विजयवाडा	100 कि० वा० मी० वे० 1 कि० वा० मी० वे०	
4.	विशाखापत्तनम	100 कि० वा० मी वे०	
5.	कुडप्पा	100 कि० वा० मी० वे०	
6.	कोटागुडुम	2×3 कि० वा० एफ० एम०	
7.	वारंगल	2×5 कि० वा० एफ० एम०	
8.	निजामाबाद	2×3 कि० वा० एफ० एम०	
8.	तिरूपति	3 कि० वा० एफ० एम० (अन्तरिम व्यवस्था)	
10.	अनन्तपुर	2×3 कि० वा० एफ० एम०	
	अरुणाचल प्रदेश		4
11.	पासीघाट	10 कि० वा० मी० वे० (चल ट्रांसमीटर)	
12.	तवांग	10 कि० वा० मी० वे० (चल ट्रांसमीटर)	
13.	तेजू	10 कि० वा० मी० वे० (चल ट्रांसमीटर)	
14.	ईटानगर	1 कि० वा० मी० वे० (अन्तरिम व्यवस्था)	

1	2	3	4
	असम		
15.	गुवाहाटी	50 कि० वा० मी० वे० 10 कि० वा० मी० वे० 50 कि० वा० ला० वे० 10 कि० वा० ला० वे०	4
16.	सिल्चर	10 कि० वा० मी० वे०	
17.	डिब्रूगढ़	300 कि० वा० मी० वे०	
18.	जोरहाट	5 कि० वा० एफ० एम० (अन्तरिम व्यवस्था)	
	बिहार		6
19.	पटना	100 कि० वा० मी० वे० 1 कि० वा० मी० वे० 3 कि० वा० एफ० एम०	
20.	रांची	100 कि० वा० मी० वे० 1 कि० वा० मी० वे० 2 कि० वा० ला० वे०	
21.	भागलपुर	10 कि० वा० मी० वे०	
22.	दरभंगा	10 कि० वा० मी० वे०	
23.	जमशेदपुर	1 कि० वा० मी० वे०	
24.	ससाराम	2 × 3 कि० वा० एफ० एम०	
	गोवा		1
25.	पणजी	10 कि० वा० मी० वे० 5 कि० वा० मी० वे०	
	गुजरात		6
26.	अहमदाबाद	200 कि० वा० मी० वे० 1 कि० वा० मी० वे०	
27.	वडोदरा	1 कि० वा० मी० वे०	
28.	भुज	10 कि० वा० मी० वे०	

1	2	3	4
29.	राजकोट	300 कि० वा० मी वे० 1 कि० वा० मी० वे०	
30.	गोधरा	2×3 कि० वा० एफ० एम०	
31.	सूरत	2×3 कि० वा० एफ० एम०	
	हरियाणा		2
32.	रोहतक	20 कि० वा० मी० वे०	
33.	कुरुक्षेत्र	2×3 कि० वा० एफ० एम०	
	हिमाचल प्रदेश		1
34.	शिमला	100 कि० वा० मी० वे० 2.5 कि० वा० ग्रा० वे०	
	जम्मू और कश्मीर		4
35.	श्रीनगर	200 कि० वा० मी० वे० 50 कि० वा० ग्रा० वे० 1 कि० वा० मी० वे० (2)	
36.	जम्मू	300 कि० वा० मी० वे० 1 कि० वा० मी० वे० 1 कि० वा० ग्रा० वे०	
37.	लेह	10 कि० वा० मी० वे० 10 कि० वा० ग्रा० वे०	
38.	कच्छ	2×3 कि० वा० एफ० एम०	
	कर्नाटक		8
39.	बंगलौर	200 कि० वा० मी० वे० 1 कि० वा० मी० वे०	
40.	भद्रावती	20 कि० वा० मी० वे०	
41.	धारवाड	200 कि० वा० मी० वे० 1 कि० वा० मी० वे०	
42.	गुलबर्गा	10 कि० वा० मी० वे०	
43.	मंगलौर/उडीपी	20 कि० वा० मी० वे० (उडीपी) 1 कि० वा० मी० वे० (मंगलौर)	

1	2	3	4
44.	मैसूर	1 कि० वा० मी० वे०	
45.	चित्रदुर्ग	2×3 कि० वा० एफ० एम०	
46.	हसन	2×3 कि० वा० एफ० एम०	
	केरल		6
47.	अलेप्पी	100 कि० वा० मी० वे० (रिले केंद्र)	
48.	कालीकट	10 कि० वा० मी० वे० 1 कि० वा० मी० वे०	
49.	त्रिचूर	20 कि० वा० मी० वे०	
50.	त्रिवेन्द्रम	10 कि० वा० मी० वे० 1 कि० वा० मी० वे०	
51.	कोचीन	2×3 कि० वा० एफ० एम०	
52.	कन्नौर	2×3 कि० वा० एफ० एम०	
	मध्य प्रदेश		14
53.	अम्बिकापुर	20 कि० वा० मी० वे०	
54.	भोपाल	10 कि० वा० मी० वे० 1 कि० वा० मी० वे० (2)	
55.	छतरपुर	20 कि० वा० मी० वे०	
56.	ग्वालियर	10 कि० वा० मी० वे०	
57.	इन्दौर	100 कि० वा० मी० वे० 1 कि० वा० मी० वे० 3 कि० वा० एफ० एम०	
58.	जबलपुर	2×100 कि० वा० मी० वे०	
59.	जगदलपुर	20 कि० वा० मी० वे०	
60.	रायपुर	100 कि० वा० मी० वे०	
61.	रीवा	20 कि० वा० मी० वे०	
62.	खण्डवा	2×3 कि० वा० एफ० एम०	
63.	बिलासपुर	2×3 कि० वा० एफ० एम०	

1	2	3	4
64.	बैतुल	2×3 कि० वा० एफ० एम०	
65.	शिवपुरी	2×3 कि० वा० एफ० एम०	
66.	छिंदवाड़ा	2×3 कि० वा० एफ० एम०	
	महाराष्ट्र		12
67.	औरंगाबाद	1 कि० वा० मी० वे०	
68.	बम्बई	100 कि० वा० मी० वे० (2) 50 कि० वा० मी० वे० 10 कि० वा० मी० वे० 3 कि० वा० एफ० एम०	
69.	जलगांव	20 कि० वा० मी० वे०	
70.	नागपुर	1000 कि० वा० मी० वे० (राष्ट्रीय चैनल) 100 कि० वा० मी० वे० 1 कि० वा० मी० वे० 2×3 कि० वा० एफ० एम०	
71.	परभणी	10 कि० वा० मी० वे०	
72.	पुणे	100 कि० वा० मी० वे० 1 कि० वा० मी० वे०	
73.	रत्नागिरि	20 कि० वा० मी० वे०	
74.	सांगली	20 कि० वा० मी० वे०	
75.	सोलापुर	1 कि० वा० मी० वे०	
76.	बीड	2×3 कि० वा० एफ० एम०	
77.	अहमदनगर	2×3 कि० वा० एफ० एम०	
78.	नांदेड	2×3 कि० वा० एफ० एम०	
	मणिपुर		
79.	इम्फाल	50 कि० वा० मी० वे०	
	मेघालय		2
80.	शिलांग	100 कि० वा० मी० वे० 50 कि० वा० मी० वे०	

1	2	3	4
81.	तुरा	20 कि० वा० मी० बे०	
	मिजोरम		1
82.	ऐजवाल	20 कि० वा० मी० बे० 10 कि० वा० शा० बे०	
	नागालैंड		1
83.	कोहिमा	50 कि० वा० मी० बे० 2 कि० वा० शा० बे०	
	उड़ीसा		5
84.	कटक	100 कि० वा० मी० बे० 1 कि० वा० मी० बे०	
85.	जैपोर	20 कि० वा० मी० बे०	
86.	सम्बलपुर	20 कि० वा० मी० बे०	
87.	क्योंझर	1 कि० वा० मी० बे०	
88.	बारीपाडा	2 × 3 कि० वा० एफ० एम०	
	पंजाब		2
89.	जालंधर	300 कि० वा० मी० बे० 100 कि० वा० मी० बे० 1 कि० वा० मी० बे०	
90.	भटिंडा	2 × 3 कि० वा० एफ० एम०	
	राजस्थान		12
91.	जयपुर	1 कि० वा० मी० बे० (2)	
92.	कोटा	1 कि० वा० मी० बे०	
93.	अजमेर	200 कि० वा० मी० बे० (रिले सेंटर)	
94.	बिकानेर	10 कि० वा० मी० बे०	
95.	उदयपुर	10 कि० वा० मी० बे०	
96.	जोधपुर	100 कि० वा० मी० बे० 1 कि० वा० मी० बे०	

1	2	3	4
97.	सूरतगढ़	300 कि० वा० मी० वे०	
98.	अलवर	2 x 3 कि० वा० एफ० एम०	
99.	नागौर	2 x 3 कि० वा० एफ० एम०	
100.	बंसवाड़ा	2 x 3 कि० वा० एफ० एम०	
101.	चित्तौड़गढ़	2 x 3 कि० वा० एफ० एम०	
102.	बाड़मेर	2 x 10 कि० वा मी० वे०	
	सिक्किम		
103.	गंगटोक	10 कि० वा० मी० वे० (अन्तरिम व्यवस्था)	
	तमिलनाडु		
104.	कोयम्बतूर	10 कि० वा० मी० वे०	
105.	मद्रास	200 कि० वा० मी० वे० 10 कि० वा० शा० वे० 1 कि० वा० मी० वे० 2.5 कि० वा० मी० वे० 3 कि० वा० एफ० एम०	
106.	मदुराई	10 कि० वा० मी० वे०	
107.	तिरुचिरापल्ली	100 कि० वा० मी० वे० 1 कि० वा० मी० वे०	
108.	तिरुनेलवेली	10 कि० वा० मी० वे०	
109.	नागरकोइल	1 कि० वा० मी० वे०	
	त्रिपुरा		
110.	अगरतला	20 कि० वा० मी० वे०	
	उत्तर प्रदेश		
111.	लखनऊ	200 कि० वा० मी० वे० 10 कि० वा० शा० वेज 1 कि० वा० मी० व०	
112.	अल्मोड़ा	1 कि० वा० मी०वे०	

1		3	4
113.	इलाहाबाद	1 कि० वा० मी वे० (2)	
114.	वाराणसी	100 कि० वा० मी० वे०	
115.	रामपुर	10 कि० वा० मी० वे०	
116.	कानपुर	1 कि० वा० मी० वे०	
117.	मथुरा	1 कि० वा० मी० वे०	
118.	गोरखपुर	100 कि० वा० मी० वे०	
119.	नजीबाबाद	100 कि० वा० मी० वे०	
120.	आगरा	10 कि० वा० मी० वे०	
	पश्चिम बंगाल		4
121.	कलकत्ता	100 कि० वा० मी० वे० 50 कि० वा० मी० वे० 20 कि० वा० मी० वे० 10 कि० वा० शा० वे० 10 कि० वा० मी० वे० 3 कि० वा० एफ० एम०	
122.	कुर्सियांग	20 कि० वा० शा० वे०	
123.	सिलीगुड़ी	200 कि० वा० मी० वे०	
124.	मुर्शिदाबाद	2×3 कि० वा० एफ० एम०	
	संघ शासित क्षेत्र		4
125.	पोर्ट ब्लेअर (अंडमान और निकोबार)	20 कि० वा० मी० वे० 10 कि० वा० शा० वे०	
126.	चण्डीगढ़	1 कि० वा० मी० वे०	
127.	दिल्ली	2×100 कि० वा० मी० वे० 100 कि० वा० मी० वे० 10 कि० वा० मी० वे० (2) 10 कि० वा शा० वे० 2×3 कि० वा० एफ० एम०	
128.	पांडिचेरी	1 कि० वा० मी० वे०	

बिहार में दामोदर घाटी निगम का विस्तार

[हिन्दी]

7161. श्री सुरज मण्डल :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में दामोदर घाटी निगम का विस्तार का दूसरा कार्य करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) बिहार में विस्तार का दूसरा कार्य कब किए जाने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों को उपयोग में लाना

[अनुवाद]

7162. डा० अमृतलाल कालीदास पटेल :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों को उपयोग में लाने हेतु उठाए गए कदमों का राज्यवार ब्योरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार जिला मुख्यालयों पर एक प्रदर्शन केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) देश में विभिन्न प्रकार के अपारम्पारिक ऊर्जा स्रोतों और प्रणालियों के विकास और उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए अनुसंधान, विकास, प्रदर्शन और प्रचार-प्रसार का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया है। अपारम्पारिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन के लिए कार्यक्रम स्वायत्त संस्थाओं और अनुसंधान संगठनों के अलावा राज्य सरकारों और कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे हैं। विभिन्न प्रणालियों और युक्तियों के निर्माण, स्थापना और अनुरक्षण के लिए विभिन्न राज्यों में स्थित सार्वजनिक और साथ ही निजी क्षेत्र में देशव्यापी अवसंरचना का विकास किया गया है।

बायोगैस, उन्नत चूल्हा, सौर तापीय ऊर्जा प्रणालियों और सौर कुकरों जैसे नये एवं अक्षय ऊर्जा स्रोत विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों और नोडल कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ परामर्श करके राज्यवार वास्तविक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन संबंधित कार्यक्रमों की प्रशासनिक मंजूरी में दिये गये दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों/

कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किया जाता है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां और युक्तियां, ऊर्जाग्राम, बायोमास गैसीफायर/स्टर्लिंग इंजिन प्रदर्शन आधार पर शुरू किए जाते हैं। पवन और जल विद्युत ऊर्जा सम्भाव्यता पर निर्भर करते हुए विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त स्थानों पर पवन फार्म और मिनी/माइक्रो जल विद्युत संयंत्र शुरू किए जाते हैं।

अक्षय ऊर्जा प्रणालियों और युक्तियों के दोहन और इस्तेमाल के लिए विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में उपयोगकर्ताओं और निर्माताओं को वित्तीय सहायता, उदार शर्तों पर ऋण और मूल्य-ह्रास भत्ते के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन और बिक्री कर, उत्पाद शुल्क तथा सीमा कर में राहत जैसे प्रोत्साहन दिए जाते हैं। विभिन्न राज्य सरकारों और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा विकेन्द्रीकृत आधार पर प्रचार-प्रसार प्रयासों के अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क द्वारा प्रचार और जनजागृति अभियान शुरू किए गए हैं।

(ख) और (घ) जी, नहीं। जिला मुख्यालयों में व्यापारिक ऊर्जा स्रोतों के बारे में प्रदर्शन केन्द्र स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मध्य प्रदेश में अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं के लिए सहायता

7163. श्री अरविन्द नेताम :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अनेक अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता देने का कोई कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार धन की कमी को देखते हुए विशेष मामले के रूप में मध्य प्रदेश की राज्य सरकार को इस प्रकार की सहायता देने पर विचार करेगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं सहित राष्ट्रीय महत्व की कुछ परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के बारे में विचार किया गया है। बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता विद्यमान दिशा-निर्देशों के अनुसार उलब्ध कराई जा रही है।

कलकत्ता टेलीफोन्स के अधीन नये टेलीफोन एक्सचेंज

7164. श्री रूपचन्द्र पाल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कलकता टेलीफोन्स के हावड़ा क्षेत्र के अधीन हुगली जिले में नये आधुनिक टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां।

(ख) कलकत्ता टेलीफोन के हावड़ा क्षेत्र के अन्तर्गत हुगली जिले में 5 टेलीफोन एक्सचेंज

अर्थात चन्द्रनगर, चिनसुराह, त्रिवेणी, उत्तरपाड़ा और श्रीरामपुर काम कर रहे हैं :—

(i) चन्द्रनगर में एक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज (आर० एल० यू०) पहले से ही काम कर रहा है।

(ii) 1992-93 के दौरान चिनसुराह तथा त्रिवेणी स्थित वर्तमान एक्सचेंजों के स्थान पर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाए जाने का योजना है।

(iii) उत्तरपाड़ा और श्रीरामपुर टेलीफोन एक्सचेंजों के स्थान पर भी इन एक्सचेंजों का कार्य-काल समाप्त होने पर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित किया जाएगा।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह की लघु सिंचाई परियोजनाएं

7165. श्री मनोरंजन भक्त

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अण्डमान निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने हेतु लघु सिंचाई परियोजनाओं के बारे में कोई अध्ययन कराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय जल आयोग ने उत्तरी, मध्य, दक्षिणी और लिटिल अण्डमान एवं ग्रेट निकोबार द्वीप समूहों में अन्वेषण किए हैं। उत्तरी अण्डमान में डिजलिपुर एवं कलारा स्कीमों तथा मध्य अण्डमान द्वीप समूहों में रानगाट के लिए सिफारिशों के अलावा, लिटिल अण्डमान और ग्रेट निकोबार द्वीप समूहों में दो-दो लघु सिंचाई स्कीमें तैयार की गई हैं। इसके बाद मध्य अण्डमान में कोरांगनाला लघु सिंचाई स्कीम को अन्तिम रूप दिया गया है। लिटिल अण्डमान में दो स्कीमें कार्यान्वयन के लिए शुरू की गई हैं और इनके वर्ष 1992 तथा 1994 में पूरा होने की सम्भावना है। ग्रेट निकोबार में भ्रम बहादुर नाला और स्वरूप नाला लघु सिंचाई स्कीमों तथा मध्य अण्डमान में कोरांग स्कीम को केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया गया है।

दक्षिण क्षेत्र में गैस आधारित परियोजनाओं का विकास

7166. श्री गंगाधरा सानीपल्ली :

क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दक्षिण क्षेत्र में विशेषकर आंध्र प्रदेश में गैस आधारित परियोजनाओं का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऊर्जा के इस संभावित स्रोत के दोहन के लिए कोई योजना बनाई गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश सहित दक्षिणी क्षेत्र में कावेरी एवं कृष्णा-गोदावरी बेसिन की गैस पर

आधारित स्वीकृत विद्युत परियोजनाओं और प्रतिष्ठापित किए जाने हेतु प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

क्र० सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मे० वा०)	
(क)	स्वीकृत परियोजनाएं		
1.	नरीमन गैस टर्बाइन (तमिलनाडु का जिला तंजावूर)	25 × 5 = 10	
2.	विजेश्वरम संयुक्त साइकिल गैस टर्बाइन (आंध्र प्रदेश का पश्चिमी गोदावरी जिला)	3 × 33 = 99	
3.	कड़ाईकल संयुक्त साइकिल गैस टर्बाइन (पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र)	3 × 5 + 1 × 7.5 = 22.5	
(ख)	प्रस्तावित स्कीमें		
1.	पिल्लईपेरूमलनल्लूर संयुक्त साइकिल गैस टर्बाइन (चरण-1) (तमिलनाडु का तंजावूर जिला)	300	परियोजना प्राधिकारियों द्वारा गैस लिंकेज, जल की उपलब्धता, पर्यावरणीय स्वीकृति आदि जैसे निवेश सुनिश्चित किए जाने के बाद ही इन स्कीमों के संबंध में आगे कार्यवाही की जा सकती है।
2.	गोदावरी में संयुक्त साइकिल गैस टर्बाइन (आंध्र प्रदेश का पूर्वी गोदावरी जिला)	400	
3.	जेगुरुपाडु में संयुक्त साइकिल गैस टर्बाइन (आंध्र प्रदेश का पूर्वी गोदावरी जिला)	400	
4.	पिल्लईपेरूमलनल्लूर संयुक्त साइकिल गैस टर्बाइन (चरण-2) (तमिलनाडु का तंजावूर जिला)	300	

हरियाणा और गुजरात में पर्यटन को प्रोत्साहन

7167. श्री अवतार सिंह भडाना :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यटन स्थल के रूप में विकास करने हेतु हरियाणा और गुजरात में किन-किन स्थानों का चयन किया गया है; और

(ख) इन पर्यटन स्थलों के विकास कार्य में अब तक कितन प्रगति हुई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम ने पिछले तीन वर्षों के दौरान हरियाणा और गुजरात में पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु किसी भी स्थान का चयन नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में विद्युत उत्पादन हेतु टाटा की कम्पनी

7168. श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा ने केरल में विद्युत उत्पादन परियोजनाएं लगाने हेतु संयुक्त क्षेत्र में एक कम्पनी स्थापित करने की पेशकश की है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) सरकार को इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सतलुज-यमुना सम्पर्क नहर

7169. राव राम सिंह :

श्री शरद विघे :

श्री एस० एन० बेकारिया :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के सीमा क्षेत्र में सतलुज-यमुना सम्पर्क नहर की कुल कितनी लम्बाई है और अब तक इसका कितना भाग पूरा कर लिया गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सरकार से इसके शीघ्र पूरा कराने के लिए कहा है जिसका निर्माण राजनैतिक अस्थिरता के कारण काफी लम्बे समय से लम्बित पड़ा है;

(ग) क्या सरकार ने इस परियोजना को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना के कब तक पूरा होने की सम्भावना है जिससे कि दक्षिणी हरियाणा के लोगों को इसका लाभ मिल सके; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) पंजाब से होकर बहने वाली सतलुज-यमुना सम्पर्क नहर 121 कि० मी० लम्बी है। इस परियोजना के मुख्य इंजीनियर तथा अधीक्षक इंजीनियर के मारे जाने के बाद जब निर्माण कार्य बन्द हुआ तब जुलाई, 1990 तक लगभग 97% मिट्टी कार्य 95% पक्का करने सम्बन्धी कार्य और 86% संरचनाओं का कार्य पूरा हुआ था।

(ख) पंजाब सरकार को पहले ही यह सलाह दी गई है कि वह इस कार्य पर उपयुक्त अभिकरण/अभिकरणों को लगाये ताकि शेष निर्माण कार्य पूरा किया जा सके। जल संसाधन मंत्री ने

हाल ही में पंजाब के मुख्य मंत्री को लिखा है जिसमें उनसे यह कार्य पुनः शुरू करने के लिए अपेक्षित सभी आवश्यक कदम शीघ्र उठाने का अनुरोध किया गया है।

(ग) से (ङ) इस परियोजना को पूरा करने का समय, पंजाब सरकार द्वारा इस कार्य पर लगाए जाने वाले नये अभिकरण/अभिकरणों के स्वरूप और क्षमता पर निर्भर करेगा।

आठवीं योजना के दौरान सौर विद्युत

7170. श्री एम० आर० कावम्बूर जनार्दनन :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सौर विद्युत पर किन-किन नये प्रस्तावों पर विचार किया जाना है;

(ख) इस हेतु कितनी धनराशि का आबंटन किया जाना है; और

(ग) उसके लिए यदि कोई लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं तो वे क्या हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वित किये जाने वाले कार्यक्रमों, प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्यों और इस प्रयोजन के लिए नियत निधियों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

पाकिस्तान और चीन के साथ चलचित्रों का आदान-प्रदान

[हिन्दी]

7171. श्री सूर्यनारायण यादव :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान और चीन के साथ चलचित्रों का पारस्परिक आदान-प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में कोई निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) पाकिस्तान के साथ फिल्मों का आदान-प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। भारत, सीमित स्तर पर चीन को फिल्मों का निर्यात करता है और चीन से फिल्मों का आयात भी करता है। भारत और चीन एक दूसरे के देश में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में नियमित रूप से भाग लेते हैं। अक्तूबर-नवम्बर, 1990 के दौरान नई दिल्ली और बम्बई में चीनी फिल्म सप्ताह आयोजित किया गया था। हाल ही में चीन में 30 मार्च से 10 अप्रैल, 1992 तक राजकपूर की फिल्मों का सिंहावलोकन आयोजित किया गया था। तथापि, पाकिस्तान में न तो भारतीय फिल्म सप्ताह आयोजित किया गया है और न ही गत तीन वर्षों में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में पाकिस्तान की फिल्मों ने शिरकत की है।

(ग) यद्यपि; चीन के साथ फिल्म व्यापार बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं। किन्तु पाकिस्तान के साथ इसकी शुरुआत नहीं हो रही है क्योंकि पाकिस्तान भारतीय फिल्मों के आयात को बढ़ावा नहीं देता। तथापि, भारत में पाकिस्तानी फिल्मों के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

महाराष्ट्र में टेलीफोन एक्सचेंजों को इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलना

[अनुवाद]

7172. श्री शंकरबाबू दे० काले :

श्री विलासराव नागनाथराव मुंडेबाद :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में इस समय एस०टी०डी० सुविधायुक्त टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है और उनमें इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार बाकी टेलीफोन एक्सचेंजों को वर्ष 1992-93 के दौरान इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पो०वी० रंगय्या नायडू) : (क) महाराष्ट्र में इस समय एस०टी०डी० सुविधायुक्त टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

इनमें से 140 एक्सचेंज इलेक्ट्रानिक हैं।

(ख) से (घ) 1992-93 के दौरान 24 टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने का प्रस्ताव है, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

शेष एक्सचेंजों को बदलने का कार्यक्रम मसौदा 8वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों पर आधारित होगा जिनमें मियाद समाप्त अन्य एक्सचेंजों के अतिरिक्त मैनुअल एक्सचेंजों, इलैक्ट्रो-मैकेनिकल मैक्स-III और मैक्स-II (लाइन फीडर प्रकार के) को बदलना शामिल है।

विवरण-I

1-4-92 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में एस०टी०डी०
सुविधायुक्त टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा :

जिलों का नाम	एस०टी०डी० सुविधायुक्त टेलीफोन एक्सचेंज की कुल संख्या	एस०टी०डी० सुविधायुक्त इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज की संख्या
1	2	3
अहमद नगर	6	1
अकोला	6	4

1	2	3
अमरावती	6	4
औरंगाबाद	4	2
बीड	1	—
भंडारा	3	1
बम्बई	78	42
बुलढाना	3	1
चन्द्रपुर	2	—
धुले	6	4
गढ़ाचेरोली	1	1
जलगांव	5	2
जालना	2	1
कोल्हापुर	6	1
लातूर	2	1
नागपुर	11	8
नान्देड	1	—
नासिक	15	5
उस्मानाबाद	6	5
परभनी	2	1
पुणे	32	14
रायगढ़	16	13
रत्नागिरी	1	—
सांगली	4	1
सतारा	8	3
सिन्धुदुर्ग	2	—
सोलापुर	13	8

1	2	3
थाणे	25	11
वरधा	3	2
यवतमाल	6	4
योग :	271	140

विवरण-II

1992-93 के दौरान इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदले जाने वाले टेलीफोन एक्सचेंज

क्र०सं० क्र०सं०	जिलों का नाम टेलीफोन एक्सचेंज का नाम	जिलों का नाम
1	2	3
1.	मलकापुर	बुलडाना
2.	डोन्डाइचा	धुले
3.	नन्दूरबार	धुले
4.	शाहदा	धुले
5.	कमलेश्वर	बाबपुर
6.	लासलगांव	नासिक
7.	ओजर	नासिक
8.	पिम्पलगांव	नासिक
9.	खोपोली	रायगढ़
10.	पातालगंगा	रायगढ़
11.	पंचगनी	सतारा
12.	सावन्तवाड़ी	सिन्धुदुर्ग
13.	जाहपुर	थाने
14.	तारापुर	थाने
15.	पन्धरकवाड़ा	यवतमाला

1	2	3
16.	वाशिम	अकोला
17.	सिन्नर	नासिक
18.	पेन	रायगढ़
19.	इस्लामपुर	सांगली
20.	अक्कलुज	शोलापुर
21.	महाबलेश्वर	सतारा
22.	थाणे-1	थाणे
23.	उरन	रायगढ़
24.	कोपरेज-III	बंबई

बिहार में डाक सेवाओं का विस्तार

7173. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल :**

श्रीमती गिरिजा देवी :

श्री सुकदेव पासवान :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाओं के विस्तार के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारणों सहित उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो बिहार में नए डाकघर खोले जाने के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) ये निर्धारित लक्ष्य कब तक प्राप्त किए जाने की संभावना है, इस बारे में जिला-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में 250 नए शाखा डाकघर खोलने के लक्ष्य की तुलना में अब तक कुल 268 डाकघरों के लिए मंजूरी जारी की जा चुकी हैं जो ऊपर दिये गये लक्ष्य से अधिक हैं।

(घ) मंजूर किये गये सभी डाकघरों को वर्ष 1992 के दौरान खोले जाने की सम्भावना है।

मध्य प्रदेश में हवाई अड्डों का विकास

[हिन्दी]

7174. श्री बारे लाल जाटव :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में हवाई अड्डे का विकास करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भोपाल और इन्दौर विमान क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की योजनाएं नीचे दिये अनुसार हैं :

(1) वर्तमान धावनपथ को बढ़ाकर 6700 फुट तक करना, सहायक पेवमेंटों का सुदृढ़ीकरण और भोपाल हवाई अड्डे पर मौजूदा टर्मिनल भवन का विस्तार, और

(2) धावनपथ को बढ़ाकर 7500 फुट तक करना और एक नये टर्मिनल भवन का निर्माण जिससे इन्दौर स्थित विमानक्षेत्र पर 500 यात्रियों की जरूरतों को पूरा किया जा सके।

मध्य प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन

7175. श्री सुरजभानु सोलंकी :

श्री रामकृष्ण कुसमारिया :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 1 जनवरी, 1992 की स्थिति अनुसार मध्य प्रदेश में जिले-वार टेलीफोन प्रयोक्ताओं की संख्या कितनी थी;

(ख) राज्य में टेलीफोन कनैक्शनों के लिए जिले-वार कुल कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं;

(ग) सभी आवेदकों को टेलीफोन कनैक्शन कब तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे; और

(घ) वर्ष 1992 के दौरान इस राज्य में कितने टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाएंगे ?

संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) आठवीं योजना प्रस्तावों के अनुसार, आठवीं योजना के अन्त तक निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य को सामने रखकर विस्तार कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं :—

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में, मांग करने पर वास्तविक रूप से टेलीफोन प्रदान करना; और

(ii) बड़ी प्रणालियों में प्रतीक्षा अवधि दो वर्ष तक कम करना।

तदनुसार, उपर्युक्त प्रतीक्षा सूची को आठवीं योजना अवधि के दौरान उत्तरोत्तर रूप से निपटाए जाने की आशा है।

(घ) मध्य प्रदेश में 1992 के दौरान, मांग और उपस्कर उपलब्ध होने की शर्त पर लगभग 50 टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है।

विवरण

मध्य प्रदेश में 1-1-92 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन उपभोक्ताओं की जिलावार संख्या और प्रतीक्षा सूची का ब्यौरा

	जिला	टेलीफोन उपभोक्ता	प्रतीक्षा सूची
1	2	3	4
1.	बालघाट	2336	289
2.	बस्तर	2301	470
3.	बेतुल	16.6	451
4.	भिंड	1914	516
5.	भोपाल	50468	8652
6.	बिलासपुर	10238	1476
7.	छतरपुर	1837	327
8.	छिंदवाड़ा	4088	618
9.	दामोह	1457	328
10.	दतिया	874	319
11.	देवास	3919	868
12.	धार	4601	483
13.	दुर्ग	4845	4147
14.	गुना	2941	548
15.	ग्वालियर	11803	9253
16.	होशंगाबाद	4125	1053
17.	इन्दौर	33210	28313
18.	जबलपुर	16520	8190

1	2	3	4
19.	झबुआ	1660	227
20.	खाण्डवा	5052	1690
21.	खारगोन	4995	849
22.	मांडला	1162	169
23.	मंदसौर	7474	1344
24.	मुरैना	3331	609
25.	नरसिंगपुर	2554	69
26.	पन्ना	471	343
27.	रायगढ़	2403	241
28.	रायपुर	16530	5606
29.	रायसेन	2256	79+277
30.	राजगढ़	1897	340
31.	राजनंदगांव	9006	621
32.	रतलाम	5832	1874
33.	रीवा	1925	392
34.	सागर	4458	1675
35.	सरगुजा	1926	599
36.	सतना	2988	1751
37.	सिहोर	2193	300
38.	सिवनी	1665	346
39.	शहडोल	2409	394
40.	शाजापुर	3324	383
41.	शिवपुरी	2126	454
42.	सीधी	995	349
43.	टीकमगढ़	99	136
44.	उज्जैन	9715	2969
45.	विदिशा	1904	697

मद्रास और अरब देशों के बीच सीधी विमान सेवा

[अनुवाद]

7176. श्री पी० जी० नारायणन :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास से अरब देशों विशेषकर दुबई (शारजाह) को एक सीधी विमान सेवा प्रारंभ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक प्रारम्भ किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) से (ग) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स का मद्रास और अरब देशों के बीच सीधी अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं शुरू करने का विचार नहीं है । इंडियन एयरलाइन्स ने मद्रास से एक सेवा शुरू कर दी है जो बंगलौर और कालीकट से होकर शारजाह तक जाती है ।

तमिलनाडु में गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों से गांवों का विद्युतीकरण

7177. डा० वी० राजेश्वरन :

श्री सी० श्रीनिवासन :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में गैर-परम्परागत ऊर्जा के उत्पादन के आधार पर कितने गांवों को विद्युतीकरण किया गया;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितने गांवों को गैर-परम्परागत ऊर्जा के माध्यम से विद्युतीकरण करने के कार्यक्रम में शामिल किये जाने का विचार है और इस योजना के लिए कितना धन आवंटित किया गया है; और

(ग) विभिन राज्यों में सौर, पवन, लहरों इत्यादि के माध्यम से गैर-परम्परागत ऊर्जा के उत्पादन के संबंध में ब्यौरा क्या है?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) तमिलनाडु राज्य में 365 गांवों और पुरवों को प्रकाशवोल्टीय रोशनी प्रणालियां उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा, लगभग कुल 21 मे० वा० क्षमता की पवन विद्युत परियोजनाएं शुरू की गई हैं और यह बिजली राज्य ग्रिडों को दी जा रही है । पूरे राज्य में विभिन्न स्थानों पर यांत्रिकी और विद्युत अनुप्रयोगों के लिए लगभग 218 कि० वा० के बराबर विभिन्न क्षमताओं के 44 बायोमास गैसीफायर/ स्टर्लिंग इंजिन शुरू किए गए हैं ।

(ख) आठवीं योजना के लिए प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) अब तक विभिन्न राज्यों में स्थापित 33.85 मे० वा० की प्रदर्शन पवन फार्म परियोजनाओं से संबंधित राज्य ग्रिडों को कुल 112 मिलियन यूनिट विद्युत दी जा चुकी है। देश के विभिन्न भागों में स्थापित अनुमानित कुल 4 मे० वा० क्षमता की सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों से प्रतिवर्ष लगभग 6—8 मिलियन कि० वा० घं० (यूनिट) ऊर्जा का उत्पादन होने की आशा है।

देश के विभिन्न राज्यों में कुल 79.35 मे० वा० क्षमता की 105 मिनी/माइक्रो जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। इसके अलावा, लगभग कुल 6.5 मे० वा० क्षमता की विभिन्न क्षमताओं और अनुप्रयोगों वाले 862 गैसीफायर और स्टार्लिंग इंजिन गांवों में स्थापित किए गए हैं और इसका इस्तेमाल या तो सिंचाई के उद्देश्यों के लिए पम्प से पानी खींचने या विद्युत उत्पादन के लिए किया जा रहा है। कुल 70 कि० वा० क्षमता के दो प्रायोगिक सौर तापीय विद्युत संयंत्रों की स्थापना अनुसंधान और विकास उद्देश्यों के लिए की गई है। केरल में त्रिवेन्द्रम के निकट विझिंजम में समुद्री लहरों से विद्युत उत्पादन के लिए एक अनुसंधान और विकास प्रायोगिक संयंत्र शुरू किया गया है।

बिहार में डाक सेवाओं के लिए कम्प्यूटर लगाया जाना

[हिन्दी]

7178. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :**

श्री राम बदन :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार और उत्तर प्रदेश में पंजीकृत डाक सेवा के लिए कितने कम्प्यूटर लगाए गए हैं, और उन कस्बों के नाम क्या हैं;

(ख) कम्प्यूटर लगाये जाने के पहले और बाद में इसके लिए अलग-अलग कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या कम्प्यूटर लगाये जाने के कारण पंजीकृत डाक सेवा पर सरकारी खर्च बढ़ गया है;

(घ) यदि हां, तो कम्प्यूटरीकरण के क्या उद्देश्य हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार राज्यों के जिला मुख्यालयों में पंजीकृत डाक सेवा के लिए कम्प्यूटर लगाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) उत्तर प्रदेश में लखनऊ में रजिस्ट्रेशन, स्पीड पोस्ट और मनीआर्डर सेवा प्रदान करने वाली पीसी पर आधारित 12 बहुद्देशीय काउंटर मशीनें लगाई गई हैं। बिहार राज्य में ऐसी कोई मशीन नहीं लगाई गई है।

(ख) मशीनें लगाने से पहले 17 कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था और इनकी स्थापना हो जाने के बाद अब 12 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं।

(ग) रजिस्ट्रेशन सेवा पर होने वाले खर्च में अनेक घटक शामिल हैं, जैसे बुकिंग, छंटाई, बुलाई, वितरण आदि। जब यह प्रयोग न्यायिक प्राप्त कर सेवा उसके बाद ही ठीक-ठीक लागत और

लाभ की विवक्षा का अध्ययन किया जा सकता है ।

(घ) बहुद्देशीय काउंटर मशीन का उद्देश्य बेहतर उपभोक्ता संतुष्टि प्रदान करना और उत्पादकता बढ़ाना है ।

(ङ) जी हां ।

(च) संदर्भगत राज्यों के बड़े शहरों और कस्बों के महत्वपूर्ण डाकघर में उचित संख्या में ऐसी मशीनें लगाने का प्रस्ताव है ।

हरियाणा के जिलों में टेलीफोन कनेक्शन

7179. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में सोनीपत और रोहतक में टेलीफोन कनेक्शन के लिए कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं;

(ख) टेलीफोन कनेक्शनों के आबंटन में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सोनीपत में बिना बारी के आबंटित टेलीफोन कनेक्शनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत अस्थायी टेलीफोन कनेक्शनों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० चंगल्या नायडु) : (क) 29-2-1992 को टेलीफोन कनेक्शनों के लिए लम्बित आवेदकों की संख्या इस प्रकार है :

सोनीपत = 2208 और रोहतक = 1700

(ख) सोनीपत में 1992-93 के दौरान 2200 लाइनों के वर्तमान एक्सचेंज के स्थान पर 4000 लाइनों का एक आटोमेटिक क्रासबार एक्सचेंज (आई० सी० पी०) चालू किए जाने की सम्भावना है । इससे एक्सचेंज की क्षमता में 1800 लाइनों की वृद्धि होगी । क्षमता में इस प्रकार वृद्धि होने के पश्चात् लगभग 1600 नये कनेक्शन दे पाना सम्भव हो सकेगा । रोहतक में 1993-94 के दौरान 4000 लाइनों का एक ई-10 बी इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज चालू किए जाने की सम्भावना है ।

(ग) सोनीपत में पिछले तीन वर्षों के दौरान 69 टेलीफोन कनेक्शन बिना बारी के आबंटित किए गए ।

(घ) सोनीपत में 12 अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन पिछले तीन वर्षों के दौरान मंजूर किए गए ।

ग्रामीण क्षेत्रों में संचार सुविधाओं के विस्तार के लिए धनराशि

7180. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में संचार सुविधाओं का विस्तार करने के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाने के लिए मानदण्डों का निर्धारण किस आधार पर किया गया है; और

(ग) अभी तक प्राप्त लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) वर्ष 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में संचार सुविधाओं के विस्तार के लिए आबंटित राशि इस प्रकार है :—

		(करोड़ रुपयों में)
डाक	—	0.50
दूरसंचार	—	52.25
	योग :	52.75

पिछड़े क्षेत्रों के लिए अलग से आबंटन नहीं किया जाता।

(ख) इस प्रकार के निर्धारण के लिए 1981 की जनगणना का रिपोर्ट को आधार माना गया है।

(ग)	मद	लक्ष्य (1991-92)	उपलब्धियां
1.	ग्राम पंचायतों में टेलीफोन कनेक्शन	6000	1668 (29-2-92 तक)
2.	नये टेलीफोन एक्सचेंज खोलना तथा वर्तमान एक्सचेंजों का दर्जा बढ़ाना	151	119 (29-2-92 तक)
3.	मंजूरशुदा अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	500	489

महाराष्ट्र में हवाई पट्टी का निर्माण

[अनुवाद]

7181. श्री मुकुल वालकृष्ण वासनिक :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने बुलडाना जिले में एक हवाई पट्टी के निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी; नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

राजस्थान में संचार सुविधाएं

[हिन्दी]

7182. प्रो० रासा सिंह रावत :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के उन जिलों के क्या नाम हैं जहां पर पिछले तीन वर्षों में डाकघर, टेलीफोन एक्सचेंज, टेलीप्रिंटर सेवाएं और तारघर खोले गये और उनकी संख्या क्या है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कौन-सी योजना शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ग) प्रत्येक पंचायत मुख्यालय में पिछले छह महीनों में टेलीफोन और डाक सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में किए गए प्रावधानों में हुई प्रगति का विवरण क्या है;

(घ) क्या सरकार संचार सुविधाओं में राजस्थान को पिछड़ा और सीमांत प्रदेश होने के कारण विशेष प्राथमिकता देना चाहती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में खोले गए नये डाकघरों, टेलीफोन एक्सचेंजों, टेलीप्रिंटर सेवाओं और तारघरों की जिला-वार संख्या संलग्न विवरण I, II और III में दिया गया है।

(ख) डाकघर : प्रस्तावित स्कीमों का ब्यौरा नहीं दिया जा सकता क्योंकि आठवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

टेलीफोन एक्सचेंज : 8वीं पंचवर्षीय योजना मसौदे के अनुसार राजस्थान में कुल स्विचन क्षमता में 4 लाख से अधिक लाइनों की वृद्धि की जाने की सम्भावना है और 3 लाख से अधिक नये उपभोक्ताओं को टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने की सम्भावना है। ब्यौरेवार प्रस्ताव हर वर्ष तैयार किए जाते हैं। नये एक्सचेंज खोलने का मानदण्ड यही है कि जब न्यूनतम रजिस्टर्ड मांग 10 से अधिक हो जाए और उपयुक्त उपस्कर उपलब्ध हो।

तारघर : आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान के ग्यारह जिला मुख्यालयों अर्थात जैसलमेर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, झालावाड़, बारान, बूंदी, टोक, धौलपुर और दौसा में स्थित संयुक्त डाक-तारघरों का स्वतंत्र तारघरों के रूप में दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है। इन सभी तारघरों में टेलीप्रिंटर सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

(ग) 1-10-91 से 31-3-92 की अवधि के दौरान ग्राम पंचायत वाले ऐसे ग्रामों की संख्या निम्नानुसार है जिनमें डाकघर और टेलीफोन सुविधाएं प्रदान की गई हैं :—

डाकघर	123
टेलीफोन	1,224

(घ) और (ङ) टेलीफोन सुविधा : सरकार ने देश के सामावर्ती इलाकों को प्राथमिकता देते हुए जिनमें राजस्थान के इलाके भी शामिल हैं, 31-3-1995 तक उत्तरोत्तर सभी पंचायत-ग्रामों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

डाक सुविधाएं : जी, हां। स्वतंत्र शाखा डाकघर खोलने के लिए मौजूदा मानदण्डों में पहाड़ी; जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों के लिए पहले ही छूट की व्यवस्था की गई है।

(i) शाखा डाकघर : पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिए निर्धारित न्यूनतम जनसंख्या एक अकेले ग्राम के लिए 500 या ग्रामों के एक समूह के लिए 1000 है जबकि इसकी तुलना में सामान्य क्षेत्रों के लिए यह 3000 है।

(ii) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में एक डाकघर से अपेक्षित निर्धारित न्यूनतम आय लागत का 15 प्रतिशत रखी गई है जबकि इसकी तुलना में सामान्य क्षेत्रों के लिए यह $33\frac{1}{3}$ है।

उप-डाकघर (योजना के अधीन खोले जाने वाले) : पहाड़ी, जनजातीय क्षेत्रों के मामले में घाटे की अनुमेय सीमा प्रतिवर्ष 4800 रु० है और सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 रु०।

विवरण-I

राजस्थान सर्किल में बत तीन वर्षों के दौरान खोले गए डाकघरों का ब्यौरा

क्र० सं०	जिले का नाम	खोले गए डाकघरों की संख्या		
		1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3		३
1.	अलवर	8	2	11
2.	अजमेर	—	—	2
3.	बारान	—	—	2
4.	बांसवाड़ा	5	2	5
5.	भीलवाड़ा	—	—	—
6.	बूंदी	—	—	1
7.	भरतपुर	—	—	4
8.	बाड़मेर	—	1	10

1	2	3	4	5
9.	बीकानेर	—	4	9
10.	चित्तौड़गढ़	—	2	5
11.	चुरू	—	1	—
12.	दौसा	—	—	8
13.	धौलपुर	—	—	—
14.	डूंगरपुर	—	5	5
15.	जयपुर	10	8	7
16.	झालावाड़	8	8	—
17.	जैसलमेर	—	—	—
18.	जोधपुर	—	7	10
19.	जालौर	—	—	—
20.	झुन्झुनू	—	2	7
21.	कोटा	1	8	1
22.	नागौर	—	—	6
23.	पाली	—	9	12
24.	राजसमंद	—	—	—
25.	सवाईमाधोपुर	—	—	1
26.	सीकर	—	—	1
27.	सीरोही	—	—	—
28.	श्रीगंगानगर		13	28
29.	टोंक	—	—	1
30.	उदयपुर	3	12	8
	जोड़ :	36	89	143

विवरण-II

उन जिलों की सूची जहां पर बत तीन वर्षों के दौरान डेलीफोन एक्सचेंज खोले गए हैं

क्र० सं०	जिले का नाम	बत तीन वर्षों के दौरान खोले गए नये टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या		
		1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3		
1.	अजमेर	14		
2	अलवर	17		
3.	बांसवाड़ा	4		
4.	बारान	1		
5.	बाड़मेर	3		
6.	भरतपुर	6		
7.	भीलवाड़ा	3		
8.	बीकानेर	4		
9.	बूंदी			
10.	चित्तौड़गढ़	2		
11.	चुरू	4		
12.	दौसा	3		
13.	धौलपुर			
14.	डूंगरपुर	3		
15.	जयपुर	7		
16.	जैसलमेर	3		
17.	जालोर	1		
18.	झालावाड़	5		
19.	झुंझुनू	12		

1	2	3
20.	जोधपुर	5
21.	कोटा	1
22.	नागौर	11
23.	पाली	1
24.	सवाईमाधोपुर	9
25.	राजसमंद	2
26.	सीकर	12
27.	सीरोही	2
28.	श्रीगंगानगर	8
29.	टोंक	3
30.	उदयपुर	6
	जोड़ :	159

विवरण-III

क. राजस्थान में गत 3 वर्षों के दौरान चालू की गई टेलीप्रिंटर सेवाएं ।

वर्ष	जिले का नाम	उन स्थानों के नाम जहां टेलीप्रिंटर सेवाएं चालू की गईं
1988-89	1. सवाईमाधोपुर	2
	2. सिरोही	1
1989-90	1. अलवर	2
	2. नागौर	1
1990-91	शून्य	शून्य

ख. राजस्थान में गत तीन वर्षों के दौरान खोले गए तारघर/संयुक्त डाक और तारघर ।

क्र० सं०	जिले का नाम	गत तीन वर्षों के दौरान खोले गए तारघर/संयुक्त डाक-तारघर		
		1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	3	—	—
2.	भरतपुर	18	5	—

1	2	3	4	5
3.	भीलवाड़ा	2	—	—
4.	बीकानेर	4	1	—
5.	बांसवाड़ा	—	4	4
6	बूंदी	2	—	—
7.	बाड़मेर	2	—	3
8.	चुरू	3	—	2
9.	धौलपुर	3	—	—
10.	जयपुर	1	1	—
11.	जोधपुर	2	1	—
12.	झुंझुनू	12	—	—
13.	कोटा	9	—	1
14.	नागौर	14	1	4
15.	पाली	5	—	—
16.	सवाईमाधोपुर	1	1	—
17.	टोंक	2	1	—
18.	जालौर	2	1	—
19.	झालावाड़	7	—	—
20.	सीकर	10	8	—
21.	सीरोही	2	—	—
22.	चित्तौड़गढ़	—	3	—
23.	उदयपुर	7	—	—
24.	डूंगरपुर	1	1	—

भोपाल दूरदर्शन केन्द्र का निर्माण

7183. श्री योगानन्द सरस्वती :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि भोपाल दूरदर्शन केन्द्र का निर्माण कार्य उपग्रह भू-केन्द्र के साथ पूरा किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार भोपाल में टी० वी० स्टूडियो के साथ उपग्रह भू-केन्द्र शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक शुरू किए जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) भोपाल में उपग्रह भू-केन्द्र की स्थापना से संबंधित कार्य प्रगति पर है और भोपाल में पूर्ण विकसित दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्र की स्थापना से संबंधित संस्थापन कार्य पूरा कर लिया गया है।

(ख) और (ग) कार्यक्रम निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए अपेक्षित जनशक्ति उपलब्ध होते ही भोपाल के दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्र को सेवा के लिए चालू किया जा सकता है। भोपाल में इस समय लगाये जा रहे उपग्रह भू-केन्द्र का उपयोग मध्य प्रदेश राज्य में उपग्रह से प्राप्त होने वाली प्रादेशिक दूरदर्शन सेवा शुरू करने के लिए किया जाना है जो अनिवार्य रूप से अन्तरिक्ष खंड में अपेक्षित क्षमता की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

निजी निवेशकों द्वारा प्रायोजित विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी देना

[अनुवाद]

7184. श्री चित्त बसु :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी निवेशकों द्वारा प्रायोजित नई विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी देने का फैसला किया है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजनाओं के नाम और उनसे संबंधित ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) निम्नलिखित विद्युत परियोजनाओं को निजी क्षेत्र/संयुक्त क्षेत्र में कार्यान्वित किए जाने के बारे में सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है :—

परियोजना का नाम	क्षमता (मे०वा०)	राज्य	निजी क्षेत्र कम्पनी
1	2	3	4
1. बरसिंगसर टी०पी०एस०	240	राजस्थान	मैसर्स कोलमैन एंड एसोसिएट्स (आस्ट्रेलियन कनसोरटियम)
2. सेरो यूनिट टी०पी०एस० आफ एन०एल०सी०/ तमिलनाडु	210	तमिलनाडु	मैसर्स एस०टी० पावर सिस्टमस इन्क० यू०एस०ए०
3. इब घाटी टी०पी०एस०	2340	उड़ीसा	मैसर्स सदर्न इलैक्ट्रिक इन्टरनेशनल, यू०एस०ए०

1	2	3	4	5
4.	दुबूरी टी०पी०एस०	500	उड़ीसा	मैसर्स नार्थ ईस्ट एनर्जी सर्विसेज इन्क०यू०एस०ए०
5.	गैस आधारित	800	ग्रीन साईट	मैसर्स एन०टी०पी०सी० और मैसर्स ए०बी०बी०
6.	पेन्च टी०पी०एस०चरण-I	420	मध्य प्रदेश	मैसर्स सेंचुरी टैक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लि०, बम्बई
7.	बासपा-2 एच०ई०पी०	300	हिमाचल प्रदेश	मैसर्स जयप्रकाश इंडस्ट्रीज लि०, बम्बई
8.	धानवी एच०ई०	22.5	हिमाचल प्रदेश	मैसर्स पंजाब पावर जैनरेशन मशीनस लि०
9.	ऊहल-3 एच०ई०	70	हिमाचल प्रदेश	मैसर्स बलारपुर इंडस्ट्रीज लि०; दिल्ली
10.	जयकोन्डम लिग्नाइट आधारित टी०पी०एस०	1500	तमिलनाडु	मैसर्स टिडको एंड मैसर्स मैकनैली भारत इंजीनियरिंग (सिमन्स)
11.	चांडिल टी०पी०एस०	500	बिहार	मैसर्स आर०पी०जी० एन्टर-प्राईजेज
12.	जेगुरूपाडु सी०सी०जी०टी०	400	आन्ध्र प्रदेश	मैसर्स जी० वी०के० इंडस्ट्रीज
13.	बार्ज/शिप माउन्टेड	110	महाराष्ट्र	मैसर्स कान्फीडेन्स शिपिंग कं०, लि०
14.	टिकापको	250	तमिलनाडु	मैसर्स जी०एम० स्वामी एसो-सिएट्स
15.	बज-बज टी०पी०एस०	500	प० बंगाल	मैसर्स कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन
16.	गोदावरी बेसिन	400	आंध्र प्रदेश	मैसर्स स्पैक्ट्रम टैक्नोलोजिस

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन निर्देशिका

7185. **श्री विनय कटियार :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के किन-किन क्षेत्रों में अलग-अलग टेलीफोन निर्देशिकाएं छापी जाती हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों में ये संस्करण कब छपे थे और छापी गई हिन्दी, अंग्रेजी तथा द्विभाषी

निर्देशिकाओं की संख्या तथा नाम क्या हैं;

(ग) क्या हिन्दी और अंग्रेजी टेलीफोन निर्देशिकाएं एक साथ छप रही हैं अथवा अंग्रेजी संस्करण पहले छप जाता है और हिन्दी संस्करण बाद में छापा जाता है; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाए गए हैं ताकि हिन्दी संस्करण के प्रकाशन में देरी न हो और छपे हुए संस्करणों में अद्यतन जानकारी हो ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दुर्गापुर, भिलाई और बोकारो इस्पात संयंत्रों में कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

[हिन्दी]

7186. श्री भेरू लाल मीणा :

क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के भिलाई इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र तथा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भर्ती हेतु आरक्षण कोटे को भरा गया है;

(ख) यदि हां, तो जुलाई, 1991 से आज तक कुल कितने व्यक्तियों की भर्ती की गई है;

(ग) क्या इन उपक्रमों में वर्ष 1991 तक के कोटे को भर लिया गया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रत्येक संयंत्र में कार्यरत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की संख्या क्या है;

(ङ) क्या यह कोटा इस सम्बन्ध में निर्धारित मानदण्डों के अनुसरण में भरा गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके कब तक भरे जाने की संभावना है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) जुलाई, 1991 से अब तक नियुक्त किए गए व्यक्तियों की संयंत्र वार संख्या निम्नलिखित है :—

भिलाई इस्पात संयंत्र	—	489
बोकारो इस्पात संयंत्र	—	324
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	—	24

(ग) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० ने विशेष भर्ती अभियानों के माध्यम से पिछली रिक्त चली आ रही अनुसूचित जाति की श्रेणी की 78 रिक्तियों और अनुसूचित जनजाति की श्रेणी

की 41 रिक्तियों को भरा है।

(घ) भिलाई, बोकारो और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों में कार्यरत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या नीचे दी गई है :—

संयंत्र	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल
भिलाई इस्पात संयंत्र	7244	3880	11124
बोकारो इस्पात संयंत्र	6110	4461	10571
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	3871	512	4383

(ङ) जी, हां।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

अनिवासी भारतीयों द्वारा विदेशी-फिल्मों का आयात

[अनुवाद]

7187. **श्री विजय कृष्ण हार्डिक :**

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वितरित करने के लिए अनिवासी भारतीयों द्वारा कितनी विदेशी फिल्में आयात की गई और उनको प्रसार समयावधि क्या थी;

(ख) क्या 1988 की अधिसूचना के अनुसार 5 वर्ष की समय सीमा का पालन किया गया है;

(ग) क्या इन फिल्मों का पुन: आयात सरकार की स्वीकृति और इनको दोबारा जारी करने के शुल्क के भुगतान पर निर्भर करता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इन शर्तों का सख्ती से पालन किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो किस हद तक ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत में वितरण के लिए 1984 से आयात की गई विदेशी फिल्मों की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	फिल्मों की संख्या
1	2
1984-85	15
198.-86	47

1	2
1986-8	58
1987-88	79
1988-89	14
1989-90	21
1990-91	22
1991-92	3

फिल्म आयात नीति 1988 की धारा 9 (ब) के अनुसार आयातकर्त्ता अपनी फिल्में केवल पांच वर्ष के लिए वितरित कर सकते हैं। यह शर्त पहली बार 21-1-1988 को फिल्म आयात नीति में रखी गई थी।

(ग) से (ङ) चूंकि 1988 की अधिसूचना के अनुसार आयातित पहली फिल्म को 1993 में ही पांच वर्ष पूरे होंगे, अत: फिल्म के फिर से पुन: आयात किये जाने या जारी किए जाने का अभी तक कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है

कोटा हवाई अड्डे का स्थान परिवर्तन

[हिन्दी]

7188. श्री बाऊ बयाल जोशी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1986 में केन्द्रीय सरकार तथा कोटा नगर विकास न्यास (टाउन डेवलपमेंट ट्रस्ट, कोटा) द्वारा कोटा हवाई अड्डे का स्थान परिवर्तन करने के लिए कोई कार्यवाही की गई; यदि हां, तो उस कार्यवाही का परिणाम क्या है; और

(ख) इस प्रस्ताव को बीच में छोड़ देने के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) कोटा नगर विकास न्यास, कोटा ने जून, 1986 में कोटा हवाई अड्डे के स्थानांतरण के लिए राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण से अनुरोध किया था। तथापि, राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने सातवीं योजना अवधि में निधियों की कठिनाई के कारण हवाई अड्डे का स्थानांतरण किए जाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी।

हैदराबाद में मेल-बाक्स योजना

[अनुवाद]

7189. श्री जे० चोक्का राव :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद नगर में फ्लैटों में रहने वाले लोगों के लिए मेल बाक्स योजना के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इसका क्रियान्वयन कब तक हो जाएगा ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) हैदराबाद में दो और तीन मंजिलों की रिहायशी इमारतों को छोड़कर बहुमंजिले वाणिज्यिक काम्प्लेक्सों और रिहायशी भवनों के लिए 1-2-1992 से मेल बाक्स स्कीम लागू की गई थी। उन सभी डाक पाने वालों को, जिन्होंने अभी तक मेल बाक्स नहीं लगाये हैं, पहले की तरह डाक का वितरण किया जा रहा है। ऐसे लोगों से मेल बाक्स लगाने की अपील की गई है।

उड़ीसा में उप-डाकघर

7190. श्री डा० कार्तिकेश्वर पात्र :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में विशेषरूप से बालासोर जिले में ऐसे गांवों की संख्या कितनी है जहां इस समय में कोई उप-डाकघर नहीं है;

(ख) उन गांवों की संख्या कितनी है जो नए डाक घरों, उप-डाक घरों और तारघरों को खोलने हेतु निर्धारित किए गए मानदण्डों के अन्तर्गत आते हैं; और

(ग) 1991-92 के दौरान अब तक खोले गए डाक घरों, उप-डाकघरों और तार घरों की संख्या कितनी है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क) उड़ीसा में बगैर डाकघर वाले गांवों की संख्या फिलहाल 39199 है जिनमें से 4240 गांव बालासोर जिले में हैं।

(ख) बालासोर जिले में नए डाकघर खोलने के लिए निर्धारित मानदंडों के अन्तर्गत आने वाले गांवों की संख्या 11 है। उड़ीसा के अन्य जिलों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र की जा रही है।

जहां तक तारघरों का सम्बन्ध है, 4411 ग्राम पंचायतों में से 2100 पंचायतों में तार सुविधा पहले ही प्रदान कर दी गई है तथा 8 वीं योजना के दौरान शेष पंचायतों में तार सुविधा प्रदान करने की योजना है।

(ग) वर्ष 1991.92 के दौरान उड़ीसा में कुल 75 डाकघर खोले गए जिनमें बालासोर जिले में खोले गए 11 डाकघर शामिल हैं।

जहां तक तारघरों का सम्बन्ध है, वर्ष 1991-92 के दौरान उड़ीसा में 617 स्थानों पर तार सुविधाएं प्रदान की गई।

आठवीं योजना अवधि के दौरान केरल में टेलीफोन कनैक्शनों का जारी किया जाना

7191. श्री रमेश चेन्निथला :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में

जिला-वार कितने टेलीफोन कनैक्शन जारी किए जायेंगे ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : केरल सहित देश के आठवीं योजना प्रस्तावों के मसौदे (1992—97) में निम्नलिखित शामिल हैं :—

—ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में व्यावहारिक रूप से मांग होने पर टेलीफोन कनेक्शन की व्यवस्था करना।

—10,000 लाइनों अथवा इससे अधिक की बड़ी टेलीफोन प्रणालियों में नए टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा अवधि घटाकर दो वर्ष से कम करना।

अनुमान है कि उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आठवींयोजना अवधि में केरल में लगभग 4 लाख नए टेलीफोन कनेक्शनों की आवश्यकता होगी। योजनाओं को वार्षिक आधार पर अनुमोदित किया जाता है। अतः 5 वर्षों की अवधि के लिए जिलेवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

उड़ीसा में दूरदर्शन द्वारा कवरेज

7192. श्री शिवाजी पटनायक :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन ट्रांसमीटरों से उड़ीसा की कितने प्रतिशत आबादी लाभान्वित हो रही है और यह राष्ट्रीय कवरेज से कितनी कम है;

(ख) सरकार का इस अन्तर को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से आठवीं योजना अवधि के दौरान कम शक्ति वाले और अधिक ट्रांसमीटर लगाने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) उड़ीसा में लगभग 81 प्रतिशत राष्ट्रीय औसत की तुलना में करीब 77 प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन सेवा उपलब्ध है। कवरेज के इन आंकड़ों में किनारे के क्षेत्रों की जनसंख्या शामिल है जहां संतोषजनक सेवा प्राप्त करने के लिए ऊंचे एंटीना और बूस्टरों की आवश्यकता होती है।

(ख) पुरी और मल्कागिरी में लगाए जा रहे अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटरों के अलावा; बालेश्वर और सांम्बलपुर में मौजूदा ट्रांसमीटरों के स्थान पर उच्च शक्ति (10 कि० वा०) ट्रांसमीटर स्थापित करने का भी कार्यक्रम है। लेकिन यह कार्य साधनों की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। इन ट्रांसमीटरों के चालू हो जाने पर, उड़ीसा की करीब 83 प्रतिशत जनसंख्या दूरदर्शन कवरेज के अन्तर्गत आ जाएगी जिसमें किनारे के क्षेत्रों की जनसंख्या भी शामिल होगी।

(ग) जी, हां।

(घ) मल्कांगिरी में पहले ही एक अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर लगाया जा रहा है।

साधनों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए सांबलपुर के मौजूदा 1 कि० वा० ट्रांसमीटर के स्थान पर 10 कि० वा० ट्रांसमीटर लगाने का भी कार्यक्रम है।

मध्य प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन

[हिन्दी]

7193. श्री फूल चन्द्र वर्मा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में 1991-92 के दौरान कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गये;

(ख) कितने टेलीफोन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण किया गया; और

(ग) 1992-93 के लिए तत्सम्बन्धी क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) (क) मध्य प्रदेश के 14 विभिन्न शहरों में 1991-92 के दौरान (1-2-1992 तक) 12695 टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किये गये हैं।

(ख) 1-2-1992 तक 196 टेलीफोन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण किया गया है।

(ग) 1992-93 के दौरान 240 टेलीफोन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है।

"डेसू" द्वारा उपकरणों की खरीद

7194. श्री पीयूष तीरकी :

श्री मृत्युन्जय नायक :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 जनवरी, 1992 के "जनसत्ता" में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा उपकरणों की खरीद के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या इस संबंध में किसी जांच दल का गठन किया गया है;

(ग) जांचों का ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि कोई जांच दल गठित नहीं किया गया है तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अनुसार मैसर्स जी० ई० सी० आफ इण्डिया लि० के कार्य निष्पादन के बारे में अन्वेषण समिति (इन्वेस्टीगेशन समिति) ने किसी प्रकार की प्रतिकूल

रिपोर्ट नहीं दी है। यथोक्त प्रकाशित समाचार में उल्लेख किए गए मैसर्स अन्द्रू ज चूले (सरकारी फर्म) का नाम भी काली सूची में शामिल नहीं किया गया है। सामग्री/उपस्कर की सप्लाई के लिए आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से दिए गए हैं।

गहरे समुद्र में मत्स्यन उद्योग को राहत

[अनुवाद]

7195. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गहरे समुद्र में मत्स्यन उद्योग को फिलहाल कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और इसके निर्यात में काफी कमी आई है जिसके फलस्वरूप विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले रुग्ण उद्योग की सहायता हेतु क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) यद्यपि गहन समुद्री मात्स्यिकी को हाल के वर्षों में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा परन्तु समुद्री उत्पादों के निर्यात और विदेशी मुद्रा आमदनी में लगातार वृद्धि हुई है जैसा कि नीचे दिया गया है।

वर्ष	निर्यात की गई मात्रा टनों में	मूल्य करोड़ रुपयों में
1988-89	99777	597.87
1989-90	110843	634.99
1990-91	130419	893.37
1991-92 (अस्थाई)	171989	1365.68

(ख) हाल के वर्षों में गहन समुद्री मत्स्यिकी उद्योग के सामने सामने आई कठिनाइयों पर सरकार द्वारा विचार किया गया और शिपिंग क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड के के माध्यम से रुग्ण गहन समुद्री मात्स्यिकी यूनिटों को राहत देने के लिए गहन समुद्री मात्स्यिकी उद्योग के पुनर्स्थापन की एक स्कीम की घोषणा अप्रैल, 1991 में की गई इस स्कीम के अन्तर्गत 42 मात्स्यिकी कंपनियों के पुनर्स्थापन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है।

उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म तरंग प्रणाली

[हिन्दी]

7196. श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी

क्या संचार मंत्री 26 नवम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न सं० 501 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या कांसखेत को सूक्ष्म तरंग प्रणाली से जोड़ दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार नन्द प्रयाग (चमोली जिला) और सतपुली (पौड़ी गढ़वाल) के एक्सचेंजों को भी इस प्रणाली से जोड़ने का है;

(घ) यदि हां, तो कब; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं। दिनांक 25-11-91 के प्रश्न सं० 501 के उत्तर के अनुसार, यह उल्लेख किया गया था कि माइक्रोवेव अथवा रेडियो प्रणालियों के प्रस्तावों में कांसखेत शामिल नहीं है।

(ख) कोई विलंब नहीं हुआ है। आठवीं योजना के दौरान एक उपयुक्त रेडियो प्रणाली प्रदान किए जाने की योजना तैयार की गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) आठवीं योजना अवधि के दौरान इसकी योजना है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

टेलीकॉम फैक्टरी, मुम्बई द्वारा व्यय

[अनुवाद]

7197. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीकॉम फैक्टरी, मुम्बई ने अपने परिसर में इलेक्ट्रो-प्लेटिंग एककों की स्थापना करने पर कितनी लागत लगाई अथवा कितना व्यय किया;

(ख) कारखाने द्वारा सिलवर प्लेटिंग ठेका-कार्य को पूरा कराने हेतु लगाये गये ठेकेदारों का विवरण क्या है और गत दो वर्षों में उन्हें कितना भुगतान किया;

(ग) क्या यह कारखाना ठेकेदारों को बरीयता देने के लिए अपनी अधिष्ठापित क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य व कारण क्या हैं ?

संचार मंत्रालय के उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) :

(क)	(i) संयंत्र की लागत	—	रु० 80.75 लाख
	(ii) अन्य व्यय	—	रु० 14·54 लाख
			कुल : रु० 95.29 लाख

इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूनिट 18 दिसम्बर, 1991 को चालू की गई थी।

(ख) फर्म का नाम	अदा किये गए प्रभार (लाख रुपयों में)		जोड़
	90-91	91-92	
मैसर्स कांगोवी इलेक्ट्रॉनिक्स बंगलौर	48.62	4.94	53.56
मैसर्स श्रवेरो ब्रदर्स इलेक्ट्रोप्लेटर्स प्रा० लि० बंबई	57.95	15.48	73.43
मैसर्स देवल इलेक्ट्रोप्लेटर्स पुणे	12.59	6.78	19.37
मैसर्स फीसन्स इंटर-प्राइसेज बंबई	57.95	15.42	73.37

(ग) और (घ) मार्च, 1992 के दौरान निर्धारित क्षमता प्राप्त कर ली गई है। इस क्षमता का उपयोग करने के लिए तरजीह दी जा रही है।

कर्नाटक में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

7198. श्री एस० बी० सिदनाल :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में जिला-वार अभी तक कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित किए गये हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार 1992-93 के दौरान और अधिक सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो जिला-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० बी० रंगय्या नायडु) : (क) 29-2-1992 तक के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(घ) और (घ) योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

विवरण

कर्नाटक में 29-2-1992 की स्थिति के अनुसार संस्थापित सार्वजनिक टेलीफोन घरों का ब्यौरा

जिला	स्थानीय पी० सी० ओ०	लंबी दूरी के पी० सी० ओ०	एस० टी० डी० युक्त पी० सी० ओ०
1	2	3	4
बंगलौर	2073	15	851
मांड्या	127	29	34

1	2	3	4
तुमकुर		66	33
कोलार	158	45	52
दावणेरे	216	60	61
हासन	144	16	28
बेलारी	182	37	34
रायचूर	107	108	42
बीजापुर	235	140	31
गुलबर्गा	230	145	29
कारवाड़	266	44	52
मडाकेरी	96	03	25
चिकमंगलूर	146	21	30
शिमोगा	200	30	31
मैसूर	475	69	158
मंगलूर	636	32	282
हुबली	395	112	110
बेलगांव	379	95	103
बीदर	100	68	15
योग :	6270	1135	1951

हैदराबाद और लखनऊ केन्द्र से उर्दू समाचार बुलेटिन

7199. श्री धर्मलिंगम् :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हैदराबाद और लखनऊ दूरदर्शन केन्द्रों से उर्दू समाचार बुलेटिन शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां।

(ख) स्कीम तैयार की जा रही है।

डाक विभाग में उच्च संवर्ग के कार्मिकों की संख्या में कटौती करना

7200. श्री राम नाईक :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उच्च संवर्ग के कार्मिकों की संख्या में कम से कम दस प्रतिशत की कटौती करने का है;

(ख) डाक विभाग में इस समय बोर्ड के सदस्यों, महाउपनिदेशकों, प्रादेशिक महाडाकपालों और डाक सेवा महानिदेशकों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त सभी पदों की आवश्यकता की पुनरीक्षा करने का है ताकि इनकी वर्तमान संख्या में दस प्रतिशत की कटौती पर विचार किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) इस सम्बन्ध में विस्तृत कार्रवाई की जा रही है।

(ख) निम्नलिखित संवर्गों में पदों की संख्या से सम्बन्धित जानकारी प्रत्येक संवर्ग के सामने दी गई :

1.	बोर्ड के सदस्य	3
2.	उप महानिदेशक	16
3.	क्षेत्रीय पोस्टमास्टर जनरल	10
4.	निदेशक डाक सेवा	89

(ग) जी हां। सदस्य स्तर को छोड़कर जिसके 4 पदों में से एक पद को मितव्ययिता का पालन करते हुए हाल ही में समाप्त किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में पर्यटन स्थलों का विकास

[हिन्दी]

7201. श्री राम नारायण बेरवा :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा राजस्थान में पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित करने हेतु चुने गए स्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन स्थलों को विकसित करने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) पिछड़े, दुर्गम तथा दूर-दराज क्षेत्रों में नए पर्यटक गंतव्य-स्थलों का विकास करने के उद्देश्य से, भारत पर्यटन विकास निगम ने फरवरी-मार्च, 1992 के दौरान राजस्थान में जैसलमेर के निकट साम में टैंटों में आवास की व्यवस्था वाले एक साहसिक पैकेज शिविर का आयोजन किया था।

एयर इंडिया के विमानों का चरणबद्ध तरीके से हटाना

[अनुवाद]

7202. **श्री मोहन रावले :**

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुर्जों का कार्यकाल घटाने संबंधी एयर इंडिया के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) यह उपाय एयर लाईन को सम्पूर्ण नियमित योजना के लिए कितना सहायक होगा;

(घ) क्या किसी विमान को उड़ान से हटाने के लिए सभी वर्तमान प्रक्रियाओं और औपचारिकताओं का पालन किया जाएगा; और

(ङ) इसके स्थान पर नए विमान लाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) से (ङ) जी, हां। सरकार ने 20 वर्ष की अवधि के बाद विमानों को सेवा से हटाये जाने की वर्तमान पद्धति के स्थान पर, दस वर्ष की अवधि के बाद विमानों को सेवा से हटाने से संबंधी एअर इंडिया के प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन दे दिया है। अत्यधिक आधुनिक और चुस्त विमान बेड़े से, रखरखाव में कम खर्च, विमान उपयोगिता में वृद्धि तथा "समय पर" निष्पादन बेहतर ग्राहक अपील होने की आशा है। सभी प्रकार के संचालन निर्धारित पद्धतियों के अनुरूप किए जाएंगे। एअर इंडिया ने एक विमान बेड़ा नवीकरण योजना तैयार की है और इसे विमानों तथा संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्यान्वित किया जाएगा ?

इंडियन-एयरलाइंस के पायलट

7203. **श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन :**

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस के पायलटों की एअर इंडिया सहित दूसरी एयरलाइनों में जाने की अनुमति नहीं दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) इंडियन एअर लाइन्स की परिचालन सम्बन्धी आवश्यकताओं तथा विमानचालकों को प्रशिक्षित करने की दीर्घ

अवधि को ध्यान में रखते हुए इण्डियन एयरलाइन्स के विमानचालकों द्वारा एअर इण्डिया से भिन्न अन्य एयरलाइनों को किए गए आवेदन पत्र सामान्यत: अग्रेषित नहीं किए जाते हैं।

इस्पात नगरों का सौन्दर्यकरण

7204. कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात नगरों के सौंदर्यकरण के लिए दीर्घावधि योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो इस्पात नगर-वार इस पर जाने खर्च की जाने कुल धनराशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में वित्तीय वर्ष 1992-93 के लिए बनायी गयी योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र में एकीकृत इस्पात संयंत्र अर्थात् स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड और विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्रों द्वारा योजनाएं शुरू की गई हैं जो उनके निवासियों की सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करती है ताकि बस्ती में उनका रहन-सहन आरामदायक और खुशहाल हो सके। वर्ष 1992-93 के दौरान इस्पात संयंत्र नगर-वार कार्यान्वयनाधीन कार्यक्रमों की रूप-रेखा का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1. **भिलाई इस्पात संयंत्र :**

विभिन्न निर्माण कार्यों पर 400 लाख रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। इन कार्यों में सड़कों की मरम्मत, सड़क संकेत बोर्डों की पेन्टिंग और रिपेन्टिंग, वन के रास्तों को चौड़ा करना, मल निकासी प्रणाली का सुधार, प्रकाश व्यवस्था में सुधार, सड़क के किनारे के नालों से कीचड़ निकालना, सार्वजनिक उपवनों का विकास करना आदि शामिल हैं।

2. **दुर्गापुर इस्पात संयंत्र :**

विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए लगभग 80 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं। इन कार्यों में म्युजिकल फाउन्टेन सहित मोहन कुमार मंगलम पार्क, कामगार स्मृति, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का रजत जयन्ती स्मारक, पण्डित जवाहर लाल नेहरू की प्रतिमा की स्थापना आदि शामिल हैं।

3. **राउरकेला इस्पात संयंत्र :**

विभिन्न निर्माण कार्यों पर 45 लाख रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। इन कार्यों में विद्यमान इन्दिरा गांधी पार्क का समन्वित विकास, अक्वेरियम की स्थापना, विद्यमान झीलों का नवीकरण, पक्षी विहार बनाना, मगरमच्छ पालनकेन्द्र आदि शामिल हैं।

4. बोकारो इस्पात संयंत्र :

विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए 31.33 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं। इन कार्यों में सिटी पार्क, झील, रोज गार्डन का विकास, बोटेनिकल गार्डन; पिकनिक स्पाट, नर्सरी का विकास, आवारा पशुओं से बस्ती को मुक्त रखने के लिए खटाल विकास कार्यक्रम आदि शामिल हैं।

6. विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र :

विशाखापट्टनम इस्पात परियोजना अभी निर्माणाधीन है। नई बस्ती के लिए 1992-93 में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें से कुछ राशि पार्कों, खेल के मैदानों का विकास, सड़क के किनारे वृक्षारोपण और प्रकाश व्यवस्था आदि पर खर्च की जाएगी।

संगमरमर का पुन: वर्गीकरण

7205. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संगमरमर और ग्रेनाइट को मुख्य खनिज के रूप में पुन: वर्गीकृत करने का है;

(ख) यदि हां, तो यह वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है;

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने इन खनिजों को मुख्य खनिजों के रूप में पुन: वर्गीकृत किए जाने का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) जी नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी हां।

(घ) "क" व "ख" के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

बिहार और पश्चिम बंगाल द्वारा मोराक्षी बांध से बिजली की हिस्सेदारी

[हिन्दी]

7206. श्री ललित उरांव :

श्री रामदेव राम :

क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच मोराक्षी बांध संबंधी समझौता कब हुआ था और इसका किन-किन तारीखों को नवीकरण किया गया तथा इस समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) इस समझौते में इस बांध से उत्पन्न विद्युत और जल का कितने-कितने प्रतिशत हिस्सा बिहार और बंगाल के लिए निर्धारित किया गया था;

(ग) मौरक्षी बांध की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान इस बांध से उत्पन्न हुई विद्युत का वर्षवार ब्योरा क्या है और पश्चिम बंगाल तथा बिहार को वर्षवार कितने प्रतिशत हिस्सा मिला;

(ङ) क्या गत वर्षों के दौरान समझौते की शर्तों के विरुद्ध बिहार को कम विद्युत दी गई है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) दामोदर बराकर, अजय, मौरक्षी-सिद्धेश्वरी-नून बील और महानन्दा नदी बेसिन के जल संसाधनों के समुपयोजन के बारे में बिहार और पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्रियों के बीच 19-7-1978 को एक समझौता हुआ था । मौरक्षी-सिद्धेश्वरी-नून बील बेसिन के जल संसाधनों के समुपयोजन से संबंधित समझौते की रूप रेखा का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है । इस समझौते में मौरक्षी जल विद्युत परियोजना की विद्युत के बंटवारे का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।

(ग) मौरक्षी जल विद्युत परियोजना की अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता 2×2=4 मेगावाट है ।

(घ) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

दामोदर बराकर, अजय, मौरक्षी सिद्धेश्वरी नून बील तथा महानन्दा नदी बेसिन में जिन स्थानों पर बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों के सह-बेसिन हैं; इनके जल संसाधनों के समुपयोजन के लिए पटना में 19 जुलाई, 1978 को मौरक्षी-सिद्धेश्वरी-नून बील बेसिन के बारे में पश्चिम बंगाल और बिहार के मुख्य मंत्रियों के बीच हुए समझौते के उद्धरण

2. मौरक्षी-सिद्धेश्वरी-नून बील बेसिन :

(1) बिहार के लिए सिंचाई संबंधी वचनबद्धता हेतु मौरक्षी बांध में जलाशय का जल स्तर जहां तक व्यावहारिक होगा खरीफ मौसम के दौरान जलाशय के समुचित नियन्त्रण द्वारा आर० एल० 363.0 से नीचे न आ पाए, इसकी अनुपालना की जाएगी । किसी भी स्थिति में जल स्तर आर० एल० 349 (अर्थात् निष्क्रिय भंडारण स्तर-डैड स्टोरेज लेवल) से नीचे नहीं आने दिया जाएगा । मौरक्षी जलाशय से पम्पों के प्रचालन की लागत, पश्चिम बंगाल द्वारा वहन की जाएगी;

(2) इसके अलावा 1.60 लाख एकड़ फीट के समुपयोजन के लिए, पश्चिम बंगाल सिद्धेश्वरी नून बील बांध का निर्माण कर सकता है तथा इस बांध के प्रति प्रवाह में नदियों के जल का

को सिंचाई कार्यों के लिए बिहार हेतु आरक्षित रखा जाएगा। इस बांध से बाढ़ संबंधी स्थिति का नियंत्रण नहीं हो पाएगा;

(3) सिद्धेश्वरी नून बील जलाशय चालू किए जाने की स्थिति में आ जाने के पश्चात् मोराक्षी और सिद्धेश्वरी-नून-बील जलाशयों का बिहार और पश्चिम बंगाल द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रण किया जाएगा;

(4) संथाल परगना के रणेश्वर ब्लाक में मोराक्षी के बाएं तट के क्षेत्रों में सिंचाई कार्यों के लिए सिद्धेश्वरी नून-बील बांध से पश्चिम बंगाल द्वारा बिहार को 10,000 एकड़ फीट जल निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा;

(5) बिहार सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मानदण्ड एवं मानक के अनुरूप, सिद्धेश्वरी नून बील बांध से बिहार का जो क्षेत्र जलमग्न होगा, पश्चिम बंगाल इस प्रकार अधिग्रहित भूमि और पुनर्वास की लागत भी वहन करेगा।

ऊर्जा ग्राम योजनाएं

[अनुवाद]

7207. श्री सैयद शाहाबुद्दीन :

श्री राम लखन सिंह यादव :

श्री काशीराम राणा :

डा० असीम बाला :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1992 तक राज्यवार कितनी ऊर्जा ग्राम परियोजनाओं को स्वीकृत दी गई है तथा विभिन्न राज्यों की प्रमुख एजेंसियों से कुल कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए;

(ख) स्वीकृत परियोजनाओं में क्रियान्वयन की राज्यवार स्थिति क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है और राज्य-वार कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(घ) बिहार में किन स्थानों के लिए ऊर्जा ग्राम परियोजना स्वीकृति की गई हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राय) : (क) ऊर्जा ग्राम परियोजनाओं के प्रारम्भ से 31 मार्च, 1992 तक इनकी राज्यवार संख्या तथा विभिन्न राज्य नोडल अभिकरणों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों की कुल संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की राज्यवार वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) ऊर्जा ग्राम परियोजनाओं में विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा युक्तियों की स्थापना के लिए इन विभिन्न कार्यक्रमों जैसे बायोगैस, उन्नत चूल्हों, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त कुल राशियों में शामिल है और इन परियोजनाओं को अलग से निर्मुक्त नहीं किया जाता है । तथापि, फुटकर पुर्जों, प्रचालन, अनुरक्षण का लागत और विविध लागतों को पूरा करने के लिए, राज्यवार केवल ऊर्जा ग्राम कार्यक्रम के अन्तर्गत और डा० बी० आर० अम्बेडकर शताब्दी समारोह कार्यक्रम के तहत 20 परियोजनाओं समेत 26 विशेष परियोजनाओं के अन्तर्गत निर्मुक्त निधियां संलग्न विवरण-III में दी गई हैं ।

(घ) बिहार में स्वीकृत ऊर्जा ग्राम परियोजनाओं के स्थान संलग्न विवरण-IV में दिए गए हैं ।

विवरण-I

31-3-1992 तक प्राप्त और स्वीकृत ऊर्जा ग्राम परियोजना प्रस्तावों का राज्यवार ब्योरा

क्र०सं०	राज्य	प्राप्त परियोजना प्रस्ताव	स्वीकृत परियोजनाएं
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	50	21
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1
3.	असम	3	3
4.	बिहार	20	14
5.	गुजरात	35	33
6.	हरियाणा	8	5
7.	हिमाचल प्रदेश	4	2
8.	जम्मू एवं कश्मीर	2	2
9.	कर्नाटक	7	7
10.	केरल	4	1
11.	मध्य प्रदेश	44	32
12.	महाराष्ट्र	135	81
13.	उड़ीसा	27	14
14.	पंजाब	16	6
15.	राजस्थान	27	2

1	2	3	4
16.	तमिलनाडु	55	55
17.	उत्तर प्रदेश	105	81
18.	पश्चिम बंगाल	19	11

विवरण-II

ऊर्जा ग्राम परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा
(31-3-1992 की स्थिति के अनुसार)

क्र०सं०	राज्य	पूर्ण	कार्यान्वयनाधीन
1.	आन्ध्र प्रदेश	4	17
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	1
3.	असम	—	3
4.	बिहार	8	6
5.	गुजरात	13	20
6.	हरियाणा	—	5
7.	हिमाचल प्रदेश	—	2
8.	जम्मू एवं कश्मीर	1	11
9.	कर्नाटक	1	6
10.	केरल	—	1
11.	मध्य प्रदेश	21	11
12.	महाराष्ट्र	76	35
13.	उड़ीसा	27	7
14.	पंजाब	—	6
15.	राजस्थान	1	25
16.	तमिलनाडु	4	51
17.	त्रिपुरा	2	—
18.	उत्तर प्रदेश	47	34
19.	पश्चिम बंगाल	—	11
	जोड़ :	155	242

विवरण-III

ऊर्जा ग्राम कार्यक्रम के लिए की गई बजट व्यवस्था से निर्मुक्त धन का राज्यवार ब्योरा

क्र०सं०	राज्य	लाख रुपयों में
1.	आंध्र प्रदेश	14.95
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.65
3.	असम	1.50
4.	बिहार	7.08
5.	गुजरात	44.70
6.	हरियाणा	2.63
7.	हिमाचल प्रदेश	0.70
8.	जम्मू एवं कश्मीर	1.20
9.	कर्नाटक	3.42
10.	केरल	0.60
11.	मध्य प्रदेश	19.09
12.	महाराष्ट्र	34.76
13.	उड़ीसा	31.60
14.	पंजाब	2.66
15.	राजस्थान	11.36
16.	तमिलनाडु	29.47
17.	त्रिपुरा	—
18.	उत्तर प्रदेश	85.25
19.	पश्चिम बंगाल	2.97

विवरण-IV

बिहार में ऊर्जा ग्राम परियोजनाएं

क्र०सं०	गांव का नाम	खण्ड	जिला
1	2	3	4
1.	मिल्कीचक	मुंगेर सदर	मुंगेर

1	2	3	4
2.	रौठा	सौर बाजार	सहरसा
3.	हरपुरा	एकमा	सारन
4.	बड़गांव	टंडवा	हजारीबाग
5.	सिंघरिया	रूपौ सईदपुर	सीतामढ़ी
6.	चन्द्रनगर	खगारिया	खगारिया
7.	रहुआ संग्राम	माधेपुर	मधुबनी
8.	श्यामपुर	मधुपुर	देवगढ़
9.	रुक्का	ओरमानीझी	रांची
10.	पकरी गुरिया	इमामगंज	गया
11.	लोहियानगर	राजगिर	नालन्दा
12.	बारागढ़ी	चन्दनक्यारी	धनबाद
13.	खरपोका	पीरटांड़	गिरिडीह
14.	जालिम	बिशनपुर	गुमला

एअर इंडिया द्वारा मुम्बई से लंदन तक बिना यात्रियों के बोइंग 747 विमान चलाया जाना

7208. श्री अर्जुन सिंह :

श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया ने 23 दिसम्बर, 1991 को उड़ान जाने वाले बोइंग 747 विमान (ए० आई०. 801) की उड़ान रद्द कर दी जिसके कारण 85 यात्रियों को परेशानी हुई;

(ख) क्या एअर इंडिया ने इसी दिन लंदन में फंसे हुए यात्रियों को वापस लाने के लिए मुम्बई से लंदन तक बिना यात्रियों के एक बोइंग 747 विमान चलाया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) विमान में कितने चार्ट ऐसे खड़ाने भरी गई थे;

(ङ) गत तीन महीनों के दौरान एअर इंडिया ने कितनी उड़ानें रद्द की है इनका ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(च) उक्त कारणों से एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को कितना-कितना घाटा हुआ है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया): (क) से (ग) लंदन में मुख्य रूप से खराब मौसम होने के कारण काफी अधिक संख्या में यात्री फंस गए थे। लंदन में रुके हुए इन यात्रियों को लाने के लिए एक विशेष उड़ान भेजी गई। बम्बई से लंदन के लिए 12.7 टन कार्गो के साथ उड़ान परिचालन किया गया और वापसी यात्रा में इसमें 400 यात्री आये। जद्दाह उड़ान में 24 घंटे का विलंब हो गया था। इसलिए इसे रद्द कर दिया गया और जेद्दाह जाने वाले यात्रियों को दूसरी उड़ान में खपाया गया जबकि जेद्दाह/बम्बई यात्रियों को सउदिया में जगह दी गई।

(घ) हज चार्टरों के सिवाय ऐसे किसी उदाहरण का तत्काल पता नहीं चला है।

(ङ) और (च) दिसम्बर, 1991 से फरवरी, 1992 की अवधि के दौरान 21,810 उड़ानों में से 813 उड़ानों को रद्द किया गया— इनमें से 96 उड़ानों को विमान अनुरक्षण और हैंडलिंग के कारण 276 उड़ानों को मौसम, हवाई अड्डा सुविधाओं, विमान चालकों की हड़ताल आदि और 442 उड़ानों को परिणामी कारणों से रद्द किया गया। विमान चालकों की हड़ताल के कारण उड़ानों को रद्द करने से लगभग 4 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ; रद्द की गई अन्य उड़ानें सामान्य स्वरूप की हैं, अतः हानि की मात्रा को मापना कठिन है क्योंकि यात्रियों को सामान्यतः अगली उपलब्ध उड़ानों में स्थान दिया जाता है।

बैतरणी नदी पर तटबंध

7209. श्री अनादि चरण दास :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैतरणी नदी के दोनों ओर तटबंध बनाने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्तुत कोई मास्टर प्लान केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) इसे कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को "भीमकुण्ड" की ढलान पर कोई नया तटबंध तब तक निर्मित न करने का अनुदेश दिया है जब तक कि मास्टर प्लान को मंजूरी नहीं दी जाती; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) राज्य सरकार ने भीमकुण्ड परियोजना की बाढ़ की स्थिति के लिए बैतरणी प्रणाली की बाढ़ नियंत्रण स्कीम तैयार की है चूंकि भीमकुंड परियोजना को अभी प्रस्तुत किया जाना है, इस लिए राज्य सरकार ने केन्द्र को प्रस्तुत करने के वास्ते बाढ़ नियंत्रण के लिए मास्टर योजना तैयार करने की परिकल्पना की है।

बोकारो इस्पात संयंत्र में वस्तुओं का उत्पादन

[हिन्दी]

7210. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :

क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर 1991 में बोकारो इस्पात संयंत्र की इस्पात फाउण्ड्री में कुल 125 वस्तुओं का उत्पादन करने की योजना थी जबकि केवल 68 वस्तुओं का उत्पादन किया गया और 57 वस्तुओं का उत्पादन ही नहीं किया गया;

(ख) क्या जब मांग के अनुसार वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता तो संयंत्र में खराबी की सम्भावना अधिक होती है और इस प्रकार वस्तुएं अधिक मूल्यों पर खरीदी जाती है;

(ग) क्या ऐसी वस्तुओं का आयात किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) अक्तूबर, 1991 के महीने में बोकारो इस्पात संयंत्र के इस्पात ढलाई-घरों में 134 मदों के उत्पादन की योजना बनाई गई थी। इन मदों में से 112 मदों का उत्पादन किया गया और 22 मदें उस महीने में तैयार नहीं की जा सकीं।

(ख) जी, नहीं। मदों का उत्पादन संयंत्र की भावी आवश्यकताओं की योजना प्रत्याशा के अनुसार किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बोकारो इस्पात संयंत्र के विमान का दुरूपयोग

[अनुवाद]

7211. श्रीमती गिरिजा देवी :

क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा एक विमान का रख-रखाव किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में विमान का उपयोग किया जाता है;

(ग) क्या यह सच है कि इस विमान का उपयोग अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत कार्य और दिल्ली भ्रमण के लिए भी किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो गत दो वर्ष के दौरान अधिकारियों द्वारा कितनी बार इस विमान का उपयोग व्यक्ति कार्य और दिल्ली भ्रमण के लिए भी किया गया और प्रत्येक बार उस पर कितना धन व्यय हुआ;

(ङ) क्या नियमों अथवा शर्तों के अधीन ऐसे प्रयोजनों के लिये विमान का उपयोग किया जा सकता है;

(च) यदि हां, तो उसके उपयोग की क्या शर्तें हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो इसका भविष्य में दुरूपयोग रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (घ) अत्यावश्यक आकस्मिक परिस्थितियों में इस्तेमाल करने हेतु बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा छः सीटों वाले एक विमान का रख-रखाव किया जा रहा है इस विमान का उपयोग स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० (सेल)/सरकारी अधिकारियों की सरकारी यात्रा (इसमें दिल्ली की यात्रा भी शामिल है) के लिए किया जा सकता है और उसका तदनुसार इस्तेमाल किया गया है। कतिपय अवसरों पर सरकारी उद्देश्य के लिए जब इस विमान का इस्तेमाल किया गया है तो अधिकारियों/उनके परिवार के सदस्यों ने भी कम्पनी द्वारा निर्धारित प्रभारों का भुगतान करके सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से निजी यात्रा हेतु खाली सीटों का इस्तेमाल किया है।

(च) से (च) वर्ष 1990 और 1991 में बोकारो इस्पात संयंत्र के विमान द्वारा की गयी यात्राओं (ट्रिपों) जिसमें दिल्ली भी शामिल है, की संख्या 209 थी। इनमें 1990 में 104 और 1991 में 105 ट्रिपें हैं। ये यात्राएं सरकारी थीं और विमान का उपयोग नितांत निजी यात्रा के लिए नहीं किया गया था। नियमानुसार जब विमान को सरकारी प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो अधिकारी/ उनके परिवार के सदस्य प्रभार का भुगतान करके खाली सीटों को निजी यात्रा के लिए उपयोग कर सकते हैं। विमान के प्रचालन लागत पर होने वाला खर्च 4000/—रुपये प्रति घण्टा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

फिनलैंड के साथ ऊर्जा के सम्बन्ध में कार्य-दल गठित करने सम्बन्धी समझौता

7212. श्री प्रतापराव बो० भोंसले :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और फिनलैंड ने ऊर्जा सम्बन्धी एक कार्य-दल की स्थापना करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सभी औपचारिकता भी पूरी कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत क्षेत्र में भारत-डेनमार्क समझौता

7213. श्री आर्ज फर्नांडीज :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और डेनमार्क ने पर्यावरण की रक्षा करने और प्रदूषण को नियन्त्रित करने के लिए प्राकृतिक गैस और अन्य पुनः प्रयोज्य ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग करने पर बल दिया है, जैसा कि दिनांक 4-3-92 के "हिन्दू" में समाचार में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस दिशा में कोई प्रयास किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विद्युत के उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस तथा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के अन्य प्रकार के उपयोग के लिए पर्यावरण एवं अन्य पहलुओं को भारत सरकार समुचित प्राथमिकता प्रदान करती है। विद्युत क्षेत्र में डेनमार्क से अब तक मुख्य रूप से पवन ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग प्राप्त किया गया है तथापि भारत और डेनमार्क के बीच सहयोग के लिए कुछ अन्य क्षेत्रों का पता लगाया जा रहा है।

कोका कोला कम्पनी द्वारा आलू का आयात

7214. श्री रवि राय :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोका कोला कम्पनी को आलू का आयात करने की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) प्रसंस्कृत एक्सट्रूडेड नाश्ता आहार, प्रसंस्कृत मेवे, जल्दी खराब न होने वाले आलू चिप्स और गैर-एल्कोहालिक पेय, बेस/सुगन्ध को तैयार करने के लिए महाराष्ट्र के एक पिछड़े जिले में "ब्रिटको फूड्स प्रा० लि०" नामक एक नई कम्पनी द्वारा एक यूनिट की स्थापना के लिए 60% अनिवासी भारतीय इक्विटी शेयर वाली हांगकांग स्थित मै० जे० एम० आर० पी० कं० लि० और 40% इक्विटी वाली अमरीकी कोका कोला कम्पनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी कोका कोला साउथ एशिया द्वारा मै० ब्रिटानिया इण्डस्ट्रीज लि०, कलकत्ता और एक महाराष्ट्र राज्य सरकार की एजेंसी के साथ संयुक्त उद्यम के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दी है। प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ-साथ जल्दी खराब न होने वाले आलू चिप्स तैयार करना भी शामिल है जिसके लिए आलू की पपड़ियों का "फ्लैकेट एडवांस लाइसेंस स्कीम" के अन्तर्गत आयात किया जाएगा। पहले पांच वर्षों के दौरान आलू की पपड़ियों की वार्षिक आवश्यकता 600 से 720 मी० टन तक होगी। परियोजना रिपोर्ट के अनुसार प्रसंस्कृत नाश्ता आहारों, मेवों और चिप्स के उत्पादन का शत-प्रतिशत निर्यात किया जाएगा।

तूतीकोरीन हवाई अड्डा

7215. श्री एम० आर० कादम्बुर जनार्दनन :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तूतीकोरीन में नव-निर्मित हवाई अड्डा कब तक चालू हो जाने की सम्भावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा लाइसेंस जारी किए जाने के पश्चात तूतीकोरीन हवाई अड्डा परिचालनात्मक हो जाएगा ।

मंगलौर विद्युत परियोजना

7216. श्री बी० कृष्णा राव :

श्री के० एच० मुनियप्पा :

श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में मंगलौर का सुपर ताप विद्युत परियोजना-चरण एक को पर्यावरण की दृष्टि से मंजूरी प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह परियोजना कार्य कब से आरम्भ हो जाएगा ।

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) जी, हां। पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय द्वारा परियोजना के चरण-I के संबंध में जनवरी, 1992 में कुछ शर्तों के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। उक्त मन्त्रालय द्वारा लगाई गई मुख्य शर्तों में से एक शर्त यह है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन० टी० पी० सी०) द्वारा राख कार्य निपटान हेतु भूमि का अधिग्रहण, विवाद रहित क्षेत्र में किया जाना चाहिए जो कि उपजाऊ कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए और एन० टी० पी० सी० द्वारा येल्लुरू में निर्दिष्ट क्षेत्र का इस उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए ।

एन० टी० पी० सी० ने पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय को स्पष्ट किया है कि न्यायालय के निर्णय के अनुसार येल्लुरू क्षेत्र को विवादास्पद क्षेत्र नहीं माना जा सकता और एन० टी० पी० सी० ने उक्त मन्त्रालय से अनुरोध किया है कि येल्लुरू में राख निपटान सम्बन्धी कार्य किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर पुन: विचार किया जाए क्योंकि पर्यावरण एवं तकनीकी-आर्थिक दोनों दृष्टियों से यह स्थान राख निपटान हेतु सर्वथा उपयुक्त है । इसके अलावा, तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य प्रणाली के लिए परियोजना के आस-पास कोई अन्य विवादरहित क्षेत्र नहीं पाया गया है ।

(ग) सरकार द्वारा निवेश सम्बन्धी अनुमोदन प्रदान किए जाने और सभी निवेश सुनिश्चित किए जाने के बाद ही परियोजना का कार्य आरम्भ किया जा सकता है ।

गुजरात में सार्वजनिक टेलीफोन कनेक्शन

[हिन्दी]

7 21 ९. श्री हरि सिंह चावड़ा

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में जिले-वार सार्वजनिक टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने व्यक्ति पंजीकृत हैं;

(ख) उनकी मांग को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार सीमावर्ती और आदिवासी क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है जिसे सदन-पटल पर रख दिया जाएगा ।

भारत के पर्यटक मानचित्र में महाराष्ट्र के विभिन्न हिल-स्टेशनों को सम्मिलित करना

7218. श्री यशवंतराव पाटिल :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को महाराष्ट्र के मठेरन, पंचगनी, पनहाला, चिखलदारे, लोनावाला, खन्डाला और महाबलेश्वर पर्वतीय स्थलों (हिल-स्टेशनों) को भारत के पर्यटक मानचित्र में सम्मिलित करने संबंधी प्रस्ताव मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा तैयार कराए गए पर्यटक मानचित्र में ये स्थल सम्मिलित हैं ।

गुजरात में टी०वी० रिले केन्द्र

7219. श्री नारायणभाई जमलाभाई राठवा :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के भड़ौच, साबरकांठा, बनासकांठा, सूरत, मांडवी, सोनगढ़, डांग और बलसार जिलों में तथा छोटा नागपुर में और नसवाड़ी और नडाद जनजाति जिलों में टी०वी० रिले केन्द्रों की स्थापना के लिए प्रबन्ध किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त साधनों के अलावा अन्य किन-किन स्थानों में टी०वी० रिले केन्द्र की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी;

(ग) क्या उक्त स्थानों पर टी०वी० रिले केन्द्र संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने उनका उचित कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) दूरदर्शन ने गुजरात में निम्नलिखित स्थानों पर रिले ट्रांसमीटर स्थापित किए हैं :—

1. अहमदाबाद
2. द्वारिका
3. राजकोट
4. जाहवा
5. अम्बाजी
6. अमरेली
7. भावर
8. भरूच
9. भावनगर
10. भुज
11. छोटा उदयपुर
12. देवियापाड़ा
13. धोराजी
14. दोहाद
15. गोधरा
16. जामनगर
17. जूनागढ़
18. केवाड़िया कालोनी
19. कोसाम्बा
20. मेहसाना
21. नवसारी
22. पालनपुर
23. पाटन
24. पोरबन्दर
25. सोनगढ़
26. सूरत
27. सुरेन्द्र नगर
28. थराड़
29. वादोदरा
30. वलसाड़
31. वेरावाल
32. ककरापाड़

(ग) और (घ) बताया जाता है कि इस समय गुजरात में कार्यरत दूरदर्शन ट्रांसमीटर संबंधित कवरेज क्षेत्र में संतोषजनक सेवा प्रदान कर रहे हैं। किन्तु ऐसा देखने में आया है कि कुछ रिले केन्द्रों में बिजली की संतोषजनक सप्लाई न होने का ट्रांसमिशन पर प्रभाव पड़ा था। यद्यपि अधिकांश ट्रांसमिशन केन्द्रों पर वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर डीजल जेनरेटरों की व्यवस्था कर दी गई है, किन्तु बिजली से डीजल और डीजल से बिजली में बदलने पर हर बार सेवा में कुछ क्षणों के लिए रुकावट हो जाती है। क्षेत्र में पर्याप्त लवण तत्व होने और हवा में अत्यधिक नमी के कारण ट्रांसमीटर के हिस्सों और टावर में जंग लग जाने से द्वारिका में टी०वी० रिसेप्शन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ा है। दीर्घकालिक उपाय किये जाने तक, ट्रांसमीटर को ठीक करने के लिए कतिपय अल्पकालिक उपाय किये

गए हैं। इस समय यह ट्रांसमीटर एक कि०वा० की कम शक्ति पर कार्य कर रहा है। दूरदर्शन का यह सतत प्रयास रहता है कि गुजरात के ट्रांसमीटरों सहित देश में कार्य कर रहे सभी टी०वी० ट्रांसमीटरों से उच्चस्तरीय रिसेप्शन और निर्बाध दूरदर्शन सेवा प्राप्त हो।

महाराष्ट्र की विद्युत परियोजनाओं का गैर-सरकारीकरण

7220. **श्री बिलासराव नागनाथराव गूंडेवार :**

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र का किन-किन परियोजनाओं को गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपने का विचार है;

(ख) सरकार किन-किन नई परियोजनाओं को गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपने पर विचार कर रही है;

(ग) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां इन्हें स्थापित किया जाना है; और

(घ) ये परियोजनाएं कब तक कार्यान्वित की जाएंगी ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) महाराष्ट्र सरकार द्वारा निम्नलिखित विद्युत परियोजनाओं को निजी क्षेत्र के माध्यम से आठवीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित किए जाने हेतु विज्ञापित किया गया है :—

1.	खापरखेड़ा कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना यूनिट 3 एवं 4	2×210 मे०वा०	जिला नागपुर
2.	नागोथाणे संयुक्त साइकिल गैस टर्बाइन विद्युत परियोजना	2×130+150 मे०वा०	जिला रायगढ़

दोड्डबल्लापुर आकाशवाणी केन्द्र; कर्नाटक

[अनुवाद]

7221. **श्री ओ० भाडे गौडा :**

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में दोड्डबल्लापुर आकाशवाणी केन्द्र के द्वितीय चरण पर अब तक कितनी धन-राशि व्यय की गई है; और

(ख) इसके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) फरवरी, 1992 के अंत तक बंगलौर में दोड्डबल्लापुर में 4×500 कि० वा० शार्ट वेव ट्रांसमीटर परियोजना के दूसरे चैनल पर 5,201.39 लाख रुपए खर्च हो चुके थे। ट्रांसमीटरों का संस्थापन सितम्बर, 1992 तक तकनीकी रूप से पूरा कर लिए जाने की परिकल्पना है।

टेलीफान कारखाना, रायबरेली

[हिन्दी]

7222. श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रायबरेली स्थित टेलीफान कारखाने को बन्द करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और सरकार का विचार कारखाने के कर्मचारियों को किस प्रकार से वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने का है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आकाशवाणी केन्द्र, अल्मोड़ा की रेंज

7223. श्री जीवन शर्मा :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा के आकाशवाणी केन्द्र की वर्तमान रेंज कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार इसकी रेंज में विस्तार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) अल्मोड़ा के 1 कि०वा०मी० वेव ट्रांसमीटर की मौजूदा रेंज दिन के समय करीब 20 किलोमीटर है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

पायलटों की मांगें

[अनुवाद]

7224. श्रीमती वासवराजेश्वरी :

श्री यशवंतराव पाटिल :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पाइलट्स गिल्ड द्वारा कोई निदेश जारी करने के कारण एयर इंडिया की लंबी दूरी की उड़ानें अव्यवस्थित हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्योरा क्या है।

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इनकी मांगों की जांच की है; और

(घ) इस बारे में कोई अन्तिम निर्णय कब लिया जाएगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) से (घ) जी, नहीं। भारतीय विमानचालक संघ ने अपने निर्देशों को अस्थगित रखा है क्योंकि मामला क्षेत्रीय श्रमायुक्त, बम्बई के समक्ष निपटारे हेतु पड़ा है। भारतीय विमानचालक संघ द्वारा अपने सदस्यों को दिए गए निर्देश में यह उल्लेख किया गया था कि बी-747 और ए-300 विमानों पर 9 घंटे से अधिक समय वाली अनुसूचित उड़ान पर दो कमांडरों और एक प्रथम अधिकारी के बिना तथा एयरबस-310 विमान पर 8 घंटे से अधिक समय वाली अनुसूचित उड़ान पर दो कमांडरों और एक प्रथम अधिकारी के बिना उड़ान न की जाए ।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में नए विद्युत संयंत्र

[हिन्दी]

7225. श्री नवल किशोर राय :

क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में सब स्रोतों द्वारा राज्य-वार कितनी बिजली पैदा की जा रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने हेतु नए विद्युत संयंत्र स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो ये संयंत्र कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) वर्ष 1991-92 के दौरान ऊर्जा उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) आठवीं योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1991-92 के दौरान राज्यवार ऊर्जा उत्पादन

(आंकड़े मि०यू० में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र/प्रणाली का नाम		वास्तविक उत्पादन
1	2	3
1.	बी०बी०एम०बी०	12535
2.	दिल्ली	6718
3.	जम्मू और कश्मीर	3074

1	2	3
4.	हिमाचल प्रदेश	1856
5.	हरियाणा	3556
6.	राजस्थान	8671
7.	पंजाब	8779
8.	उत्तर प्रदेश	43916
9.	गुजरात	20789
10.	महाराष्ट्र	40731
11.	मध्य प्रदेश	32810
12.	आन्ध्र प्रदेश	30206
13.	कर्नाटक	12867
14.	केरल	5327
15.	तमिलनाडु	24030
16.	बिहार	2584
17.	उड़ीसा	6083
18	पश्चिम बंगाल	13789
19.	दामोदर घाटी निगम	5338
20.	सिक्किम	86
21.	असम	1088
22.	मेघालय	1245
23.	त्रिपुरा	136
24.	मणिपुर	542

दिल्ली में सौर ऊर्जा

[अनुवाद]

7226. डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :

क्या विद्युत और वैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विशेषकर दिल्ली के ग्रामीण और आसपास के क्षेत्रों में अधिक

संख्या में लोगों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए सौर ऊर्जा और गोबर गैस का प्रयोग करने का है। और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) सौर प्रकाशवोल्टीय प्रौद्योगिकी में सूर्य की धूप से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इस समय सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों में अपेक्षाकृत अधिक पूंजी निवेश करना होता है इसलिए ये प्रणालियां बिना बिजली वाले गांवों और दूर-दराज के क्षेत्रों में इस्तेमाल के लिए ही उपयुक्त हैं। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली पूर्णतया विद्युतीकृत है और फिलहाल सौर प्रकाशवोल्टीय प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर उपयोग सीमित है। तथापि परीक्षण और प्रदर्शन उद्देश्यों के लिए दिल्ली में कुछ प्रणालियां स्थापित की गई हैं।

बायोगैस (गोबर गैस) संयंत्रों का उपयोग मुख्यतया खाना पकाने के कार्यों के लिए गैस उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। तथापि अतिरिक्त गैस का इस्तेमाल दोहरे इंधन (बायोगैस डीजल) इंजनों के माध्यम से विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों की सामान्यतया खाना पकाने सम्बन्धी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न आकारों के 600 से अधिक बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के अलावा सामुदायिक/संस्थागत बायोगैस संयंत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत दिल्ली में दो बड़े आकार के संयंत्र लगाए गए हैं।

स्वेयंसेवी संगठनों को "पे फोन"

[हिन्दी]

7227. श्री श्रीकांत जेना :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केवल स्वयंसेवी संगठनों को "पे फोन" प्रदान करने का कोई प्रावधान है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 के दौरान राज्यवार कितने ऐसे फोन प्रदान किये गये हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, नहीं। केवल स्वयंसेवी संस्थाओं को "पे फोन्स" प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। पे फोन्स उन सभी व्यक्तियों को दिये जाते हैं जो स्वेच्छा से तैयार होते हैं बशर्ते कि विभागीय औपचारिकताएं/शर्तें पूरी की गई हों।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आवासीय ऊर्जा प्रारम्भ करना

[अनुवाद]

7228. श्री पी० जी० नारायणन :

क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं योजना के दौरान सभी क्षेत्रों में ऊर्जा की बचत के लिए

कोई वृहद कार्यक्रम प्रारम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और यह कार्यक्रम कब प्रारम्भ किया जाएगा; और

(ग) कृषि क्षेत्र के लिए यह किस हद तक लाभकारी होगा ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) मंत्रिमण्डल सचिवालय में ऊर्जा संरक्षण से सम्बन्धित तत्कालीन सलाहाकार श्री के० एल० पुरी की अध्यक्षता में सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए ऊर्जा संरक्षण सम्बन्धी कार्यदल का गठन किया गया था। इस कार्यदल द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव जिसमें अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ कृषि क्षेत्र को भी शामिल किया गया है, की सरकारी द्वारा समीक्षा की जा रही है और आठवीं योजना के दस्तावेजों को अन्तिम रूप देते समय इस प्रस्ताव को भी अन्तिम रूप प्रदान कर दिया जायेगा।

जल आपूर्ति बोर्ड

7229. डा० बाई० एस० राजशेखर रेड्डी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार दिल्ली में जल आपूर्ति बोर्ड गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) दिल्ली के पुनर्गठन का सुझाव देने के लिए गठित सरकारिया/बालकृष्णन समिति की सिफारिशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, कच्चे जल की अधिप्राप्ति तथा इसके उपचार के लिए एक स्वायत बोर्ड की स्थापना और ग्रामीण क्षेत्रों सहित दिल्ली में प्रत्येक उपभोक्ताओं को इसकी आपूर्ति करने की परिकल्पना है।

सरकार को अभी इस सिफारिश पर निर्णय लेना है।

पेप्सी फूड्स लिमिटेड

7230. श्री रवि राय :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेप्सी फूड्स लिमिटेड ने विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के पास निर्यात प्रतिबन्धों में ढील देने हेतु एक संशोधित आवेदन पत्र दायर किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) मै० पेप्सी फूड्स प्रा० लिमिटेड ने उन्हें स्वीकृत अनुमोदन की शर्तों में संशोधनों के लिए आवेदन किया है। सरकार ने इस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता

7231. श्री के० राममूर्ति दिंडिवनाम :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में कई वर्षों से कमी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो जनसंख्या में हुई वृद्धि के अतिरिक्त इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जल संसाधन विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन से प्रयोग के लिए उपलब्ध जल वर्ष दर वर्ष बढ़ रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जल की उपलब्धता और बढ़ाने के लिए जल संसाधन विकास के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देश के जल की अधिकता वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में जल अन्तरण की परिकल्पना है ।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी उद्यम

7232. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति ने हाल ही में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने सम्बन्धी कुछ उद्यमों को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे निर्यातोन्मुखी एककों को किस हद तक सहायता मिलने की सम्भावना है; और

(घ) इन उद्यमों को किन-किन स्थानों पर आरम्भ करने का प्रस्ताव है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) आवश्यक सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

बहुत समुद्री मात्स्यिकी पर सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा हाल में गहन समुद्री मात्स्यिकी में उद्यमों को दी गई स्वीकृति का ब्यौरा

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	परिचालन के लिये प्रस्तावित जलयानों की संख्या और किस्म	परियोजना का स्वरूप (100% निर्यातोन्मुखी यूनिट या 100% अनिर्यातोन्मुखी यूनिट)	परिचालन बेस
1	2	3	4	5
1.	ओसीनिया मर्चेंडाईज लि०, हैदराबाद	3 इस्टर्न ट्रावलर्स	संयुक्त उद्यम 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी, पट्टे पर	विशाखापत्तनम
2.	टारगेट मेरीन एण्ड इंजीनियर्स लि०. नई दिल्ली	2 इस्टर्न ट्रावलर्स	संयुक्त उद्यम, 100% निर्यातोन्मुखी, खरीदकर	गोवा
3.	मिलो सी फूड लि०, नई दिल्ली	4 इस्टर्न ट्रावलर्स और 1 फैक्टरी ट्रावलर	संयुक्त उद्यम, खरीदकर	मंगलौर

1	2	3	4	5
4.	शिवगंगा फिशरीज लि०, नई दिल्ली	1 ट्रना पर्स सीनर	संयुक्त उद्यम, 100% निर्यातोन्मुखी, खरीदकर	कोचीन/मद्रास
5.	सी० एम० ट्रेडिंग कंपनी लि०, कलकत्ता	2 इस्टर्न ट्रावलर्स और 1 ट्रना लॉंग लाइनर	संयुक्त उद्यम, 100% निर्यातोन्मुखी, खरीदकर	गोपालपुर/ पारादीप
6.	ग्रोव्स काटन लि०, बम्बई	एक ट्रना पर्स सीनर जिसमें 3 जलयान (केचर और 2 स्काउट परीक्षण मालिकाकी नौकाएं होंगी/होंगे)	संयुक्त उद्यम, 100% निर्यातोन्मुखी	मद्रास
7.	सीसा सी फूड्स प्रा० लि०; विशाखापत्तनम	4 इस्टर्न ट्रावलर्स	संयुक्त उद्यम; 100% निर्यातोन्मुखी, खरीदकर	विशाखापत्तनम
8.	जी० एम० के० फिशिंग लि०; मिर्जापुर	2 ट्रना लॉंग लाइनर्स	100% निर्यातोन्मुखी खरीदकर	उल्लेख नहीं किया गया।
9.	इंडो फिशरीज प्रा० लि०; हैदराबाद	2 इस्टर्न ट्रावलर्स	संयुक्त उद्यम, 100% निर्यातोन्मुखी खरीदकर	मद्रास
10.	बी बो ऐन्सी; नई दिल्ली	2 इस्टर्न ट्रावलर्स	संयुक्त उद्यम; 100% निर्यातोन्मुखी, पट्टे पर	गोवा
11.	सी वॉच फिशरीज प्रा० लि०; नई दिल्ली	1 इस्टर्न ट्रावलर्स	संयुक्त उद्यम, 100% निर्यातोन्मुखी, पट्टे पर	गोवा

1	2	3	4	5
12.	सोविन सी फूड्स प्रा० लि०; नई दिल्ली	1 फैक्टरी फ्रीजर ट्रावलर	संयुक्त उद्यम, 100% निर्यातोन्मुखी, परीक्षण मात्स्यिकी	गोवा
13.	चाइका एक्सपोर्ट्स प्रा० लि०; नई दिल्ली	1 इस्टर्न ट्रावलर	संयुक्त उद्यम, 100% निर्यातोन्मुखी, परीक्षण मात्स्यिकी	मद्रास
14.	इण्डियन फिशरीज प्रा० लि०; नई दिल्ली	43-मिनी लाइनर्स और 12 मल्टी-लाइनर्स और 2 ट्रेंडर्स	संयुक्त उद्यम, 100% निर्यातोन्मुखी, पट्टे पर/ खरीदकर	अभी निर्णय किया जाना है।
15.	इकमार फिशरीज प्रा० लि०; नई दिल्ली	3 इस्टर्न ट्रावलर्स	संयुक्त उद्यम, 100% निर्यातोन्मुखी, खरीदकर	मद्रास

12.10 म० प०

रूस से राकेट टैक्नोलाजी के हस्तांतरण के बारे में

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : हमने एक नोटिस दिया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक-एक करके बोलिए।

श्री लोकनाथ चौधरी : हम इस बारे में चर्चा करना चाहते हैं। (व्यवधान) हमारी सरकार संयुक्त राज्य अमरीका के साथ एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का प्रस्ताव कर रही है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, एक ऐसी बात इस सदन में कुछ दिन पहले उठी थी जब पेंटागन पेपर्स का एक हिस्सा अमेरिकी अखबारों ने छापने का काम किया था और उसमें दो बातें थी जो मैं आपके सामने और सदन के सामने रखना चाहता हूं। पहली बात यह थी कि, मैं उनके वह शब्द यानी कि उस दस्तावेज के शब्द आपके सामने रख रहा हूं।

[अनुवाद]

"इस क्षेत्र की सबसे बड़ी सैनिक शक्ति के रूप में हमें अपना वर्चस्व बनाये रखना चाहिए। इससे संयुक्त राज्य अमरीका सहयोग देना जारी रखेगा....."

अध्यक्ष महोदय : कृपया उद्धरण न दें। आप सारांश के रूप में कह सकते हैं। आप इसका उद्धरण देने की बात टाल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह जो दस्तावेज हमारे पास है, उसमें से ठोस दो बातें मात्र आपके सामने रख रहा हूं, यह बताने के लिये कि यह मामला कितना गम्भीर है। समस्या की गम्भीरता हमको समझनी चाहिये। देश की सुरक्षा का प्रश्न इसके साथ जुड़ा हुआ है।

[अनुवाद]

"इस क्षेत्र की सबसे बड़ी सैनिक शक्ति के रूप में हमें अपना वर्चस्व बनाये रखना चाहिए। इससे एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थायित्व बनाये रखने में संयुक्त राज्य अमरीका सहयोग देना जारी रखेगा और एशिया में शक्ति-शून्यता अथवा क्षेत्रीय आधिपत्य का उद्भव रूक पायेगा।"

[हिन्दी]

रीजनल हैजेमोन कौन हैं, वह भी इस दस्तावेज में लिखा है।

[अनुवाद]

"हमें दक्षिण एशिया के अन्य राज्यों तथा हिन्द महासागर पर भारत के आधिपत्य को

[श्री आर्थर फर्नान्डीज]

बढ़ावा नहीं देना चाहिए।"

अध्यक्ष महोदय : कृपया उद्धरण न दें।

[हिन्दी]

श्री आर्थर फर्नान्डीज : मैं और नहीं पढ़ूंगा। मैं दो बातें इसलिये आपके सामने रख रहा हूं कि जो चीज पिछले लगभग ढ़ाई-तीन महीने से चल रही है, चूंकि फरवरी में पहला मामला उठा, अमरीका के विदेश मन्त्री रूस जाते हैं और रूस के विदेश मन्त्री आन्द्रे कोजेरे उनसे कहते हैं कि आपका जो भारत के साथ राकेट को लेकर टैक्नोलाजी ट्रांसफर का मामला है,

[अनुवाद]

इससे अमरीका-रूस के संबंधों में गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है।

[हिन्दी]

अभी हिन्दुस्तान को राकेट टैक्नालाजी देना रूस और अमरीका के बीच के रिश्तों में बहुत बाधक बन रहा है। और आगे जेम्स बेकर कहते हैं, अपने रूसी काउंटर पार्ट, वहां के विदेश मन्त्री को, कि अगर आप इस डील को तत्काल खत्म नहीं करोगे तो···

[अनुवाद]

संयुक्त राज्य अमरीका रूस के विरुद्ध व्यापार सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगा सकता है।

[हिन्दी]

यह बात फरवरी महीने में होती है। मार्च महीने में 6 तारीख को ब्रसल्स में फिर अमेरिका के विदेश मन्त्री रूस के विदेश मन्त्री को यह कहते हैं कि आपने अभी तक इस मामले में कुछ किया नहीं है और अगर तत्काल आप इसमें कार्रवाई नहीं करोगे,

[अनुवाद]

संयुक्त राज्य अमरीका व्यापार सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाने का विचार कर सकता है।

[हिन्दी]

यानी जब पहले बात हुई थी, तब उनको कुछ आश्वासन मिला था, उस आश्वासन की पूर्ति नहीं हुई तो इन्होंने उनको ब्रुसेल्स में 6 मार्च को यह बहुत स्पष्ट कहा कि हमको फिर वह सैंक्शंस की बात करनी पड़ेगी। फिर 23 मार्च को रूस का राजदूत वाशिंगटन में अमेरिकी विदेश मन्त्रालय में विदेश मन्त्री जेम्स बेकर के द्वारा बुलाया जाता है और उन्हें वह कहते हैं कि 3 अप्रैल तक हम आपको समय दे रहे हैं, यानि 10 दिन का हम आपको समय दे रहे हैं, 10 दिन के अन्दर अगर आप भारत के साथ यह टैक्नोलाजी ट्रांसफर के समझौते को तोड़ने का काम नहीं करोगे तो फिर इसके नतीजे बहुत बुरे हो जायेंगे।

बात वहीं नहीं रुकती है; फिर मामला मास्को जाता है। मास्को में रूस का डिप्टी विदेश मंत्री अमेरिकी दूतावास में जाता है, तीन मार्च को वहां जाता है, सात मार्च को फिर वहां जाता है

और वहां उनको समझाने की कोशिश करता है कि नहीं, यह समझौता है लेकिन इसमें कुछ सुधार वगैरह हो सकता है, मगर आपको इस तरह से हमारे पर दबाव नहीं डालना चाहिए लेकिन अमेरिका का एक काउंसमर, एम्बेसडर भी नहीं, एक काउंसलर रूस के डिप्टी विदेश मन्त्री को कहता है, वह बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, उनका, कि इस मामले में.....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपने जो ब्यौरा एकत्र किया है सभी को उसका सम्मान करना चाहिए परन्तु आप जानते हैं कि कुछ तकनीकी कठिनाइयां हैं। हम उसका प्रयोग इस प्रकार से कर रहे हैं मानो हमें इसकी पूरी जानकारी प्राप्त है। यदि आप इसे टाल सकते हैं तो बेहतर होगा।

[हिन्दी]

श्री आर. कर्नाम्डीज : अध्यक्ष जी, यह तो पेंटागन पेपर मैंने आपके सामने रखा है कि हिन्दुस्तान के हैगेमोनिस्टिक डिजाइंस हैं, इन्हें रोकना है और इतना ही नहीं, आपके आदेश के अनुसार मैंने इसे अधिक नहीं पढ़ा। इसमें हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात है, इसमें दक्षिण एशिया में भारत क्या करेगा, क्या नहीं कर सकता है, इसके बारे में अमेरिका का जो विचार है, वह है। मैंने पूरा आपके सामने नहीं पढ़ा। आप जब इस मामले पर सम्पूर्ण बहस सदन में चलाएंगे तो उसको रखने का काम हम जरूर करेंगे लेकिन आज मुझे केवल इतना ही आपसे कहना है, मैं लम्बी बात नहीं करूंगा, मुझे आज आपसे एक बात बहुत स्पष्ट कहनी है, यह दो घटनाएं, जो ताजा घटनाएं हैं, हम चावल देना चाहते थे, क्यूबा ने एक लाख टन चावल मांगा, अन्त में वह 10 हजार टन पर आये, हम लोगों ने कबूल किया। अमेरिका ने कहा, क्यूबा को चावल नहीं जा सकता है, क्यूबा को चावल भेजोगे, हम तुम्हारे ऊपर सख्ती करेंगे और नहीं जायेगा चावल, मुझे मालूम है, मेरे पास इसकी जानकारी है, चावल नहीं जायेगा।

नम्बर दो-रूस को आज वही अमेरिका कहता है कि भारत को तुम जो टैक्नोलोजी दे रहे हो जो टैक्नोलोजी हमारी सुरक्षा के साथ, इस देश में आज तक जितना हमारा स्पेस प्रोग्राम था, उस स्पेस प्रोग्राम को और आगे ले जाने के साथ जुड़ी हुई जो टैक्नोलोजी है, उसको लेकर अमेरिका रूस को कहता है, खबरदार, अगर तुम उनको टैक्नोलोजी देने का काम करोगे, हमारे और तुम्हारे बीच के रिश्ते हम तोड़ेंगे और रूस की आज जो हालत है, उन रिश्तों को रूस तोड़ पायेगा या नहीं तोड़ पायेगा, उस पर मैं यहां कोई टिप्पणी करना पसन्द नहीं करूंगा।

मेरी आपसे बड़ी आग्रह से प्रार्थना है कि इस मसले को आप डिफेंस की बहस के साथ, विदेश मन्त्रालय की बहस के साथ मत जोड़िये। इस देश की सुरक्षा के सवाल के बारे में आज अगर अमेरिका हस्तक्षेप करने तक आकर पहुंचा है, हम लोग बहुत लाचारी में इसके पहले रहे हैं। अमेरिका के बावजूद यह देश जिन्दा रहा है।

जब बंगलादेश के मामले को लेकर युद्ध हुआ था, अमेरिका ने अपनी नौसेना भेजने की बात कही थी, उसका मुकाबला इस देश ने किया है, अमेरिका को अपनी जगह दिखाने का काम किया है और आज उसके 20 सालों के बाद यह देश हम लोगों को इस तरह से धमकाने का काम करेगा, हमारी सुरक्षा, हमारा इस इलाके में क्या स्थान रहेगा। भारत का क्या स्थान रहेगा, इस बात पर अमेरिका आज कहता है कि हिन्दुस्तान हैगेमोनिस्टिक है.....

वह समूची दुनिया पर हैजोमनी चलाना चाहता है। हम अपने पड़ौसियों के साथ क्या रिश्ता

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

बनायेंगे और हम लोग किस तरह से अपने विकास को करेंगे, इस पर आज अमेरीका का हाथ हमारे ऊपर चलेगा ? इसलिए रक्षा मन्त्रालय की बातों के साथ विदेश मन्त्रालय मत जोड़िए। हिन्दुस्तान और अमरीका, हिन्दुस्तान और अपने पड़ोसियों के रिश्ते का सवाल है, हमारे देश के भविष्य का सवाल है, क्योंकि सुरक्षा और भविष्य एक दूसरे के साथ जुड़े हुए मामले हैं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपको इस पर एक बहस इस सदन में चलानी चाहिए। एक बार और अन्तिम बार इस सरकार को हम कहना चाहते हैं, आप अमरीका को कहिए—खबरदार, तुम अगर हमारी रक्षा और सुरक्षा, हमारे विकास के मामलों में इस प्रकार से हस्तक्षेप करने का काम करोगे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : अध्यक्ष महोदय, कुछ दिनों पूर्व रूस के राष्ट्रपति श्री येल्टसीन ने वहां की संसद में बताया था कि सोवियत संघ तथा भारत के बीच राकेट तकनीक संबंधित दो मिलियन डालर के समझौते को समाप्त कर दिया जायेगा। इससे हमारे देश में व्यापक स्तर पर असंतोष व्याप्त हो गया है और ऐसा होना उचित है। हमने यह भी देखा है कि 'कोमसोल काया प्रावदा' ने श्री येल्टसीन के इस घोषणा को नामंजूर कर दिया है। इसलिए, मैं ऐसा समझती हूं कि रूस के सभी लोग श्री येल्टसीन द्वारा उठाये गये कदम से सहमत नहीं हैं।

अब इस सम्बन्ध में श्री जेम्स बेकर के बारे में मेरे सहयोगी श्री जार्ज फर्नान्डीज ने जो कुछ कहा है उसे मैं दोहराना नहीं चाहती हूं। लेकिन मैं एक अन्य बात कहना चाहूंगी।

इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि गत वर्ष संयुक्त राज्य अमरीका के 'जनरल डायनामिक्स' ने पेंटागेन के लिए एक रूपरेखा तैयार की थी जिसमें कहा गया था कि भारत के आणविक और अन्तरिक्ष अनुसंधान केन्द्रों को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। यह समाचार भारत के 'टेलीग्राफ' समाचारपत्र में प्रकाशित हुआ था। लेकिन संयुक्त राज्य अमरीका में भारत के राजदूत ने यह कहा था कि राई का पहाड़ बनाया जा रहा है और इस प्रकार कम से कम उन्होंने यह स्वीकार किया कि कुछ न कुछ बात तो अवश्य थी। लेकिन अब जो कुछ किया जा रहा है उससे ऐसा लगता है कि वास्तव में यह कोई बात आम बात नहीं है बल्कि पर्वत ही है। प्रत्यक्ष रूप से रूस को यह धमकी दी जा रही है कि या तो वे हमारे साथ हुए सौदे को रद्द कर दें या फिर रूस को दी जाने वाली अमरीकी सहायता रद्द कर दी जाएगी। अपनी बात का निर्णय करना उनके हाथ में है। लेकिन हमारी बात का निर्णय करना हमारे हाथों है।

भारत के प्रति संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा हमेशा से इसी प्रकार का प्रतिकूल रवैया अपनाये जाने के कारण क्यों भारत को रक्षा के क्षेत्र में प्रस्तावित संयुक्त अभ्यास पर अमल करना चाहिए तथा साथ ही भारत द्वारा अमरीका को अंडमान तथा विशाखापत्तनम पत्तन के उपयोग के लिए क्यों प्राधिकृत करना चाहिए ? मैं नहीं समझती कि हमारे देशभक्त भारतीय इसे बहुत पसंद करेंगे। मैं सोचती हूं कि अमरीका के इस रवैये का इस प्रतिष्ठित सभा को एकमत होकर निन्दा करनी चाहिए। मैं यह भी सोचती हूं कि हमारी सरकार को अपने विचार अमरीका को बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहिए कि यदि वे हमारी भावनाओं, पूरे देश की भावना के साथ सामंजस्य रखते हैं तो ऐसा होने नहीं दिया जा सकता है। यही मेरा अनुरोध है।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार द्वारा रूसी संघ की सरकार के मामले में हस्तक्षेप किए जाने की जो खबर प्रकाशित हुई है उससे अन्तरिक्ष

अनुसंधान के क्षेत्र में भारत द्वारा किये जा रहे प्रयासों और प्रयत्नों में भी हस्तक्षेप सिद्ध होता है। मैं आवश्यक रूप से इसे भारत के अन्तरिक्ष अनुसंधान प्रयास अथवा सैन्य प्रयास की संज्ञा नहीं दूंगा। जिस बूस्टर इंजिन की मांग की जा रही है उसके तकनीकों अथवा सिद्धान्तों की भी मैं चर्चा नहीं करूंगा। इसमें दो या तीन सिद्धान्त निहित हैं। संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के लिए यह निर्णय करना कि इस उप-महाद्वीप, भारत अथवा विश्व के किसी भी देश के लिए क्या सही है, क्या गलत है उस सिद्धान्त की ही पुष्टि करनी है जिसे कि भाजपा के सदस्यों ने पूर्णरूप से अस्वीकार कर दिया है। एक ध्रुवीय विश्व, संयुक्त राज्य अमरीका की इच्छाओं के अनुसार चलने वाले विश्व की कल्पना हमें स्वीकार्य नहीं है। इसी परिपेक्ष्य में संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार द्वारा रूसी संघ की सरकार पर दबाव डालने का यह प्रयास शान्तिपूर्ण अन्तरिक्ष अनुसंधान जिसमें भारत संलग्न है, के सन्दर्भ में एक अन्य कदम है जो इसी प्रकार का एक और उदाहरण है। अत. मेरी कठिनाई भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले उत्तर में निहित है। मैं नम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि भारत जैसे महान राष्ट्र हर बार छोटी-छोटी घटनाओं पर शिकायत नहीं करते हैं। इस सरकार को दृढ़तापूर्वक यह कहना चाहिए कि चाहे यह भारत का अन्तरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम हो या प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम अथवा परमाणु अप्रसार संधि, ये सभी एक ही विषय के भाग हैं और भारत सरकार इस प्रकार के हर प्रयास को भारत के उद्देश्यों और भारत के हित को ध्यान में रखते हुए करेगी चाहे किसी भी देश द्वारा कितना भी दबाव, कठिनाई और बाधा क्यों न उत्पन्न किया जाए। इन कार्यक्रमों को हम उनके साथ, उनके बिना और उनके होते हुए भी जारी रखेंगे। राष्ट्रीय हितों राष्ट्रीय तकनीकी प्रयासों तथा अन्य प्रयास चाहे यह अन्तरिक्ष के क्षेत्र में, प्रक्षेपास्त्र अथवा आणविक ऊर्जा के क्षेत्र में किए जा रहे हैं जो कि शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किए जा रहे हैं, को प्रभावित करने वाले मामलों के सम्बन्ध में भारत सरकार को इसी प्रकार के नीति सम्बन्धी स्पष्ट वक्तव्य जारी करने की आवश्यकता है। इसकी घोषणा में सरकार को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। महोदय, मेरा अनुरोध यही है कि इस विशेष सन्दर्भ में, समाचार पत्रों में जो प्रकाशित हुआ है उस सन्दर्भ में सरकार के लिए यह आवश्यक है कि आज वह अपनी नीति की घोषणा करे और अपनी स्थिति स्पष्ट करे। यही मेरी मांग है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, पहले ही बहुत कुछ कहा जा चुका है। यह समाचार इस बात को दर्शाने का एक और प्रमाण है कि कुछेक मुख्य कदमों को उठाकर इस विश्व को एक ध्रुवीय बनाने का यह एक प्रयास है। हम पहले ही जानते हैं, जैसा कि उल्लेख किया गया है कि दबाव जारी है ताकि क्यूबा में चावल न भेजा जाए और इस बात के अन्य प्रमाण भी हैं। मैं इस मुद्दे के विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं अभी सरकार से यह अपेक्षा अथवा मांग करूंगा कि किस प्रकार सरकार इस सम्पूर्ण क्षेत्र पर एक विशेष शक्ति द्वारा आधिपत्य जमा लेने की चेतावनी का उत्तर देने का प्रस्ताव करती है ? क्या सरकार पहले ही इसका विरोध कर चुकी है ? इस तकनीकी हस्तांतरण के सम्बन्ध में जो कुछ हो रहा है क्या सरकार ने इस बारे में संसद का विश्वास में लिया है ? क्या सरकार ने तीसरी दुनिया के देशों को इस बात के लिए प्रेरित किया है कि इस प्रकार की प्रवृत्ति, इस प्रकार की धमकी एक विशेष राष्ट्र द्वारा की जा रही है और तीसरी दुनिया के सभी देशों को उनके विरुद्ध संगठित होना चाहिए ? महोदय, इसके बदले हम देखते हैं कि सरकार ने चुप्पी साध ली है और जो हो रहा है उसकी भी जानकारी नहीं दे रही है। अपनी ओर से वे संसद के समक्ष तथ्यों को पेश नहीं कर रहे हैं। इसलिए, महोदय, मैं आपके माध्यम से तीन चीजों की मांग करता हूं—(i) सरकार को शीघ्र ही इस सम्बन्ध में वक्तव्य जारी करना चाहिए कि इस तकनीकी हस्तांतरण की वास्तविक स्थिति क्या है, (ii) यदि ऐसा होता है तो संसद को सर्वसम्मति से उस विदेशी शक्ति की कार्यवाही की, जो कि दो देशों के बीच हस्तक्षेप कर रही है, निन्दा सम्बन्धी संकल्प पारित करना चाहिए, और

[श्री निर्मल कांति चट्टर्जी]

(iii) इस संसद द्वारा तीसरी दुनिया के सभी देशों से भविष्य में इस प्रकार के दबाव का विरोध करने का अनुरोध करना चाहिए। महोदय, विश्व के प्रति तथा अपने देश के प्रति हमारा यही कर्तव्य है।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेंद्रम) : अध्यक्ष महोदय, इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष के लोग भी समान रूप से चिंतित है। यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है और मैं समझता हूं कि पूरा सदन इस मुद्दे पर एकमत है। हम बहुत चिंतित हैं क्योंकि सोवियत संघ के विघटन का प्रभाव पड़ा है और दुर्भाग्य से इसका हमारे देश पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। हमने सोचा कि सोवियत राष्ट्रकुल इसकी देखभाल करेगा। पिछले दो या तीन दिनों से रूस में हो रही घटनाएं बहुत दुखद और एकदम दुर्भाग्यपूर्ण हैं। पूरी स्थिति अनिश्चित है। मैं नहीं जानता कि विस्तृत विचार-विमर्श के लिए यह उचित समय है। मैं यह भी चाहता हूं कि भारत सरकार इस सम्माननीय सदन को इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से यह जानकारी देती रहे कि वहां क्या हो रहा है, विशेषरूप से उस समय जबकि हमारे अन्तरिक्ष आयोग के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिकारियों के साथ परामर्श करने के लिए पहले ही वहां गए हुए हैं। वे इस समय रूस में हैं और रूस की हालत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम एक चीज के बारे में आश्वस्त हैं। हमारा देश किसी भी परिस्थिति में किसी भी देश के दबाव के आगे नहीं झुकेगा चाहे वह संयुक्त राज्य अमेरिका हो या विश्व का कोई अन्य शक्तिशाली देश, हम किसी भी कारण से किसी का मातहत नहीं बनेंगे या किसी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। परन्तु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अन्तरिक्ष कार्यक्रम में हमारा मुख्य सम्पर्क हमेशा भूतपूर्व सोवियत संघ से रहा है।

महोदय, श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव से मेरा एक मतान्तर है। क्योंकि पूरी धारणा ही बदल रही है। हम नहीं जानते हैं कि आने वाले समय में दुनिया में क्या होगा। मुझे गलत न समझें। मैं किसी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका से सम्बन्ध बनाने के पक्ष में नहीं हूं लेकिन बदलती हुई परिस्थितियों में भारत सरकार को पूरे मामले की जांच करनी चाहिए और समुचित कार्रवाई करनी चाहिए ताकि हमारे देश के हितों की रक्षा की जा सके, हमारे अन्तरिक्ष कार्यक्रम, हमारे प्रति-रक्षा कार्यक्रम और परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का ध्यान रखा जा सके और देश की रक्षा की जा सके।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपारा) : अध्यक्ष, महोदय, जो सवाल आपके सामने उठाया गया है, जैसे पिटे-पिटाए तरीके से हम लोग उठाते हैं, यह उस तरह से नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमको लगता है कि पहली बार हम लोगों के समक्ष एक हमारे दोस्त देश रशियन फैडरेशन ने जिस तरीके से हमारे साथ पहले करार करके स्पेस टैक्नोलॉजी देने का वायदा किया था, उसका बाकायदा हम लोगों के पास प्रमाण है, यूनाइटेड स्टेटस ऑफ अमेरिका उस पर दबाव डाल रहा है कि हिन्दुस्तान को इस तरह की टैक्नोलोजी ट्रांसफर न करे। अध्यक्ष यहोदय, सवाल यह है। चार्ल्स साहब का भाषण मैं सुन रहा था, वे अच्छा बोले कि यह सारे देश का सवाल है, संसद का सवाल है। लेकिन मैं बुनियादी सवाल उठा रहा हूं कि स्पेस संगठन के सेक्रेटरी राव साहब वहां गए हुए हैं, जार्ज साहब ने सबूत के साथ जो आपके समक्ष और संसद के समक्ष अपना मत प्रस्तुत किया है कि किस स्तर पर अमेरिका और रूस में इस चीज को लिया गया है। असल में बाकादा अमेरिका की तरफ से कहा गया है, कार्लिग्स ने कहा है, रूस के पदाधिकारियों को कि हाइएस्ट लेवल पर, वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेवल पर निर्णय लिया गया है और अमेरिका ने इस पर टॉप स्टैण्ड लिया है। मेरा कहना यह है कि सारा सदन बैठा है, मंत्री लोग बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हमारा जो लेवल है, यह लेवल मिस्टर राव के लेवल पर, स्पेस के सेक्रेटरी लेवल पर है। मैं बताना चाहता हूं, रूस की पार्लियामेंट को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो गैर सरकारी सदस्य रूस पार्लियामेंट में हैं, मैं जान-बूझकर उनका नाम लेना चाहता हूं, बिटासे

सेवा स्टाएनोव, जो फार्मर कासमोनेट हैं, अपने देश में, इस संसद में हम लोग चिन्ता कर रहे हैं कि देश की आजादी खतरे में है, उस पर हम बहस कर रहे हैं, रूसी पार्लियामेंट में फार्मर कासमोनेट ने मांग की है कि भारत के साथ हमारा दोस्ताना संबंध है उसको बिगाड़ने का काम न करें। मैं दूसरा नाम लेना चाहता हूं, वहां के नामी पत्रकार हैं, अलेगजेंडर बासीलिएव । वे कहते हैं ।

[अनुवाद]

"यदि यह समझौता रद्द हो जाता है, हो अन्तरिक्ष सहयोग के क्षेत्र में रूस, जोकि चीन और फ्रांस की तरह अविश्वसनीय नहीं है, की एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में बनी साख को धक्का लगेगा कि वह भी अमेरिका का विरोध करने में असफल रहा है।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, हम किस दुनिया में हैं। "अग्नि" का जिस तरीके से परीक्षण हुआ था, वह तो खत्म हो जायेगा। हम लोगों की स्पेस रिसर्च की आजादी के बारे में खतरा उत्पन्न हो गया है। मैं, संसद को याद दिलाना चाहता हूं कि जब रूस में "कूप" होने जा रहा था और जिस तरीके से भारत के प्रधान मन्त्री ने इस सिलसिले में ब्यान दिया था, वह शर्मनाक था। भारत के प्रधान मन्त्री मान चुके थे कि इस तरह का उनको ब्यान नहीं देना चाहिए था। विदेश मंत्रालय का काम देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है··· (व्यवधान) और सरकार उसका ठीक से कार्यान्वियन नहीं कर रही है इसलिए यह देश की आजादी और सुरक्षा का सवाल है। मैंने और श्री सैफुद्दीन चौधरी ने यूनियन कारबाइड के अध्यक्ष श्री एन्डरसन की गिरफ्तारी का मामला यहां उठाया था। अखबार के समाचार से यह सन्देह हो गया है कि एन्डरसन को यहां लाने के लिए मैजीस्ट्री आफ ला जो कहता है उनको नहीं लाने जा रहे हैं। आपको मालूम है यूनियन कारबाइड के हजारों लोग मर गए हैं। उनको मुआवजा देने की बजाय वहां यूनियन कारबाइड कह रहा है कि हम हिन्दुस्तान की फैक्टरी को बेच देंगे। जिस तरह से यू० एस० ए० को घमंड हो गया है और जिस तरह की भाषा बोल रहा है तो इसमें डिप्लोमेटिक नाइसेसिटी नहीं है। मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि इसको विदेश मंत्रालय को ब्रिबेट के साथ न जोड़ा जाए। आप विरोधी दल के नेताओं को और सरकारी दल के नेताओं को अपने चैम्बर में बुलाइए। हमारे दोस्त रूस को यू० एस० ए० दबाव डालकर मना कर रहा है कि हिन्दुस्तान को टैक्नोलोजी ट्रान्सफर मत करो, यह बहुत ही गंभीर सवाल है। यह हमारी प्रभुसत्ता, आजादी और देश की सुरक्षा का सवाल है। श्री फर्नान्डीज ने भी कहा कि यह पार्टी से परे का सवाल है और इसका किस तरीके से सामाना करना पड़ेगा।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : अध्यक्ष जी, यह देश की मर्यादा का प्रश्न है। अखबारों में जो समाचार छपा है उससे लगता है कि अमेरिका जिस तरीके से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के ऊपर दबाव डाल रहा है, अपनी साख बने कायम रखने के लिए, अगर यह बात सच है तो हमको गंभीरतापूर्वक सोचना पड़ेगा। आज समाचारों में मैंने देखा कि भारत सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा है कि अभी तक रूस के देश से कोई भी समाचार नहीं मिला है। जो समाचार हमें देखने को मिले हैं, उससे ऐसा लगता है कि कुछ होकर रूस के ऊपर अथवा है स्पेस रिसर्च के बारे में कि भारत के साथ जो एग्रीमेंट है, उसको कैन्सिल किया जाए। सरकार को इस संबंध में क्लेरीफिकेशन देना चाहिए। यह पार्टी का मसला नहीं है बल्कि भारत की मान और मर्यादा का प्रश्न है। सरकार इसके ऊपर बताए और अगर अमेरिका इस तरीके से दबाव डालना चाहता है जिससे भारत की मान और

[श्री मनोरंजन भक्त]

मर्यादा का उल्लंघन होता है तो तब जाकर सभी सदस्यों को मिलकर कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, जब प्रश्न-काल के प्रारम्भ में मेरे मित्र श्री आर्जे फर्नान्डीज ने यह सवाल उठाया था तो मैं समझा था कि इस पर बाद में चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय की मांगों पर आज हम बहस करने जा रहे हैं।

लेकिन प्रश्न महत्वपूर्ण है। आपने चर्चा की इजाजत दे दी, मैं भी इसमें भाग लेना चाहूंगा। शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के विघटन के बाद जो अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति बनी है उसके यथार्थ को समझना होगा।

आपको याद होगा पिछली बहस में मैंने कहा था कि अमरीका एक सुपर पावर नहीं, सुप्रीम पावर हो गया है। वह अपने अनुसार दुनिया को चलाना चाहता है। चाहे वह एन० पी० टी० का सवाल हो या अग्नि का सवाल हो या जिस तरीके की सहायता हम चाहते थे अपने स्पेस कार्यक्रम के लिए सोवियत रूस से, उसको देने का सवाल हो। अमरीका की नीति इन मामलों में भारत के साथ भेद-भाव करने की है। अगर अमरीका की नीति समान होती तो मैं समझ सकता था। आखिर हमने अणुशक्ति का विकास किया है, शांतिपूर्ण उपयोग के लिए किया है। हमारे पड़ोस में अणु बम बना लिया गया है। वाशिंगटन उसके बारे में मौन है। क्यों मौन है ?

केवल एटम बम के सवाल पर ही नहीं, आतंकवाद के सवाल पर भी अमरीका की नीति भेद-भाव पूर्ण है।

लीबिया के दो व्यक्ति जो जिम्मेदार समझे जाते हैं बम से विमान उड़ाने के लिए, उनको अमरीका वापस चाहता है और उसके लिए यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी कौंसिल को एक औजार बनाया गया है। यह भी एक ऐसी घटना है जो अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति के यथार्थ को बताती है और आने वाले संकटों की ओर संकेत करती है। लेकिन हमारे पड़ोसी देश ने आतंक का सहारा लेकर हमारे देश की एकता और अखण्डता को तोड़ने के लिए पूरी कोशिश की है। अमरीका वाले जानते हैं कि कहां आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने वाले केन्द्र हैं, कहां से उन्हें हथियार दिये जा रहे हैं, मगर वे पाकिस्तान पर अपेक्षित दबाव डालने के लिए तैयार नहीं हैं। मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न पर देश को एक राय बनाने की जरूरत है।

मैं प्रधान मन्त्री का एक वक्तव्य देख रहा था, किसी साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि एन० पी० टी० के सवाल पर कोई आम राय नहीं है। मेरा निवेदन है कि देश में इस सवाल पर आम राय है कि भारत को एन० पी० टी० पर दस्तखत नहीं करना है। केवल इसलिए ही नहीं कि एन० पी० टी० भेदभावपूर्ण है, इसलिए भी की शीत युद्ध की समाप्ति, सोवियत संघ के विघटन और अमरीका के महाप्रभु के रूप में उभरने के बाद जो परिस्थिति पैदा हुई है उसका एन० पी० टी० उत्तर नहीं देती।

किसी नये देश ने अणु शस्त्र नहीं बनाये हैं हमारे पड़ोसी देश को छोड़कर, जिसकी उनको चिंता नहीं है। अमरीका को इस्राइल की भी चिन्ता नहीं है। अमरीका को चिन्ता है हमारी। मगर हमें चिन्ता है अणु बमों के प्रसार की। सोवियत संघ के विघटन के कारण अनेक देशों के पास एटोमिक वीपन्स पहुंच गए हैं। वे कहां रखे हैं मालूम नहीं है, उस पर किसका नियन्त्रण है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। वर्टिकल प्रोलिफिरेशन हो रहा है, अमरीका को उसकी चिन्ता नहीं है। अगर कोई नया देश बना लेगा और उनकी मोनोपली को तोड़ देगा तो, वह आसमान सिर पर उठा लेंगे। अगर

केमिकल और बायोलोजिकल वैपन्स के बारे में पूरे विश्व को ध्यान में रखकर विचार हो सकता है तो अणु शस्त्रों के बारे में पूरे विश्व को ध्यान में रखकर विचार क्यों नहीं हो सकता। यह एन० पी० टी० उसमें उभर रहे सवालों का जवाब नहीं देती है।

आज जो दुनिया हमारे सामने खड़ी है सचमुच में एक नया अन्तर्राष्ट्रीय समझौता होना चाहिए; अध्यक्ष महोदय, जो इस तरह के प्रसार को रोके। जो इस सम्बन्ध में अणु ऊर्जा विकास की आवश्यकताओं को भी स्वीकार करे। लेकिन हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, इस दबाव का मुकाबला करना होगा। इसलिए देश अपना दिमाग बनाए। यह प्रश्न ऐसा नहीं है कि हम थोड़ी-सी चर्चा कर लें और फिर बाद में विदेश मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों को स्वीकार कर लें और घर चले जायें। फिर कभी अखबार में कोई समाचार आए तो प्रश्नकाल स्थगित करने की मांग करें, अभी बहस कराओ; इस पर जोर डालें। मेरे मित्र श्री जसवन्त जी ठीक कह रहे थे। मैं पीछे बैठकर सुन रहा था कि इस तरह की हलकी-फुलकी प्रतिक्रिया ठीक नहीं है। इस प्रश्न पर गहराई से विचार होना चाहिए। देश का एक मानस इस पर तैयार होना चाहिए और एक मानस बनाने में और स्वतन्त्रता और सर्वप्रभुसत्ता के रास्ते पर चलने पर जो संकट आने वाले हैं, उन संकटों की अनुभूति चाहिए और उन संकटों का हम मिलकर मुकाबला करेंगे, यह संकल्प होना चाहिए। इस दृष्टि से मैं समझता था, बहस होगी, प्रधान मन्त्री आयेंगे। विदेश मंत्री तो कोई है ही नहीं। यह सरकार विदेश मंत्री विहीन है। लेकिन प्रधानमंत्री को होना चाहिए था। वे सदन के नेता हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत गम्भीर है। इसलिए मैं कह रहा था कि इस पर नियमित बहस हो जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जीरो आँवर में सवाल उठाने का लोभ मैं नहीं करता, वह हमारे जार्ज फर्नान्डीज साहब का एक तरीका है···

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : चर्चा होने पर जरूर उपस्थित रहते हैं···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को समझ रहा हूं कि जार्ज साहब ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। यह छुटपुट सवाल नहीं है। यह सचमुच में समस्त अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति से जुड़ा हुआ है और यह हमारी अपनी परिस्थिति से जुड़ा हुआ भी है। यदि इस पर देश का एक मानस तैयार होता है तो उसका असर होगा। अमरीका एक लोकतन्त्रवादी देश है, अगर भारत एक स्वर में बोलेगा तो हमारी आवाज वाशिंगटन में सुनी जाएगी, उन्हें सुनना पड़ेगा। और देशों के ऊपर भले ही यह बात लागू न हो। हम एक स्वर में बोलें और एक स्वर में बोलने से पहले हम एक राय बनायें।

अब मैं अगर कहूं कि भारत को एटम बम बनाना चाहिए तो ? पाकिस्तान ने बना लिया है, हम क्यों नहीं बनाते ? हम एटम बम बना लें तो एन० पी० टी० पर दस्तखत करने के लिए तयार हो जायें। चीन अणु अस्त्र बना चुका, बना रहा है। अब वह भी दस्तखत के लिए तैयार है। जो बना लेता है वह दस्तखत कर देता है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : पहले बनाना चाहिए था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप अगर हमारी बात पहले मानते···हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं। लेकिन जब बाद में विदेश मन्त्री बना तो मुझे लगा कि अलग एटम बम बनाने की बजाय अगर हम अणु बम आयुधों से विहीन विश्व की रचना कर सकें तो वह एक महान कदम होगा। आत्म-रक्षा के लिए हमें जो करना पड़ेगा, हम करेंगे। लेकिन यह खेद का विषय है कि अणु अस्त्र विहीन विश्व

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

की दिशा में हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अमेरिका का रवैया समस्या को टुकड़ों में देखने का है। मैं यूनाइटेड नेशन्स में था। साउथ एशिया न्युक्लीयर फ्री जोन होना चाहिए, यह मांग की गई। साउथ एशिया की परिभाषा क्या है ? अब पाकिस्तान बम बनाने वालों में आ गया है। ईरान में प्रयोग चल रहा है। नेपाल साउथ एशिया में आ जायेगा। न्युक्लीयर फ्री जोन में शामिल होगा तिब्बत में मिसाइल्ज लगी हुई हैं, उनका क्या होगा ? वे चीन को शामिल नहीं कर रहे हैं। पूरा एशिया नहीं ले रहे हैं। वह टुकड़ा छांट रहे हैं। लेकिन जब किसी अमेरिकी क्षेत्र को न्युक्लीयर फ्री बनाने की बात आई तो मुझे याद है कि अमरीकी प्रतिनिधि द्वारा कहा गया कि वह आरबिटरेरी है। यह भी कहा गया कि लोगों से संपर्क नहीं किया गया, उनकी सलाह नहीं ली गई। पेसिफिक के बारे में खिलाफ वोट किया, वीटो किया। अगर हम खिलाफ वोट देते तो हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता।

अणु संकट को नापने के अलग-अलग राज नहीं हो सकते। हमारे साथ भेदभाव हो रहा है और वह भेदभाव तब तक होगा जब तक हम दृढ़ता के साथ संकल्प करके, रचनात्मक दृष्टि रखते हुए; स्थिति का मुकाबला करने के लिए एक राय नहीं बनाएंगे। बस, मुझे इतना ही कहना था।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : अध्यक्ष महोदय, कल के समाचार पत्रों में यह खबर छपने के बाद हम विपक्ष के लोग भी समान रूप से बहुत चिंतित हैं कि प्रौद्योगिकी अन्तरण को रोक दिया गया है। परन्तु हमें दूसरे तथ्य को भी ध्यान में रखना होगा कि कल एक सरकारी प्रवक्ता ने इस तरह के किसी निलम्बन से इन्कार किया है। अत: मैं गम्भीरता से यह महसूस करता हूं कि सरकार को रूस और अमेरिका दोनों देशों से यह जानकारी प्राप्त करनी चाहिए तथा इस विशेष मुद्दे पर वक्तव्य देना चाहिए क्योंकि इससे गम्भीर प्रश्न उठते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि पूरी तरह से समाचारपत्र की खबर पर यकीन कर लेना चाहिए हालांकि मैं स्वयं भी संचार माध्यमों से जुड़ा हुआ हूं। हमें तथ्यों के बारे में बिल्कुल स्पष्ट बातें करनी चाहिए। सच्चाई का पता लगाने के लिए हमें रूस और अमेरिका से शीघ्र ही जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। यह बात एकदम सत्य है कि हमने अमेरिकी विदेश विभाग को पहले की इन खबरों का करारा जवाब दिया है और बहुत जल्दी दिया है कि भारत का स्वरूप आक्षिप-पत्यात्मक है जो कि हमारे विचारों से भारत विरोधी दृष्टिकोण था। इसलिए कुछ स्पष्टीकरण किए गए थे। अत: मैं अपनी बात यह कहते हुए समाप्त करता हूं कि हमें सच्चाई का पता लगाना चाहिए तथा हमें सरकार को इस विशेष मुद्दे पर वक्तव्य देने के लिए कहना चाहिए।

मुझे एक अन्तिम बात कहनी चाहिए थी···(व्यवधान)···मेरे मित्र, मैं हल्की-फुल्की प्रतिक्रिया के एकदम खिलाफ हूं। हमारी प्रतिक्रिया सदैव ठोस तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। हमें पहले उन्हें प्राप्त करना चाहिए। यह एक बहुत गम्भीर मुद्दा है और मैं यह भी सोचता हूं कि इसे विदेश मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बहस के साथ सम्बद्ध करने के बजाय इस विशेष मुद्दे पर पृथक रूप से चर्चा होनी चाहिए। इसी तरह अटल जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि एन० पी० टी० एक दूसरा मुद्दा है और इस विशेष मुद्दे को वास्तव में परमाणु ऊर्जा के शान्तिपूर्वक विकास के हमारे दृष्टिकोण से जोड़ दिया गया है। मैं समझता हूं कि ये वे मुद्दे हैं जिन पर स्पष्ट रूप से चर्चा कराने की आवश्यकता है और यह महत्वपूर्ण बात है कि इस पर हमारा एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण है तथा राष्ट्रीय दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी हमारे राष्ट्रीय हित पर किसी तरह से दबाव डाले।

हम सबको इसके विरुद्ध खड़ा होना चाहिए तथा यह निश्चय करना चाहिए कि हमारा सर्वोच्च राष्ट्रीय हित क्या है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : वास्तव में मुझे मालूम नहीं है कि क्या श्री येल्तसिन ने इस समझौते को निरस्त करने के लिए आदेश दे दिए हैं या नहीं। सरकार को इसकी जानकारी हमें नहीं देनी चाहिए। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि रूस की सरकार इस सम्बन्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के दबाव में है। यह अमेरिकी सरकार की भारत के विरुद्ध एकदम गैरदोस्ताना हरकत है। हमें इस कार्रवाई का उसी ढंग से जवाब देना होगा। इसीलिए मैंने यह मांग की है कि सरकार को सदन में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका को दो अन्य देशों के द्विपक्षीय सम्बन्धों में दखल देने का क्या अधिकार है ? क्या वह पूरी दुनिया का संरक्षक बन गया है ? क्या वह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एकाधिकार कायम करना चाहता है और इस तरह की हेकड़ी जताना चाहता है ? आज हम शीत युद्ध की समाप्ति के बारे में बहुत बातें करते हैं। क्या उन्होंने इससे कोई सबक सीखा है ? यह बहुत अच्छी बात है कि रूस में भी कुछ लोगों ने येल्तसिन सरकार द्वारा इस प्रकार से अमेरिकी दबाव के आगे घुटने टेकने के विरोध में अपनी आवाज उठाई है। विश्व और मानवता के लिए यह बहुत ही अच्छा होता यदि रूस में कोई सरकार होती जो अमेरिकी दबाव के आगे घुटने टेकने से मना कर देती। परन्तु नई हालात की मांग है कि जब हम इस तरह के हस्तक्षेप के विरुद्ध अपनी आवाज उठाएं, दो देशों के बीच द्विपक्षीय सम्बन्धों में इस तरह के गैर-दोस्ताना हस्तक्षेप के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें। साथ ही मैं यह मांग करता हूं कि हमें विकासशील देशों में उन लोगों को संगठित करने के लिए भी कार्यवाही आरम्भ करनी चाहिए जो कि शांतिप्रिय हैं और जो प्रगति चाहते हैं। ऐसे लोगों को वास्तव में एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए तथा विश्व की आज की परिस्थिति में दबाव का विरोध करना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका को यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि हम उनके दबाव के आगे झुकेंगे नहीं। (व्यवधान)

श्री लोकनाथ चौधरी : हम क्यूबा के मामले में दब गए हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : इसीलिए तो यह एक साक्ष्य के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे मालूम नहीं है कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका हमारे देश के प्रति अपनी गैर-दोस्ताना हरकत को जारी रखेगा। मैं नहीं समझता हूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करना चाहिए। बहुत दिन पहले हमने सदन में यह मांग की थी कि इस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास को रद्द कर दिया जाना चाहिए। हम यह अभ्यास किस लिए कर रहे हैं ? हम किसके खिलाफ यह कर रहे हैं ? क्या हमने इसके बारे में अपने पड़ोसी देशों में होने वाली प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दिया है ? यह एक गम्भीर मामला है। हम हर एक व्यक्ति की इस बात से भी सहमत हूं कि इस मामले पर थोड़ा-थोड़ा करके चर्चा करने से हमें कोई सहायता नहीं मिलेगी। कई बातें इससे संबंधित हैं। हमने यह मांग की है कि दुनिया के बदलते हुए परिवेश में भारत-अमेरिकी संबंधों पर एक पूर्ण चर्चा होनी चाहिए। यही कारण है कि इस देश की उच्चतम विधायी संस्था होने के नाते जब संसद इस प्रकार से कार्यवाही करे तो हमें इस प्रकार का हस्तक्षेप करने की इस प्रकार की गैर-दोस्ताना हरकतों की निन्दा करनी चाहिए और हमें इस प्रकार के कदम भी उठाने चाहिए जिससे हमारी स्थिति स्पष्ट हो जाए कि नैतिक रूप से हम दृढ़ हैं तथा ज्ञान, तकनीकी प्राप्ति की हमारी स्वतन्त्रता और अपनी सुरक्षा के लिए हम अपनी प्रभुसत्ता अभ्यर्पित नहीं कर सकते हैं। इसी कारण हम यह मांग कर रहे हैं और सरकार को भी इसका सकारात्मक उत्तर देना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : महोदय, सदन ने न केवल रूसी संघ पर अमरीका द्वारा दबाव डालने बल्कि हमारे ऊपर भी दबाव डालने के बारे में एकमत से चिन्ता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए बताया है कि अभी अनुबन्ध स्थापित नहीं किया गया है—उन्होंने यह भी कहा कि जब हमारे विदेश सचिव श्री दीक्षित अमरीकी प्रशासन के साथ बात करने के लिए वाशिंगटन में थे तो उस समय उन्हें यह भी बताया गया था कि "आपको अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी में अपने अनुसंधान और विकास कार्य को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए।" अतः वे पहले से ही हम पर भी दबाव डाल रहे हैं। हमें तो इस मुद्दे पर सरकार के दृष्टिकोण के बारे में चिन्ता है। एक तरफ तो आप हिन्द महासागर में अमरीका के साथ मिलकर नौसैनिक अभ्यास करते हैं और दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि अमरीका आप पर दबाव न डाले। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही विरोधाभास वाली स्थिति है। इससे यह धारणा बनती है कि हम पहले ही घुटने टेक चुके हैं, हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं और हम उन मित्रों को भी खो रहे हैं जिन्होंने पिछले साढ़े चार दशकों में सभी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हमारा साथ दिया और हमारे अपने राष्ट्रीय हितों के सम्बन्ध में हमें सहायता दी। क्यूबा जैसे देश के सम्बन्ध में जिनके मंत्री एक सप्ताह तक दिल्ली में रहे, सरकार ने वक्तव्य दिया कि वे घुटने नहीं टेकेंगे, यह बात अभी भी विचारणीय है और हमारी अपनी ही समस्याएं हैं। अन्ततः क्या हुआ ? सरकार इससे हट गई। उन्होंने अमरीकी दबाव की वजह से चावल की पूर्ति नहीं की। अमरीकी दबाव पहले से ही चल रहा है। यह केवल एक साधारण मुद्दा नहीं है। मैं नहीं जानता कि क्या सभा रक्षा मंत्रालय के अनुदानों पर चर्चा करने के लिए समय निकालेगी। यह हमारी प्रभुसत्ता से सम्बद्ध है। इससे हमारी सुरक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ता है और इससे भी अधिक इसकी वजह से एक स्वतन्त्र राष्ट्र के अपने मामलों से निपटने के अधिकार पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

हम ऐसे देशों से घिरे हैं जिनके पास पहले से ही आणविक बम, परमाणु बम हैं। उनकी यह प्रक्रिया जारी है और अमरीका हमें यह कहने में ईमानदारी दिखा रहा है कि हम अपने अनुसंधान और विकास कार्यक्रम को आगे न बढ़ाएं। जबकि वे स्वयं अर्थात उनके राष्ट्रपति एक वक्तव्य देते हैं कि जहां तक अन्तरिक्ष युद्धों का सवाल है। इसे आरम्भ करने सम्बन्धी अनुसंधान और प्रौद्योगिकी को वे स्थगित नहीं करेंगे और इसे जारी रखेंगे। यह तो अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस की तरह कहना हुआ। अमरीका का व्यवहार एक अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस की तरह है जो कि अन्य स्वतन्त्र प्रभुता सम्पन्न देशों को "ऐसा करो वैसा नहीं करो" अन्यथा हम दबाव डालेंगे जैसी बातें करती हैं। हम जानते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी प्रभुता को उन्हें समर्पित कर दें और अपनी स्वतन्त्रता का सौदा करें ? यदि क्यूबा जैसा छोटा देश जो कि अमरीका के पड़ोस में ही है—उसका विरोध करते हुए यह कह सकता है कि हम आपके दबाव में नहीं झुकेंगे तो फिर वह भारत जैसे देश का क्या कर सकता है ? हमारी कमजोरी केवल हमारी ही कमजोरी नहीं है बल्कि यह तो समस्त तीसरी दुनिया के देशों की कमजोरी है। सभी गुटनिरपेक्ष देश जो हमारी तरफ कुछ आशा से देखते हैं उन देशों का क्या होगा ?

अतः यह बहुत ही गम्भीर बात है। महोदय, सदन की इच्छा को ध्यान में रखते हुए कृपया सरकार और प्रधान मंत्री से कहें कि वह आएं और इस मुद्दे पर क्या हो रहा है तथा हमारी क्या स्थिति होगी, इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें तथा यह नीति सम्बन्धी वक्तव्य हो ?

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, यह केवल भारत और पूर्वी सोवियत संघ के मध्य किसी समझौते-विशेष को स्थगित करने या रद्द करने का ही प्रश्न नहीं है। जैसे कि हमने विगत में कई अवसरों पर जिक्र किया है और आप भी इस बात के साक्षी हैं कि विगत में अमरीका ने भारत सहित

अन्य तीसरी दुनिया के देशों को ज्यादातर धमकाने, 'ब्लेक मेल' करने और भयभीत करने की कोशिश की है। इसका बहुत ही साधारण कारण है और कारण यह है कि सोवियत संघ के टूट जाने पर अमरीका ने अपनी विश्वव्यापी सामरिक नीति जारी रखने का फैसला किया। यह सामरिक नीति सारे विश्व पर अपना अधिपत्य जमाने के लिए है। अपनी इस विश्वव्यापी सामरिक नीति को बरकरार रखने के लिए उन्होंने न केवल अपनी सैन्य शक्ति और अन्य राजनयिक शक्ति का इस्तेमाल किया बल्कि आर्थिक शक्ति का भी इस्तेमाल किया। इन परिस्थितियों में जैसे कि भारत के सम्बन्ध में हम जानते हैं कि हमें अपनी प्रभुसत्ता की ही रक्षा करनी है। हमें स्वयं अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा करनी है।

कुछ समय पहले जैसे कि यहां कहा गया था कि हमारी सरकार ने एक भारत-अमरीका दीर्घकालिक सैन्य सहयोग समझौता किया था। मैं नहीं जानता कि अमरीका और भारत के मध्य दीर्घकालिक सैन्य सहयोग से वास्तव में क्या तात्पर्य है। लेकिन यह निश्चित है कि इसके पीछे उद्देश्य यह है कि हमारी सैन्य सामरिक नीति का अमरीका की विश्वव्यापी सामरिक नीति से सामंजस्य स्थापित हो सके। यह तो ऐसे हुआ जैसे कि हमारा देश अमरीका पर आश्रित है चाहे भले ही इस राष्ट्र के प्रतिरक्षा हितों का मामला ही क्यों न हो। अतः अमरीका की इस अपनी विशेष विश्व व्यवस्था स्थापित करने की बढ़ती प्रवृत्ति का प्रतिरोध किया जाना चाहिए और इसका कड़ाई से तथा पूरे जोर से विरोध किया जाना चाहिए।

इस सन्दर्भ में मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि यही वह समय है जब भारत-अमरीका दीर्घकालिक सैन्य सहयोग की समीक्षा की जानी चाहिए। हमें संयुक्त नौसैनिक अभ्यास के बारे में अपने निर्णय की भी समीक्षा करनी चाहिए। हमारे सोवियत संघ के साथ पहले से ही बहुत निकट के सैन्य सम्बन्ध, प्रतिरक्षा सम्बन्ध रहे हैं। उसके बावजूद भी भारत और पूर्व सोवियत संघ के मध्य कोई भी संयुक्त सैनिक अभ्यास नहीं हुए हैं। अतः मैं समझता हूं कि सरकार को इस बात की समीक्षा करनी चाहिए। यह सब विशेषरूप से यह देखते हुए भी आवश्यक है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा सुझाये गये आर्थिक पुनर्गठन कार्यक्रम को स्वीकार करने के बाद हमारी राजनैतिक और आर्थिक प्रभुसत्ता पर दबाव पड़ा है। इन परिस्थितियों में समस्त सभा की यह इच्छा है कि सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक वक्तव्य देना चाहिए कि क्या हमें इन परिस्थितियों में अमरीका के साथ अपने सम्बन्ध सुधारने की वर्तमान नीति पर चलना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : अध्यक्ष महोदय, आज जो विषय उठाया गया है, यह बहुत महत्वपूर्ण और चिन्ता का विषय है। इसे जीरो आवर में उठा दिया गया है, यह अच्छी बात है, लेकिन इस पर चर्चा करने के लिए भारत सरकार सभी तथ्यों को एकत्रित करे और मैं समझता हूं कि न केवल इस विषय पर, बल्कि आर्थिक, राजनैतिक और भौगोलिक स्थिति इन तीनों के सम्बन्ध में पार्लियामेंट में निश्चितरूप से कुछ समय देकर, क्लोज्ड डोर डिस्कशन होना चाहिए, तभी इस विषय पर हमारे देश की सही स्थिति का पता चल सकेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि इसके लिए कुछ निश्चित समय देकर डिस्कशन निश्चित कर दी जाए क्योंकि शून्य-काल में तो इस पर बहुत अधिक चर्चा नहीं हो सकेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि अब इस पर चर्चा समाप्त कर दी जाए और अब मैं इस सवाल से हटकर दूसरे विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : सदन के अपने इस पक्ष तथा दूसरे पक्ष के मेरे साथियों ने जो कुछ कहा है उसका समर्थन करते हुए—यद्यपि जो कुछ कहा गया उनकी भावनाएं अधिकांशतया एक जैसी थी—मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि संसद इस मामले में इतनी तह तक पहुंची है इसके सम्बन्ध में पहले से ही प्रस्ताव रखे गए कि हमें कुछ ऐसा तरीका निकालना चाहिए जिससे संसद की आवाज सबको सुनाई दे। महोदय, आप इस सदन के संरक्षक हैं। अब क्योंकि यहां प्रधानमंत्री नहीं हैं अत: हम आपको संबोधित कर रहे हैं। आपने सभा के दोनों पक्षों को सुना है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सदन के लिए बोलता हूं न कि सरकार के लिए।

(व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : वह देश के लिए भी बोलते हैं, कभी-कभी। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, बात यह है कि मैं दो बातों के बारे में चिन्तित हूं। एक तो यह कि इस सदन को अंधेरे में रखा जाता है जिसके बारे में आपको चिन्ता होनी चाहिए। संसद जो कि इस देश का प्रभुता सम्पन्न सदन है को अंधेरे में नहीं रखा जाना चाहिए। सरकार को जो कुछ भी कहना हो वह यहां आकर कहे। हमें यह अच्छा नहीं लगता है कि हमेशा वक्तव्य सभा के बाहर ही दिये जायें। हाल ही में तिरुपति में हमने किसी भी कीमत पर अपनी प्रभुसत्ता को बनाये रखने का निश्चय किया। (व्यवधान) यह बहुत स्वागत योग्य बात है। लेकिन इसका अनुसरण किया जाना चाहिए। वक्तव्य ही काफी नहीं है। (व्यवधान) मैं सरकार में नहीं हूं। क्या आप ये सोचते हैं कि मैं पहले से ही सरकार में शामिल हूं। (व्यवधान) यहां कथनी और करनी में अन्तर है क्योंकि चाहे यह मामला हो या मैं यूं कहूं कि अमरीका के साथ जो दीर्घकालिक प्रतिरक्षा सहयोग पर समझौता हमने किया है, इतना गम्भीर मामला हो इसमें भी सरकार ने सभा को विश्वास में नहीं लिया। हमारे रक्षा मंत्री अमरीका की अपनी यात्रा के दौरान इस बारे में कहते रहे है लेकिन उन्होंने यहां पर सभा में इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। यह बहुत विचित्र बात है। इस सभा के सदस्य होने के नाते हम भी एक सार्वभौमिक संसद से सम्बद्ध हैं। हमारा भी कुछ आत्म-सम्मान है। मैं समझता हूं कि पूरी सभा का कुछ तो सम्मान है। मैं कहता हूं कि इसके साथ इस प्रकार को अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जा सकता। इसलिए अब स्थिति चरम सीमा पर पहुंच गई है। महोदय मैं आपको चेतावनी देता हूं अर्थात आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी देता हूं। आपको चेतावनी देने का तो कोई फायदा नहीं है। स्थिति चरम सीमा पर पहुंच गई है। इतने निरन्तर प्रतिबन्धों और प्रतिबन्ध लगाने की इनकी धमकियों से हम नहीं बच सकते। लिबिया, क्यूबा के खिलाफ प्रतिबन्ध लगे हैं और इराक के खिलाफ तो इस हद तक प्रतिबन्ध लगे है कि इराकी बच्चे अब दूध और दवाओ की कमी के कारण मर रहे हैं। क्या आप समझते है कि भारत इससे बच जाएगा ? यदि हम इस कमजोर नीति का अनुसरण करते रहेंगे तो हमारे विरुद्ध भी प्रतिबन्ध लगेंगे। महोदय, इसलिए मैं समझता हूं कि यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक है कि आप कम से कम सरकार को या सत्ता पक्ष से किसी ऐसे व्यक्ति को कह दें जो इस मुद्दे पर बोलने में सक्षम है, और मैं समझता हूं प्रधानमंत्री के अलावा कोई अन्य यह नहीं कर सकता कि यहां आकर हमें खुलकर बताए कि वास्तव में क्या हो रहा है, हमारा अपना रवैया क्या है और इस मामले में हम क्या करना चाहते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय समाचार माध्यमों में प्रतिदिन ऐसी खबरें पढ़ना और

यह जानना कि हमें पूर्णतया अनभिज्ञ रखा गया है, बहुत ही अपमानजनक है। इसलिए ऐसा वक्तव्य यहां आना चाहिए। अन्यथा, मैं समझता हूं कि इस संसद में भी कुछ ऐसी बातें होंगी जो सम्भव पहले नहीं हुई हैं। जब इस सभा में सभी सदस्य इस मामले पर उत्तेजित हैं और वे ठीक ही उत्तेजित हैं और सरकार सब कुछ गोपनीय रखना चाहती है तो ऐसी स्थिति को जारी नहीं रहने दिया जा सकता। फिर इस कथित संसदीय लोकतन्त्र का क्या फायदा है ? मैं यही जानना चाहूंगा।

इसलिए कृपया हमारी ये भावनाएं सरकार को बता दें। यहां पर दो, तीन मंत्री बैठे हैं। (व्यवधान) दो मंत्री यहां पर बैठे हैं, वे सब मुस्करा रहे हैं; वे अपने आप से बहुत खुश हैं। (व्यवधान) वास्तव में अगर दबाव आता है तब या तो हमें मजबूती से अपने मत पर कायम रहना है या फिर झुक जाना है। तब, इस पर इस संसद को कोई निर्णय लेना होगा। इस निर्णय में सरकार भी शामिल हो। अगर सभा इस मुद्दे पर विभाजित है कि हमें इन धमकियों का विरोध करना चाहिए या हमें झुक जाना चाहिए—तो मेरे विचार से, अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का अन्त होगा, भारत का अन्त होगा।

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : आप इतने निराशावादी क्यों हैं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं समाचार माध्यमों से सम्बन्धित नहीं हूं। इसलिए मैं घुमा-फिरा कर मुद्दों को नहीं लिख सकता। मैं तो स्पष्ट बोलता हूं। मैं स्पष्ट बोलता हूं और यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो मत कीजिए। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत : आप तो ऐसा कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, सभा की भावनाओं का सरकार से सम्मान कराइए, और प्रधान मंत्री यहां आएं। हम उन्हें सुनना चाहते हैं। वह सरकार के प्रवक्ता हैं। वह इस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह यहां आएं और खुलकर कहें कि हमारा रवैया क्या है और क्या हो रहा है।

1.00 म० प०

राकेट प्रौद्योगिकी का प्रश्न केवल एक घटना नहीं है। इससे अनेक बातें जुड़ी हैं। एक के बाद एक दबाव डाला जा रहा है। मुझे इस बारे में कोई सन्देह नहीं है कि अन्ततः हमारे विरुद्ध आर्थिक अथवा व्यापारिक प्रतिबन्धों की प्रत्यक्ष रूप से धमकी दी जाएगी। काफी समय से ये धमकियां आनी भी शुरू हो गई हैं। लेकिन इन्हें अभी कार्यान्वित नहीं किया गया है।

यदि हम ऐसे ही चलते रहे तो मुझे डर है कि हमको अमरीकी दबाव के आगे झुकना ही पड़ेगा। ऐसा तो हमारे इतिहास में कभी नहीं हुआ है। यह हमारी परम्परा नहीं है। भारत में ऐसी परम्परा नहीं रही है कि हम साम्राज्यवादी दबाव और विदेशी दबाव के आगे झुकें। हमें अब अपनी इस परम्परा से हटकर विश्व के सम्मुख अपमानित नहीं होना चाहिए।

इसलिए कृपया इस बारे में कुछ करें। हम आपको इस सभा के अधिकारों का संरक्षक मानते हैं। यह सभा का अधिकार है कि उसे बताया जाए कि क्या हो रहा है। हर समाचारपत्र इस आशय की बात पर टिप्पणी कर रहा है कि अब आप सरकार से कोई बात नहीं जान सकते। सब कुछ गोपनीय रखा जाता है। इन सभी बातों के मामले में गोपनीयता बरती जा रही है। क्या यह देश के लिए अच्छा है ? क्या संसद के लिए यह अच्छा है ? महोदय, मैं इस बारे में निर्णय आप पर छोड़ता हूं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : इसी संसद का अध्यक्ष बहुत शक्तिशाली है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम समझते हैं कि आपके पास पर्याप्त अधिकार और शक्तियां हैं जिनके माध्यम से आप सभी सदस्यों की भावनाओं और अपेक्षाओं को यथासंभव शीघ्र पूरा कर सकते है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करने खड़ा हुआ हूं। मैं भरे दिल से कहता हूं; इस सरकार से मुझे कोई आशा नहीं है और यह आशा उस दिन से नहीं है, जिस दिन से नई आर्थिक नीतियों का ढांचा तैयार किया जा रहा था, तथ्यों को उस समय छिपाया गया, तथ्यों को आज छिपाया जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस संसद में एक नई रीति चल रही है। अभी अटल जी ने कहा, जार्ज का तरीका है, इस तरह सवालों को उठाने के लिए। आपसे मैं जानना चाहता हूं; एक साधारण सदस्य के नाते, कोई सदस्य अगर राष्ट्रीय हित के बारे में चिन्तित है, सरकार उस पर कुछ नहीं बोलती है, दुनिया के अखबार छापते हैं, रूस की संसद में हिन्दुस्तान के बारे में चर्चा हो सकती है, हिन्दुस्तान की संसद में हिन्दुस्तान का विदेश मंत्री, प्रधान मन्त्री उस सवाल पर चुप रहते हैं। हम भी थोड़े दिन से संसद में हैं, बहुत दिनों से नहीं, जिसमें हमारे बहुत से अनुभवी साथी उस तरफ बैठे हैं, कहते हैं कि जीरो आवर में नहीं उठाना चाहिए तो कौन सा वह समय है जब यह सरकार सजग रहती है, सचेत रहती है, सोई नहीं रहती है? सोई हुई सरकार को जगाना मुश्किल है। आपने स्वयं ही कहा, आप सरकार की ओर से नहीं बोलते हैं, आप संसद की ओर से बोलते हैं·····(व्यवधान)····· विरोध का सवाल नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसे गम्भीर राष्ट्रीय सवालों पर संसद में चर्चा किस तरह से हो? चन्द्रजीत जी ने एक सवाल उठाया कि रूस पर दबाव पड़े, दूसरे देशों पर दबाव पड़े, वह बात समझ में आती है कि हमारे लोग चुप रह जायें, यद्यपि वह मामला मेरा और हमारा हो लेकिन जब हमारा ही प्रवक्ता यह कहता है कि हमारे विदेश सचिव को कहा गया कि इन योजनाओं को मत चलाओ, आपसे मैं जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष जी, क्या सरकार का यह उत्तरदायित्व नहीं था कि जब दुनिया की संसदों में, दुनिया के पत्रों में, दुनिया के समाचार-पत्रों में इसकी चर्चा हो रही है, हमारे विदेश सचिव को जो कहा गया; वह हमारी सरकार को इस संसद को नहीं बताना चहिए?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : गूंगी सरकार है।

श्री चन्द्र शेखर : गूंगी सरकार नहीं है, गूंगा भी हाथ पर चलता है; यह कोमा में पड़ी हुई सरकार है। इस तरह कब तक रहेगी, मैं नहीं जानता। मैं कोई आलोचना कि दृष्टि से नहीं कहता हूं; मैं इस तरफ बैठे हुए मित्रों से कहना चाहूंगा, चाहे आर्थिक सवाल हो, चाहे वह विदेश नीति का सवाल हो, चाहे सुरक्षा का सवाल हो, जोइण्ट एक्सरसाइज हो या नहीं हो लेकिन जिस समय प्रवक्ता और हमारे लोग उठकर कहते हैं, अमेरिका ने हमारे साथ मिलकर युद्धाभ्यास करने की स्वीकृति दे दी है तो ऐसा हमारे समाचार-पत्रों में छपता है, जैसे एक बड़ी भारी उपलब्धि हो। अभी किसी एक मित्र ने कहा, 1963 और 1965 में एक बार हुआ था। अध्यक्ष महोदय, उन दिनों अमेरिका चाहता था; दुनिया में इज्जत पाने के लिए कि हिन्दुस्तान के साथ हम किसी तरह का इस तरह का रिश्ता जोड़ें लेकिन आज बात बिल्कुल उल्टी है कि अमेरिका हमें डराता है, खुले आम, छिपे नहीं। मैंने इसी सदन में कहा था' कभी हिन्दुस्तान के इतिहास में यह नहीं हुआ कि एक महिला सवस्या वहां की सरकार को आये, दिल्ली में बैठकर सरकार को चेतावनी देकर चला जाय·····

सरकार के मन्त्री चुप रह जाते हैं। प्रधान मन्त्री का पौरुष वक्तव्यों में, मैं बहुत देखता हूं;

लेकिन यह पौरुष समाचार पत्रों के जरिए जाहिर करने से नहीं चलेगा। सरकार को यह बताना पड़ेगा कि आपके जो डिप्लोमैटिक मिशन्स हैं, आपके जो दूत लोग हैं, उन्होंने क्या किया है ? क्या आपने कोई प्रोटैस्ट किया है ? हम से कहा जाता है कि सरकार जानकारी इकट्ठी कर रही है। अध्यक्ष जी, आप भी सरकार में बहुत दिन रहे हैं। सरकार की जानकारी आने में पांच मिनट आजकल लगते हैं। हमारा कोई दूतावास ऐसा नहीं बैठा होगा कि मास्को में जो रहा है, उसकी सरकार के पास खबर न हो और जो वाशिंगटन में हो रहा है, उसकी खबर न हो। यह सब हो रहा है और सरकार चुप है। अखबारों में छप रहा है और रोज चर्चा हो रही है। जार्ज फर्नान्डीज का वक्तव्य निकलेगा और हमारे सदस्यों का वक्तव्य निकलेगा, इससे देश में जो असर होगा वह मैं नहीं जानता हूं, लेकिन दुनिया में यह असर पड़ेगा कि यह संसद एक ड्रामा का स्थान रह गई है। हम जानते हैं कि कभी-कभी विदूषक आ जाए, तो उपहास, परिहास अच्छा लगता है, लेकिन कृपा करके, अध्यक्ष जी, इस सारी संसद को विदूषक की जमात न बनने दीजिए। इस गम्भीर प्रश्न पर सरकार को बोलने के लिए, आप संसद की आवाज बनने की कोशिश कीजिए।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, हमें विपक्ष तथा सत्ताधारी पार्टी दोनों पक्षों के सदस्यों की भावनाओं की कद्र करते हैं। यह एक साधारण मामला नहीं है, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं अपने कुछ मित्रों के इस कथन से सहमत हूं कि इस मामले के तथ्यों का पता लगाया जाए। हम सभा को इससे अवगत रखेंगे यह बड़ा व्यापक मामला है और केवल एक मंत्रालय से सम्बन्धित नहीं है लेकिन इसके तत्काल बाद विदेश मंत्रालय की मांगों को लिया जाएगा। मेरे विचार से तब इस बात का ध्यान रखा जाएगा। मैं भी माननीय सदस्यों की भावनाओं को माननीय प्रधान मंत्री तक पहुंचा दूंगा, जो विदेश मंत्री के नाते इस सभा में आ सकते हैं। विदेश राज्य मन्त्री भी यहां पर हैं। हम दोपहर के भोजन के अवकाश के तुरन्त बाद इस मन्त्रालय की मांगों पर वाद-विवाद शुरू करेंगे। मैं प्रधान मन्त्री जी को भी इस मामले से अवगत रखूंगा।

विदेश मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : मुझे अफसोस है कि मैं देरी से आया। मुझे नहीं पता था कि यह मामला उठाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन और रूसी संगठन के बीच राकेट प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में कुछ कठिनाईयों के बारे में छपी खबरों पर सभा चिन्तित है। बुनियादी तौर पर यह अन्तरिक्ष विभाग का मामला है और मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि सभी पहलुओं पर तुरन्त उत्तर दे सकूं। इस समय तो मैं यही कहूंगा कि अन्तरिक्ष विभाग के सचिव इस मामले पर चर्चा के लिए मास्को गए हुए हैं। मन्त्रालय की मांगों पर भी चर्चा होगी। यदि आप मुझे कहते हैं तो वैसे ही वह आएंगे, मैं एक वक्तव्य दे दूंगा।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, सभी सदस्यों ने और सभी पक्ष के नेताओं ने चिन्ता जाहिर की है। अटल जी ने एक सुझाव दिया था चूंकि प्रधान मंत्री जी सब मिनिस्ट्रीज के हैड हैं, प्रधान मंत्री जी से ऊपर तो कोई है नहीं, लेकिन मैं यह समझता हूं कि यह सरकार का मामला नहीं है, दल का भी मामला नहीं है, दल से ऊपर का मामला है, कि बहुत से सवाल आए हैं, इसलिए आप सभी दलों के लीडर्स की बैठक बुलाइए। मेरा आप से आग्रह है कि आप यह बैठक अपने चैम्बर में, उसमें प्रधान मंत्री जी भी रहें, अपोजीशन के लीडर्स भी रहें और वहां इस महत्वपूर्ण सवाल पर क्या करना चाहिए, इसका निर्णय करवाने का काम करें। नहीं तो सरकार

[श्री राज विलास पासवान]

इसकी गंभीरता को खत्म करने का काम करेंगी।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, सदन में बैठे हुए इस तरफ के लोग कम से कम संसदीय कार्य मंत्री और विदेश राज्य मंत्री के जवाब से अचम्भे में हैं। इतना गम्भीर मामला है और उसका जवाब दोनों तरफ से बहुत ही सहज रूप में और हल्के ढंग से दिया गया है। मैं सोचता था, शायद विदेश मंत्री इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि एक्सटर्नल एफेयर्स मिनिस्ट्री की डिमांड आयेगी, तो इस विषय में जो कुछ भी सरकार को कहना है, सारी बात कह देंगे। लेकिन अभी के जवाब से लगा कि उस समय भी यही बताएंगे कि हमारे सचिव मास्को गए हुए हैं और इसीलिए इस सवाल के संदर्भ में मैं कुछ नहीं कह सकता।

मैं समझता हूं कि आज जो यह सवाल यहां खड़ा हुआ है वह केवल मात्र आई०एस०आर०ओ० और यह जो टैक्नोलोजी हमको दी जाने वाली थी यह उस समझौते से संबंधित नहीं है। भारत का रवैया अमरीका के रवैये के प्रति क्या रहेगा, इसका उत्तर चाहिए और उसमें अगर स्पष्टता नहीं होगी तो हमको समस्याएं केवल प्रतिरक्षा के क्षेत्र में नहीं, केवल आर्थिक क्षेत्र में नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में आएंगी और इसलिए अमरीका को भी आज यह एक अवसर है कि जब भारत सही रूप से, यह नयी सरकार बता दे तो हमारी अपनी सीमाएं होंगी, हमारी मर्यादाएं होंगी। लेकिन भारत का राष्ट्रवाद इतना प्रखर है, इतना प्रबल है कि अगर कोई हमको इस प्रकार से जैसे उन्होंने रूस को सेटेलाइट बना लिया होगा, अगर रूस को सेटेलाइट बनाने के बाद वे समझते हैं कि हम भारत को भी अपना सेटेलाइट बना सकते हैं, ये कल्पना अगर वहां बैठे हुए कुछ शासकों के मन में या पेंटागन के मन में है तो उसका स्पष्ट उत्तर आज देने का अवसर है। एक स्पष्ट स्थिति पैदा हुई है और उस स्थिति के संदर्भ में मैं अपेक्षा करता हूं कि आज की जो एक्सटर्नल अफेयर्स की बहस है उसका उत्तर प्रधान मंत्री जी आ करके दें यह मेरा आपसे आग्रह है और मैं इस मामले में आपसे निवेदन करता हूं कि सारे सदन की भावनाओं को ध्यान में रख करके और कोई निर्देश न दें तो कम से कम यह निर्देश सरकार को जरूर दें कि जो उत्तर है विदेश चर्चा का, वह स्वयं प्रधान मंत्री आ करके दें।

श्री आर्थर फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात कहनी है, आडवाणी जी की बात पर मुझे एक बात यहां पर कहनी है। अध्यक्ष जी, सवाल यह नहीं है कि प्रधान मंत्री जी द्वारा केवल इसका उत्तर देना है, वैसे तो आज विदेश मंत्री स्वयं हैं और उनको उत्तर देना ही है मगर यह जो मामला है कि विदेश मंत्रालय के कहां-कौन एम्बेसी का, दरबान को तबकदाह ठीक मिला, कि नहीं मिला, वहां से लेकर हर चीज की बहस हो जाएगी और उस पर प्रधानमंत्री इस मुद्दे का भी उत्तर देने का काम करेंगे। इससे जो आशय आपके भाषण का था कि इतनी बड़ी चुनौती और उस चुनौती के बारे में यह सदन और यह देश क्या भूमिका रख रहा है यह आज स्पष्ट कहना जरूरी है तो वह पूरा नहीं होगा।

इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि अगर और कोई भी चीज आप नहीं कर सकते हैं तो इस मुद्दे पर, जिस विषय को यहां सदन में अभी उठाने का काम हुआ है इस पर आपको एक विशेष इस सदन की बैठक को रखना चाहिए, उस पर चाहे तो आप पूरी एक रात को रखिए। अगर आपका बजट और अन्य चीजों को लेकर आपको समय वगैरह की परेशानियां हैं मगर इसके लिए अलग से बहस को करना जरूरी है क्योंकि आर्थिक मामले और रक्षा के मामले में और आज अमरीका का

अपना ये सारा जो दुनिया को अपने काबू में रखने का प्रयास है यह एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए मामले हैं और इन पर संपूर्ण बहस की आवश्यकता है।

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल इसलिए खड़ा हुआ है कि विशेष बहस के नतीजे के स्वरूप मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस सदन की इस पर संपूर्ण एक राय है तो क्या इस बहस के नतीजे के स्वरूप में कोई प्रस्ताव, हो सकता है कि इस तरह का कोई प्रस्ताव अतीत में भी हुआ हो तो मैं आपसे विनती करूंगा कि कम से कम इस मुद्दे पर हमारे सारे सदन का एक सहमति का प्रस्ताव, हो सकता है आपको भी सदन के नेता लोग कह सकते हैं कि एक प्रस्ताव इस तरह का आना चाहिए, जोकि इस मामले में सदन और देश का सामूहिक राय है।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आपके नेतृत्व में एक संकल्प तैयार होना चाहिए जिस पर यहां इस सभा में चर्चा हो और वह पारित हो।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, आप इसकी निन्दा में एक संकल्प पेश कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अत्यन्त दायित्वपूर्ण वक्तव्य दिये हैं। उससे इस संबंध में एक नीति बनाने में सरकार और पूरे देश दोनों को सहायता मिलेगी। यह मामला उस समय उठाया गया था जब हम कार्य-सूची से बाहर के विषयों पर चर्चा कर रहे थे। इसे नियम 184 या 193 के तहत उठाया जा सकता था और यदि इसे नियम 184 या 193 के तहत उठाया जाता तो हम माननीय सदस्यों की इच्छाओं के अनुसार उपयुक्त निर्णय ले सकते थे। अभी भी अधिक देर नहीं हुई है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसके तत्काल बाद छः घन्टे हमें विदेश मंत्रालय की मांगों पर चर्चा करनी है। जब हम विदेश मंत्रालय की मांगों पर चर्चा करें तब निश्चित रूप से हम छोटे मुद्दों पर चर्चा न करें बल्कि सबसे पहले हम बड़े और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करें और फिर कुछ निष्कर्ष निकालें। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य उन महत्वपूर्ण मुद्दों को इस प्रकार उठाएंगे कि उनसे सरकार का मार्गनिर्देशन हो, वे सरकार की आलोचना करें तथा कुछ प्रस्ताव और सूत्र दें ताकि सरकार को सहायता मिले। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि विदेश मंत्रालय के बारे में चर्चा करने के बाद यदि आप चाहते हैं कि हम इस मामले पर अथवा अन्य किसी मामले पर चर्चा करें तो ऐसा किया जा सकता है। लेकिन अभी हम यह देखें कि यह मामला किस प्रकार उठाया जाता है और सरकार द्वारा कैसा उत्तर दिया जाता है। यह बात तो निश्चित है कि माननीय सदस्य जो भी विचार व्यक्त करेंगे उन्हें यहां बैठे मंत्री नोट करेंगे। हम आशा करते हैं कि वे ऐसा करेंगे। हम इस मामले में असहाय नहीं हैं। मैं वरिष्ठ नेताओं को यह आश्वासन देता हूं कि हम उचित नियमों के अन्तर्गत उचित तरीके से निर्णय लेंगे। लेकिन बात यह है कि बार-बार अध्यक्ष महोदय को निर्णय लेने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। कभी-कभी वह प्राधिकार वादी भी नहीं बन सकता है। अतः यह विभिन्न दलों नेताओं तथा विपक्षी नेताओं के बीच का मामला है। लेकिन पीठासीन अधिकारी होने के नाते सदस्यों की भावनाओं को देखने और समझने से ही मैं सभी सदस्यों, नेताओं, सरकार और पूरे सदन की सहायता कर सकता हूं और निश्चित रूप से हम ऐसा कर सकते हैं।

मेरे विचार से हमने इस मामले पर दस या पन्द्रह मिनट तक नहीं बल्कि पूरे 1.15 मिनट तक बहस की है।

यदि हम इसी प्रकार चर्चा करेंगे, तो देश हमारी चर्चाओं की प्रशंसा करेगा और हम किसी निष्कर्ष पर भी पहुंच सकेंगे।

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : लेकिन राष्ट्र को सरकार के विचारों से वंचित किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : सौभाग्यवश विदेश मंत्री यहां उपस्थित हैं। उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। अत: उन्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब वह यहां उपस्थित हैं और उन्होंने हमारी बात सुनी है, सदस्यों के विचार सुने हैं, यदि आप इस मुद्दे के बारे में सदस्यों को कुछ बताना चाहते हैं, तो आपके विचारों से सदस्यों को कुछ निदेश मिल सकते हैं और वह इन बातों को ध्यान में रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 15 अप्रैल को भगवान महावीर की जयन्ती के समय आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में जो गोली-कांड हुआ उस ओर मैं सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं भगवान महावीर ने "अहिंसा परमो धर्म:" का उपदेश विश्व में दिया और जैन समाज अहिंसापूर्वक भगवान महावीर के सिद्धान्तों को लेकर हैदराबाद में शोभा यात्रा निकाल रहा था। उस शोभा यात्रा में केवल "जीओ और जीने दो" "लिव एण्ड लेट लिव" तथा अहिंसा के बारे में भजन मण्डलियां और नारे लगाए जा रहे थे।

अध्यक्ष महोदय, भारत के एक करोड़ से अधिक जैन समाज को इस बात से आघात लगा है कि भारत की स्वतन्त्रता के इतिहास में ही नहीं, पहले से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि महावीर जयंती के समय निशस्त्र व्यक्तियों के ऊपर, जैन समाज के ऊपर अकारण, अनावश्यक और अनाधिकृत रूप से गोली काण्ड किया गया। जिसके कारण वहां पर रतन लाल जैन की छाती में गोली लगी।

और वह गोली एक सब-इन्सपैक्टर ने अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर बिना किसी कारण, बिना आवश्यकता के चलाई। हमारे यहां के सांसद उसमें थे और उन पर हमला किया गया और करीब सौ व्यक्तियों को घायल किया गया जिसमें से कई आज भी अस्पताल में हैं। वहां हिंसा का तांडव नृत्य किया गया और रात्रि बारह बजे के बाद जैन मंदिरों के अन्दर पुलिस डंडे लेकर घुस गई और लगभग पचास व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। यह शर्म और लज्जाजनक बात है गांधी के राष्ट्र के अंदर। जिस गांधी ने अहिंसा के नाम पर अहिंसा की शिक्षा से सारे भारत को स्वतन्त्र कराने के लिए संघर्ष करवाया। भगवान महावीर जन्म चिन्तन चिरस्थाई अहिंसा के संदेश के द्वारा जैसा अटल जी कहते हैं, हमारे नेता कहते हैं, अणुवीन समाज और अणुवीन विश्व की रक्षा का साथ देते हैं और हम रक्षा करना चाहते हैं और ऐसा, भगवान महावीर के जन्म के समय इस प्रकार से गोली कांड किया जाए। हमने गृह मंत्री से इस बारे मे भेंट की। उन पुलिस अधिकारियों को, जिन्होंने अनावश्यक रूप से यह गोली कांड किया, जिसमें कई व्यक्ति घायल हुए, उनको निलंबित किया जाए और उन पर मुकदमा चलाया जाए। जिन व्यक्तियों को घायल किया गया और उन पर मुकदमा बना लिया गया अपने बचाव के लिए और झूठा डिफेंस क्रिएट करने के लिए, तो उन मुकदमों को वापिस लिया जाए। यह सबसे अधिक शर्म और लज्जा की बात है। हमारे प्रधान मंत्री आंध्र प्रदेश के हैं और उन्होंने इस सदन के अन्दर समय-समय पर इस प्रकार की विचारधारा को प्रेषित किया है, जिस कारण से यह आभास मिला कि

इस राष्ट्र के अन्दर वे शांति के द्वारा जनतंत्रीय तरीके से अपने राष्ट्र को आगे ले जाने का प्रयास करना चाहते हैं। आज उसको चुनौती दी गई है। इस तरह की घटनाएं हों तो विश्व के लोग क्या कहेंगे; अहिंसा परमोधर्म कहने वालों के पास कोई शस्त्र नहीं है और जिन्होंने केवल भगवान महावीर की जय-जयकार का नारा किया तो उन पर गोली चलाई गई, यह कितनी लज्जाजनक स्थिति है। मैं सदस्यों से और ट्रेजरी बेन्चेज से यह प्रार्थना करूंगा कि इस प्रश्न के ऊपर गंभीरता से विचार किया जाए और माननीय गृह मंत्री इस बारे में वक्तव्य दें और मुकदमें वापिस लें और दंडित अधिकारियों को सजा दें।...(व्यवधान)

श्री दत्तात्रेय बंडारू (सिकन्दराबाद) : अध्यक्ष महोदय, भगवान महावीर जयन्ती हमारे जैन समाज वाले मना रहे थे। उस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मुझे बुलाया गया था। वैसे ही महान नेता जस्टिस लोढा जी को भी बुलाया गया था। हमको पता नहीं था और पहले ही लाठी चार्ज हुआ और फायरिंग हुई। श्री रतन लाल जैन नाम के एक युवक पर नजदीक से छाती पर फायरिंग की गई। उस समय बहुत सी महिलाओं को भी मारा गया। महावीर जयन्ती अहिंसा का प्रतीक है।

अध्यक्ष महोदय : आप थोड़े में बोलिए।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : हैदराबाद शहर में कभी ऐसी परिस्थिति का निर्माण नहीं हुआ। वहां के डी०सी०पी० ने मुझे गाली दी और लाठी का प्रयोग करने की कोशिश की।...(व्यवधान) उन्हें वहां शांति रखने की कोशिश करनी चाहिए और हमला करते हुए मेरे ऊपर गलत भाषा का प्रयोग किया और उन्होंने मेरा काफी अपमान किया। मैंने वहां प्रोटेस्ट किया था। आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा हैदराबाद में जो भी धार्मिक जुलूस निकलेगा तो उसको रोकने का प्रबन्ध किया जा रहा है। गणेश के जुलूस को भी रोकने की कोशिश सरकार कर रही है।...(व्यवधान)...भगवान महावीर जयन्ती पर जो फायरिंग और लाठी चार्ज हुआ तो उस पर आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक भी बयान नहीं दिया और, एक भी अफसर के ऊपर कार्यवाही नहीं की।...(व्यवधान) झूठे केसेज बनाकर काफी लोगों को जेल में डाला और अन्याय का वातावरण पैदा किया। हमारी मंत्री जी से प्रार्थना है कि आंध्र प्रदेश की सरकार से पूछा जाए कि वह क्यों ऐसा जुल्म हमारी शांतिपूर्वक पब्लिक के ऊपर कर रही है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, इस मामले के दो पहलू हैं। मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा एक पहलू है महावीर जयन्ती का जुलूस और उस पर फायरिंग हो, वह स्वयं में एक गम्भीर बात है। यह राज्य का मामला होते हुए भी अब तक परम्परा यह रही है अगर कोई ऐसा गम्भीर मामला आता है, सरकार आश्वासन देती है कि हम तथ्यों की जानकारी करके सदन को सूचना देंगे कि क्या हुआ।

दूसरा पहलू है जिसका आपसे सम्बन्ध है। वह है सदन के सम्मानित सदस्य के साथ किसी भी प्रकार की अवमानना होना। मैं समझता हूं दोनों पहलू ऐसे हैं जिसके कारण सरकार को और सदन को नोट लेना चाहिए और आपको इस पहलू का नोटिस लेकर जानकारी मिलनी चाहिए कि तथ्य क्या है। यह नहीं कि लोढाजी ने बात कह दी, दत्तात्रेय जी ने बात कह दी और मामला समाप्त हो गया। मैं चाहूंगा सरकार वचन दे कि हम जानकारी एकत्र करके आपको और सदन को दोनों के पास ये तथ्य रखेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सदस्य पर आक्रमण के बारे में हम जानकारी चाहते हैं। कृपया इसे नोट करें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : निश्चित रूप से हम जानकारी प्राप्त करेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, मैं एक गम्भीर मामले की ओर आपका और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह वर्ष बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्म शताब्दी के रूप में मनाया जा रहा है। सरकार ने जितनी बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति डिसरिसपेक्ट दी है उतनी शायद ही किसी अन्य इतने बड़े नेता के प्रति दी हो। लेकिन सबसे जो दिक्कत है, सबसे आश्चर्य की बात है कि इस बार बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्म शताब्दी के अवसर पर जितनी मूर्तियां उनकी तोड़ी गई हैं सरकार के द्वारा मैं समझता हूं आज तक हिन्दुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। मैं चाहता हूं कि सरकार के मंत्री यहां हैं, गुलाम नबीजी हैं, पवार साहब हैं, इसको गम्भीरता से लेने का काम करें। दिल्ली में चुंगी नम्बर तीन, लाल कुआं में बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर की दस टन की मूर्ति है, उस मूर्ति को 17 तारीख की रात को 150 पुलिस कर्मी आये और घेराबंदी करके डी०सी०पी० के साथ आकर तोड़ गये और तोड़ने के बाद वहां से ले गये और गायब कर दिया गया। मैं कल सवेरे वहां गया था। परसों दिन में जब हमको मालूम हुआ और वहां से हजार, दो हजार आदमी हमारे पास आये, वे गुस्से में थे, उन्होंने हमको बताया तो हमने अधिकारियों से बात की। हमारे रामसिंह विधूड़ी भी थे, उन्होंने कहा कि इसका अन्जाम बहुत बुरा होगा। अधिकारियों ने कहा कि डी०डी०ए० ने यह किया है, हम क्या करें। हम लोगों ने कहा कि डी०डी०ए० की जमीन पर इतने अवैध कब्जे हैं, इतने धर्म स्थान बने हुए हैं तो फिर बाबा साहेब अम्बेडकर की ही मूर्ति को तोड़ने का काम क्यों किया गया। हमने भी धमकी दी कि अगर रात तक मूर्ति नहीं लगाई जायेगी तो इसका अन्जाम दिल्ली प्रशासन जाने, हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। तब हमें कहा गया कि आप रात में आ जाइए हम मूर्ति दे देंगे। उसके बाद लोग वहां रात को गये और हाथ टूटी हुई मूर्ति वहां पर पुनर्स्थापित की गई। कल सवेरे जाकर हम लोगों ने फिर उसका उद्घाटन किया। पूरी मूर्ति खंडित हो गई है। इतना बड़ा अपमान पुलिस के द्वारा हुआ है, भारत सरकार का डी०डी०ए० मंत्रालय और पुलिस वाले मिलकर इतना बड़ा काम किए हैं।

इसी तरह से मंगोल पुरी के पास बुद्ध विहार बीस सालों से बसा हुआ है। उसको भी तोड़ने का काम हुआ है। 1 तारीख को। इसी तरह से हम लोग आनन्द पर्वत पर न्याय ज्योति लेकर जा रहे थे वहां आम सभा करने की घोषणा की। डी०सी०पी० से आदेश लेकर की, लेकिन वहां के एस०एच० ओ० ने कह दिया कि मीटिंग नहीं होगी। दो बार स्टेज तोड़ा गया। अन्त में हमने वहीं पर लोगों को एड्रेस किया, हम थे, वी०पी० सिंह जी थे। डी०सी०पी० के आदेश के बाद एस०एच०ओ० की इतनी हिम्मत है कि उसने हमें कहा मैं मीटिंग नहीं करने दूंगा। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप बाबा साहेब अम्बेडकर को रिसपेक्ट नहीं दे सकते तो अपमान करने का भी अधिकार आपको नहीं है। आप सरकार को हिदायत दें कि जो लाल कुआं की घटना है उस पर सरकार वक्तव्य दे, नहीं तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि हमें कल फिर इसको उठाने की इजाजत दें। इसलिए आप सरकार से कहें कि सारी घटना की जांच करके तथ्य सामने रखे। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस पर ध्यान दें, क्योंकि यह बाबा साहेब अम्बेडकर का मामला है, आप अगर एक शब्द कहेंगे तो सरकार इसको गम्भीरता से लेगी।

श्री कालका दास (करोलबाग) : अध्यक्ष जी, मैं श्री राम विलास पासवान की इस बात से

अपनी सहमति प्रकट करता हूं । वास्तव में बाबा साहेब अम्बेडकर शताब्दी वर्ष में जितने उनके चित्र और मूर्तियां तोड़ी गयी हैं, वह बहुत निन्दनीय है । दिल्ली में बदरपुर के पास लाल कुआं की जो घटना बतायी गयी है, यहां से यह स्थान 7 कि० मी० है, यह कृत बहुत ही निन्दा का है । अध्यक्ष जी, मैं शताब्दी समारोह स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य हूं । वहां पर मैंने सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था । अभी 10 तारीख को महरौली में और महरौली के पास जोनापुर गांव में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी गयी और भवन को पुलिस और डी०डी०ए० के लोगों ने ध्वस्त कर दिया । लोग चारों ओर से भागे-भागे फिर रहे हैं । परन्तु कोई उनकी बात नहीं सुन रहे हैं । यह किस बात का संकेत करता है ? वास्तव में हम बाबा साहेब अम्बेडकर सैंटेनरी सेलेब्रेशन मना रहे हैं लेकिन उनकी मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, आखिर इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये । मैंने इस बारे में यहां एक सवाल भी उठाया था तो सरकार ने बताया कि सारे देश से फिगर्स मंगायी जा रही हैं कि सारे देश में कितनी मूर्तियां तोड़ी गयी हैं और इस सैंटेनेरी समारोह में उनकी स्थापना के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है ? लेकिन सरकार के पास सारे आंकड़े नहीं आ पाये हैं केवल अखबारों के द्वारा कभी किसी स्थान पर और कभी किसी स्थान पर मूर्तियों के तोड़े जाने की खबरें मिल रही हैं । बाबा साहेब अम्बेडकर किसी एक वर्ग के नहीं थे । उन्होंने इस देश के संविधान का निर्माण किया था जिस पर आज यह सरकार चल रही है । जिस महापुरुष ने 44 साल पहले भारत के संविधान का निर्माण किया, बड़ी मुश्किल से संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में उनकी मूर्ति लगायी गयी । इस प्रकार बाबा साहेब के साथ अन्याय हो रहा है इसलिए कि उन्होंने दुर्बल और कमजोर समाज में जन्म लिया और यही इस बात का संकेत हो रहा है । इसी कारण यह अन्याय हो रहा है लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर को न्याय मिलना चाहिये । यह शताब्दी समारोह का तीसरा साल है और वहां पर उनके भवनों और मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है···

अध्यक्ष महोदय : देखिए, इस पर लम्बा भाषण न हो, आप जो घटना है उस पर बोलिए प्लीज ।

श्री कालका दास : अध्यक्ष जी, उनके साथ अन्याय हो रहा है । सरकार इस संबंध में अपना वक्तव्य दे कि इसको रोकने के लिए क्या करने जा रही है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम यह पता लगाएं कि वास्तव में क्या हुआ था ।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष जी, आप इनको कह दें···

अध्यक्ष महोदय : मैंने कह दिया है···

श्री चन्द्रजीत यादव : अध्यक्ष जी, आप भी कमेटी के मैम्बर हैं···

अध्यक्ष महोदय : हां, मैंने कह दिया है···

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : हम जानकारी प्राप्त करके सभा में प्रस्तुत करेंगे···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही सरकार से जानकारी प्राप्त कर सभा में प्रस्तुत करने के लिए कह दिया है।

अब श्री अमल दत्त बोलेंगे।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : महोदय, जो व्यक्ति दिल्ली दुग्ध योजना को दूध की आपूर्ति करना चाहते हैं, उन्होंने इसके बारे में अनेक शिकायतें की हैं। यह आरोप लगाया गया है कि लम्बे अरसे से संगठन के उच्च अधिकारी भ्रष्ट प्रक्रियाएं अपना रहे हैं। केवल यही नहीं बल्कि इन भ्रष्ट प्रक्रियाओं को अपनाने में उन्हें राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है।

12 अप्रैल को आधी रात को केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने छापा मारा और दिल्ली दुग्ध योजना के महाप्रबन्धक को 2 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। उनके घर पर छापा मारने से उन्हें 3.5 लाख रुपये मिले। समाचारपत्रों में ऐसा ही छपा है। यह घटना 13 तारीख को रातके 12 बजे घटी थी। 14 तारीख को सुबह केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने उन्हें छोड़ दिया। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। कानून के अन्तर्गत केन्द्रीय जांच ब्यूरों को उन्हें जमानत पर रिहा करने का अधिकार है। लेकिन उन्होंने इस अधिकार का उपयोग नहीं किया क्योंकि तत्काल ही राजनीतिक प्रभाव ने अपना खेल शुरू कर दिया था। वास्तव में ऐसे मामलों में जब एक सरकारी नौकरी में लगे व्यक्ति को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाता है तथा उसके घर में इतना पैसा मिलते हैं, तो उसे तत्काल नौकरी से निलम्बित कर दिया जाता है। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। परिणाम-स्वरूप वह व्यक्ति अपने पुराने कार्यालय तथा पद पर फिर आसीन हो गया और वह अन्य व्यक्तियों को धमकाने लगा जो शायद उसके विरुद्ध गवाही देते। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त है। उन्हें संरक्षण प्राप्त है। केन्द्रीय जांच ब्यूरों के प्रभारी मंत्री को सभा में यह वक्तव्य देना चाहिए कि उन्हें कैसे छोड़ा गया। संबंधित मंत्री को सभा को यह बताना चाहिए कि ऐसे मामले में अधिकारी को निलम्बित क्यों नहीं किया गया और उन्हें अपना कार्य करने दिया जा रहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डेढ़ घंटे से यही बात चल रही है। मैं माननीय मंत्रियों से सभा पटल पर पत्र रखने के लिए अनुरोध करता हूं।

श्री आर्वे फर्नान्डीज : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न सभा पटल पर पत्र रखने के बारे में नहीं है।

[हिन्दी]

मैंने आपको एक नोटिस दिया है अध्यक्ष जी। नोटिस यह दिया है कि रक्षा मंत्री अमरीका गए थे जब सदन की बैठक चल रही थी। वे जब आए तो सदन लम्बी छुट्टी पर चला गया। आज पहली बार सदन में बैठे हैं, उनका विषय भी चल रहा है लेकिन··· (व्यवधान)।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या यह आपका व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे बताइए कि हमने किस नियम का उल्लंघन किया है?

श्री आर्वे फर्नान्डीज। नियम 372 के साथ नियम 376 पढ़ें।

अध्यक्ष महोदय : नियम 376, इसमें क्या कहा गया है ?

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : रूल तो मैं बताता हूं। रूल 376 रैड विद 372। मेरा यह कहना है कि इस सदन की यह परम्परा है कि किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर यहां पर मिनिस्टर को स्टेटमेंट अगर करना हो तो 372 के अन्तर्गत उनको यह स्टेटमेंट देनी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : लेकिन वह ऐसा कर सकते हैं। क्या आप इसके लिए कह सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मेरा सवाल यह है कि सदन के साथ एक प्रकार का खिलवाड़ हो रहा है कि रक्षा मंत्री को देश में लौटे इतने दिन हो गए हैं। आज सदन बैठ रहा है। अमरीका के साथ हमारे रक्षा विभाग के सम्बन्धों के बारे में या इस देश की सुरक्षा के सम्बन्धों के बारे में सदन में और सदन के बाहर क्या-क्या बातें चल रही हैं आप जानते हैं। मंत्री जी को आप आदेश दीजिए कि वह स्टेटमेंट सदन में करें। आप इस प्रकार का आदेश उनको दें।···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह श्री जार्ज फर्नान्डीज की मांग है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप बयान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं ?···(व्यवधान)···

रक्षा मंत्री जी, आप बयान देंगे कि नहीं देंगे ?···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे। श्री पवार।

1.38 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान के वर्ष 1990-9. के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[श्री शरद पवार]

(दो) रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1793/92]

(3) रक्षा मंत्रालय की वर्ष 1992-93 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—1794/92]

(4) रक्षा सेवाएं प्राक्कलनों की वर्ष 1992-93 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—1795/92]

जल संसाधन मंत्रालय की वर्ष 1992-93 की अनुदानों मांगें

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : मैं श्री विद्याचरण शुक्ल की ओर से, जल संसाधन मंत्रालय की वर्ष 1992-93 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—1796/92]

इस्पात मंत्रालय की वर्ष 1992-93 की अनुदान मांगें

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : मैं इस्पात मंत्रालय की वर्ष 1992-93 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—1797/92]

राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण पर

वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा आदि नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० ओ० एच० फारूक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 24 की उप-धारा (4) और धारा 25 के अन्तर्गत राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार

द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी०—1798/92]

1.39 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) चण्डीगढ़ से हरिद्वार, लखनऊ तथा पटना के लिए सीधी रेलगाड़ियां चलाने की आवश्यकता

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़)। महोदय, उत्तर प्रदेश और बिहार से बड़ी संख्या में लोग चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में आकर बस गए हैं। इन दो राज्यों में अपने-अपने स्थानों पर जाने के लिए उन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनकी इस कठिनाई को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि या तो चण्डीगढ़ से हरिद्वार, लखनऊ और पटना के लिए सीधी रेलगाड़ी चलाई जाए या चण्डीगढ़ से अम्बाला जाने वाली रेलगाड़ियों में विशेष डिब्बे जोड़े जाएं ताकि इन डिब्बों को वहां से इन स्टेशनों के लिए जाने वाली विभिन्न रेलगाड़ियों के साथ जोड़ा जा सके।

यह अति आवश्यक है और मैं केन्द्रीय सरकार से इस मामले में यथा शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

(दो) सेंधवा होते हुए मनमाड़ (महाराष्ट्र) और इन्दौर को जोड़ने के लिए एक बड़ी रेल लाइन बिछाये जाने की आवश्यकता

श्री रामेश्वर पाटीदार (खारगोन) : अध्यक्ष महोदय, सारे देश के राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश सड़क एवं रेल दोनों की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में भी खारगोन जिला ऐसा है जिसमें आजादी के इतने वर्षों बाद भी कोई रेल लाइन नहीं है।

मनमाड (महाराष्ट्र) से इन्दौर वाया सेंधवा रेल ब्राड गेज लाइन डालने की मैं मांग करता हूं। यह करीब 300 किलो मीटर लम्बी रेल लाइन होगी। यह मनमाड जंक्शन, जहां से बम्बई आदि को रेल लाइन जाती है, से इन्दौर को मिलाएगी। इससे दिल्ली-बम्बई रेल लाइन की दूरी सैंकड़ों कि० मी० कम हो जाएगी। मक्सी से इन्दौर रेल लाइन ब्राड गेज स्वीकृत है और निर्माण कार्य चालू है। इटावा से गुना रेल लाइन मंजूर हो गई है, कार्य प्रगति पर है। इटावा से इन्दौर रेल लाइन गुना से मक्सी रेल लाइन पहले से है, मनमाड वाया औरंगाबाद से परली बैजनाथ मीटर गेज लाइन को ब्राड गेज करने का कार्य स्वीकृत होकर निर्माण चल रहा है, यदि यह इटावा से परली बैजनाथ लाइन हो जाएगी, परली बैजनाथ से विकाराबाद से सीधे हैदराबाद (दक्षिण);

[श्री रामेश्वर पाटीदार]

जो थर्ड ट्रेक जुड़ जाएगा (तीसरी लाइन) देश के लिए तैयार हो जाएगी। अभी सेंट्रल एवं वेस्टर्न दो रेल लाइन दिल्ली से दक्षिण को जाने को हैं। कोंकण रेलवे बनाने के बाद वेस्टर्न रेल लाइन पर दबाव ज्यादा पड़ेगा, इसलिए विकल्प भी चाहिए। मनमाड, भुसावल, औरंगाबाद डिफेंस सेंटर हैं, महु और ग्वालियर भी डिफेंस सेन्टर्स हैं, प्रस्तावित लाइन से यह डिफेंस सेंटर्स आपस में रेल लाइन के माध्यम से जुड़ जाएंगे। मक्सी इन्दौर गोधरा रेल लाइन का निर्माण कार्य भी जारी है। यह रांड से जाएगी। यानी मनमाड से इन्दौर के बजाय राड तक ही बनानी होगी। इससे 18 कि० मी० दूरी और कम हो जाएगी।

खारगोन जिले में उद्योग की दृष्टि से निगरानी उद्योग परिसर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित है, जहां कई सूत मिलें एवं अन्य उद्योगों के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। सेंधवा में बीसियों उद्योग हैं; धूलिया जिले की दो सूत मिलें एवं धार जिले का पीथमपुर उद्योग परिसर और इन्दौर के सैंकड़ों उद्योग इसे मिलेंगे। माल ढुलाने की दृष्टि से भी इसे पर्याप्त माल मिल सकेगा।

[हिन्दी]

(तीन) बरेली, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 पर उपमार्ग को शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री संतोष कुमार गंगवार (पीलीभीत) : अध्यक्ष महोदय, बरेली राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर स्थित एक प्रमुख महानगर है। इस मार्ग पर यातायात अत्यधिक रहता है। बरेली के निकट उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर बाईपास का निर्माण एवं मार्ग को चौड़ा करने की मांग काफी समय से की जा रही है तथा पिछले कई वर्षों से बाईपास के निर्माण की बात की जा रही है तथा यह भी जानकारी में आया है कि प्रारम्भिक सर्वे हो चुका है और बाईपास का प्रारूप केन्द्र के पास विचाराधीन है। उक्त बाईपास के न होने के कारण यातायात में अत्यधिक असुविधा है। दुर्घटनाएं होती है तथा समय भी ज्यादा लग जाता है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर बरेली के निकट, बाईपास निर्माण की शीघ्र स्वीकृति दी जाए।

[अनुवाद]

(चार) इंटिग्रेटेड गाइडिड मिसाइल प्रोग्राम को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता

श्री विजय कृष्ण हान्डिक (जोरहाट) : महोदय, मैं 'इंटिग्रेटेड गाइडिड मिसाइल' कार्यक्रम की विभिन्न महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में होने वाले विलम्ब सम्बन्धी प्रश्न उठाना चाहता हूं। मध्यम दूरी तक जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल 'अग्नि' की दूसरी परीक्षण उड़ान जिसे फरवरी, 1992 के अन्तिम सप्ताह में छोड़ा जाना था, की प्रगति के सम्बन्ध में कुछ भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। मई, 1989 में इसके सफल परीक्षण के बाद से इस प्रक्षेपण को बार-बार स्थगित किया गया है।

इस समय मिसाइल कार्यक्रम के प्रमुख वास्तुकार जिन्हें रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जो कि सभी रक्षा सम्बन्धी अनुसंधान और विकास के लिए एकमात्र संगठन है, उसके प्रमुख का स्थान

ग्रहण करना है, के प्रस्तावित स्थानान्तरण से कई चिन्ताजनक प्रश्न उठेंगे जिसमें सभी मिसाइल परियोजनाओं को सेवाओं में शामिल करने के तर्कसंगत निष्कर्ष के क्रियान्वयन की दिशा में सरकार के आशय की गम्भीरता भी शामिल है क्योंकि जमीन से जमीन पर मार करने वाली 'पृथ्वी' मिसाइल और जमीन से हवा में मार करने वाली 'त्रिशूल' मिसाइल के निर्माण की प्रक्रिया अभी शुरू की जानी है।

अतएव मैं सरकार से इसमें विलम्ब के कारणों को स्पष्ट करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

(पांच) कानपुर स्थित राष्ट्रीय कपड़ा निगम तथा ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन को मिलों को दी जा रही आर्थिक सहायता वापस लेने सम्बन्धी निर्णय की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, कानपुर नगर उत्तरी हिन्दुस्तान का प्रमुख औद्योगिक नगर है। इसमें नेशनल टैक्सटाईल कार्पोरेशन की पांच मिलें और ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन की चार मिलें कार्यरत हैं, जिनका भारत सरकार ने वित्तीय समर्थन वापस ले लिया है। ऐसा होने से इन मिलों में कार्यरत लगभग 28 हजार मजदूर बेकारी के कगार पर हैं। इसलिए इस नगर में और उत्तरी हिन्दुस्तान के मजदूर संगठनों में घोर असंतोष और शोक का वातावरण व्याप्त है। भारत सरकार ने स्वेच्छा सेवा निवृत्ति योजना के तहत हजारों मजदूरों को सेवा से पृथक करने का भी फैसला कर लिया है। इससे उत्तर प्रदेश का औद्योगिक वातावरण भी प्रभावित होगा।

अतः हमारी केन्द्र सरकार से मांग है कि इन मिलों को चालू कराकर बेरोजगारी की गर्त में गिरने वाले मजदूरों को सुरक्षित कराया जाए।

[अनुवाद]

(छह) इजीमाला, केरल में नौसैनिक अकादमी को शीघ्र शुरू करने की आवश्यकता

श्री एम० रमन्ना राय (कासरगोड) : महोदय, केरल में इजीमाला में एक नेवल अकादमी को स्थापित करने का निर्णय वर्ष 1982 में लिया गया था। इजीमाला की उपयुक्तता और उसके स्थलों के कारण ही ऐसा निर्णय लिया गया था। राज्य सरकार ने इसके सभी आवश्यक सहायता प्रदान की। तत्कालीन केरल सरकार की रुचि के कारण भूमि का अधिग्रहण किया गया और उसका कब्जा नेवल अकादमी को सौंप दिया गया।

लेकिन दस वर्षों के बाद भी यहां पर अब तक इस क्षेत्र के चारों ओर केवल तार लगाने, गेट बनाने और कुछ सुरक्षाकर्मियों की नियुक्ति के अतिरिक्त और कुछ काम नहीं किया गया है। वास्तव में नेवल अकादमी की यहां पर स्थापना ही नहीं हुई है। नेवल प्राधिकारियों ने यहां पर अभी सड़कें तक नहीं बनाई हैं। पेय जल और विद्युत सुविधाएं भी वहां पर प्रदान नहीं की गई हैं।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस कार्य को शीघ्रता से पूरा करे ताकि इसमें बिना और देरी नेवल अकादमी का कार्य आरम्भ हो सके।

1.45 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.45 म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

2.53 म० प०

[अनुवाद]

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2.53 म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।)

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1992-93

विदेश मन्त्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विदेश मंत्रालय से संबंधित मांग सं० 24 पर चर्चा और मतदान करेगी जिसके लिए छः घंटे का समय नियत किया गया है ।

सभा में उपस्थित ऐसे माननीय सदस्य जिनके विदेश मन्त्रालय की अनुदान मांगों से संबंधित कटौती प्रस्ताव परिचालित किए जा चुके हैं और यदि वे अपने कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करना चाहते हैं, वे पन्द्रह मिनट के अन्दर सभा पटल पर अपनी पर्ची भेज दें और उसमें वे जिस कटौती प्रस्ताव को प्रस्तुत करना चाहते हैं उसकी क्रमांक संख्या का भी उल्लेख करें । केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को प्रस्तावित हुआ समझा जाएगा ।

प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्तावों का उल्लेख करने वाली एक सूची को अलग से सूचना पटल पर जल्दी ही रखा जायेगा । यदि कोई सदस्य सूची में कोई विसंगति देखे, वह बिना विलम्ब किए सभा पटल पर स्थित अधिकारियों के ध्यान में इसे ला सकता है ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 4 में विदेश मन्त्रालय से संबंधित मांग सं० 24 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्षों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 6 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए ।"

लोक सभा को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1992-93 के लिए
विदेश मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें।

मांग सं०	मांग का नाम	26 मार्च, 1992 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3		4	
		राजस्व	पूंजी रु०	राजस्व	पूंजी रु०
24.	विदेश मंत्रालय	9952,00,000	1150,00,000	49760,00,000	5751,00,000

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, अपने अच्छे और सहृदय मित्र विदेश मंत्रालय में माननीय राज्य मन्त्री के सम्मान पर कोई आक्षेप किए बिना, मैं यह कहना चाहता हूं कि विदेश मंत्रालय से संबन्धित अनुदानों की मांगों पर किसी नीति के बिना और इसे लागू करने वाले मंत्री की अनुपस्थिति में चर्चा करना अजीबोगरीब बात होगी।

मुझे ऐसा कोई अवसर याद नहीं है जब संसद में सम्बद्ध मंत्री की अनुपस्थिति में उनके मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा की गई हो। लेकिन, महोदय, अनजाने में ही यह उचित कार्य हो गया हो कि जबकि कोई नीति ही नहीं है तो मन्त्री की क्या जरूरत है? उस विचार से हम मन्त्री की अनुपस्थिति में विदेश मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर चर्चा करने की मात्र औपचारिकताओं को पूरा करें।

मैंने मन्त्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन को पढ़ा है। वर्तमान समय के और राष्ट्र के समक्ष चुनौतियों के सन्दर्भ में यह प्रतिवेदन बहुत असंबत हो गया है। देश में आने वालों तथा उनके वापस जाने के संबंध में इसमें जानकारी अवश्य है परन्तु एक ऐसे दस्तावेज के रूप में इसमें कुछ नहीं दिया गया है जिसमें यह बताया गया हो कि तेजी से बदलते इस विश्व में हमारे प्रयास क्या हैं, अथवा इसमें बताया गया हो कि हमारी सरकार का रुख क्या है, अथवा सरकारी नीति क्या है?

हमारी मुख्य चुनौती क्या है? परिवर्तनशील विश्व में विदेश नीति का निर्माण ही मुख्य चुनौती है। मेरे विचार में विदेश नीति बनाने और कूटनीति में अन्तर है। मैं वह करने का प्रयास नहीं करूंगा जिसे मन्त्रालय को करना चाहिए। लेकिन विदेश नीति बनाने की आवश्यकता पर मैं कुछ कहूंगा। 1990 के इस दशक में जबकि शताब्दि का अन्त करीब है, विश्व का कोई स्पष्ट चित्र नहीं है। इसी वजह से हम विश्व का ऐसा चित्र तैयार नहीं कर सकते जिसमें हम एक नई नीति बना सकें। हमें नये सिरे से सर्वेक्षण करना होगा। जैसा कि प्राय: कहा जाता है कि—देश की आन्तरिक व्यवस्था और विदेश नीति में एक सामंजस्यपूर्ण संबंध होता है और यह आवश्यक है मात्र एक दूसरे से जुड़े ही नहीं होना चाहिए—और देश की आन्तरिक स्थिति को विदेश नीति द्वारा सच्चे रूप में परिलक्षित करना चाहिए—तो मैं आपके सामने यह रख रहा हूं जैसे कोई भी सर्वेक्षक आपको यह कहेगा कि विश्व की तस्वीर बनाने की पहली आवश्यकता यह होगी कि हम अपनी स्थिति बतौर एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करें और यह जानें कि हमारी स्थिति क्या है। यह कौन-सा राष्ट्र है जिसे हम इंडिया या

[श्री जसवन्त सिंह]

भारत या हिन्दुस्तान आदि अलग-अलग नामों से जानते हैं। यह मात्र अर्थ विज्ञान संबंधी प्रश्न नहीं है बल्कि हमें यह प्रयास करना होगा कि यदि हमें अपनी विदेश नीति को इस द्रुतगति से परिवर्तनशील विश्व में चलाना है तो एक नीति सम्बन्धी ढांचा तैयार करना होगा।

आज सवेरे जब हम अपनी नीति के एक विशेष पहलू पर विचार विमर्श कर रहे थे जो कि सभा के लिए विचारणीय मुद्दा था तब मैंने पहले ही कहा था कि वे महान राष्ट्र जो अपने नामों के अनुरूप हैं वे अपनी नीति किसी अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृति अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मित्रता के इरादे से नहीं तैयार करते।

3.00 म० प०

आज सवेरे जब हमारे उन मित्र राष्ट्रों का उल्लेख किया गया जो समय के साथ खरे उतरे हैं, भारत के पुराने मित्रों के संबंध में, और इस बीच जो थोड़ा समय भोजनावकाश का मिला मुझे यह ख्याल आया और उसमें मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यदि अन्तर्राष्ट्रीय अनुमति अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मित्रता का बार-बार जिक्र किया जाता है तो मैं समझता हूं कि हमारी नीति की अवधारणा में ही कोई कमी है।

मैं विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि बड़े-बड़े राष्ट्र प्रारब्ध की प्रबल भावना से कार्य करते हैं और यह प्रारब्ध इतिहास की देन है। बड़े-बड़े राष्ट्रों को शक्ति की इच्छा नहीं होती है वे केवल इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं और यह इस विषय को सरकार के विचारार्थ छोड़ता हूं कि इसमें हम असफल हो रहे हैं। मेरा यह विचार है कि बड़े-बड़े राष्ट्रों की व्यापक सैन्य परम्पराएं हैं। यह एक ऐसा पहलू है जिस पर हमें इस समय विचार करना चाहिए क्योंकि यह उचित विदेश नीति के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

दूसरे सभी बड़े राष्ट्र राज्य और समाज की अध्यात्मक सिद्धांतों का सहारा लेते हैं।

तीसरे, इसलिए इसके परिणामस्वरूप सभी बड़े-बड़े राष्ट्रों में विश्वव्यापी भौतिकता के प्रहार से बचने के लिए सांस्कृतिक सामर्थ्य होता।

मुझे यह लगता है कि इसमें सभी विचारों पर ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि मेरा विश्वास है कि जब विश्व में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं तो हमें अपने लिए एक नीति तैयार करनी होगी उसके बाद महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें कौन-सा मार्ग अपनाना है।

मैं संक्षेप में कुछ और बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। पहली, घरेलू नीति के समान विदेशी नीति की गलतियां भारत की आने वाली पीढ़ियों को निरन्तर सताती रहेंगी। घरेलू नीति एक आंतरिक मामला है और इसमें सुधार आसानी से किया जा सकता है।

यदि हम विदेश नीति अथवा अपनी कूटनीति के कार्यान्वयन में गलती करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं जम्मू और कश्मीर की समस्या तथा तिब्बत की समस्या जिसने चीन और भारत के संबंधों को अनेक वर्षों तक प्रभावित किया, शांति सेना की भूमिका के लिए भारतीय सेना को श्रीलंका भेजने के अलावा और अधिक उदाहरण नहीं देना चाहता। ये सभी हमें विरासत में मिली हैं और ये विरासत वर्षों पुरानी है परन्तु वे इस बात को स्पष्ट करती हैं जो मैं कह

रहा हूं कि विदेश नीति के क्षेत्र में की गई गलतियों को सुधारना बहुत मुश्किल होता है।

कुछ ऐसे और विचार हैं जिनका उल्लेख आवश्यक है। चूंकि पूरे विश्व में परिवर्तन हो गया है। इसलिए हमारा दृष्टिकोण यह नहीं होना चाहिए कि हम विरासत में मिली नीति को ही पूजते रहें और उस पर कोई आपत्ति न उठायें। तीसरी बात यह है कि विदेश नीति भारत के उज्ज्वल स्वरूप और सिद्धान्त की सच्ची अभिव्यक्ति हो।

इसके विपरीत कूटनीति का आचरण हमेशा परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

इसलिए, अन्त में हमारा प्रयास यह होना चाहिये कि हम हाल की घटनाओं को ऊपरी और सतही तौर पर ही न देखें, हम उनके बहाव के साथ बह कर अथवा बहाव के फल पर ही विचार न करके इस तेजी से बदलते विश्व की गहरी धाराओं तक और मानवीय अवधारणा और विकास की गहराई तक जाने का प्रयास करें। विश्व के बदलते परिदृश्य के कुछ परिणाम स्पष्ट और असंदिग्ध है। मेरे विचार से, वे बर्लिन की दीवार में आए दरार हैं। जिसके कुछ हिस्सों की मरम्मत की गई। कुछ हिस्सों को पाटा गया और कुछ हिस्सों को बिल्कुल ही ठीक किया गया है। लेकिन इस महान विश्व व्यापी बिखराव को तोड़ने और जोड़ने के लिए सामने लाने के लिए और शत्रुता के हिमखण्डों को बिखेरने के लिए जिनमें पिछले कई दशकों से विश्व कैद था, बहुत बड़े वास्तुशिल्पीय परिवर्तन हुए होंगे। निश्चय ही, विश्व में कुछ नई कटुताएं उत्पन्न हुई हैं जिससे अगली विश्वव्यापी दरार पैदा होगी—जो कि शायद अभी बहुत ही हल्के तौर पर नजर आती है और हमारी विदेश नीति बनाने में सरकार का यह दायित्व होगा कि वह इस स्थिति के लिए किस तरह स्वयं को तैयार करती है।

महोदय, हम विश्व में एक साथ संयोजन और विघटन की चल रही प्रक्रियाओं को देख रहे हैं। विदेश मंत्रालय की वार्षिक प्रतिवेदन में 'मास्ट्रिक्ट' के संबंध में एक बड़े पैरा में उल्लेख किया गया है। क्या यह 'मास्ट्रिक्ट' संयोजन का उदाहरण है? क्या उसी मानदंड का विश्व अनुसरण करेगा या हमें और विघटन का सामना करना होगा जैसाकि हमने भूतपूर्व सोवियत संघ में देखा है अथवा युगोस्लाविया में या अन्य स्थानों पर देखने को मिल रहा है। संयोजन और विघटन के इस विवाद में हमें ऐसी क्या बात है जिसके कारण हमें मानवीय प्रयास में भी एक गहरा विरोधाभास दीखता है? क्या यह राष्ट्रीयता का अंत है? व्यक्तिगत पहचान बनाए रखने का बहन प्रयास है और छोटे-छोटे बूटों द्वारा अपनी विद्यमानता का अहसास कराना है?

फिर साम्यवाद के इस महान पतन की घटना हुई। इस पतन के फलस्वरूप साम्यवाद के विकल्प पश्चिम की विजय हुई। क्योंकि इसे हमेशा ही साम्यवाद के प्रतिद्वन्द्वी के रूप में देखा जाता रहा है। साम्यवाद के पतन अथवा उसके इस आन्तरिक पतन के पश्चात क्या पश्चिम ने अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। इस परिवर्तनशील विश्व में क्या धन देवता कुबेर ही एकमात्र आर्थिक सत्यता बन गया है तथा आर्थिक प्रबन्धन ही विदेश नीति का मुख्य आधार बन गया है? अथवा यह भगवान केवल काल्पनिक कहानियों के भगवान की तरह ही है? मुझे यह आशा थी कि विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में इनमें से कुछ मुद्दों पर प्रकाश डाला जाएगा तथा मुझे यह जानकारी मिल सकेगी कि इस सम्बन्ध में भारत सरकार का क्या दृष्टिकोण है।

महोदय, कुछ मुद्दे हैं जिन पर एक रिपोर्ट में प्रकाश डाला गया है। यह स्पष्ट है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सार्थकता पर हमें पुनर्विचार करना होगा तथा इसे वर्तमान रूप में केवल समर्थन प्राप्त करने के लिए जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि कल जो समाधान थे वे आज की समस्याओं

[श्री जसवन्त सिंह]

का उत्तर नहीं हो सकते। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि रिपोर्ट में इन बातों की अनदेखी की गई है। अब इस सच्चाई से इसलिए आंखें फेर रहे हैं क्योंकि हम परिवर्तन की इस तीव्र गति से स्तब्ध रह गये हैं जोकि हमें बहुत पीछे छोड़ गई है। अथवा हम इन बातों की इसलिए अनदेखी कर रहे हैं क्योंकि इस परिवर्तन के शिकार लोगों की तरह ही हमने भी इसे पूरी समझा नहीं, तथा हम इसकी कल्पना नहीं कर रहे थे जिस तेजी के साथ साम्यवाद का अपने आप ही पतन हुआ है ?

अब हम केवल इतना ही कर सकते हैं कि जो एक नई विचारधारा का सूत्रपात हुआ है उस पर कुछ विचार किया जाये। ये जो नई विचारधारा सामने आई है; उसका कुछ अधिक ज्ञान हमें भी नहीं है। हमें अपने पड़ौसियों के साथ शान्तिपूर्ण सम्बन्ध बनाने चाहिए, हमें चीन के साथ मुद्दों को सुलझा लेना चाहिए। हमें संयुक्त जर्मनी की ताकत को स्वीकार करना चाहिए, तथा आर्थिक महा-शक्ति जापान की ताकत को भी स्वीकार करना चाहिए, पश्चिम एशिया में अपनी भूमिका का हमें पुनःनिर्धारण करना होगा, तथा एशियन अथवा एशियाई देशों से जोकि हमारी जैसी ही विचारधारा रखते हैं, अमरीका से सम्बन्धित नई सच्चाइयों के सम्बन्ध में भी हमें अपनी भूमिका का पुनर्निर्धारण करना होगा तथा दक्षिण इत्यादि में हो रहे परिवर्तनों को मान्यता देनी होगी। यह सब बातें अपने आप में स्पष्ट हैं क्योंकि ये सब कूटनीति के विभिन्न पहलू हैं। तत्पश्चात् अगर हमारी कोई नीति है तो हमें उस नीति को स्वीकार्य बनाने के लिए उचित कूटनीति अपनानी होगी, तत्पश्चात आवश्यक सुरक्षा नीति तथा सैन्य बल का प्रावधान करना होगा, उस विदेश नीति को प्रफुल्लित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा के साथ-साथ हमें आन्तरिक मामलों को भी सुलझाना होगा ताकि आन्तरिक तथा बाह्य शान्ति स्थापित की जा सके। यह सब बातें अपने आप में स्पष्ट हैं। यह सब बातें विदेश नीति का हिस्सा नहीं हैं। यह तो सरकार के रोजमर्रा के कार्य से सम्बन्ध रखती हैं। इसीलिए मैंने यह आवश्यक समझा कि सदन का कुछ समय लेकर भी मैं इस अन्तर को स्पष्ट कर दूं परन्तु मैं कुछ और मुद्दों को पूर्ण रूप से आपके समक्ष नहीं रख पाऊंगा जोकि मैं आपके समक्ष रखने का इच्छुक हूं।

उसके पश्चात् अगर हम नीति शून्यता तथा शासकीय शून्यता के परिणामों की जांच करें; जिसके कारण गलत दिशा की ओर बढ़ने की स्थिति उत्पन्न हुई, तो हम पायेंगे कि देश के लिए अति महत्वपूर्ण पांच या सात क्षेत्रों में हमारी नीति ढुलमुल रही। सबसे पहले मैं पड़ौसियों के साथ संबंधों को लूंगा। विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट से उद्धरण देकर मैं सदन का समय नहीं लूंगा। बेशक पड़ौसियों से हमारे सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण होने चाहिए तथा उनके साथ बकाया मामलों को सुलझाया जाना चाहिए। परन्तु यह बात हर बार विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में दोहराई जाती है। हर वर्ष हम इसी बात को दोहराते हैं तथा यह समझते हैं कि हमारी नीति सम्बन्धी कार्यान्वयन सम्बन्धी उद्देश्य पूरा हो गया।

पाकिस्तान के साथ हमारी समस्याएं हैं जोकि उनकी परमाणु कार्यक्रम सम्बन्धी महत्वाकांक्षाओं, उनके भारत में आतंकवाद को बढ़ावा तथा प्राश्रय देने, भारत के माध्यम से नशीली दवाओं के व्यापार, से जुड़ी हुई हैं। मैं सभी कठिनाइयों का उल्लेख नहीं कर रहा। परन्तु अगर यह तीन मुख्य कठिनाइयां हैं, तो मैं माननीय मंत्री महोदय तथा सरकार से यह जानना चाहूंगा कि इन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रूप से क्या कार्यवाही की गई, आज कल इसी शब्दावली का प्रयोग अधिक कर रही है, तथा उसके परिणाम स्वरूप सरकार की क्या उपलब्धियां रहीं ?

बंगलादेश के साथ हमारी एक बंधार समस्या है जो कि गैर कानूनी ढंग से आबाद रूप से देश

में आ रहे बंगलादेशी आप्रवासियों से सम्बन्धित हैं। यह समस्या पिछले कई दशकों से हमारे सामने है। इसने एक ऐसा विकराल रूप धारण कर लिया है जो कि केवल सामाजिक रूप से ही नहीं अपितु राजनैतिक रूप से भी गंभीर परिणाम उत्पन्न कर रहा है। मैं नहीं समझता कि सरकार को तीन बीघा सम्बन्धी समझौते पर हस्ताक्षर करने की क्या जल्दी थी। मैं तीन बीघा के सम्बन्ध में कोई विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। परन्तु निश्चित रूप से इस तीन बीघा सम्बन्धी समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए इस निरन्तर चल रही अवैध अप्रवासियों सम्बन्धी समस्या के सम्बन्ध में भी वक्तव्य दिया जा सकता था। अगर सरकार यह जानकारी प्रदान करे कि भारत-बंगलादेश संबंधों के एक विशिष्ट पहलू के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है तो मैं अनुगृहीत हूंगा।

भारत-श्रीलंका सम्बन्धों के प्रश्न पर उसे स्मरण आता है कि एक भूतपूर्व प्रधान मंत्री द्वारा हममें से कुछ लोगों के साथ विचार-विमर्श किया गया था तथा इस सम्बन्ध में मुझे भी बुलाया गया था तथा मुझे याद है कि तत्कालीन प्रधान मंत्री से भी मैंने यह निवेदन किया था कि श्रीलंका में चल रहे संघर्ष को हमें अपनी सीमाओं तक आने की अनुमति नहीं देनी चाहिए तथा श्रीलंका में चल रहे जातीय संघर्ष में भारत को पृष्ठभूमि बनाए जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस पहलू पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा तथा ऐसा ही हुआ और वास्तव में श्रीलंका में चल रहे जातीय संघर्ष के घब्बे अब भारत की भूमि पर दिखाई नहीं दे रहे हैं? अगर मेरी शंका उचित है तो बीते हुए समय में इस सम्बन्ध में हमारी नीति कितनी ठीक थी तथा इस समस्या के सुलझाने में हम कहां तक सफल हुए हैं?

3.17 म०प०

(श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य पीठासीन हुईं)

अफगानिस्तान में पिछले दिनों हुई घटनाओं से मैं काफी चिन्तित हूं। अहमद शाह मसूद ताजिक हैं। वे उनमें से जो तब भी अफगानिस्तान में रहे जब दूसरे लोगों ने अफगानिस्तान छोड़ दिया था। मैं नहीं जानता कि भारत सरकार ने अहमद शाह मसूद से कोई सम्पर्क स्थापित किया है। क्या अनौपचारिक तौर पर ही उनसे हमने कोई सम्बन्ध स्थापित किया है? क्या हमने अपनी सारी आशाएं राष्ट्रपति नजीबुल्ला के साथ लगा रखीं थी जिसके परिणामस्वरूप हम अपने आपको एक ऐसे अफगानिस्तान में पाते हैं जहां कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई सारी पहल बीती हुई बात बनकर रह गई हैं तथा घटनाक्रम की गति उन सभी पहलुओं को बहुत पीछे छोड़ गई है। क्या यह ठीक है कि अधिकतर पशतून लोग लगभग पिछले 14 सालों में अफगानिस्तान छोड़ कर पाकिस्तान में शरण ले चुके हैं शायद इस डर से कि अहमद शाह मसूद अफगानिस्तान की सत्ता संभाले हुए हैं अथवा संभालने वाले हैं? तीसरी बात यह है कि अफगानिस्तान के दक्षिणी भाग, हजारा, में शिया मुसलमानों का बाहुल्य है तथा इसके परिणामस्वरूप हमारे सामने अफगानिस्तान में जो स्थिति है उसमें यह भूमि तीन मुख्य धड़ों में बंटी हुई है जिसमें कि केवल गृह युद्ध के भड़कने की ही संभावनाएं नहीं हैं बल्कि आपसी हितों का भी टकराव होगा जिसमें कि शायद भारत के हितों को दूसरे दर्जे में ही रखा जायेगा?

मेरे मन में एक विचार आया है जिसे मैं एक मिनट का समय लेकर सदन के साथ बांटना चाहता हूं। हमारे सामने कैसी स्थिति है? जब मुजाहिदीनों को रूस जैसी महाशक्ति का सामना करना पड़ा तो वे उसे झुकाने में सफल रहे। उस महाशक्ति को अन्ततः अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। इस महाशक्ति को झुकाने के लिए हुए संघर्ष के दौरान बहुत कम अफगान लोग राष्ट्रपति नजीबुल्ला के साथ रहे। अफगानिस्तान की सेना जिसकी संख्या लगभग 80,000 थी धीरे-धीरे घट कर केवल

[श्री जसवन्त सिंह]

40,000 रह गई। उस महाशक्ति को मुजाहिद्दीनों ने कैसे हराया? अगर यह मुजाहिद्दीन इतने महान अफगान योद्धा थे तो उस महाशक्ति के चले जाने के पश्चात् उन मुजाहिद्दीनों को क्या हुआ? ये मुजाहिद्दीन अफगानिस्तान के तीन किलोमीटर अन्दर तक भी दाखिल नहीं हो सके, एक शहर की तो बात ही छोड़िए, तथा उन्हें ऐसा कोई वृक्ष भी नहीं मिल सका जिसके नीचे खड़े होकर वे अफगानिस्तान की सरकार के गठन संबंधी घोषणा कर पाते।

मैं यह प्रश्न जान-बूझकर पूछ रहा हूं। वह क्या था और अब जो हुआ है। वह क्या है। आज काबुल की तरफ कूच करने वाले मुजाहीद्दीन आखिर कौन हैं? उन मुजाहीद्दीनों को कौन सी शक्ति चला रही है और अफगानिस्तान के उपद्रव के पीछे क्या है जिससे हमें वास्तव में जूझना पड़ रहा है? यह सब मैं आपके सामने रख रहा हूं, महोदया, अफगानिस्तान की घटनाएं इस उप-महाद्वीप को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं, और अगर यह उप महाद्वीप प्रभावित होता है तो इससे भारत का राष्ट्रीय हित भी प्रभावित होता है। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि उसकी इस सम्बन्ध में क्या नीति है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? वहां वह किस प्रकार अपना प्रभाव का प्रयोग कर रही है और यह सुनिश्चित करने के लिये कि वहां चल रहा वर्तमान उपद्रव अफगानिस्तान को निगल न ले और अफगानिस्तान गृह-युद्ध, नागरिक संघर्ष या जाति, संघर्ष का अखाड़ा न बन जाये, कौन-कौन से कदम उठाये जा रहे हैं?

अब मैं पश्चिमी एशिया की तरफ आता हूं। मुझे सीमित समय में बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करनी है। हमने सदैव एक समग्र पश्चिम एशिया नीति अपनाने की वकालत की है। अपनी बौद्धिक और धारणात्मक दोनों ही प्रकार की सोच में जो हम एक प्रकार का बन्धन सा महसूस करते रहे हैं, उसमें हमें कुछ हद तक यथार्थता की पुट देनी चाहिये और इसको मान्यता देकर वस्तुस्थिति स्वीकार करनी चाहिए। एक पूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध अपनाकर, उसे मान्यता तो वर्षों पूर्व प्रदान कर दी गई थी। इजरायल के साथ पूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध बनाने के बाद भी मुझे कई अवसर याद आते हैं जब बार-बार यह दोहराया गया कि मान्यता देने का अर्थ एक राष्ट्र का दर्जा देना नहीं है बल्कि इसका ध्येय तो महज कूटनीतिक सुविधा प्राप्त करना है। अभी भी भारत सरकार इजरायल के साथ पूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित करने में विलम्ब कर रही है। पता नहीं, क्यों?

श्री मणिशंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : क्या मैं एक बात पूछ सकता हूं? जब श्री अटल विहारी वाजपेयी भारत के विदेश मन्त्री थे, तब क्या उन्होंने कूटनीतिक रूप से इजराइल को मान्यता दी थी?

श्री जसवंत सिंह : हमने इजरायल राज्य को कूटनीतिक मान्यता तो दे ही रखी थी। लेकिन प्रश्न उठता है कि किस स्तर तक मान्यता दी थी। उन्होंने पूछा है कि जब मेरे वरिष्ठ सहयोगी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी। 1977 से 1979 के दौरान विदेश मन्त्री थे, तो उन्होंने इजरायल के साथ हमारे सम्बन्धों को सुधारा या बढ़ाया था या नहीं। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया था। लेकिन मैं समझता हूं कि यह प्रश्न सिर्फ विषय को ही रेखांकित करता है। इससे उन्होंने मेरे विरुद्ध कोई अंक अर्जित नहीं कर लिया है। वास्तव में यह उसी चीज को रेखांकित करता है जिसे हम महत्व दे रहे हैं। अगर हमारी अपनी सरकार रही होती तो निश्चय ही हमने उस दिशा में कदम उठाते। हम तो एक गठबन्धन व्यवस्था या विचारों के गठबंधन का एक हिस्सा मात्र थे। हम जो भी कर सकते थे हमने किया और जिस चीज से हम सहमत नहीं हो सके उस पर अपनी सहमति भी नहीं दी। अब जबकि

इजरायल के साथ पूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित किए जा चुके हैं फिर भी हम अपनी पीठ नहीं थपथपा रहे हैं कि हमारी एक सोच सही सिद्ध हुई अभी भी हमें खेद है कि भारत सरकार इस सम्बन्ध में रक्षात्मक रवैया ही अपनाए हुए है; वह अभी भी आगे बढ़ने में सकुचा रही है और वह द्विपक्षीय रूप से विभिन्न प्रकार के लाभ उठाने की इच्छुक नहीं है। मुद्दा यह है कि क्या सरकार इजरायल और भारत के बीच पूर्ण कूटनीतिक सम्बन्धों के लाभ उठाने के लिये अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करेगी ?

उसी तरह, उदाहरण के तौर पर दक्षिण अफ्रीका को लें, वहां कितना बदलाव आ रहा है। सरकार की स्वयं की रिपोर्ट में उस बदलाव को स्वीकार किया गया है जिसमें कुल मिलाकर यही कहा गया है कि दक्षिण अफ्रीका के मामले में अब किसी प्रकार की व्यक्तिगत या सामूहिक प्रतिबन्ध की आवश्यकता नहीं है। मेरा इस सम्बन्ध में यह कहना है कि हमें इस विषय में और भी अधिक तेजी से कार्य करने की जरूरत है। दक्षिण अफ्रीका में भारी संख्या में भारतीय है, भारतीय मूल के लोग हैं। अब वहां एक नया यथार्थ उभर कर सामने आया है बल्कि मुझे कहना चाहिए कि राष्ट्रपति, डी क्लार्क अद्भुत साहस और दूरदृष्टि के साथ वहां की रंगभेद नीति के अभिशाप को खत्म करने के लिये कदम उठा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के बारे में पुरानी बातों या मुहावरों को दुहराते रहना अब भारत के हित में नहीं है। सभी स्रोतों से श्री नेल्सन मंडेला से समुचित और पर्याप्त विचार-विमर्श किया जाना चाहिए और यह बातचीत का क्रम जो कि हमारे लिये सहायक हो, श्री बुथेलजी के साथ भी या अफ्रीका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के प्रतिनिधियों के साथ भी शुरू किया जाना चाहिए। किन्तु यह कार्य तेजी से और समय पर होना चाहिए।

इसी क्रम में, अब मैं ताईवान के साथ सम्बन्धों के बारे में विचार व्यक्त करना चाहूंगा। मुझे ही यह समझ में नहीं आ रहा है कि जब हमने विदेशों के साथ आर्थिक सम्बन्धों को इतना महत्व दे रखा है, तब हम ताईवान के साथ अपने सम्बन्धों को किसी तीसरे देश के वीटो का विषय क्यों मान रहे हैं ? ताईवान और भारत के संबंध में किसी का 'वीटो' क्यों आड़े आ रहा है ? सभी तरह से उस तीसरे देश से विचार-विमर्श होना चाहिए। इस संबंध में अगर रिपब्लिक आफ चाइना के साथ हमारे संबंध आड़े आते हैं तो हमें उसके साथ बातचीत करनी चाहिए और उसको कहना चाहिए कि हम पूर्ण कूटनीतिक मान्यता या इस तरह का जो भी प्रावधान हो उसे परे रखकर ताईवान में अपने वाणिज्य कार्यालय खोलेंगे, वहां व्यापार करेंगे। अपनी पूंजी लगाएंगे और उनको अपने यहां पूंजी लगाने के लिए आमंत्रित करेंगे। मैं नहीं मानता कि सरकार ऐसा करने से पीछे क्यों हट रही है ?

आज सवेरे हमने भारत-अमरीकी संबंधों पर चर्चा की है। मैं थोड़ी देर में उस पूरे प्रश्न पर आऊंगा लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ में किए गए सुधार से उत्पन्न चुनौती का जो हमें सामना करना पड़ रहा है, वह भी भारत-अमरीकी संबंधों के विभिन्न पहलुओं का एक भाग है। मंत्रालय की रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार के साथ तीन अच्छे अनुच्छेद मौजूद है। मैं नहीं सोचता कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ा देने से ही संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार हो जाएगा। निसन्देह वह भी एक कदम हो सकता है। राष्ट्र संघ की स्थिति में सुधार के प्रश्न पर इस रटी-रटाई अभिव्यंजना कि विश्व में यदि समानता का स्तर कायम करना है तो प्रतिबन्धों का प्रयोग चुनिंदा नहीं हो सकता, के संदर्भ में मैं चाहूंगा कि भारत सरकार अपना मत प्रकट करे। जब खाड़ी क्षेत्र के किसी देश की बात हो तो इसका प्रयोग अलग ढंग से हो, मध्य अफ्रीका के किसी देश का प्रश्न हो तो इसे दूसरे रूप में प्रयोग किया जाए और अगर इजरायल की बात हो, इसका रूप एकदम से अलग हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तब समानता के स्तर की बात कहां रह जाती है। इस तरह की एकरूपता का स्तर कायम करना जो कि इस समय नहीं है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुधार के लिए एक प्रमुख चुनौती है। यह एक

[श्री जसवन्त सिंह]

प्रश्न है जिस पर भारत को स्वत: विचार करना चाहिए। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की संख्या बढ़ाना ही सुधार नहीं है।

भारत-अमेरिकी संबंधों पर चर्चा करने से पूर्व मैं विदेशों में रहने वाले भारतीयों के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा। उनके प्रश्न पर एक पूरा अध्याय ही मौजूद है जिसके लिए मैं सरकार की प्रशंसा करता हूं। यह सम्भवत: पहला मौका है जब विदेशों में रहने वाले भारतीयों की समस्याओं को इतना ज्यादा स्थान दिया गया है। वैसे तो उनकी विभिन्न श्रेणियां हैं किन्तु उनकी जो आम समस्याएं हैं उनका उल्लेख प्रस्तुत अध्याय में किया गया है। मैं चाहूंगा कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा जो दोहरी नागरिकता की मांग बराबर की जाती रही है, उसके संबंध में सरकार स्पष्टीकरण दे। उनके साथ एक जन्मजात रिश्ता है, जिसे सामाजिक कह लें या सांस्कृतिक या फिर धार्मिक या और कुछ कह लें। विदेशों मे रहने वाले भारतीयों की एक बड़ी संख्या अपनी मातृभूमि की ओर पीछे मुड़कर देखती है। वे निरंतर हम जैसे जन-प्रतिनिधियों से यह कहते रहते हैं कि उन्हें दोहरी नागरिकता की सुविधा मिलना चाहिए जिससे वे उस देश मे जिसके वे अब अधिवासी हैं, के नागरिक होने के नाते काम करने और रहने के साथ-साथ भारत के नागरिक होने की भी प्रतिष्ठा और लाभ मिले। दोहरी नागरिकता के प्रश्न पर भारत सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

हमने बिना किसी तैयारी के भारत-अमेरिकी सम्बन्धों पर भी चर्चा की है। यह समाचारपत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर किया गया है, फिर भी मेरा कहना है कि आज की यह वास्तविकता है कि हम अपनी दिशा अपने आप तय करने वाले देश हो चुके हैं चाहे यह प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम हों या हमारा अन्तरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम या परमाणु अप्रसार संधि का प्रश्न हो।

देश को यह स्वीकार करना होगा कि इस मामले में हमें कोई मित्र नहीं मिलेगा और हमें खुद खड़े होकर इस मार्ग पर चलना होगा। जब हम स्वयं इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो भले ही संयुक्त राज्य अमरीका हो, रूसी महासंघ हो अथवा अन्य कोई भी देश हो, नई वास्तविकताओं में हमें अपने अधिकारों के लिये लड़ना होगा। इसलिए मैंने सरकार से यह अनुरोध किया था कि इस बारे में स्पष्ट किया जाए कि संघीय राज्य रूस के साथ हमारे जो समझौते हुए थे अथवा जो समझौते होने वाले हैं, उनमें हमारी क्या स्थिति है। क्योंकि संयुक्त राज्य अमरीका के द्वारा रूस पर दबाव डलवाने की तमाम कोशिशों को उस रास्ते से हटाना होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसी घटनाएं बार-बार घटती रहेंगी और चूंकि ये घटनाएं बार-बार घटती रहेंगी—इसका उत्तर ना में है। और महोदया, मैंने यह बात बड़ी ही विनम्रता से कही थी। हालांकि इसमें होजमर्रा जैसी लिखी अभिव्यक्ति थी। यदि आप इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए राष्ट्र को क्या कीमत चुकानी है। इस बात का उत्तर हमें इसी संसद में एक राष्ट्रीय सहमति तैयार कर ढूंढना होगा। मैं सरकार से यह अपील करूंगा कि जैसा कि आडवाणीजी ने सुबह भी कहा है कि भारत-अमरीका के बीच जो संबंध बन सकते हैं, उनके पूरे परिप्रेक्ष्य में सरकार इस बारे में अपने आप सोचे। नि:संदेह कई बातों में हमारी विचारधारा एक समान है। हम आपस में जो भाषा बोलते है वह अमरीकी अंग्रेजी और भारतीय अंग्रेजी का मिश्रण है। मानव अधिकारों और प्रजातन्त्र के बारे में भी हमारी समान अवधारणाएं हैं। लेकिन दिन-प्रतिदिन के वैतिगत कार्यकरण में दोनों देशों के बीच महान अन्तर है। आतंकवाद, व्यापार और नशीली दवाओं के प्रश्न पर अमरीका और भारत अलग-अलग विचार रखते हैं। मैं इस बात को खुलासा विस्तार मे नहीं ले जाना चाहता लेकिन आतंकवाद के बारे में संयुक्त राज्य अमरीका का दृष्टिकोण सब जगह एक समान नहीं

है और अब आतंकवाद को अपने साधन के उपकरण और यंत्र के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। हमें इसे सोचना होगा। मैं नहीं मानता कि अमरीका अफगानिस्तान से पाकिस्तान तथा पाकिस्तान से भारत को और फिर भारत से कहीं और आगे नशीले औषधों की तस्करी के बारे में अनभिज्ञ है। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान में नशीले औषधों की तस्करी के बारे में अमरीका ने भारत सरकार अथवा भारतीय अधिकारियों अथवा अभिकरणों को आज तक भी पूरी जानकारी नहीं दी है। हमें इस मामले पर बहुत ही गम्भीर चिन्ता व्यक्त करनी चाहिए और हमें चाहिए कि अमरीकी सरकार से इस पर गम्भीरता से विचार-विमर्श करें। सुपर 301 के सन्दर्भ में भी मतभेद है और यह केवल आर्थिक प्रभुसत्ता का ही मामला नहीं है। यह भारत के आर्थिक हितों को हानि पहुंचाने का प्रश्न है। इसलिए मैं भारत सरकार से यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि सुपर 301 के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है। मैं सरकार से व्यापक मतभेद के उस मुद्दे पर भी स्पष्टीकरण चाहूंगा जिस पर जून में "रिओ" में होने वाले पर्यावरण और विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में विचार होने जा रहा है। क्या भारत सरकार इन मुद्दों पर हमें जानकारी देने की कृपा करेगी ताकि भारत-अमरीका सम्बन्धों से समूचे प्रश्न को सही परिप्रेक्ष्य में और सही रूप में देखा जा सके? महोदया, मैं अथक परिश्रम कर सकता हूं। हमारा विश्व बहुत बड़ा है और इसमें असंख्य समस्याएं हैं। विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट सैकड़ों पृष्ठ लम्बी है। सभी पहलुओं पर सारगर्भित रूप में और युक्तियुक्त ढंग से चर्चा कर पाना सम्भव नहीं है। यदि मैं चाहता हूं कि हमारी नई विदेश नीति में दो अवधारणायें आवश्यक रूप से शामिल की जानी चाहिए। ये दो अवधारणाएं हैं, लाभप्रद पारस्परिक सम्बन्ध की स्वीकार्यता तथा एक ध्रुवीय संकल्पना का अस्वीकार करना, और भारत विश्व को बहुकेन्द्रित बनाने की दिशा में भरसक प्रयास करे।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : सभापति महोदया, मैंने वार्षिक प्रतिवेदन को पढ़ा है, कुछेक नीति सम्बन्धी विवरण भी मैंने पढ़े हैं। जो कि सितम्बर, 1991 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में अक्तूबर, 1991 में हुए राष्ट्र-मंडलीय शिखर सम्मेलन में; नवम्बर, 1991 में हुए जी-15 सम्मेलन में, दिसम्बर, 1991 में हुए दक्षेस देशों के सम्मेलन में और जनवरी, 1992 में आयोजित सुरक्षा परिषद के सम्मेलन दिये गये थे। इसमें पूरे वर्ष कैलेण्डर सा दिखाई देता है। लेकिन नये विचारों को खोजने, नये परिवर्तनों का पता लगाने और दुनिया में आ रहे बदलाव की गति को आंकने का मेरा प्रयास विफल रहा है। सभापति महोदया, इस रिपोर्ट में मुझे परम्परागत विचारों, अनगिनत धार्मिक अनर्गलता, घिसी-पिटी कहावतों, जिनके बारे में मैं अच्छी तरह से परिचित हूं। घिसे-पिटे सूत्रों शायद वास्तविकता पर पर्दा डालने की इच्छा और नई परिस्थिति से निपटने और पुरानी दकियानूसी परिपाटी से बाहर निकलने तथा पुनरोत्थान की वास्तविकता का सामना करने में मौलिकता का सर्वथा अभाव आदि बातें देखने को मिली है। महोदया, यह वार्षिक रिपोर्ट और ये सभी दस्तावेज पुरानी धूल भरी फाइलों और गत वर्ष के मुरझाये फूलों के समान हैं।

मुख्य मुद्दा यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में, जैसा कि श्री वाजपेयी ने कहा है, संयुक्त राज्य अमरीका के निरन्तर आघातों से अपना स्वरूप पा रही नई विश्व व्यवस्था के प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या है।

इसने एक नयी-गुट-प्रणाली को उभारा है, जिसने सारे यूरोप और सम्भवतः जापान सहित उपेक्षित तीसरे विश्व को हानि पहुंचाने तथा उत्तरी देशों को समेकित करने, उत्तरी-दक्षिणी देशों में विभाजन एवं विभागीकरण के प्रबलन को आवृत कर लिया है। इससे यह अवधारणा बढ़ती जा रही है कि विश्व के भाग्य निर्माता उत्तरी-देश हो गए हैं तथा उत्तर को संयुक्त राज्य अमरीका का शोषक

[श्री सैयद शाहाबुद्दीन]

माना गया है। राष्ट्रपति बुश ने एक धर्मोत्साहकता दर्शाई है। मैं नहीं जानता कि किसी समय वह एक आचार-सम्पन्न प्रचारक थे। एक मिशन के बारे में उनका यह मानना है कि उनके पास स्वतन्त्र-जगत का वेद-वाक्य है और केवल वह ही लोकतन्त्र के सिद्धान्तों तथा मानवीय अधिकारों के स्वैर-न्यायसंगत रक्षक हैं। संयुक्त राज्य अमरीका का नेतृत्व पुनः महा-शक्तियों के पुराने अहंकार और महान् धौंसियों की गर्जन पुनः रहा है तथा ब्लाक में केवल वही एक महान्-धौंसिया है जिसके सामने संसार आज सिमट कर रह गया है।

अब हमें पैक्स, अमरीकाना के अन्तर्गत एक नये साम्राज्यवाद अर्थात् समूचे विश्व पर एक नये रूप में मंनरो सिद्धान्त को लागू करने के इस खतरे के संबंध में उचित कार्रवाई करनी होगी। आज विश्व एक दोराहे पर खड़ा है। प्रश्न यह है कि हमें कौन-सा रास्ता अपनाना है? हमारे लिए प्रश्न यह है कि हमारे पास जो भी साधन उपलब्ध हैं, उनसे संसार को हम किस रास्ते पर लाना चाहते हैं? एक रास्ता एक विश्व-संघ की ओर जाता है, सम्भवतः एक दूरस्थ भविष्य में, जहां स्वतन्त्रता, समानता; अन्तर्राष्ट्रीय न्याय एवं मानवीय-समानता है; समूची मानवता के आम हित में संसार के प्राकृतिक संसाधनों के समग्र उपयोग को क्योंकि यह समूची मानवता के उस पर्यावरण के संरक्षण हेतु सामूहिक प्रयास का सामान्य-दाय है, जोकि हमारे भूमंडल तथा हमारे सामान्य प्राकृतिक-वास को आवृत करता है और इसके साथ-साथ न केवल उस पूंजी, कच्चे-माल तथा उत्पाद जिन्हें वे चाहते हैं, का निर्बाध एवं अप्रतिबन्धित प्रवाह होगा; बल्कि उस प्रौद्योगिकी तथा उस जनशक्ति का भी निर्बाध प्रवाह होगा जिसे हम चाहते हैं। एक ऐसी विश्वसनीय विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था होगी, जोकि इस भूमंडल के सभी निवासियों के लिए जीवन के न्यूनतम मापदण्ड की गारंटी देती है; एक ऐसा संसार जोकि इच्छा, भय और युद्ध से मुक्त होगा; एक ऐसा संसार, जिसमें सम्भवतः राज्य की सेनाएं और यहां तक कि राज्य की सीमाओं का कोई अर्थ नहीं रहेगा।

दूसरा रास्ता नव-उपनिवेशवाद की ओर जाता है। उपनिवेशवाद आर्थिक संसाधनों के संदर्भ में ही नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारे मन और आत्मा; एक मुट्ठीय-प्रणाली की शेष विश्व पर प्रभुसत्ता और एक महान्-शक्ति जिसने कि समूची मानवता को शिकार बनाया हुआ है; एक ताकत जिसने एक विधायक, अभियोजक, न्यायाधीश तथा कार्यवाहक की भूमिका को जोड़ा हुआ है, से बढ़ती असमानताओं का एक उपनिवेशवाद।

हमने, एक राष्ट्र के रूप में; हमेशा विश्वास रखा है कि सभी प्राणियों की समान दशा हो। हमारा मानना है कि सारी मानवता एक ही परिवार के रूप में हो। हम सभी के लिए स्वतन्त्रता, शांति और प्रतिष्ठा के शाश्वत सिद्धान्त में विश्वास रखते हैं। महात्मा-बुद्ध से लेकर गांधी तक एवं अशोक से नेहरू तक, हमने संसार के प्रति और संसार में अपने प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण रखा है। अतः, हमारा एक राष्ट्र के नाते स्पष्ट दृष्टिकोण है और हम स्वाभाविक तौर पर पहले रास्ते से संबद्ध हैं। लेकिन, मुझे भय है, कि सरकार ने हमें इन दस्तावेजों में दृष्टिकोण अथवा उद्देश्य की स्पष्टता का कोई प्रमाण नहीं दिया है। उन्होंने न तो मानवता के उद्देश्यों, न ही वहां पहुंचने के नीतियों, न ही हमारे आंचल के स्थान और हमारे अपने स्थान अथवा निर्गुट-सम्मेलन एवं दक्षेस में हुई वार्ताओं का एक अधिक न्यायसंगत सांसारिक क्रम में लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उपयोग करना कितना अच्छा रहेगा, को परिभाषित नहीं किया है। लोगों का दृष्टिकोण स्पष्ट है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार ने ऐसा किया है अथवा नहीं।

महोदया, मैं कूटनीति की प्रतिबंधताओं को जानता हूं। हम एक आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं और हम आर्थिक रूप से कमजोर हैं तथा हम अपने ही द्वारा बनाई गई अस्थिरताओं, जोकि हमारे ही महान् अनुभव के विकारों से पैदा हुई हैं और जिन्हें हमारे बिल्कुल समीप बैठे मित्रों की साजिशों ने प्रोत्साहित किया है, के कारण हम कष्ट उठा रहे हैं। हमें रूस के अचानक विघटन से भी भारी-धक्का लगा है। परन्तु हम भी एक प्राचीन सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं और हमारा एक ऐतिहासिक राज्य है। हमारा एक कृत्रिम, एक नकली अस्तित्व वाला राज्य नहीं है। हम नये सांसारिक-क्रम की रूप-रेखा को परिभाषित करने के लिए युग के बौद्धिक वातारण को मोड़ने में एक कारगर योगदान देने में सक्षम हैं। हमारा एक उत्तरदायित्व है, परन्तु सरकार इससे विमुख होती है। यह उत्तरदायित्व एक समग्र मानवता के प्रति; पृथ्वी की समस्त बदनसीबों के प्रति; उस विकसित संसार के प्रति जिसका कि हम एक अंग हैं; उस आंचल के प्रति जिसके हम अंग हैं और अन्ततः हमारी अपनी जनता के प्रति निर्देशित हैं। हमें अपने आप को प्रथासरत रखना है और हम अपने सामने वाले किसी भी दबाव के आगे नहीं झुक सकते।

हमारा अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिज पर दृष्टिगत महा-शक्ति के प्रति कैसा दृष्टिकोण है ? भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंधों पर वार्षिक रिपोर्ट में कहने को कुछ बहुत रोचक बात हैं और यदि मैं उसमें से दो वाक्य उद्धृत करूं तो क्या आप मुझे सुनेंगे ?

प्रतिवेदन के पृष्ठ VII में कहा गया है कि :

> "अमेरिका हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है; हमारी अस्थायी आर्थिक कठिनाइयों तथा आर्थिक सुधारों से निपटने के लिए किए जा रहे हमारे प्रयत्नों को प्रौद्योगिकी सहायता देने का एक मुख्य स्रोत हैं..."

> .. "इन संबंधों का एक नया लक्षण है, रक्षा के क्षेत्र में सहयोग तथा हमारे द्विपक्षीय तथा बहुआयामी संबंधों का और आगे विस्तार करने की मजबूत परस्पर इच्छा। भारत की उदार आर्थिक नीतियों ने अमेरिका के साथ एक लम्बी अवधि की परस्पर लाभदायक आर्थिक भागीदारी के लिए नये रास्ते खोल दिए हैं।"

हमारी यह स्थिति है। अमेरिका के प्रति हमारा दृष्टिकोण यह है। अमेरिका की ओर हमारी उम्मीदों तथा आकांक्षाओं का यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं नहीं जानता कि सरकार हमें किस रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रही है।

महोदया, क्या हमें एक ऐसे सूबेदार की तरह हो गए हैं जो सारे संसार में दादागिरी करने वाले के प्रति अपनी निष्ठा दर्शाता है। क्या हम परम सत्ता के क्षेत्रीय एजेंट अथवा सहयोगी बन गए हैं ? क्या हम अपने आपको एक क्षेत्रीय शक्ति मानते हैं कि नहीं जिसके पास निर्णय लेने की स्वतंत्रता तथा किसी भी कार्य को करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए जोकि गुटनिरपेक्षता का सार है ? मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री स्वतः ही संक्षेप में इस चापलूसी के इल्जाम को अस्वीकार कर देंगे कि बोलने से करना अधिक असरदार होता है। इसमें हम संकोच करते हैं। मैंने इस रिपोर्ट में भविष्य में विश्व में अपने योगदान को दर्शाने में उस 'संकोच' को देखा है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष, संयुक्त राज्य अमरीका और विश्व बैंक ने जो शर्तें रखी हैं उनको हमने सहर्ष मान लिया है। हमने 'सियोनवाद' के प्रश्न पर अमेरिका का पक्ष लिया है। अमरीकी परियोजनाएं आमंत्रित करने के लिए हमने उसके दबाव में आकर इजराइल से कूटनीतिक संबंध स्थापित किये हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में लीबिया के विरुद्ध प्रतिबंधों के

[श्री सैयद शाहाबुद्दीन]

प्रश्न पर हम पीछे हट गए हैं। हमने भूखे मर रहे क्यूबा को चावल की आपूर्ति करने की अपनी वचन-बद्धता को वापस ले लिया है और ऐसा लगता है कि हमने बिना किसी प्रतिरोध के अमेरिका की कार्य-वाही को स्वीकार कर लिया है। निश्चय ही, हम प्रौद्योगिकी देने से मना करने के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं। जिस पर तीसरी शक्ति भारत के अच्छे व्यवहार की शर्त रख रही है। जैसाकि रिपोर्ट कहती है, हमने अमेरिका के साथ रक्षा के सहयोग की मांग की है। हालांकि, बहुत समय पहले हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र घोषित किया गया था और हम चाहते रहे थे कि अमरीका सहित सभी अन्य देशों की नौ सेना भी इस क्षेत्र से बाहर रहे, फिर भी हमने उसी क्षेत्र में अमरीकी नौ सेना के साथ नौसैनिक अभ्यास करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। माननीय मंत्रीजी द्वारा दिये गये वक्तव्यों से यही संकेत मिलता है कि हम डंकल प्रस्ताव को बिना किसी फेर-बदल के मानने को तैयार हैं। सुपर 301 के तहत ब्लैकमेल किए जाने के लिए भी हम तैयार हैं, जिसका उल्लेख मेरे सहयोगी श्री जसवंत सिंह ने किया है। इस प्रक्रिया में गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रति हमने शिथिलता का रवैया अपनाया है तथा सभी व्यावहारिक कारणों से नेतृत्व का कार्यभार छोड़ दिया है जोकि हमारा था, न केवल गुट निरपेक्ष आन्दोलन में बल्कि ग्रुप-77 में भी। अध्यक्ष महोदया, अब ऐसा प्रतीत होता है जैसेकि हमने उसे खो ही दिया है।

दक्षिण एशिया को एक विशेष शक्ति बनाने के लिए हमने कोई प्रयास नहीं किए हैं। मुझे याद है कि पिछली चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष ने दक्षिण एशिया के देशों के नेताओं को या 'सार्क' को उस दक्षिण एशियाई शक्ति को आकार प्रदान करने का तंत्र माना था। पड़ौसी देशों से द्विपक्षीय विवाद के समाधान के मामले में भी कोई खास प्रगति नहीं हुई है। यहां तक कि हमने पाकिस्तान के साथ परमाणु शक्ति के प्रश्न पर अथवा दो देशों के बीच संतुलन के लिए हथियारों में कमी के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर तथा हथियारों की दौड़ अथवा सीमाओं पर घुसपैठ को समर्थन देने के प्रश्न पर भी कोई बातचीत आरम्भ नहीं की है। म्यांमार में प्रजातांत्रिक व्यवस्था का गला घोंट दिया गया है फिर भी हम मौन हैं। कुछ प्रवक्ताओं ने थोड़ा-बहुत बोल कर बड़े हल्के ढंग से चिंता अवश्य व्यक्त की है। यह सब हमारे पड़ोस में घटित हो रहा है। श्रीलंका की जातीय समस्या के मामले में धोखा खा लेने के बाद अब हम चुप हो गए हैं। हमने कुछ भी बोलना छोड़ दिया है बल्कि काबुल में हमारी आंखों के सामने घट रही घटनाओं में तो अब हम नाटक देखने वाले दर्शक की भांति हो गए हैं।

हमें कम्बोडिया के पुनर्गठन के कार्य में भी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं सौंपी गई है। ऐसा दिखाई पड़ता है कि हम अपना साहस ही नहीं खो बैठे हैं बल्कि एक लक्ष्य प्राप्त करने की दृढ़ता, साख, सांविधिक स्थिति, आत्म सम्मान को भी खो बैठे हैं।

अब, क्या किया जाना चाहिए? मैं समझता हूं कि कूटनीति के संदर्भ में विकासशील देशों को एकजुट करना और दक्षिण एशिया को एकता के सूत्र में पिरोना आवश्यक है। जब तक कि हम विकासशील विश्व की इच्छाओं तथा दक्षिण एशिया जैसे क्षेत्र के हित के प्रवक्ता के रूप में नहीं उभरते, तब तक हम विश्व में कोई कार्य नहीं कर सकते। इसके लिए हमें अधिक अनुकूल सुरक्षात्मक वातावरण बनाने के उद्देश्य से एक बहुत ही कठिन निर्णय लेना होगा। हमें स्थिति की अपेक्षा के अनुसार रक्षा व्यय में कमी लानी चाहिए ताकि हम कार्य स्वतंत्रतापूर्वक कर सकें, आर्थिक दृष्टि से असुरक्षित न रहें जिससे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक के सामने हमें झुकना न पड़े। एक बार हम कार्य करने के संदर्भ में स्वतंत्र हो जायें और एक बार हम इतने आर्थिक रूप से इतने सक्षम हो जाएं कि कोई

हमें आर्थिक धमकी से असुरक्षित न रहें, फिर ब्लैकमेल न कर सकें, तब हमें दक्षिण एशिया तथा हिन्द महासागर में अपनी भूमिका को तय करना है और हमें एशिया तथा अफ्रीका में, विशेषकर दक्षिण-पूर्व एशिया में, मध्य एशिया में पश्चिम एशिया तथा दक्षिणी अफ्रीका में तथा अपने अन्य पड़ोसी देशों के साथ संबंध बनाने हैं।

स्पष्ट तस्वीर बनाने के लिए हमें पड़ोसी देशों से संबंधों को सुधारना होगा और सभी समस्याओं के समाधान के लिए ठोस प्रयास करने होंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन तथा ग्रुप-77 के पुनरुत्थान और उसे नये सिरे से जीवन्त करने के लिए भरसक प्रयास करना होगा ताकि सही अर्थों में विश्व-अर्थव्यवस्था कायम करने के लिए आम जनमत तैयार किया जा सके। जिसके माध्यम से प्रौद्योगिकी के अन्तरण और श्रमशक्ति के आवागमन की स्वतंत्रता मिल सके।

एन० पी० टी० पर हमें एक स्पष्ट निर्णय लेना है, और इस बारे में मैं चाहूंगा कि सरकार राष्ट्रीय आम राय के साथ ही डटी रहे जो कि पहले ही है, विश्व के दृष्टिकोण पर जोर दे तथा शस्त्रीकरण का विरोध करें। लेकिन, इस उद्देश्य से यह भी आवश्यक है कि दो देशों, जो कि नामत: चीन व पाकिस्तान हैं, के बीच बातचीत आरम्भ करने के लिए पुन: कदम उठाये जायें। संयुक्त राष्ट्र की रचना में सुधार के लिये भी हमें एक भूमिका निभानी पड़ेगी लेकिन वह केवल सुरक्षा परिषद में हमें स्थायी स्थान देने के बारे में नहीं है, यह पूरी प्रणाली के पुनर्गठन का मामला है ताकि यह पूर्णरूप से मानव इच्छाओं के प्रति अधिक प्रतिक्रियात्मक बनें, जिससे यह शेष विश्व पर अधिकार जमाने के लिए किसी एक अथवा अन्य मित्र देश के हाथों का खिलौना न बन सकें।

राष्ट्रपति बुश ने स्वयं को वर्तमान नई विश्व व्यवस्था का राजा मान लिया है। हमें उसे धरती पर पैर टिकाने के लिए कहने का साहस होना चाहिए। तत्पश्चात् हमें उन्हें याद दिलाना होगा कि विश्व इतिहास में प्रभुत्व कभी भी स्थायी नहीं रहा है तथा सत्ता को बुद्धिमता तथा न्याय से हासिल करना होगा और इस समय विद्यमान अव्यवस्था के बारे में सुदूर भविष्य को ध्यान में रखते हुए उपाय करने चाहिये क्योंकि मानव जाति सतत गतिशील है; वह मित्र चाहती है मालिक नहीं, उसे सहयोग चाहिये संघर्ष नहीं; वह संयुक्त राज्य अमरीका के समक्ष समर्पण नहीं करेगी; वह किसी सफेद ताकत या पीली ताकत या भूरी ताकत या काली ताकत के सामने सिर नहीं झुकायेगी। यह किसी इसाई, मुस्लिम, यहूदीवाद और इसी संदर्भ में हिन्दूवाद के समर्थक उग्रताकतों के सामने भी समर्पण नहीं करेगी।

लोग स्वतंत्रता तथा शांति चाहते हैं; स्वतंत्रता तथा शांति इन्सान के दिल में स्वत: व आन्तरिक रूप से उत्पन्न होती है तथा आज विश्व के सभी सामाजिक समुदाय, विश्व के सभी राष्ट्र अपनी पहचान तथा सम्मान की मांग कर रहे हैं जो कि प्रत्येक मानव की एक आम इच्छा बन गई है।

दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि हमने अपने आपको आतंकित कर लिया है, हमने अपने आपको पक्का कर लिया है, हमने अपने आपको अव्यवस्थित कर लिया है, पहल कदमी की ताकत समाप्त हो गई है, हमने अपनी कार्यसाधकता समाप्त कर दी है, कार्य की स्वतंत्रता और निर्णय करने की स्वतंत्रता भी समाप्त हो गई है।

माननीय मंत्री और प्रधानमंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अंकल सैम से कौन डरता है? क्या आप डरते है ?

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : मैं विदेश मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन

[श्री रघुनन्दन लाल भाटिया]

करता हूं। मेरे मित्र श्री जसवन्त सिंह ने आज विश्व की मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तार से बताया है और उन्होंने ऐसी अनेक बातें कही हैं जो इस वार्षिक रिपोर्ट में नहीं दी गई हैं। लेकिन मझे अफसोस है कि उन्होंने ऐसा एक भी सुझाव नहीं दिया जिसको भारत सरकार स्थिति को सुधारने हेतु अमल में लाये। आखिरकार विदेश नीति राष्ट्रीय सर्वसम्मति पर आधारित है और हमें इसमें योगदान देना होगा और इसी प्रकार सरकार इन सुझावों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकती है।

श्री शाहबुद्दीन ने अपने भाषण में ऐसी आशंका जताई है कि हम महाशक्ति अमेरिका के अधीन हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत कभी भी नहीं झुकेगा और न ही किसी प्रकार के दबाव में आएगा। हम अपनी स्वतंत्र नीति तथा अपने स्वतन्त्र विचारों को जारी रखेंगे।

सभापति महोदया, यह सच है कि अब विश्व में काफी बदलाव हुआ है। सोवियत संघ के समाप्त होने, यूरोप में साम्यवादी सरकारों के समाप्त होने से एक ऐसी अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई है कि विश्व दो पक्षों को बजाय एकपक्षीय हो गया है। शीत युद्ध समाप्त हो गया है और विश्व भर में सभी सरकारें विश्व में हुए बदलाव को ध्यान में रखकर अपनी नीतियां पुनः तय कर रही हैं।

अब हमारे सम्मुख यह प्रश्न है : भारत एक महान देश के रूप में विश्व मामलों में एक अत्यन्त सक्रिय भूमिका अदा करता रहा है; इसने गुट-निरपेक्ष के नेता के रूप में इसके सम्मुख आए किसी भी मुद्दे पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है; इसका स्वतंत्र फैसला होता था और एक स्वतन्त्र देश के रूप में हमने विश्व में एक निश्चित स्थान बनाया है। अब बदली हुई परिस्थितियों में नए बदलाव को को देखते हुए हमें अपनी नीति को पुनः किस प्रकार तैयार करना चाहिए। कुछ लोगों को सुझाव है कि भारत अभी कुछ समय और स्थिति को देखे और फिलहाल निष्क्रिय रहे।

अन्य लोग हैं जो यह समझते हैं कि भारत की विदेश नीति सदैव ही सक्रिय रही है और हमने विश्व मामलों में काफी भाग लिया है और जहां भी कोई मामला उठा हमने मजबूत मत बनाया है। हम अपने स्थान से नहीं हट सकते; हमें विश्व मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है और हमें इसे जारी रखना है।

प्रश्न उठता है कि हम किन साधनों का प्रयोग करना चाहते हैं? कूटनीति, वार्ता या हमारी सैन्य शक्ति का उपयोग अथवा क्या हमें व्यापार, संस्कृति और सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका प्रचार माध्यम का उपयोग करना चाहिए? हम इनका उपयोग करेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने सभी साधनों पर गौर करें।

विगत में भारत ने कूटनीति का बहुत अच्छा उपयोग किया है। हम विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सफल रहे हैं और वार्ताओं के जरिये हमने काफी कुछ प्राप्त किया है।

4.00 म०प०

लेकिन जब भी हमारी राष्ट्रीय अखंडता को खतरा हुआ है तो भारत ने बल का प्रयोग भी किया है। जैसाकि हम जानते हैं, पाकिस्तान ने भारत पर तीन बार हमला किया और भारत को बल का प्रयोग करना पड़ा। हम किसी को अपने मामलों में दखल देने की अनुमति नहीं दे सकते और जिस प्रकार पाकिस्तान हमारे साथ व्यवहार करता रहा है उसकी भी अनुमति नहीं दे सकते।

हमें अपनी प्राथमिकताएं भी तय करनी हैं। इस बदली स्थिति में जैसा कि विपक्ष के मेरे मित्रों

ने कहा है और हम सब महसूस करते हैं कि क्षेत्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी प्राथमिकताओं को व्यक्त करने की जरूरत है।'

जहां तक क्षेत्र का संबंध है, मेरे सामने दोनों वक्ताओं ने इसका उल्लेख किया है। हमारे पड़ोसियों के सम्बन्ध मे उन्होंने पाकिस्तान, चीन और बंगलादेश का उल्लेख किया है। हमें बताना है कि इन समस्याओं के प्रति हमारी क्या स्थिति है और हम इनका समाधान कैसे करेंगे।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में फिलिस्तीन का प्रश्न है; दक्षिण अफ्रीका का प्रश्न है। अमीर और गरीब का प्रश्न है। भेदभाव रहित आर्थिक नीति का प्रश्न है। हमें इन सबसे निपटना है।

अब मैं अपने पड़ोसियों पर बोलूंगा क्योंकि मेरे मित्र श्री साहबुद्दीन तथा जसवन्त सिंह ने इस पर बहुत जोर दिया है।

4.03 म० प०

(श्री शरद विघे पीठासीन हुए)

जहां तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है, श्री जसवन्त सिंह ने बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न किया है कि हम क्या कर रहे हैं। यह एक समस्या है जो हमारी विरासत है। मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि भारत ने इसके समाधान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। लेकिन कुछ स्थितियों में हम कुछ नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए पाकिस्तान मे नेताओं मे यह भावना है कि भारत ने विभाजन को कभी भी स्वीकार नहीं किया उनमें एक अन्य भावना यह है कि भारत पाकिस्तान पर वर्चस्व चाहता है। ये सब गलत धारणाएं है। शुरू से ही यह स्पष्ट कर दिया गया है और भारत में आई विभिन्न सरकारों के वक्तव्य में यह स्पष्ट किया गया है कि हमें इनसे कुछ नहीं लेना-देना। हमने विभाजन को स्वीकारा है यह उप-महाद्वीप विभाजित हुआ। हम उनकी बेहतरी चाहते हैं वह एक स्वतन्त्र व सार्वभौमिक देश है। वे अपनी इच्छानुसार निर्णय ले सकते है। हमने कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया है। लेकिन उनमें सदैव ही यह भावना, यह डर समाया रहा है। वे कश्मीर का मामला उठा रहे है। उन्होंने कश्मीर के बारे में यह तर्क दिया है कि कश्मीर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और दूसरे कश्मीर उसके निकटस्थ है इसलिए उनका अधिकार है। लेकिन वे भूल जाते है कि कश्मीर का फैसला बहुत पहले ही हो गया था जब वहां के महाराजा ने भारत मे शामिल होना स्वीकार किया था। फिर, भारतीय संविधान के तहत कश्मीर मे अनेक चुनाव हुए कश्मीर के लोगों ने इसे स्वीकारा। वे हमारे साथ अब भी रह रहे है। कश्मीर अभी भी भारत का अंग है। उन्हे यह समझाना कठिन है। भारत और पाकिस्तान दोनों स्वतन्त्र देश है। यदि वे हमारे साथ व्यापार बढ़ाए तो हम दोनों ही समृद्ध हो सकते हैं। यदि वे हमारे साथ अच्छे सम्बन्ध रखें तो हम दोनों ही इस क्षेत्र तथा विश्व में बेहतर भूमिका अदा कर सकते हैं लेकिन किसी न किसी तरह से यह भावना उनमें रही है और कोई भी इसे दूर नहीं कर सकता है। महाशक्तियां फूट डालो और राज करो की नीति मे विश्वास करता है और वे इस समस्या से खिलवाड़ कर रहा है। यह समस्या आज भी मौजूद है। मुझे यकीन है कि हमारी सरकार पाकिस्तान से इस समस्या के समाधान के प्रयास कर रही है। हमारे प्रधान मन्त्री श्री नवाज शरीफ से कई बार मिले। दोनों देशों मे संयुक्त बैठक के प्रयास हुए है। लेकिन अभी तक हमारे सम्मुख कोई परिणाम नहीं आया है। लेकिन जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, यह शान्ति में विश्वास रखती है, यह वार्ता मे विश्वास रखती है और प्रयास कर रही है कि पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध सुधरें।

[श्री रघुनन्दन लाल भाटिया]

जहां तक चीन का सम्बन्ध है, भारत और चीन के बीच कोई आदान प्रदान नहीं हुआ है। 1988 में श्री राजीव गांधी ने पहल की और कांग्रेस पार्टी का एक शिष्टमंडल चीन भेजा गया जिसका मैं एक सदस्य था। हमने वहां पर कम्युनिष्ट नेता से मुलाकात की और पार्टी स्तर पर समस्या पर चर्चा की और हम यह जानकर खुश हुए कि चीन चाहता है कि भारत और चीन के बीच समस्याओं का समाधान शान्ति पूर्वक हो। जब हमने अपनी सरकार को यह बताया तो दोनों पक्षों के शिष्टमंडल एक दूसरे के यहां गए। उन्होंने भी स्थिति का जायजा लेकर हमारी सरकार को इस मामले के बारे में बताया। तब, तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी चीन गए। यह एक शुरुआत थी। स्थिति में काफी बदलाव आया और बहुत उम्मीद थी कि सम्बन्ध सुधरेंगे। उन्होंने व्यापार, यात्रा और सांस्कृतिक मामलों पर तीन समझौते किए। लेकिन दुर्भाग्य से श्री राजीव गांधी के बाद आने वाली दोनों सरकारों ने कोई रुचि नहीं ली और परिणामस्वरूप स्थिति पहले जैसी हो गई। अब, पुन: मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि आदान-प्रदान शुरू हो। उन्हें कार्यवाही करनी चाहिए ताकि चीन के साथ हमारे सम्बन्ध सुधरें। यदि ये दोनों महान शक्तियां एकजुट हो जाएं तो यह दोनों के लिए लाभकारी होगा और मैं समझता हूं कि यदि चीन और भारत के बीच अधिक सहयोग हो तो हमें तीन फायदे होंगे। पहला फायदा यह होगा कि हमारे रक्षा बजट में कमी आएगी क्योंकि हमारी सेना का दो तिहाई भाग उनके साथ लगी सीमा पर तैनात है और हमारे अफसर तथा जवान 13000, 14000, 15000 फुट ऊंचाई पर कार्यरत हैं जहां पर माल की सप्लाई करना भी बहुत कठिन है और उन्हें विमानों द्वारा सप्लाई दी जाती है। इसलिए इस सहयोग के फलस्वरूप मुझे विश्वास है कि हमारे रक्षा व्यय में बहुत कमी आएगी और इस राशि को हम अन्य विकास क्षेत्रों में लगा सकते हैं।

हमें दूसरा लाभ यह होगा कि हमें 100 बिलियन से भी अधिक लोगों का खुला बाजार उपलब्ध होगा। चीन पूंजीगत समान का उत्पादन कर रहा है। और भारत उपभोक्ता सामान का उत्पादन कर रहा है और दोनों देशों के बीच इस परस्पर आदान-प्रदान तथा इस सहयोग से हमें बहुत लाभ होगा क्योंकि हम उपभोक्ता सामान का उत्पादन कर रहे हैं जिसकी उन्हें जरूरत है। व्यापार में यह वृद्धि हमारे लिए लाभकारी होगी।

तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू अथवा लाभ यह होगा कि चीन और भारत के बीच सहयोग इस क्षेत्र की भौतिक-राजनैतिक स्थिति को पूर्णत: बदल देगा और यह बहुत महत्वपूर्ण है। हम एक साथ न सिर्फ इस क्षेत्र में बल्कि विश्व में भूमिका अदा करेंगे। दोनों देश ऐतिहासिक काल से मित्र रहे हैं। ऐतिहासिक काल से हमारे सम्बन्ध थे और दोनों देशों की बड़ी जनसंख्या है, संस्कृति और इतिहास है।

अत: हम साथ-साथ एक महत्वपूर्ण भिका भुनिया सकेंगे।

इसलिए मैं मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि श्री राजीव गांधी के अधूरे काम को गम्भीरता से पूरा किया जाना चाहिए ताकि हम चीन के साथ अपने सम्बन्धों को सुधार सकें।

मैं विदेश में स्थित हमारे दूतावासों की भी बात करना चाहता हूं। कई देशों में हमारे दूतावास हैं। ये दूतावास कतिपय स्थिति अथवा उस समय स्थापित किए गए थे जब गुट निरपेक्ष नीति बहुत प्रसिद्ध हुई थी और जबकि भारत सभी औपनिवेशिय देशों की सहायता कर रहा था, जब से वे स्वतंत्र हुए, उन्होंने हमारे आन्दोलन में साथ लिया। लेकिन अब हमें स्थिति का पुनर्विलोकन करना पड़ेगा। कई छोटे-छोटे देशों में हमारे दूतावास हैं, जहां पर हमारा किसी तरह का व्यापार नहीं है या फिर न के

बराबर है। इसलिए, मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखें और हर देश में दूतावास स्थापित करने की अपेक्षा, तीन-चार छोटे देशों के लिए एक दूतावास रखें जो उन सभी क्षेत्रों का ध्यान रखेगा। इससे हमें दो तरह से लाभ होगा।

अन्त में, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हमारे पास कूटनीति, सन्धिवार्ता, व्यापार, संस्कृति, मीडिया और शस्त्र बल जैसे हथियार हैं। उनको संघटित करने के लिए, हमें एक नेता की जरूरत है। भाग्यवश, श्री नरसिंह राव जी ऐसे नेता हैं, जिनके पास पांच दशकों का अनुभव है और जो एक दार्शनिक भी हैं। उन्होंने इस राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा है। अतः उनके नेतृत्व में मैं चाहता हूं कि चीन सम्बन्धी नीतियों और विशेषकर पाकिस्तान सम्बन्धी नीतियों के लिए तथा दक्षेस को मजबूत करने हेतु पहल की जाये ताकि हम विश्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। धन्यवाद

श्री सुदर्शन राय चौधरी (सीरमपुर) : श्रीमान, इन दिनों चुनाव घोषणा-पत्रों का उल्लेख करने की प्रथा नहीं है विशेष कर कांग्रेस (इ) के चुनाव घोषणा पत्र का, क्योंकि ज्यादातर इनका उल्लेख 'वचन भंग' के समय किया जाता है। लेकिन हमारे माननीय वित्त मंत्री डा० मनमोहन सिंह जी ने पिछले महीने, साधारण बजट में, बातचीत के दौरान यह दिखाने के लिए अति-उदारता के साथ चुनाव घोषणा-पत्र का उल्लेख किया था कि घोषणा-पत्र में जो वादे किये गये थे उनको सरकार की आर्थिक-नीति मूर्तरूप दे रही है। इससे मुझे और एक बार चुनाव घोषणा-पत्र को देखने की प्रेरणा मिली कि विदेश नीति के मुद्दों पर क्या लिखा गया है।

राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की निन्दा के बाद, उसमें ऐसा लिखा था, मैं उसे उद्धृत करता हूं :

"इस बात को सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि शीत-युद्ध के खत्म होने का मतलब, किसी एक शक्ति-केन्द्र का आधिपत्य नहीं है।"

आगे उसमें यह लिखा है:

"इस बात को सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि नई-विश्व व्यवस्था, गांधी जी द्वारा प्रतिपादित अहिंसा की दार्शनिकता और आधिपत्य को समाप्त करने के पंडित जवाहर लाल नेहरू के सिद्धान्तों और शान्तिपूर्ण-सह-अस्तित्व, के सिद्धान्तों पर आधारित हो।"

अब मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि इन वादों को मूर्तरूप दिया जाय, इसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है।

इस वार्षिक प्रतिवेदन 1991-92, में कुछ विशेष मुद्दों से सम्बद्ध अध्यायों के अलावा और एक अध्याय भी है जिसमें हमारे विदेश नीति के अनुभव और हमारी महान उपलब्धियों का सार दिया गया है। लेकिन यह सचमुच आश्चर्य की बात है कि उसमें चुनाव घोषणा-पत्र में उल्लेखित वाक्यों के संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा गया। अमेरिका से सम्बन्धित अध्याय में, भारत-अमेरिका के संबंधों में हुए सुधार को दिखाने के लिए दो परिच्छेद रखे गए हैं और वस्तुतः ऐसे ही शब्दों का प्रयोग, राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी किया गया है।

प्रतिवेदन में जो कहा गया है, मैं उसे यहां प्रस्तुत कर रहा हूं :

"भारत-अमेरिका सम्बन्धों में उल्लेखनीय एवं अभूतपूर्व सुधार हुआ है। प्रजातंत्र से संबंधित हमारे मूल्य, वैयक्तिक स्वतंत्रता और मानव जीवन के प्रति आदर भावना ने, विश्व के दो महान प्रजातन्त्रों के बीच सहयोग के लिए मजबूत आधार बनाया है।"

[श्री सुदर्शन राय चौधरी]

ये 'मूल्य' इस सरकार का नया आविष्कार लगता है। मैं यहां पर हमारी वर्तमान सरकार की विदेश नीति के केन्द्र बिन्दु पर बातचीत करना चाहूंगा। यह केन्द्रीय विषय है। अन्य मुद्दे, विशेषकर हमारे पड़ोसी राज्यों की तुलना में हमारी स्थिति के बारे में, मेरे दल के सहयोगी चर्चा करेंगे।

क्या मैं माननीय मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि क्या यह सच है कि यह अमेरिका सरकार, जिनका हम इस वार्षिक प्रतिवेदन में यह गुणगान कर रहे हैं, ने हमारी अस्थाई आर्थिक कठिनाइयों पर काबू पाने के हमारे प्रयासों में और आर्थिक सुधार कार्यक्रम में सहयोग दिया है। क्या यह सरकार वास्तव में प्रजातंत्र, वैयक्तिक स्वतंत्रता और मानव अधिकार का सम्मान जैसे मूल्यों को अपना सकेगी ? क्या आप एक क्षण के लिए वियतनाम को भूल सकेंगे ? इसी अमेरिका ने प्रजातन्त्र और वैयक्तिक स्वतन्त्रता के नाम पर, वियतनाम में क्या किया था, यह सबको विदित है। मैं जानता हूं कि वियतनाम, एक बीती हुई घटना है। मैं यह भी जानता हूं कि सोवियत संघ खत्म हो चुका है, या उसे खत्म कर दिया गया है। ऐसा कहा गया है कि बदली हुई सार्वभौम परिस्थिति ने अमेरिका की नीति को भी बदल दिया है और इसलिए हमें अमेरिका से मित्रता करने की प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए।

क्या कभी चीता अपने स्थलों को बदलता है ? अमेरिका की साम्राज्यवादिता जारी रहेगी, दरअसल इस बदले हुए सार्वभौमिक दृश्य में, इसका और भी भयानक चरित्र बन गया है।

क्यूबा का क्या हुआ था ? यह छोटा सा द्वीप राज्य संयुक्त राज्य के मुख्य भू-भाग से कुछ ही मील की दूरी पर स्थित है। तीस वर्ष के व्यापार और आर्थिक अवरोध के अलावा, वहां पर समाजवादी शासन को गिराने के लिए संयुक्त राष्ट्र सब कुछ करता रहा है। विशेषकर सोवियत संघ के विघटन के बाद से अमेरिका का आक्रमण और बढ़ गया। अमेरिका सभी प्रकार की चाल चल रहा है। वह खाद्य, औषधि, और उपभोक्ता वस्तुओं की कमी को बढ़ाकर किसी भी तरह से क्यूबा की आर्थिक स्थिति को अस्थिर करना चाहता है। यही नहीं, हम सब यह जानते हैं कि सी० आई० ए० द्वारा क्रांतिकारियों को लगातार सहायता दी जा रही है और उन्हें अवप्रेरित किया जा रहा है। क्यूबा का क्या दोष है ? क्यूबा ने अमेरिका के प्रभुत्व का बहादुरी से सामना किया है।

लीबिया का क्या हुआ ? कोई भी घरेलू अथवा अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का समर्थन नहीं करता। लेकिन लीबिया के विरुद्ध में ये प्रतिबन्ध क्यों लगाये गए हैं ? क्या यह प्रमाणित हुआ है कि 'लॉकर बाइ' विमान दुर्घटना में लीबिया के दो नागरिक दोषी हैं। अमेरिका ऐसे कैसे सोचता है कि लीबिया का न्यायतन्त्र बेकार है और मात्र संयुक्त राष्ट्र के पास ही व्यावहारिक ज्ञान का भण्डार है। यहां पर, मैं ये कहूंगा कि संपूर्ण सोवियत संघ तन्त्र को अमेरिका ने अनुचित रीति से हथिया लिया ताकि सार्वभौमिक प्रभुत्व हो सके। खाड़ी युद्ध का मामला अथवा लीबिया का मामला लो। सोवियत संघ चार्टर के अध्याय सात को लीबिया के खिलाफ में क्यों रखा गया ? ऐसा कहा गया है कि शांति समझौते का उल्लंघन होने पर, शांति को खतरा उत्पन्न होने पर अथवा आक्रमण की स्थिति उत्पन्न होने पर ही अध्याय सात के प्रतिबन्धों में फेर-बदल किया जा सकता है। लेकिन ऐसे साधनों की सहायता लेने से पहले शांतिपूर्ण निपटारे के लिए अध्याय छः में सम्मिलित उपायों का प्रयोग करना चाहिए। मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या उन दो व्यक्तियों को अमेरिका या ब्रिटेन के हवाले करने से लीबिया द्वारा इन्कार करना, जिनका अपराध लीबिया के कोर्ट में प्रमाणित नहीं हो सका, ये शांति समझौते का उल्लंघन है अथवा विवाद करना है ? क्या अमेरिका के खिलाफ अध्याय सात का प्रयोग किया जा सकता है; जो यूनियन कार्बाइड के श्री एन्डरसन को, हमारे हवाले नहीं कर सका ?

अतः यह अमेरिका का सच्चा रूप है जिसके साथ हम महान मूल्यों की साझेदारी कर रहे हैं और शायद इसलिए हम क्यूबा को चावल की आपूर्ति करने में विफल हुए हैं, हम लीबिया के खिलाफ रखे गए प्रतिबन्ध संकल्पों का सीधे विरोध करने में असफल हुए हैं। हम उस अमेरिका का विरोध नहीं करना चाहते जो इजराइल को अरब भूमि से हटने के लिए दबाव नहीं डालता है जिस पर इजराइल कब्जे किए बैठा है, जो वास्तव में लीबिया, इराक और क्यूबा के बच्चों को भूख और दारिद्रय से मारना चाहता है और अमेरिका सरकार की इस कार्यवाही का समर्थन करके, हम अहिंसा की गांधीवादी दार्शनिकता पर आधारित नई विश्व व्यवस्था को निश्चित कर रहे हैं, जैसा कि घोषणा-पत्र में कहा गया है।

महोदय, हम अमेरिका के प्रति इतनी नम्रता क्यों दिखा रहे हैं ? क्या अमेरिका सरकार हमें भी इतना ही समान आदर देती है ? क्या वह सरकार हमको मित्र मानती है ? तब हमको गेहूं न बेचने का क्या कारण है ? क्या ये इसलिए कि हम क्यूबा को चावल भेजना चाहते थे या क्यूबा से हमसे चावल भेजने का अनुरोध किया है और रूस के खिलाफ व्यापार प्रतिबन्ध लगाने की धमकी भी दी गई यदि वह हमको रॉकेट प्रौद्योगिकी स्थानांतरित करेगा ? आज शून्यकाल में, सभा को, इस मामले की सूचना दे दी गई है। तब पैन्टागन रिपोर्ट में हमें अभिनायकवादी करार दिया गया है और यदि अमेरिका द्वारा निर्वेशित अप्रसार संधि का अनुसरण नहीं करेंगे तो वह हम पर बल का प्रयोग करेगा। महोदय, हमें यह याद रखना चाहिए कि राष्ट्रपति बुश ने ये कहा है कि वह भी 'पेन्टागन रिपोर्ट' में व्यक्त विचारों का पूर्णतया समर्थन करते हैं। हां, हम जानते हैं कि 'जेम्स बेकर' और विदेश विभाग के अन्य व्यक्तियों ने हमें यह आश्वासन दिया है कि यह पेन्टागन रिपोर्ट, अमेरिका सरकार का, सरकारी दृष्टिकोण नहीं है। लेकिन क्या हम इस तर्क को स्वीकार करें। क्या यह सच नहीं है कि वाशिंगटन का रवैया, भारत के प्रति ठीक नहीं है।

कभी सिनेटर श्री वाली हर्बर भारत को "सबसे ज्यादा अनुगृहीत राष्ट्र" का दर्जा दिए जाने से इन्कार करने वाली विधेयक प्रस्तुत करने की धमकी देते हैं। अमरीकी गृह विभाग ने यह आश्वासन दिया है कि वे इस मामले में श्री वली हर्बर का समर्थन नहीं करते हैं। इसके अलावा, एक अन्य सिनेटर श्री डान बर्टन ने एक अन्य विधेयक इस आशय का प्रस्तुत किया है कि कश्मीर और पंजाब में मानवाधिकार संगठन को जब तक छान-बीन नहीं करने दी जाती तब तक के लिए भारत को अमेरिकी सहायता बन्द कर दी जानी चाहिए। उसके बाद यह आश्वासन मिलता है कि वे इस तरह के कानून पर गम्भीर नहीं हैं। क्या मैं आपको पाकिस्तान के विरुद्ध 'प्रेसलर' संशोधन के अनुरूप ही भारत के विरुद्ध श्री लैंगोमारसिनो संशोधन की याद दिलाऊं ? उस समय भी श्री बुश द्वारा इस सन्दर्भ में 'वीटो' का का प्रयोग करने की घोषणा से हम अमेरिका की उदारता और संभवतः अपने विदेश विभाग की क्षमता पर काफी प्रसन्न हुए थे। इस प्रकार के निरन्तर दर्शाये गए लक्षणों के पीछे अमेरिका के वास्तविक संदेश को क्या हम देख नहीं पाते हैं ? क्या हम अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि, श्रीमती कार्ला हिल्स का एक समय में यह कहना हमारे विरुद्ध 'स्पेशल-301' का प्रयोग नहीं किया जाएगा और दूसरे ही क्षण उनके द्वारा यह कहना कि अगर हम अपने पेटेंट कानूनों में परिवर्तन नहीं करते हैं तो 'स्पेशल-301' हमारे विरुद्ध लागू किया जायेगा, जैसी बातों को नहीं देख रहे हैं। हमने यह कहा कि भारत-अमेरिकी मतभेदों को डंकल प्रस्ताव के अन्तर्गत हल किया जाएगा, अतः वे हमसे नाराज न हों। क्या हम परमाणु अप्रसार संधि के प्रश्न पर अमेरिका द्वारा डाले जा रहे दबाव को महसूस नहीं कर पा रहे हैं ? कुछ राष्ट्रों के परमाणु एकाधिकार को चिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से प्रेरित यह अत्यधिक भेद-भाव वाली संधि हम पर थोपी जा रही है और अमेरिका दक्षिण एशिया को परमाणु-अस्त्र रहित क्षेत्र बनाने की

[श्री सुदर्शन राय चौधरी]

योजना पर होने वाली पांच देशों की सम्मेलन में हमें शामिल करने के लिए दबाव डाल रहा है। लेकिन क्या अमेरिका हिंद महासागर में स्थित दियागो-गार्शिया द्वीप पर से हटने पर सहमत है, जहां से वह एशिया के कई देशों के विरुद्ध समर प्रक्षेपास्त्र चला सकता है? ऐसा करने में हमारी असहमति प्रकट किए जाने के बावजूद भी वे लोग काफी जोर डाल रहे हैं कि हम उक्त परमाणु-शस्त्र रहित क्षेत्र के प्रश्न पर अपनी सहमति दें और हम उस प्रस्ताव को एकदम से अस्वीकार कर देने के बदले अमेरिका के साथ आगामी दो महीनों में बात-चीत करने के जाल में फंस चुके हैं। अमेरिकी सरकार परमाणु अप्रसार सन्धि के बारे में बात तो कर रही है लेकिन वह अपने 'स्टार वार्स' कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहती है? 'पेंटागन रिपोर्ट' में यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अमेरिका अभी भी अपने आपको एक विश्व नेता के रूप में स्थापित करना चाह रहा है परन्तु दुर्भाग्य से हम अब अमेरिका के प्रति इतना मोहित हो चुके हैं कि हम इसकी योजना को समझ पाने में असफल रहे हैं। पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध के मामले में भी वह कपट नीति अपना रहा है। यह अब प्रकट हो चुका है कि उसे पाकिस्तान के परमाणु शस्त्र योजना के बारे में 1983 से भी पहले से ही पता था लेकिन उसके बावजूद उसने पाकिस्तान को सहायता देना बन्द नहीं किया और अक्तूबर, 1990 के 'प्रेसलर' संशोधन के अन्तर्गत उसे वाणिज्यिक और सैनिक सहायता देने पर रोक लगने के बाद भी संवेदनशील सैन्य-सामग्रियों और उनके स्पेयर पार्टों की बिक्री उसके साथ निर्बाध रूप से जारी रहा। यह वही अमेरिका है जिसके साथ हम अपने आपको बांध चुके हैं और हर कदम पर हम अपने स्थापित सिद्धान्तों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं।

महोदय, हम अच्छी तरह जानते हैं कि इजरायली यहूदीवाद अभी भी नस्ल-भेद की नीति अपना रहा है, तो भी हम अमेरिका के साथ हाथ मिलाकर संयुक्त राष्ट्र के उस प्रस्ताव को एक प्रकार से रद्द कर चुके हैं, जिसमें इजरायली यहूदीवाद को नस्लवाद के समकक्ष माना गया है।

यह तो मात्र पहला कदम था। उसके बाद हमने इजरायल के साथ एक पूर्ण कूटनीतिक संबंध भी स्थापित कर लिया है। लेकिन क्या इजरायल ने अपनी नीति में परिवर्तन कर लिया है? क्या उसने जरा भी ऐसा आभास किया है कि कब्जा की हुई अरब की जमीन पर से हट जाएगा? बल्कि उसने तो आक्रमण को बढ़ाया ही है। उसने लेबनान पर हमला किया है। उसके हेलिकाप्टरों के द्वारा शेख अब्बास मुसव्वी की हत्या की गई है। इसके निरन्तर अतिक्रमण के विरोधस्वरूप फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के द्वारा मास्को सम्मेलन का बहिष्कार किया गया था। बाद में वाशिंगटन सम्मेलन में भी कुछ परिणाम नहीं निकला। हाल ही में पहली अप्रैल को उसने कब्जाकृत गाजा पट्टी में चार फिलिस्तीनियों को मार दिया है। आज के समाचारपत्रों में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि इजरायली सैनिकों ने लेबनान के गांवों पर अपना हमला जारी रखा हुआ है और अमेरिका जो कि इराक पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के मामले में अग्रणी है जिसके कारण वहां बच्चों और महिलाओं सहित वहां के नागरिकों को अमानवीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है लेकिन वही अमेरिका इजरायल पर ऐसा नहीं करने के लिए कोई दबाव नहीं दे रहा है। यह वही अमेरिका है जिसके साथ हम अपने मूल्यों को जोड़ रहे हैं और उसी इजरायल को बिना इस सदन में पूर्ण बहस किए ही हमने पूर्ण कूटनीतिक मान्यता दे दी है।

महोदय, हमारे आदरणीय सहयोगीय, श्री शाहाबुद्दीन पहले ही कह चुके हैं कि यह सरकार विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के इशारे पर न सिर्फ आर्थिक मामलों की नीति में पूर्ण रूप से परि-

वर्तन कर चुकी है बल्कि यह विदेश नीति के मामले में भी ऐसा कर चुकी है और इसलिए हम साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरोध पर आधारित अपने गुटनिरपेक्षता की नीति से काफी दूर हट गए हैं। करनी का महत्व होता है न की कथनी का। आकर्षक पैकेट और लेबल का महत्व नहीं होता है, बल्कि उस वस्तु का महत्व होता है जो उसके अन्दर होती है। हम अपने वाक्पटुता से गुट-निरपेक्षता पर मोम की मुल्लमा चढ़ा सकते हैं लेकिन वास्तव में सब कुछ ऐसा कर रहे हैं या कम से कम कुछ तो ऐसा कर ही रहे हैं जो गुट-निरपेक्षता की सिद्धान्तों के विपरीत है। यह सत्य है कि पूरी दुनिया में बदलाव आया है। सोवियत संघ का अवसान हो चुका है। लेकिन इस बदलाव के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए ? क्या हमे अमेरिका का आश्रित देश बन जाना चाहिए। या हम उसके साथ एक प्रकार की सहायक संधि का नाता जोड़ लें ?

दुर्भाग्य से यह सरकार कुछ वैसा ही कर रही है। इस दिशा में पहल चन्द्रशेखर सरकार के समय में खाड़ी-युद्ध के दौरान अमेरिकी युद्धक-विमानों को ईंधन दुबारा भरने की सुविधा देने से हुई, फिर इजरायल को मान्यता दी गई और उसके बाद क्यूबा को चावल आपूर्ति करने से हमने इन्कार कर दिया या ऐसा करने में हमने अपनी अनिच्छा जताई। ये सब हमारी अमेरिका के समक्ष बढ़ती अधीनता का स्पष्ट संकेत देते हैं। बल्कि हम आगामी ग्रीष्म ऋतु में होने वाली भारत-अमरीकी सैनिक अभ्यास में शामिल होने पर भी सहमत हो चुके हैं। इस आशय की घोषणा हमारे माननीय रक्षा मंत्री ने अमरीका के दौरे से लौटने के बाद की है। वस्तुतः, साझा-अभ्यास पहले ही शुरू हो चुका है जिसकी जानकारी इस सदन को नहीं दी गई है। मैं दिनांक 9 अप्रैल, 1992 के इकोनोमिक "टाइम्स" से कुछ उद्धृत कर रहा हूं :—

> "हाल ही में, आगरा के पैरा ट्रेनिंग सेन्टर मे अमेरिकी नौसैनिक की एक टीम ने पैरा कमांडो और वायु सेना अनुदेशकों के लिए उच्चस्तरीय कमांडो तकनीक की चार सप्ताह की प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन किया है। टोक्यो मुख्यालय स्थित अमेरिकी कमांडो टीम अमेरिकी पैसिफिक कमांडो का एक भाग है जो भारत-अमेरिकी रक्षा संबंध को आगे बढ़ाने की खातिर किफिलटर प्रस्तावों के अन्तर्गत दोनों देशों के रक्षा कर्मचारियों के एक-दूसरे देश में आगमन के क्रम में भारत में मार्च के अन्त तक चार सप्ताह के लिए रहा।"

इस बारे में जो अधिक गम्भीर बात है वह है रक्षा मंत्री, श्री शरद पवार के कार्यालय के एक प्रवक्ता का यह कहना कि अमेरिकी नौसैनिकों की आगरा में उपस्थिति की जानकारी थल-सेना और वायुसेना को नहीं थी।"

इसके बदले में जो हम देने जा रहे हैं वह और भी खतरनाक है।

> "बदले में भारत-अमेरिकी सेना जिसकी रुचि भारत के श्रीलंका, काश्मीर, पंजाब और उत्तर-पूर्वी राज्यों की निम्न तीव्रता वाली संघर्ष में अनुभवों को जानने की है, के अधिकारियों को गुलमर्ग स्थित 'दि हाई एल्टीच्यूड वारफेयर' स्कूल और असम-नागालैंड सीमा पर वीरांगटे स्थित 'दि जंगल वारफेयर' स्कूल में जाने की अनुमति देकर अमेरिका को उपकृत कर सकता है।"

इस संवेदनशील क्षेत्र को अमेरिकी अधिकारियों के सम्मुख खुला छोड़ दिया जाएगा। अमेरिकी सरकार के साथ इसमें कौन-सी साझा नीति और साझा हित जुड़ा हुआ है ? क्या हम अमेरिका की विश्वव्यापी सामरिक रणनीति की तरफ नहीं झुक रहे हैं ? यह साझा-अभ्यास किसके विरुद्ध लक्षित

[श्री सुबर्शन राय चौधरी]

या ? इससे भारत को क्या मदद मिलेगा ? तीसरी दुनिया के देशों चाहे वह चिल्ली हो या दक्षिण कोरिया या फिलीपीन्स या और कोई, का अमेरिका के साथ इस प्रकार के सामरिक सहयोग का अनुभव सर्वविदित है। अमेरिका ने इस प्रकार के सहयोग का प्रयोग वहां लोकतंत्र कोउलट ने और अपने आदेशों को लागू करके किया है।

इस सम्बन्ध में जो सबसे दुखद पहलू है वह है कि यह सब चीज बिना इस सदन में हुए किसी बहस के ही निर्धारित कर ली गई है।

मैं समझता हूं कि यह सरकार इस मान्यता के आधार पर कार्य कर रही है कि चूंकि सोवियत संघ तो अब रहा नहीं और हमें विश्व बैंक या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से धन प्राप्त हो रहा है, इसलिए हमें अमेरिका का अनुसरण करना चाहिए। यह एक खतरनाक चीज है। अगर हम आज एक इंच भी छोड़ते हैं तो कल हमें मीलों देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए हमें अमरीका के साथ चलने की नीति से बाज आना होगा। हमें अमेरिकी जनता से कोई विरोध नहीं है, हम अमेरिकी सरकार का विरोध करते हैं क्योंकि वह एक साम्राज्यवादी नीति के आधिपत्य की प्रतिनिधित्व करता है।

आपको याद होगा कि अगले ही दिन सी० आई० ए० के निदेशक राबर्ट्स गेट्स ने घोषणा की कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना ध्यान भूतपूर्व सोवियत संघ से हटा कर तीसरी दुनिया के देशों पर केन्द्रित कर लिया है। इन परिस्थितियों में हमारी विदेश नीति का मूल विषय तीसरी दुनिया के देशों को इकट्ठा करना तथा दक्षिण-दक्षिण सहयोग को और मजबूत करना होना चाहिए। विगत नवम्बर में कराकस में जी-15 देशों का सम्मेलन हुआ था जिसमें मलेशिया तथा जिम्बाब्वे जैसे छोटे देशों ने भाग लिया तथा जिसमें महातिर बिन मोहम्मद और रॉबर्ट मुगाबे ने पश्चिमी देशों के आधिपत्य के विरुद्ध आवाज उठाई थी। मैं श्री रॉबर्ट मुगाबे के भाषण की दो-तीन लाइनें उद्धृत करना चाहूंगा :—

> "अत: दक्षिण को बहुपक्षीय विचार-विमर्श में ग्रुप-7 के अक्खड़ रुख का बहिष्कार करना चाहिए। हमें उनके इस अक्खड़पन का बहिष्कार करना चाहिए, सभी देशों को उनकी सनक का मातहत नहीं होना चाहिए; हमें बिना कारण आर्थिक रूप से सम्पन्न इन देशों का उपासक नहीं बनना चाहिए।"

श्री महातिर बिन मोहम्मद ने कहा :—"अत: नई कार्य सूची 'स्पोरटिव वर्ल्ड आर्डर' के लिए होनी चाहिए, जिसमें संबंधित देशों के विचारों की अनदेखी करके निर्णय विशेषाधिकार प्राप्त कुछ एक देशों द्वारा न लिए जाते हों।"

मैं सरकार से मलेशिया और जिम्बाब्वे जैसे छोटे देशों को नष्ट न होने देने का अनुरोध करता हूं।...(व्यवधान)...क्यूबा औद्योगिक दृष्टि से ही एक छोटा देश है, गुणवत्ता की दृष्टि से नहीं। हमें उनके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए।

मैं अन्त में आपसे एक अनुरोध करता हूं। भारत में क्यूबा एकता समिति का गठन किया गया है। इसमें अनेक गैर-राजनीतिज्ञों और बुद्धिजीवियों को शामिल किया गया है। वे राहत सामग्री एकत्र कर रहे हैं। वे प्रत्येक कामगार के परिवार से एक किलोग्राम चावल एकत्र कर रहे हैं। क्या सरकार इस माल को क्यूबा भेजने के लिए पानी का जहाज उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रही है ताकि इसको क्यूबा भेजा जा सके।

श्री सुदर्शन राय चौधरी (सीरामपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विदेश मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।" भारत-अमरीका संयुक्त नौसैनिक अभ्यास को रद्द किए जाने में असफलता। (1)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।" विदेश नीति में साम्राज्यवाद विरोधी दबाव को कम करना। (2)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।" अमरीका के दादागीरी इरादों के प्रति अधिकाधिक देशों द्वारा आत्म समर्पण। (3)

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विदेश मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

"मयनमार (बर्मा) में लोकतांत्रिक शक्तियों के साथ एकता तथा मैत्री बढ़ाए जाने की आवश्यकता।" (14)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

"अफगानिस्तान की समस्या के शांतिपूर्ण हल के लिए प्रयासों को तेज किए जाने की आवश्यकता।" (15)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

"विशेष रूप से विकासोन्मुख देशों के बीच एकता बनाए रखने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन को पुनः सक्रिय करने के प्रयासों में तेजी लाए जाने की आवश्यकता।" (16)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

"पाकिस्तान को अमरीकी सैनिक सहायता प्रदान किए जाने के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाये जाने की आवश्यकता जिससे पंजाब में पृथकतावादी तत्वों को परोक्ष रूप से प्रोत्साहन मिल रहा है।" (17)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत माग मे 100 रुपये कम किए जाएं।"

"भारत तथा नेपाल के आपसी हितों में बारा क्षेत्र में कोसी नदी पर बहुद्देशीय बांध निर्माण के लिए अविलम्ब व्यावहारिक उपाय किए जाने की आवश्यकता।"

"कि विदेश मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

"भारत तथा नेपाल के आपसी हित में कमला नदी पर शीसापानी तथा बागमती नदी पर ननथेर पर बहुद्देशीय बांधों के निर्माण के लिए शीघ्र कदम उठाने की आवश्यकता।"(19)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

"चीन गणराज्य के साथ पूर्ण सामान्य संबंध बनाने के लिए तुरन्त कदमों को तेज किए जाने की आवश्यकता।" (20)

[श्री सुदर्शन राय चौधरी]

"कि विदेश मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

"चीन गणराज्य के साथ सीमा विवाद को हल करने के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता।" (21)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

"भारतीय विश्व मामलों संबंधी परिषद का अधिग्रहण किए जाने की आवश्यकता।" (22)

श्री एम० रामन्नाराय (कासरगोड) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विदेश मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

"चीन जनवादी गणराज्य के साथ हमारे संबंधों को सामान्य बनाने में असफलता। (30)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

"तिब्बत के मामले को मैत्रीपूर्ण ढंग से हल करने में असफलता।" (31)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

"नेपाल के साथ हमारी मैत्री में सुधार करने में असफलता।" (32)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

"पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका और म्यनमार (बर्मा) के साथ हमारे संबंधों में सुधार करने में असफलता।" (33)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

"इजराइल के साथ हमारे संबंधों पर पुनः विचार करने में असफलता।" (34)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

"अफगान मामले को शान्तिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए पहल करने में असफलता।" (35)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

"क्यूबा के विरुद्ध अमरीकी मनसुबों को गम्भीरता से लेने में असफलता।" (36)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

"क्यूबा को खाद्यान्न भेजने में असफलता।" (37)

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जबलपुर) : मैं यह प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विदेश मंत्रालय, शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

"राष्ट्र के हितों की रक्षा के लिए देश की विदेश नीति को उचित दिशा देने की आवश्यकता।" (46)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

"विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों मे हिन्दी का प्रयोग अनिवार्य करने की आवश्यकता।" (47)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

"पाकिस्तान को अमेरिका द्वारा दी जाने वाली सैनिक सहायता का विरोध करने की आवश्यकता।" (48)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

"नेपाल के साथ मधुर संबंध बनाने की आवश्यकता।" (49)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

"विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति के लिए योग्यता को एकमात्र आधार मानने की आवश्यकता।" (50)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

"पाकिस्तान के साथ देश के संबंधों को सुधारने की आवश्यकता।" (51)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

"पाकिस्तान को इस बात के लिए राजी करने की आवश्यकता कि वह उन आतंकवादियों को प्रशिक्षण न दे जो भारत में अव्यवस्था फैला रहे हैं।" (52)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

"पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में सुधार करने की आवश्यकता।" (53)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

"चीन द्वारा अधिग्रहीत भूमि को वापस लेने की आवश्यकता।" (54)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

"शान्ति बनाये रखने के लिए श्रीलंका के साथ एक समझौता करने की आवश्यकता।" (55)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

"सुरक्षा परिषद में भारत द्वारा अदा की गई भूमिका को और अधिक कारगर बनाने की आवश्यकता।" (56)

श्री विजय कृष्ण हांडिक (जोरहाट) : सभापति महोदय, मैं विदेश मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं और कटौती प्रस्तावों का विरोध करता हूं।

इस विषय पर सरकार की विदेश नीति के संदर्भ में कुछेक बातें कहना चाहूंगा।

विश्व के राजनीतिक परिदृश्य में आज बहुत ही अधिक उथल-पुथल मच रही है। इस बदलाव से हमारे परम्परागत मूल्यों और विचारधारा को भारी क्षति हो रही है और यहां तक कि इनकी प्रासंगिकता और मान्यता पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं।

ऐसी स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय संबंध खोखले और निरर्थक नहीं रह सकते जो कि परिस्थितियों के स्थिर हो जाने की प्रतीक्षा करते रहें और तत्पश्चात प्रतिक्रिया व्यक्त हो। इसकी अपेक्षा विभिन्न राष्ट्रों से उम्मीद की जाती है कि व्यवस्थित तरीकों से परिस्थितियों में स्थिरता लाने के लिए सार्थक भूमिका निभाएं और इस तरह की उद्देश्यपूर्ण भूमिका निभाना सरकार के लिए एक चुनौती है।

जो परिस्थितियां इस परिदृश्य पर हावी हैं, उनका विश्लेषण इस बात को स्पष्ट करता है कि अमरीकी सरकार पूरे विश्व में अपना एक ध्रुवीय प्रभुत्व स्थापित करने पर दृढ़-संकल्प है ताकि इसका स्थायी प्रभाव कायम रह सके। अतः हमारी सरकार को सतर्क रहकर यह कोशिश करनी चाहिए कि इसका सतत विरोध किया जाए और अमरीकी इरादे को सफल न होने दें।

अमरीका की कार्य सूची में यह साफ-साफ लिखा है कि विकासशील देशों की परमाणु क्षमता पर प्रतिबन्ध लगाए जाएं।

मैं भारत सहित इन देशों की परमाणु क्षमता में वृद्धि करने की दलील नहीं दे रहा हूं। मुझे तो परमाणु महाशक्तियों के पक्षपातपूर्ण और असमानता के दृष्टिकोण पर आपत्ति है। भारत समेत अन्य देशों पर लगातार दबाव डाला जा रहा है कि परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करें और भारत पर तो इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए कई तरह से दबाव डाले जा रहे हैं।

महोदय, सबसे पहले आपको याद होगा कि पिछले वर्ष भारत के थल सेनाध्यक्ष पर दबाव डाला गया था जो कि एक स्पष्ट रणनीति थी।

दूसरी, अमरीका के अवर सचिव श्री रेगिनाल्ड बार्थोलोम्यु की यात्रा भी इस बात को स्पष्ट द्योतक है। जो बताने लिए तो भारत-पाक तनाव को कम करने के बारे में आए थे किन्तु उनकी यात्रा का असली इरादा अमरीका की इस आशंका को व्यक्त करना था कि क्या भारत के पास परमाणु हथियार पहले से ही मौजूद हैं अथवा क्या निकट भविष्य में उनके निर्माण किए जा सकने की सम्भावना है जैसा कि अमरीकी सरकार का यह विचार है कि भारत की अन्य परमाणु सुविधाओं का कोई सैन्य दृष्टिकोण भी है। अपने चार परमाणु केन्द्रों को आई० ए० ई० ए० के दिशानिर्देशों के अन्तर्गत चलाने के भारत के निर्णय से उनके संदेह को और भी बल मिला है—और भारत का यह निर्णय युक्तियुक्त है क्योंकि ट्राम्बे और तारापुर स्थित परमाणु परिशोधन संयंत्रों का अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण केवल तभी हो हो सकता है जब उनमें उस ईंधन का उपयोग किया जा रहा हो जो आठ सुरक्षित रिएक्टरों में से लिया गया हो।

तीसरी बात आई० ए० ई० ए० के निदेशक जनरल हंस ब्लिक्स का दौरा है जो भारत को सलाह—निर्देशित परमाणु सम्प्रभुता से स्पष्ट है और जो यह कह कर परमाणु अप्रसार सन्धि को बातों से भी एक कदम आगे बढ़ गए हैं कि उन प्रावधानों में यह कमी है कि उनमें अचानक निरीक्षण

की शर्त नहीं है। वह परमाणु अप्रसार सन्धि के बारे में भारत की आपत्ति को इस आपत्ति को स्वीकार नहीं करना चाहते कि इसमें परमाणु हथियारों वाले राज्यों को अपने परमाणु स्थलों को अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण के लिए खोलने की बात शामिल नहीं किया गया है बल्कि इस बात पर अड़े हैं कि सन्धि के अन्य गैर-परमाणु हस्ताक्षरकर्ता देशों पर कड़ी नजर रखी जाए।

चौथी बात सीनेटर श्री लारी प्रैसलर के दौरे के बाद शुरू हुई। उनकी यह घोषणा कि भारत के पास कोई परमाणु हथियार नहीं है जबकि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं, उन लोगों के लिए कोई महत्व की बात नहीं है जो कि परमाणु क्षमता के संदर्भ में भारत और पाकिस्तान के बारे में अमरीकी सरकार की बदलती विचारधारा पर नजर रखे हुए हैं। क्योंकि हमारे पास यह मानने के बहुत आधार हैं कि अमरीका भारत और पाकिस्तान को एक-दूसरे के विरुद्ध उकसा रहा है।

महोदय, सिमिंगटन से गलीन, गलीन से सोलार्ज और उसके प्रैसलर आदि के संशोधनों का अध्ययन करने पर यही निष्कर्ष सामने आता है कि इन सभी संशोधनों को लागू करने के पीछे केवल अमरीकी हित ही छिपे हैं। इस प्रकार पाकिस्तान की कानूनी स्थिति संवर्धन सुविधा पर स्पष्टतया सिमिंगटन संशोधन लागू होता था अथवा पाकिस्तान को परमाणु हथियारों में उपयोग करने के लिए भारजिन इस्पात के निर्यात के लिए दिसम्बर 1987 में मि० अर्शद जेड परवेज को दोषी पाये जाने पर सोलर्ज संशोधन लागू होता था। परन्तु इन सभी संशोधनों को छोड़ दिया गया क्योंकि रूस द्वारा समर्थित तत्कालीन नजीबुल्ला सरकार के विरुद्ध गुरीलों की सहायता के संदर्भ में तत्कालीन अफगानिस्तान के मसले ने स्थिति को बदल दिया था और पाकिस्तान को अमरीकी सहायता पूरे जोर-शोर से जारी रही। अफगानिस्तान से सोवियत रूस के निकल जाने के बाद भी सोलार्ज संशोधन को लागू नहीं किया गया और कुमारी बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में भी पाकिस्तानी लोकतन्त्र को अमरीकी सहायता दी जाती रही।

लेकिन मजे की बात यह है कि वही अमरीकी सरकार आज शक्तिशाली कट्टरपंथी इस्लामिक संघ की संभावना को लेकर पाकिस्तान के विरुद्ध है जो संभवतः तुर्की से लेकर भूतपूर्व सोवियत संघ के एशियाई गणराज्यों के बीच बनने की संभावना। यहां पर मैं सी० आई० ए० के प्रमुख श्री राबर्ट गेट्स के शब्दों को उद्धृत करना चाहता हूं। अमरीका की चाल स्पष्ट है और वह भारत तथा पाकिस्तान को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा करना चाहता है। मैं उद्धृत कर रहा हूं :

> "भारत और पाकिस्तान के पास सभी परमाणु कलपुर्जे हैं जिनसे अल्प समय में परमाणु हथियार तैयार किये जा सकते हैं परन्तु परमाणु बम तैयार और एक दूसरे के विरुद्ध तैनात नहीं हैं। वास्तव में सुरक्षा कारणों से ही वे इन हथियारों का भण्डार नहीं करते···।"

इस प्रकार परमाणु क्षमता के बारे में उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों को बराबर रखा यही तर्क है और तथापि जब भी जैसी आवश्यकता होगी वाशिंगटन के हित पाकिस्तान के विरुद्ध भारत की ओर अथवा भारत के विरुद्ध पाकिस्तान की ओर झुक जायेंगे।

पांचवीं और अंतिम बात भी कम महत्व की नहीं है कि पेंटागन के दस्तावेजों को सोची-समझी चाल के अनुसार भारत के विदेश सचिव श्री दीक्षित के दौरे के समय जारी किया गया है। यद्यपि उप-सचिव श्री लारेन्स ईगलबर्गर ने यह भी कहा है कि इस प्रलेख को एक गंभीर बात के रूप में लेने की आवश्यकता नहीं है फिर भी इस दस्तावेज का विषय कुछ चिंताजनक है क्योंकि इसमें भारत को किन्हीं परिस्थितियों में युद्ध की धमकी दी गई है इसमें और दक्षिणी एशिया में शक्ति सन्तुलन बनाने की

[श्री विजय कुमार हांडिक]

आवश्यकता का उल्लेख किया गया है ताकि भारत की कथित महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित किया जा सके यह एक ऐसा आरोप है जो भारत के शांति की दिशा में किये जा रहे प्रयासों से स्वयं ही गलत सिद्ध होता है और जिसके बारे में अमरीकी सरकार भलीभांति जानती है। यह भारत की कूटनीति और संकल्प और साथ-साथ महाशक्ति के दबाव और शोषण का सामना करने की वास्तविक कसौटी है और आवश्यकता इस बात की है कि भारत अपने इस विचार पर दृढ़ रहे कि परमाणु अप्रसार सन्धि भेद-भावपूर्ण है। यदि हम इतिहास का बारीकी से अध्ययन करें तो इस तरह का भेद-भाव परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व-व्यवस्था के भारतीय दृष्टिकोण से असंगत है।

श्री जवाहर लाल नेहरू ने ही संयुक्त राष्ट्र महासभा में सच्चे अर्थों में गैर-भेदमूलक परमाणु अप्रसार सन्धि के बारे में भारत के प्रस्ताव से अवगत कराया था। इसी दृष्टिकोण ने स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को परमाणु निशस्त्रीकरण पर छः देशों के अभियान को आरंभ करने की प्रेरणा मिली थी। और यही वह दृष्टिकोण था जिसे परमाणु हथियारों से मुक्त और अहिंसक विश्व-व्यवस्था के लिए एक कार्य-योजना को रूप देने में ठोस और व्यापक अभिव्यक्ति मिली, जिसे तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी ने 1988 में निशस्त्रीकरण पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र के तीसरे विशेष अधिवेशन को प्रस्तुत किया। तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ से किया गया यह अनुरोध कि कार्य-योजना को इसी सदी में पूरा किया जाए, बिल्कुल उचित, यथार्थ पूर्ण और ससामयिक है। लेकिन जो भी बातें कही गयी और की गयी हैं, उसके बावजूद, हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि शांति प्रयोजनों हेतु परमाणु शक्ति के प्रयोग के प्रति हमारी पारम्परिक वचन बद्धता को ध्यान में रखते हुए, शीघ्र ही हमें, सामान्य रूप से, इसके अप्रसार के सम्बन्ध में निर्णय लेना है लेकिन निश्चित रूप से निर्णय परमाणु अप्रसार संधि अर्थात् एन० पी० टी० के घेरे में रह कर नहीं करना है। हमें विश्व को स्पष्ट रूप से यह बता देना चाहिए कि हमारा अन्तिम लक्ष्य सच्चे रूप में परमाणु अप्रसार है जोकि सभी, आणविक शक्ति वाले और आणविक शक्ति रहित देशों पर भी लागू होता है। सोवियत संघ के विघटन के पूर्व विद्यमान अधिकतर देशों में आणविक शस्त्रों के प्रसार की खतरनाक वास्तविकताओं के परिपेक्ष्य हमें इस बात पर सहमत होना है किस प्रकार से इसे कार्य-रूप दिया जाए।

यह देख कर प्रसन्नता होती है कि माननीय प्रधान मन्त्री श्री राव परमाणु अप्रसार के मुद्दे पर चर्चा करने हेतु अपनी इच्छा पहले ही व्यक्त कर चुके हैं परन्तु वह एन० पी० टी० के अन्तर्गत नहीं होगी। इस परिस्थिति में गुट-निरपेक्षता का महत्व बहु-ध्रुवीय पद्धति में विद्यमान जटिलताओं के कारण पहले से कहीं अधिक बढ़ जाता है। इसलिए हमें एक बहु-ध्रुवीय विश्व के उद्भव-यद्यपि कि यह अभी शैशवकाल में ही है—के स्पष्ट संकेत पर ध्यान न देने में चूक नहीं करनी चाहिए।

ऐसा मूल्यांकन किया जा रहा है कि विश्व के मामलों में चीन जापान और जर्मनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे। मध्य सदी के द्विध्रुवीय विश्व एक प्रभावकारी बहु-ध्रुवीय विश्व के यूं बदल जाने के फलस्वरूप, भारत को एक सक्रिय सहयोगी के रूप में इस प्रक्रिया को एक स्वरूप प्रदान करने में एक सार्थक भूमिका निभानी है।

तथापि विदेश मंत्रालय को उन स्वार्थी पक्षों द्वारा चलाये गये इस भ्रमकारी सूचना के अभियान का सामना करना है। जो अमरीकी अपरिहार्यता का वातावरण बनाने के इरादे से यह कह कर कि वर्तमान विश्व परिस्थिति में न तो गुट-निरपेक्षता और न ही समाजवाद सटीक बैठता है। निस्सन्देह

यह सच है कि यदि गुट-निरपेक्ष देशों द्वारा एक लोकतांत्रिक विश्व व्यवस्था की मांग को विश्वनीयता और प्रासंगिकता प्रदान गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की कार्य-सूची बदलते हुए समय के अनुसार तैयार की जानी चाहिए और गुट-निरपेक्ष देशों द्वारा उनके राजनीतिक व्यवस्था को लोकतंत्रात्मक बनाया जाना है। यही क्षेत्र है जहां भारत को एक उद्देश्य पूर्ण और प्रमुख भूमिका निभानी है और अन्य ताकतों के नेतृत्व में नहीं रहना है। मैं आशा करता हूं कि इस प्रतिष्ठित सभा के माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये मुद्दों पर माननीय विदेश मन्त्री जी ध्यान देंगे और यह सुनिश्चय करेंगे कि वास्तव में भारत प्रमुख महत्वपूर्ण भूमिका निभाये। और सम्पूर्ण विश्व का नेतृत्व करने के लिए भारत के लिए यही वर्तमान स्थिति बहुत ठीक है।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : सभापति महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति जिस तेजी के साथ बदली है, उसके कारण भारत की विदेश नीति में जो गतिशीलता आनी चाहिए थी, वह नहीं आ पाई है। इस नई स्थिति में एक नया चुनौतीपूर्ण दायित्व भारत के कंधों पर आया था तीसरी दुनिया के देशों का नेतृत्व करने का, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का। भारत को अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर सबसे पहले प्रतिक्रिया होती थी। आज हम इंतजार करते हैं कि किसी दूसरे देश की प्रतिक्रिया आए और उसके बाद हमारी सरकार को कोई प्रतिक्रिया होती है।

तिब्बत के शरणार्थी हिमाचल प्रदेश में बरसों से रह रहे हैं। चीन के प्रधान मंत्री यहां आए। उनका आना अच्छा हुआ। लेकिन, उनकी समस्याओं का जिक्र करने का औचित्य नहीं समझा।... (व्यवधान) मैं, शरणार्थियों के बारे में बोल रहा हूं। आपको उनके साथ सहानुभूति होनी चाहिए। वहां पर जो समस्याएं खड़ी हुई हैं तो स्थानीय लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनकी समस्या को चीन के साथ, हिम्मत के साथ उठानी चाहिए थी।

कांग्रेसी मित्र अपने चुनाव घोषणा पत्र का जिक्र करते हैं। आज भाटिया जी बोल रहे थे कि नेशनल फ्रंट की सरकार थी, उनके समय में आत्म-सम्मान खत्म हो गया। चुनाव घोषणा पत्र के पेज-56 में लिखते हैं :

[अनुवाद]

"इस लिहाज से कांग्रेस की सरकार फिर उभरेगी।" इस सम्बन्ध में आप कैसे उभरे? आप व्यक्तिवत पत्रों के द्वारा उभरे हैं।

[हिन्दी]

भारत के विदेश मंत्री संदेश-वाहक बन गये थे। क्या यह तरीका था और लास्ट पैरा में लिखते हैं :

[अनुवाद]

"विदेश नीति सम्बन्धी कुछ विशिष्ट मुद्दों पर कांग्रेस एक आम राय पैदा करना चाहेगी ताकि अधिकतम संभव स्तर तक भारत एकजुट होकर बोले।"

[हिन्दी]

आज शून्यकाल में जो मुद्दा उठाया गया था, उस पर आज सुबह ज्यादातर सांसद बोले हैं

[श्री प्रेम चूमल]

और/सभी की सदन में उस पर सहमति थी। क्या आप उससे लाभ उठाकर भारत की नीति निर्धारित करेंगे और क्या भारत की एक आवाज पहुंचेगी।

सभापति महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारा सम्मान कितना गिर गया है इसका अन्दाजा आज सुबह भी हमें यहां महसूस हुआ। पहले जब जिक्र हुआ था तब भी महसूस हुआ था। हम क्यूबा को कुछ चावल देने की बात कर बैठे थे। अमरीका ने कहा कि तुम्हें चावल नहीं देना चाहिए। अगर तुम चावल दोगे तो हम तुम्हें गन्दम नहीं देंगे। मैं आपको छठे दशक की ओर ले जाना चाहता हूं। तब भारत और अमरीका में बहुत सहमति नहीं थी, बहुत मतभेद थे। उस समय भी अनाज के मसले को राजनैतिक रंग नहीं दिया गया था। पी० एल०-480 के अन्दर लगभग मुफ्त में गेहूं उस समय मिला था। आज अमरीका एकमात्र सुपर पावर बनकर जो दुनिया को डिक्टेट कर रहा है उसके कारण आज स्थिति यह हो गई है कि अमरीका वाले जो मानवीय आधार होते हैं, उनको भी भूल गए है। इराक और लीबिया में बच्चे रोटी और दूध के लिए तड़प रहे हैं। उसे उनकी कोई चिन्ता नहीं है। केवल मात्र एकछत्र राज उसका सारी दुनिया में चले, जो अमरीका चाहे वह सब देश मानने पर मजबूर हो जायें और दुर्भाग्यवश इस बात पर जो स्टैंड भारत ले सकता था, भारत कह सकता था, हम वह कह नहीं पा रहे हैं। सरकार उसमें असफल हुई है। हम दूसरों के बारे में क्या कहेंगे जब हमारे पर प्रतिबन्ध लगा रहा है कि 10 हजार टन चावल नहीं दे सकते हो। हमारे व्यापार मंत्री का बयान है कि अमरीका नहीं देगा तो हम मार्केट से लेने का प्रयत्न करेंगे, भले ही कनसैशनल रेट पर न मिले। इसलिए मैं चाहूंगा सरकार इस सम्बन्ध में जो राष्ट्रीय सहमति बनी है कि हम अपने देश की नीतियों के बारे में स्पष्ट स्टैंड लें, घोषणा करें, मुझे आशा है इस पर मंत्री महोदय ध्यान देंगे, प्रधान मंत्री तो पहुंचे नहीं।

एक बात और बड़ी विचित्र लगती है। डबोस में हमारे प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री में बात हुई। आपने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में मेंशन किया है कि बहुत अच्छी बातचीत हुई। अगले ही दिन पाकिस्तान में कश्मीर के लिए पूरे दिन की सरकारी हड़ताल की घोषणा की गई। आपकी अच्छी बात का क्या मापदंड है, यह हमारी समझ से बाहर है। पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर में लगातार उग्रवादियों को प्रशिक्षण दे रहा है, हथियार दे रहा है, हमारे अन्दरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है और आपकी रिपोर्ट में लिखा है कि सितम्बर, 1991 में हमारे विदेश मंत्री पाकिस्तान के विदेश मंत्री से विदेश में मिले और उन्हें कह दिया कि तुम ठीक नहीं कर रहे हो, हस्तक्षेप बन्द करो। जैसे आपने डिस्पलयिर कम्बे कर दिया, उसका प्रभाव कहां हुआ, उसका काउंटर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं। राष्ट्रहित के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, ये बातें स्पष्ट होकर सामने आनी चाहिए थीं।

मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। कुछ स्पेसिफिक मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पासपोर्ट के बारे में आपने रिपोर्ट में पेज 69 में बताया है और आंकड़े स्पष्ट बताते हैं कि पैंतीस लाख दो हजार नौ सौ तिहत्तर आवेदनपत्र प्राप्त हुए, लेकिन जो जारी किए उनकी संख्या छब्बीस लाख नब्बे हजार है। मेरे साथी सांसद श्री राम नाईक जो कह रहे थे कि बम्बई में लोगों को खड़े होने के लिए जगह नहीं मिलती, पासपोर्ट की लम्बी लाइनें लगी हैं, बहुत से आवेदन पत्र पेंडिंग पड़े हैं और आपके आंकड़ों के अनुसार आप नौ लाख लोगों को पासपोर्ट नहीं दे पाये हैं।

5.00 म० प०

और इसी रिपोर्ट के अनेक्चर पेज-23 पर भी है। यह कोई घाटे वाला सौदा नहीं है। आप

इसमें पैसा कमा रहे हैं, आपकी आय हुई है, तीस करोड़ चालीस लाख नब्बे हजार आठ सौ तेरह रुपये और आपका खर्चा हुआ है छः करोड़ अस्सी लाख इकहत्तर हजार तीन सौ अट्ठारह रुपये। तो इस प्रकार लगभग चौदह करोड़ रुपये का लाभ हुआ है और फिर भी लोगों को पासपोर्ट नहीं मिल रहा है। कहा जाता है कि स्टाफ की कमी है, इसको संख्या बढ़नी चाहिए। वहां पर स्टाफ की पदोन्नति नहीं होती है, फिर भ्रष्टाचार तो है ही। जब पासपोर्ट कम देंगे तो भ्रष्टाचार पनपेगा ही। अगर आप सुविधायें उपलब्ध करवायें, स्टाफ अधिक हो तो फिर स्वाभाविक तौर पर लोगों को वहां पासपोर्ट मिलेंगे, वहां आपकी आय भी होगी लेकिन साथ में भ्रष्टाचार भी घटेगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि पासपोर्ट कार्यालय मे स्टाफ बढ़ायें, उनकी पदोन्नति कीजिए और भ्रष्टाचार को वहां से मिटाईये।

सभापति महोदय, रिपोर्ट के पेज 62 पर विदेश में प्रचार की चर्चा की गयी है। अभी आपकी पार्टी के मित्र बोल रहे थे कि जितना दुष्प्रचार भारत के विरुद्ध होता है, उसका हम कारगर ढंग से विरोध नहीं कर पाते है। आपने यह बताया कि हमने इतनी कैसेट्स भेजी है, पम्फलेट्स भेजे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि सरकार जो कैसेट्स भेजती है, उसको मानिटर करती है, उसको देखती है कि उसका कितना यूज हुआ ? यहां से पैसा लगता चला गया लेकिन उनका प्रयोग किसी अच्छे काम के लिए हुआ या नहीं ?

इसके अतिरिक्त मैं यह चाहूंगा कि जो विदेशों में प्रवासी भारतीय रहते हैं, भारत सरकार के जहां दूतावास/उच्चायुक्त हैं, उनके कार्यालय है, उनसे सम्पर्क करें। सरकारी तौर पर जो प्रचार कर सकते हैं, उसमें वृद्धि कीजिए लेकिन उसके साथ ही प्रवासी भारतीयों की सेवाओं का लाभ भी उठाइए क्योंकि वे भारत के पक्ष को अच्छे ढंग से रख सकते हैं।

सभापति महोदय, एक बात और जिसको मैंने पहले भी कहा था वह है सरकारी काम-काज के विदेश मंत्रालय के काम मे हिन्दी का प्रयोग। आपने अपनी रिपोर्ट के पेज 78 पर लिखा है लेकिन स्पेसिफिकली मैंने कहा था कि आपके ट्रांसलेटर्स नहीं हैं। जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आप ट्रांसलेटर्स बुलाते थे, कहीं आपने लिखा नहीं है कि हमने ट्रांसलेटर्स लगवा लिए हैं, नियुक्त कर दिये हैं, ऐसी इसमें कोई बात नहीं है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि हिन्दी के प्रयोग को और महत्व दें और अधिक से अधिक काम हिन्दी राष्ट्रभाषा मे कीजिए।

सभापति महोदय, मैं कुछ बातें प्वाइंट्स मे कहना चाहता था। यद्यपि भाटिया जी कह रहे थे, लेकिन कि श्री जसवन्त सिंह जी ने सुझाव नहीं दिए, समझ में नहीं आया तो मैं स्पेसिफिकली कह रहा हू कि विदेश नीति के मुद्दे पर राष्ट्रीय सहमति तैयार की जाये। विशेषज्ञों का एक नीति योजना-आयोग बनाया जाए। "सार्क" को और शक्तिशाली करने का प्रयास किया जाये। "सार्क" का एक साझा व्यापार केन्द्र डेवलेप करने में हमारे देश को अग्रणी होकर उसमें भाग लेना चाहिए और इनीशिएटिव लेना चाहिए।

विदेशों में बसे हुए भारतीयों, के हितों की रक्षा करनी चाहिए जैसे फिजी में, बर्मा में यह समस्या पैदा हो रही है। हम मात्र यह कह कर कि हम उनके हितों की रक्षा करेंगे, यह संसद में कहने के सिवा आपने क्रियात्मक तौर पर क्या कदम उठाए हैं या कदम उठाने जा रहे हैं इस पर भी कुछ रोशनी डालिएगा। प्रवासी भारतीयों की ओर से जैसे माननीय श्री जसवंत सिंह जी ने भी कहा, लगातार यह मांग रही है कि दोहरी नागरिकता दी जाए, भारत में भी उन्हें नागरिकता दी जाए। यह

[प्रो० प्रेम धूमल]

प्रस्ताव बार-बार आ रहा है । क्या आप इसके लिए कुछ करने जा रहे है ?

पर्यावरण आज सारे संसार के लिए बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है । पर्यावरण को बचाये रखने का हमारा सुझाव है कि साउथ एशियन एनवायर्नमेंटन प्रोटेक्शन अथारिटी की स्थापना की जानी चाहिए और उसमें सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं और जो पर्यावरण के विशेषज्ञ हैं, उनको भी प्रतिनिधित्व दिया जाए । संयुक्त राष्ट्र संघ को और शक्तिशाली बनाने के लिए भारतवर्ष को अपना योगदान देना चाहिए । भारतवर्ष एक बहुत बड़ा देश है । सुरक्षा परिषद में भारत को एक स्थायी सदस्य बनाया जाए । इसके लिए भी हमारी सरकार को, हमारे देश को और हम सबको प्रयत्न करना चाहिए । उसके लिए सरकार प्रयत्न करे और अपनी नीति संसद में रखे । हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस पर और बोलेंगे इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं । सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : सभापति महोदय, मैं विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं । यहां हमारी चर्चा विदेश मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन पर आधारित है और जिस प्रकार का यह प्रतिवेदन होना चाहिए, उसी प्रकार का है । यह दस्तावेज नपी तुली सौम्य राजनयिक भाषा में व्यक्त किया गया है ।

5.07 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

लेकिन मैं सोचता हूं कि सभा के पीछे बैठने वाले हम लोगों को कूटनीतिज्ञ जैसे व्यक्ति नहीं बनने को तथा कूटनीति युक्त मुहावरों के सौष्ठव से नहीं बांधने की छूट प्राप्त है । परिणामस्वरूप, मैं अपने आप को उस प्रतिबंध से जिसे विदेश मंत्रालय की अफसरशाही ने आवश्यकरूप से अपने ऊपर ले लिया है, मुक्त रखने का प्रयास करूंगा और इस प्रतिष्ठित सभा को यह बताने का प्रयास करूंगा कि जिन सौम्य शब्दों में इस वार्षिक प्रतिवेदन को व्यक्त किया गया है, उसमे निहित वास्तविक अर्थ क्या है ।

यह सच है विश्व में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं । पिछली बार इस सम्माननीय सभा को, दसवीं लोक सभा के दौरान नहीं बल्कि नौवीं लोक सभा के दौरान जब विदेश सम्बन्धी मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ था, उस समय से अब तक, विश्व में बहुत भारी परिवर्तन हो चुके हैं । लेकिन मैं सोचता हूं कि इस तथ्य पर जोर डालने की जरूरत नहीं है कि विश्व में परिवर्तन हो चुका है । विदेश मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री से मैं यह प्रश्न करना चाहता हूं : कि यदि विश्व में परिवर्तन हो भी चुके हैं तो भी क्या विदेश नीति के हमारे उद्देश्य भी बदल चुके हैं ? यदि विश्व की परिस्थितियों में कोई बदलाव हुआ है तो वह क्या है जिस कारण वर्ष 1974 में चल रहे हमारे उद्देश्यों में परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ेगी ?

मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी विदेश नीति का मुख्य मुद्दा यह नहीं होना चाहिए कि क्या विश्व में परिवर्तन हुआ है अथवा नहीं, बल्कि यह होना चाहिए कि किस प्रकार नयी परिस्थितियों में

हम अपने पुराने उद्देश्यों को जारी रखेंगे। विश्व की परिस्थितियों में परिवर्तन होने से हमारे उद्देश्यों में परिवर्तन अनिवार्य तो नहीं हो जाता है। विश्व की परिस्थितियों में परिवर्तन से हमारे पुराने उद्देश्यों की पूर्ति के तरीकों में कुछ परिवर्तन तो आवश्यक हो सकता है। फिर भी मैं यहां सम्पूर्ण जानकारी से युक्त उस वाद-विवाद को जो अभी तक हमने इस सभा में किया है का उल्लेख नहीं कर रहा हूं, बल्कि बाहर सारे देश में व्यापक स्तर पर जो चर्चा हो रही है उसका उल्लेख कर रहा हूं। इस देश में अनेक लोग हैं विशेषकर संचार माध्यम के टीकाकार जो विश्व परिस्थितियों में बदलाव के कारण आतंकित से हो गए हैं, जो सोवियत संघ के विघटन में उस सहारे का ढह जाना देखते हैं जिस पर हमारी विदेश नीति अवलम्बित थी; और इसलिए वे कह रहे हैं कि चूंकि यह अवलम्बन समाप्त हो गया है अतः हमें अपाहिजों से अपनी नीति जारी रखने के लिए अन्य सहारा ढूंढना चाहिए। इन लोगों के प्रति ही मैं अपनी टिप्पणी सम्बोधित करना चाहता हूं और महोदय, मुझे यह कहते हुए खुशी होती है क्योंकि इस सम्माननीय सभा के किसी भी पक्ष में उक्त विचारधारा का समर्थन करने वाले कोई ज्यादा लोग नहीं हैं।

मैं उन लोगों से यह भी कहना चाहता हूं और मैं उन्हें उन दो या तीन इस प्रकार के मूल और आधारभूत तथ्यों का स्मरण भी कराना चाहता हूं जिसे हम आश्चर्यजनक रूप से भूलना चाहते हैं। इनमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण तथ्य यह है। वर्ष 1946-47 में जब हमने गुट-निरपेक्षता की अपनी नीति निर्धारित की थी, तब आर्थिक रूप से आज की तुलना में हम अधिक कमजोर थे। आज के मुकाबले हमारी सैन्य शक्ति बहुत कमजोर थी और 1947 में सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में सिर्फ हमारा देश ही औपनिवेशिक अनुभवों से निकल कर उपनिवेशवाद के बाद की दुनिया में आया था, संयुक्त राष्ट्रसंघ या अन्य किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय संघ में हम स्पष्ट रूप से अल्पसंख्यक थे। मैं सोचता हूं हमें इस सम्माननीय सभा को यह स्मरण कराने की आवश्यकता है कि सोवियत संघ में भारत के प्रथम दो राजदूतों से महासचिव स्टालिन ने बात करने की शिष्टता भी नहीं दिखाई थी। हमारी प्रथम राजदूत और कोई नहीं बल्कि उस समय के स्वयं हमारे प्रधान मंत्री की बहन थी। दूसरे व्यक्ति वे थे जो भारत के एक सुप्रतिष्ठित राष्ट्रपति बने थे। वर्ष 1947 से 1955 के बीच भारत की विदेश नीति, गुट-निरपेक्षता की नीति—जिसका समर्थन हम आज भी करते हैं—को सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त नहीं था, फिर भी हमने इस नीति को जारी रखा। हम सहायता और मदद मांगने पहले सोवियत संघ के पास आगे नहीं गये थे। खुद सोवियत संघ ही एक दशक की अवधि में यह जान गया कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में एक स्वतन्त्र भारत, एक गुट निरपेक्ष भारत के रूप में, एक ऐसे भारत के रूप में जो अपने नैतिक मूल्यों, ध्येय और उद्देश्यों पर डटा हुआ था, एक बहुत ही अच्छा मित्र मिला है। वर्ष 1955 के मध्य में पंडित जी द्वारा सोवियत संघ का दौरा किये जाने तथा उसी वर्ष के अन्त तक बुलगर और ख्रुश्चेव द्वारा, प्रत्युत्तर से भारत का दौरा किये जाने के पश्चात, भारत और सोवियत संघ की मित्रता प्रगाढ़ हो गयी तथा यही मित्रता यह भारत की विदेश नीति का आन्तरिक और अनिवार्य अंग बन गया।

महोदय, क्या कारण था कि 1947 से 1955 के बीच अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के सम्बन्ध में उठने वाली यह कमजोर अकेली आवाज इस हद तक ऊंची पहुंच गयी कि विश्व की महाशक्तियों ने हमारा सहयोगी बनने की इच्छा जाहिर की ? इसका कारण यह था कि विश्व संबंधी प्रमुख मुद्दों पर हमें अपने विचारों को व्यक्त करने का साहस था। हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि चूंकि हम कमजोर, अविकसित देश हैं और सैन्य शक्ति से कमजोर हैं इसलिए हमें विश्व मामलों में कुछ कहने का अधिकार नहीं है। हमने फिलिस्तीनी मामले में एक रुख अपनाया। हमने नवम्बर, 1947 में भी एक निर्णय

[श्री मणि शंकर अय्यर]

किया था जब तीन अल्पसंख्यक देश अर्थात भारत, ईरान और युगोस्लाविया ने यह कहा था कि न तो यहूदियों को समाप्त कर दिया जाए और न ही अरब लोगों को फिलिस्तीन से निकाल दिया जाना चाहिए। फिलिस्तीन का विभाजन नहीं होना चाहिए, इसे एक अखण्ड देश ही रहना चाहिए जिसमें यहूदी और अरब एक साथ मिल कर रहें, और लोकतान्त्रिक सिद्धांतों के आधार पर राज व्यवस्था चलायें। जब इस पर मतदान का समय आया तो युगोस्लाविया ने हमें धोखा दे दिया। लेकिन हममें अपने विचारों पर डटे रहने का साहस था। इस मुद्दे पर हम अकेले ही डटे रहे। हम अकेले इस कारण डटे रहे क्योंकि हमें उस समय यह विश्वास था कि यदि साम्राज्यवाद को वही गलती या अपराध पश्चिम एशिया में दुबारा करने दिया जाए, जैसाकि यहां भारत में किया गया था, अर्थात पश्चिमी साम्राज्यवाद को फिलिस्तीन के विभाजन द्वारा भारत के विभाजन जैसी स्थिति दी जाए तो यह भारत के लिए, एशिया के लिए या विश्व के लिए अच्छा नहीं होगा। तब हमारी बातों पर विश्व ने ध्यान नहीं दिया था। अब यह मारी बातों पर ध्यान दे रहा है। यदि पश्चिम एशियाई शांति सम्मेलन किसी संतोषजनक समाधान पर पहुंचने वाला है तो वह समाधान हमारे उस विचार पर आधारित होगा जो हमने 1947 में कहा था अर्थात अरब के लोगों और यहूदियों के लिए समन्वित एवं एकीकृत राज्य इजराइल।

उस समय जब हमारा सैनिक, राजनैतिक एवं आर्थिक दृष्टिकोणों से कोई महत्व नहीं था तो कोरिया के मुद्दे पर हमने एक दृष्टिकोण अपनाया था जो 1950 में इतना अलोकप्रिय हुआ कि उसे दोनों ही पक्षों ने अस्वीकार कर दिया था। फिर 1953 तक वही दृष्टिकोण दोनों पक्षों के लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया कि आर्थिक रूप से निर्भर सैनिक शक्ति के तौर पर अशक्त और राजनैतिक रूप से अक्षम भारत को 'न्यूट्रल नेशन्स रिपाट्रिएशन कमीशन' का अध्यक्ष बनाया गया, जो कोरिया में युद्ध समाप्त करने के लिए आवश्यक था।

1954 में भारत-चीन में शान्ति के लिये आयोजित जेनेवा सम्मेलन में हमें नहीं बुलाया गया। फिर भी श्री कृष्ण मेनन ने आमन्त्रित नहीं किए जाने के बावजूद भी वहीं जाकर अपना मखौल उड़वाया था फिर भी जेनेवा सम्मेलन, 1954 के इतिहास को जिस किसी ने लिखा हो उसने यह स्वीकार किया कि भारत, जिसे उस सम्मेलन में भाग लेने के लिये बुलाया भी नहीं गया था—जिस तरह आज भारत को मध्य पूर्व शान्ति सम्मेलन में भाग लेने के लिये नहीं बुलाया गया है—उस समय भारत ने भारत-चीन में शान्ति स्थापित करने में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि किसी अन्य देश को नहीं बल्कि केवल भारत को उस आयोग का अध्यक्ष बनने के लिये कहा गया जो लाओस, कम्बोडिया और वियतनाम में शान्ति बनाए रखने और उसकी निगरनी रखने के लिए गठित किया गया था।

महोदय, विश्व में हमारा महत्व इसलिए है क्योंकि हम अपने दृष्टि कोण पर दृढ़ रहते हैं। यहां मैं श्री जसवंत सिंह द्वारा व्यक्त किए गए विचार से सहमत हूं। हम अपनी सफलता अथवा लोकप्रियता का आकलन इस इरादे से नहीं करते कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में हमें कितनी प्रशंसा मिली है। हमारा महत्व इसलिए है क्योंकि हमारे में इतना साहस था कि हम अपने विचार पर दृढ़ता पूर्वक अडिग रहें और हमारे में इतनी क्षमता थी कि शुरू से भिन्न विचार रखने वालों को अपने दृष्टि कोण से सहमत करा लेते थे। इसका एक मात्र कारण यह था कि भारत विश्व को यह समझाने में सफल रहा कि एक तीसरा विकल्प भी है कि पचास के दशक के लगभग अन्त में अफ्रीका में स्वतंत्रता की लहर

आने के परिणाम स्वरूप नए देश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उपनिवेशवाद के शिकंजे से मुक्त हुए देशों के लिये एक मात्र विदेश नीति वही हो सकती जिसे सर्व प्रथम भारत ने बनाया था।

हमारी वर्तमान पीढ़ी वास्तव में ऐतिहासिक -मूल की अभ्यस्त हो गई है। 1965 से 1991 के बीच गुटनिरपेक्ष आन्दोलन में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के करीब दो तिहाई देश शामिल हो गए हैं। हम बहुमत में आने से पहले भी गुटनिरपेक्ष थे तथा बहुमत में आने पर भी हम गुटनिरपेक्ष हैं। यदि हम शीत युद्ध पूर्व विश्व में अपना स्थान बनाए रखना चाहते हैं तो आने वाले समय में हमें गुटनिरपेक्ष बने रहना होगा। यदि भारतीय विदेश नीति विश्व में शक्ति संतुलन को मद्देनजर रखते हुए उसके अनुरूप बनानी है तो इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा क्योंकि विश्व भारत को उतना महत्व नहीं देता है। हम यहां दाद देने के लिये मुशायरे में नहीं बैठे हैं। भारत विश्व मानवता के छठे भाग का प्रतिनिधित्व करता है। विश्व इतिहास में भारत उस प्राचीनतम संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है जिसने विश्व के सामने एकता में अनेकता की युक्ति संगतता को प्रदर्शित किया है। भारत उन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी अनुपस्थिति में पूरी प्रजाति और पूरा उपग्रह क्षण भर में लुप्त हो जाएगा क्योंकि परमाणु युग का उदय हो रहा है। यदि हमें अपना अस्तित्व बनाए रखना है – जब मैं 'हम' कहता हूं तो हमारा तात्पर्य पूरे विश्व से है—यदि विश्व परमाणु युग में अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहता है। तो यह अपना अस्तित्व तभी बनाए रख सकेगा जब यह हमारी उस नीति पर, जिसके अनुसार हम अपने अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचालन करते हैं जो कि भारतीय नीति वसुधैव कुटुम्बकम की नीति है, भारतीय अहिंसा की नीति, दया की नीति, सहिष्णुता और भारत की एकता में 'अनेकता की नीति' का अनुसरण करेगा। यदि विश्व हम से यह पाठ नहीं पढ़ता है तो परमाणु युग में अपना अस्तित्व बनाए रखने में यह अक्षम होगा और मैं यह बीसवीं शताब्दी के अन्त को मद्देनजर रखते हुए कह रहा हूं क्योंकि यह शताब्दी मानवीय इतिहास की अत्यंत रक्त रंजित शताब्दी है। पश्चिमी सभ्यता ने इस शताब्दी में मेरे जन्म के पश्चात् पहला उपहार एडोल्फ हिटलर जैसे व्यक्ति को दिया जिसकी प्रशंसा लाखों लोग करते थे। यह एक ऐसी सभ्यता थी जिसमें लोगों ने अपने आंतरिक मतभेदों को इस तरह साधा जिसके कारण 50 मिलियन, दिल्ली की आबादी के दस गुना के बराबर, लोगों की जानें गईं। यह एक ऐसी सभ्यता थी जो घमंड के साथ, बिना शर्म के, यह कहती थी कि ब्रिटिश साम्राज्य में सूर्यास्त कभी नहीं होता। यह एक ऐसी सभ्यता है जिसने अपना आर्थिक विकास पश्चिम अफ्रीकी देश के लोगों का शोषण करके किया है। पश्चिम अफ्रीका के समुद्री तट से लोगों को गुलाम के रूप में चुरा कर उत्तरी अमरीका के महाद्वीपों में कारखाने चला रहे हैं और खेतों में काम करवा रहे हैं। यह ऐसी सभ्यता है जिसमें 'रेड इंडियन्स' की अटलांटिक के तट से प्रशांत महा सागर के तट के जमीन को हड़प कर लिया गया है और इसे ईश्वर के नाम पर उचित ठहराया है। क्या हम अपना नेतृत्व इस सभ्यता में उसे सौंप रहे हैं जिसके कारण अत्यधिक रक्तपात हुआ जिसके हाथों अत्यधिक कष्ट और खौफ मिला जितना विश्व की किसी अन्य सभ्यता में नहीं हुआ। यह प्रश्न हमारे सामने है। हमें अपनी विदेश नीति को विस्तृत उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में तैयार करना होगा न कि मात्र संयुक्त विज्ञप्ति में अपने विचारों को कुछ पैरा में उल्लेख करके। यह इन बड़े उद्देश्यों तथा योगदानों के लिये है जो भारत को विश्व के लिये करना और उसके अनुरूप हमें अपनी विदेश नीति तैयार करनी होगी।

एक विचार जो सबसे हम लोगों ने सामने रखा था 'नई विश्व व्यवस्था' जिसे पश्चिमी सभ्यता ने हथिया लिया। इन तीन शब्दों का अर्थ अब यह हो गया है कि एक ऐसी विश्व व्यवस्था जिसमें एक विशेष राजनैतिक शक्ति अपने फायदे और अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए नियम बनाएगी।

[श्री मणि शंकर अय्यर]

पुन: मैं श्री जसवन्त सिंह के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने ऐसे कई उदाहरणों की ओर ध्यान आकृष्ट किया। सबसे गलत बात यह होगी कि वीटो (विशेषाधिकार) के बिना हम सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्यता प्राप्त करें। ऐसा करके हम एक ऐसी विश्व व्यवस्था का साथ देंगे जो मौलिक रूप से अन्यायपूर्ण, अलोकतांत्रिक एवं अन्यायपूर्ण है। यह उसी तरह की बात होगी जैसे कि राजशाही के दौरान महाराजा, नवाब या निजाम इस बात पर सहमत हो जाते थे कि वह उनके सहयोगी बन जाएंगे यदि उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाए। महोदय, हमारे देश को 21 तोपों की सलामी की आवश्यकता नहीं है। हमारा उससे भी कहीं बड़ा है। हम नहीं चाहते कि अन्याय को जारी रखने में उनका साथ दें। यदि वास्तव में सुरक्षा परिषद की हमें कोई आवश्यकता है तो हमारा यह कहना है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन सुरक्षा परिषद में हम दो स्तरीय सदस्यता नहीं चाहेंगे—एक तो वे पांच विजयी राष्ट्र होंगे जो आधी शताब्दी पूर्व द्वितीय विश्व युद्ध में विजयी रहे थे और दूसरे, हम जैसे राष्ट्र होंगे जो चांसलरी से निवेदन करते हैं कि वह हमें सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में प्रवेश करने दें और उसके लिए हम अपना मुंह बन्द रखेंगे यहां तक कि यदि 'वीटो' का अधिकार न भी दें तो भी हम चुप रहेंगे। मेरे विचार में उस विशेष स्थिति में यह बहुत जरूरी है कि हम अपने मामलों और विश्व के मामलों में अपनी एक नई पहचान बनाएं।

'गुट निरपेक्ष' शब्द 'एक नामकरण' है। यह नामकरण उस विश्व के लिए उपयुक्त था जिसमें दो गुटों के अस्तित्व का बुनियादी तन्त्र निहित था। हम दो गुटों में से किसी भी एक के साथ हम नहीं जुड़ना चाहते। सम्भव है कि घटनाओं के तेजी से घटित होने के कारण यह नाम अर्थहीन हो गया हो, लेकिन हमारे विचार से उसके उद्देश्य अर्थहीन नहीं हुए हैं। उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पंडित जवाहर लाल नेहरू ने मार्च, 1947 में नई दिल्ली में एशियन रिलेशंस कांफ्रेंस का आयोजन किया था जो विदेश नीति के क्षेत्र में पहला महान् कदम था, उस पर ध्यान देना होगा। महोदय, विगत एक वर्ष में भारत के लिए एक मात्र महत्वपूर्ण घटना शीत युद्ध की समाप्ति, निरस्त्रीकरण की शुरूआत और सोवियत संघ का टूटना और विघटित होना ही नहीं है। हमारे लिए विश्व के इस क्षेत्र में एक मात्र सच्चाई यह है कि एशियाई शक्ति के पुन: उदय होने की सम्भावना है। विश्व के मामलों में एशियाई पहचान बनेगी जो कि मार्च, 1947 में हमारा प्रारम्भिक उद्देश्य था, लेकिन उसके बाद कई कारणों से उस पर कार्य नहीं किया जा सका।

अब इस समय मध्य एशिया में ऐसे अनेक देश हैं जो स्वतन्त्र हो गए हैं और जो स्वतन्त्र रूप से व्यवहार कर रहे हैं और हमें उनके साथ निश्चित रूप से अपने सदियों पुराने सम्बन्ध पुन: कायम करने चाहिए। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि हमें ईसाई जगत की उन ईसाई ताकतों के परिप्रेक्ष्य में इन मध्य एशियाई गणतन्त्र राज्यों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए जो सर्वदा इनको केवल इस्लामी ताकत बताते हैं।

महोदय, अपने इतिहास को देखने से पता चलता है कि हमारे सम्बन्ध लंदन, न्यूयार्क और पेरिस की अपेक्षा फरघना, बोखारा और समरकंद से अधिक पुराने हैं। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि हमारे प्रति इतने स्पष्ट रूप से सद्भावना प्रदर्शित करने वाले इन नये मध्य एशियाई गणतन्त्रों की सद्भावना को हम समझें ताकि हम उनके साथ राजनैतिक, आर्थिक और सैनिक दृष्टि से अत्यन्त मजबूत सम्बन्ध बना सकें।

इसी प्रकार से पिछले पचास वर्षों में हमें कभी भी ऐसे अवसर नहीं मिले जो कि इस समय हमें पूर्वी एशिया में मिले हैं। एक और भी आर्थिक रूप से अत्यन्त ताकतवर देश जापान है, वह भी हमारे साथ सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है।

चीन के साथ हमारे मतभेद अब समाप्त हो रहे हैं और इसके लिए मैं दिसम्बर, 1988 में श्री राजीव गांधी द्वारा की गई पहल का धन्यवाद करता हूं।

दक्षिण-पूर्व एशिया में हम एक मध्यमवर्गीय अर्थव्यवस्था देख रहे हैं जो भौगोलिक रूप से बहुत कुछ हमारी जैसी ही है और जहां पर काफी बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं और जिनके साथ हमारे गहरे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनैतिक संबंध रहे हैं।

पश्चिम एशिया में हमने देखा कि सऊदी अरब सहित समस्त खाड़ी क्षेत्र में अभी हाल ही में ऐसा धन स्रोत मिला है जो इससे पूर्व नहीं था। इजरायल के साथ भी शांति प्रक्रिया चल रही है। इजरायल के संबंध में हमारा उद्देश्य इजरायल को एक एशियाई देश बनाना होना चाहिए। जिस दिन इजरायल एशिया में पश्चिम साम्राज्यवाद की चौकी मे नहीं रहेगा, उस दिन हम इसे पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेंगे। परन्तु यदि 'मध्य-पूर्वी शान्ति वार्ता' सम्मेलन में हमें केवल अपने लिए एक स्थान बनाने की प्रक्रिया में ही हमें यदि स्वयं को किसी दूसरी ताकत का केवल अधीनस्थ बनना है, यदि हमें अपनी जुबान को भी ताला लगाना है और अब तक हम जो कुछ भी कहते रहे हैं यदि अब उससे अलग बोलना है, तब कोई भी हमारी बात की ओर ध्यान नहीं देगा। क्योंकि यदि एक बार हम उनकी प्रशंसा करना शुरू कर देंगे तब अगली बार वे पूछेंगे कि इस बार आप और भी जोर-शोर से हमारी प्रशंसा क्यों नहीं कर रहे हैं।

अतः राष्ट्रपति के अभिभाषण में इजरायल के साथ व्यापक और बहुमुखी सम्बन्ध बनाने के उद्देश्य का जो उल्लेख किया गया है उसके विपरीत मेरा सुझाव है कि हम ऐसा नहीं करना चाहिए और हमें अपना ध्यान इजरायल के उन सर्वाधिक वंचित नागरिकों की तरफ देना चाहिए जो अरब मूल के नागरिक हैं। यदि भारत इजरायल के साथ सम्बन्ध स्थापित करने का विचार बना रहा है तो मुझे भरोसा है कि इसके पीछे भारत का उद्देश्य इजरायल के उन अरब नागरिकों का भारत में वह अवसर प्रदान करना होगा जो उन्हें इजरायल में नहीं दिए जा रहे हैं। मैं यह भी सुझाव दूंगा कि हमें उन क्षेत्रों के साथ अपने सम्बन्ध नहीं बढ़ाने चाहिए जहां पर कि हमारे लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं है। हम बिना इजरायल जाये ड्रिप सिंचाई का तकनीक सीख सकते हैं और बिना इजरायल जाय हुए हम स्वयं अपनी रक्षा कर सकते हैं। हमें अब और अधिक अपने देश की मर्यादा पर धब्बा नहीं लगाना चाहिए। इस समय इस विशिष्ट स्थिति में इजरायल के साथ पूर्ण राजनयिक सम्बन्धों की पुनरस्थापना के पीछे कोई तर्क अवश्य हो सकता है। परन्तु इस पश्चिम एशियाई शान्ति प्रक्रिया से सम्बद्ध किया जाना चाहिए। इसका सम्बन्ध अरब मूल के इजरायली नागरिकों को न्याय प्रदान करने से होना चाहिए। हमें किसी भी रूप में अमरीकी साम्राज्यवाद का अनुकरण नहीं करना चाहिए। इसलिए यदि तेल अवीव में जाने के लिए किसी राजदूत की नियुक्ति करने में विदेश मंत्रालय को कोई दिक्कत हो रही है तो मेरा सुझाव है कि न्यूयार्क में स्थित भारतीय महावाणिज्य दूत का इजरायल के लिए भी प्रत्यायित किया जा सकता है क्योंकि इजरायल में अधिकतर कार्यों का संचालन अमरीका द्वारा किया जाता है। यदि विदेश मंत्रालय किसी ऐसे वरिष्ठ भारतीय विदेश सेवा अधिकारी को, जो भारतीय विदेश सेवा में नियुक्त मेरे किसी भी भूतपूर्व सहयोगी की तुलना में मध्य-पूर्व को बेहतर रूप से जानता है केवल इस आधार पर नियुक्त करने से हिचकिचा रहा है कि वह मुसलमान है। तो मैं इसे

[श्री अनि शंकर अय्यर]

एक शर्मनाक बात कहूंगा। यदि उस अधिकारी को तेल अवीब नहीं भेजा जाता क्योंकि हमारे पास उससे बेहतर अधिकारी हैं, तो ठीक है। परन्तु यदि हम इस आधार पर यह कदम न उठाएं कि संभवत: इसको ठीक न समझें कि भारतीय मुसलमान को भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए तेल अवीब भेजा गया है तब मैं उसे एक शर्मनाक कृत्य कहूंगा।

महोदय, मैं इस बात को मानता हूं कि आपने मेरी बात काफी गौरपूर्वक सुनी है और मुझे जितना समय मिलना चाहिए था, उससे भी अधिक समय आपने मुझे दिया है। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी देर और मेरी बात सुनें। इसी सदन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 4 दिसम्बर, 1947 को एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि वे कौन-से कारण थे जिनके फलस्वरूप हमें फिलिस्तीनी मुद्दे पर अप्रिय अल्पसंख्यक सम्बन्धी निर्णय लेने पड़े थे। इस निम्नलिखित परिच्छेद में मैं उनके भाषण के वे अंश उद्धृत करता हूं :—

> "मैं सभा को उदाहरण के तौर पर (फिलिस्तीनी मुद्दे पर हमारा दृष्टिकोण) स्पष्ट करना चाहता हूं कि काफी कठिनाई के बावजूद और दोनों पक्षों के कई अपने मित्रों द्वारा यह बताये जाने के बावजूद भी कि हम यह निर्णय करें अथवा वह निर्णय करें। हमने ऐसा करने से इन्कार किया और नि:संदेह मैंने सही निर्णय लिया था और अभी भी मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हम इसका सर्वोत्तम समाधान खोज लेते।
>
> कई और बातों पर भी यह लागू होता है। परन्तु इसका अभिप्राय यह अवश्य है कि कुछ हद तक हमें संयुक्त राष्ट्र में और इस प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपना अलग स्थान बनाना है। फिर भी, हमारे लिए एक यही सम्मानजनक और सही स्थिति है और मुझे पूरा विश्वास है कि उस स्थिति को अपनाकर हम आखिरकार राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेंगे अर्थात् जब हम स्थिति को व्यापक परिपेक्ष्य में देखेंगे न कि संकुचित लाभ के लिए यहां पर अथवा वहां पर वोट प्राप्त करने के लिए परिपेक्ष्य में देखेंगे।"

हमारी वर्तमान विदेश नीति के बारे में पंडित जवाहर लाल नेहरू के विचारों की प्रशंसा करते हुए कि हमें कोई जल्दी निर्णय लेने की अपेक्षा स्थिति पर अच्छी तरह सोच-समझकर निर्णय करना चाहिए, इससे यह सुझाव इंगित होता है कि अभी हाल ही में आये परिवर्तनों से हमें भयभीत नहीं होना चाहिए बल्कि इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि वर्तमान सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति और राजनैतिक शक्ति के साथ हमें यह समझना चाहिए कि गुट-निरपेक्षता की नीति के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1947 में पंडित जी की जो स्थिति थी उससे आज हम कहीं काफी अधिक बेहतर स्थिति में हैं।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह स्वर्गीय श्री राजीव गांधी द्वारा संयुक्त राष्ट्र के विशेष सत्र में निरस्त्रीकरण पर प्रस्तुत की गई कार्य योजना को अपनी विदेश नीति को केन्द्रीय लक्ष्य समझा जाये, क्योंकि वह कार्य योजनाओं तीन भागों में विभाजित थी और उसके पहले भाग में उल्लेख किया गया था कि निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। दूसरे भाग में बताया गया था कि 2010 तक निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया को अन्तिम चरण तक पहुंचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तीसरा भाग में जो इस योजना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है, बताया गया है कि हम किस प्रकार से एक ऐसी विश्व व्यवस्था कायम कर सकते हैं जिसके अन्तर्गत अणु अस्त्रों के बिना किस प्रकार से विश्व का अस्तित्व कायम रह सकता है। मैं इस विषय पर विस्तार में नहीं कहूंगा परन्तु मुझे

ऐसा लगता है कि एक ही दस्तावेज में वह सब कुछ जो हम विश्व के लिए, अपने लिए और अपने क्षेत्र के लिए प्राप्त करना चाहते हैं उस सब के बारे में इस अत्यधिक सावधानी पूर्वक विचार किये गये दस्तावेज में बता दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र की पिछली आम बैठक में इस बारे में महा सभा की सम्पूर्ण कार्यवाही के दौरान भारतीय शिष्टमंडल द्वारा केवल एक बार जिक्र किया गया था।

इस समय मुझे विश्वास है कि सुरक्षा परिषद शिखर-सम्मेलन में श्री पी० वी० नरसिंह राव द्वारा इसे केन्द्र बिन्दु के रूप में लाने के पश्चात् स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की कार्य योजना एक बार पुन: हमारी विदेश नीति का केन्द्र बिन्दु बन जायेगी और चाहे हमें विश्व में सभी का समर्थन मिले अथवा नहीं, हममें कम-से-कम साहस, नैतिक साहस और आत्म-विश्वास होगा कि हम जिस बात में विश्वास करते हैं, उसके पक्ष में खड़े हो सकते है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : श्री मणि शंकर अय्यर की उनके इस अत्यन्त रचनात्मक भाषण के लिए प्रशंसा की जानी चाहिए। अपने भाषण की शुरुआत ही उन्होंने इन शब्दों से की थी कि वह सरकार अथवा मंत्रालय के नौकरशाहों की बन्दिशों से भयभीत हुए बिना बोलेंगे। उन्होंने काफी अच्छी तरह से इसे सिद्ध भी कर दिया है।

इस चर्चा से यह बात स्पष्ट हो रही है कि विदेश नीति रूपी जहाज के नोबन्ध टूट चुके हैं। यह एक ऐसे जहाज के समान है जो गहरे समुद्र में कम्पास के बिना, बिना किसी पतवार के इधर-उधर तैर रहा है और यह परिवर्तन मुख्य रूप से पिछले वर्ष से हुआ है। विश्व में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है। परन्तु जैसा कि श्री मणि शंकर अय्यर जी ने कहा है कि इन परिवर्तनों से यह अनिवार्य नहीं हो जाता कि हमारे देश में भी ऐसे परिवर्तन किये जायें जो कि अतीत के साथ हमारे सम्बन्धों को पूरी तरह से तोड़ दें।

मेरे विचार से गुट-निरपेक्षता से तात्पर्य दो महाशक्तियों के बीच गुट-निरपेक्षता के पुराने स्थिर अर्थ में मानना तर्कसंगत नहीं है। परन्तु क्या इसका अभिप्राय यह है कि हमारी गुट-निरपेक्ष चेतना भी मर चुकी है ? हमारे पास अन्त: विवेक है, हमारा अपना दर्शन है।

हमने इन वर्षों में अपने निश्चित सिद्धान्तों का पालन किया है और उद्देश्यों को पूरा किया है। मेरा कहना है कि आज की परिस्थितियों में प्रमुख और उत्तरदायी क्षेत्रीय शक्ति के रूप में हमारा यह कर्तव्य है कि सभी अनुचित समाधानों का विरोध किया जाए जो उत्तर द्वारा शेष विश्व पर लादे जा रहे हैं। हमारा यह कर्त्तव्य गुट-निरपेक्ष नीति के भी अनुरूप है जिस पर हम इतने वर्षों से चलते आ रहे हैं।

मैं समझता हूं कि हमारे आर्थिक और वित्तीय दिवालियेपन के कारण हमें अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से सहायता लेना आवश्यक नहीं है क्योंकि हमें विश्व बैंक अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की शर्तें स्वीकार करनी पड़ती हैं जिनके कारण वित्त मन्त्री, जो एक समय राष्ट्रपति जूलियस नाइरेरे की अध्यक्षता में दक्षिण-दक्षिण आयोग के विशिष्ट सचिव थे, ने यह नई आर्थिक, औद्योगिक और वित्तीय नीतियां प्रस्तुत की है। वास्तव में यह एक विडंबना है। डा० मनमोहन सिंह ने दक्षिण-दक्षिण आयोग के सचिव के रूप में विकासशील देशों और उत्तर के विकसित देशों के बीच समानता तथा विश्व अर्थव्यवस्था, जिस पर कुछ अमीर राष्ट्रों का आधिपत्य है, को कुछ खतरों के बारे में जो लिखा था उसे आप पढ़िए। यदि आपको याद हो तो उन्होंने दक्षिण-दक्षिण देशों को इकट्ठा होने के लिए कहा था और लिखा था, कि वे एक दूसरे पर और अपनी संगठित शक्ति पर निर्भर करें। और आज मुझे हैरानी

(श्री इन्द्रजीत गुप्त)

हो रही है कि वही व्यक्ति उन विचारों से बिल्कुल विपरीत विचार रख रहा है जो उन्होंने दक्षिण-दक्षिण आयोग के सचिव के रूप में रखे थे। लेकिन इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। व्यक्ति में ऐसे बदलाव आते रहते हैं।

जैसा कि अनेक मित्रों ने पहले ही कहा है कि यदि आर्थिक, वित्तीय अथवा उद्योग के क्षेत्र में आप दबाव नहीं चाहते हैं तब यह राजनीतिक क्षेत्र, विदेश और रक्षा नीति पर भी नहीं होने चाहिए कि हम अपनी नीति बदलें। क्या विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष ने यह शर्त रखी है कि "यदि आप हमसे ऋण लेते हैं तब आप संयुक्त राज्य अमरीका के साथ दीर्घावधि सामरिक रक्षा सहयोग करें ?" क्या यह बात उन्होंने कही है ?

मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसा कैसे हुआ ? किसने इस मामले में पहले प्रयास किए ? इस रिपोर्ट के पृष्ठ 7 में यह कहा गया है "भारत-संयुक्त राज्य अमरीका के बीच संबंधों का नया अध्याय रक्षा संबंधी सहयोग करने का था।" लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया कि पहल किसने की। क्या भारत सरकार ने पहल की अथवा संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने हमें यह बात जाननी चाहिए।

> "अगस्त, 1991 में हमारे थल सेनाध्यक्ष की संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा और कमांडिंग जनरल तथा संयुक्त राज्य अमरीका ने प्रशांत कमांड के कमांडर-इन-चीफ की भारत यात्रा उल्लेखनीय है।"

मंत्रालय की इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा गया है। ये सब निश्चित रूप से उल्लेखनीय है। लेकिन बात यह है कि इसके क्या प्रभाव पड़े ? इससे आगे क्या होगा ? इतने वर्षों तक हमारे गहरे संबंध रहे थे। रक्षा के क्षेत्र मे हमारा सोवियत संघ के साथ सहयोग रहा था। हर व्यक्ति इस बात को जानता है। हमारे रक्षा बलों के 80% अथवा अधिक उपस्कर सोवियत संघ से लिए गए हैं।

लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, हमारी थल सेना अथवा वायु सेना ने सोवियत संघ के सैनिकों के साथ कभी संयुक्त अभ्यास नहीं किया यह परिवर्तन करने का क्या कारण है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रस्तावित संयुक्त नौसेना अभ्यासों का क्या अभिप्राय है, इससे भारत को किस प्रकार लाभ होगा; यह किसके विरुद्ध किया जा रहा है, क्या हम एक ही शत्रु के विरुद्ध संयुक्त राज्य अमरीका के साथ मिलकर नीति बना रहे है; किससे सुरक्षा के लिए हम यह संयुक्त सैनिक अभ्यास कर रहे है ? मे नहीं जानता कि गुट-निरपेक्ष राष्ट्र तथा तृतीय विश्व के विकासशील राष्ट्र इस बारे मे क्या सोचेंगे क्योंकि वह भारत को शांति, निशस्त्रीकरण तथा गुट-निरपेक्षता के मामलों में अपना नेता मानते है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ? इसका क्या उद्देश्य है जब तक कि कोई हम पर इतना दबाव न डाले कि हम 'न' नहीं कह सकें ?

क्या यह आवश्यक है कि जब हम विश्व बैंक अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष से ऋण की मांग करें, तो हम क्यूबा को अमरीका द्वारा आर्थिक नाकेबंदी का समर्थन करें ? क्यूबा ने किसी का क्या बिगाड़ा है ? क्यूबा और भारत गुट-निरपेक्ष आंदोलन मे वर्षों तक घनिष्ठ मित्र रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि श्री फिडेल कास्ट्रो गुट-निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष थे और जब उनका कार्य-

काल समाप्त हो गया तब उन्होंने ही तत्कालीन प्रधान मन्त्री,श्रीमती इंदिरा गांधी को इसकी अध्यक्षता सौंपी थी । हमने वर्षों तक साथ-साथ काम किया है। क्यूबा ने कभी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। क्या इसने हमें कभी नुकसान पहुंचाया है ? विदेश मंत्रालय इस बात का उत्तर दे।

अब उनके विदेश मन्त्री, श्री मालमीरेका चावल अथवा गेहूं देने का विनम्र अनुरोध लेकर दिल्ली आए थे। सोवियत संघ के विघटन के बाद उनकी स्थिति बहुत नाजुक है। वहां आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं हैं। लोग भुखमरी का शिकार हैं। वहां खाद्य पदार्थ, दूध और दवाइयां नहीं हैं। वे हमसे यह वस्तुएं दान में नहीं मांग रहे थे। बल्कि वे उधार पर और विलंबित भुगतान पर मांग रहे थे। उन्होंने एक लाख टन चावल की मांग की थी। मुझे यह बताया गया कि हमारी सरकार ने उनसे कहा कि हमारे पास पर्याप्त स्टाक उपलब्ध नहीं है और हम दस हजार टन चावल देने का प्रयास करेंगे तथा बाद में यदि संभव हुआ तो और दस हजार टन चावल दे देंगे। गेहूं के लिए तो हम कह सकते हैं कि हम वह नहीं दे सकते हैं क्योंकि वह हमारे पास उपलब्ध नहीं है। अत: श्री मालमीरेका, जो क्यूबा सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं, दस दिन तक दिल्ली में उस दस हजार टन चावल लेने की प्रतिक्षा करते रहे। महोदय, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उनके प्रवास के अन्त में उन्हें यह कहा गया कि कुछ भी नहीं किया जा सकता है। क्यों ? इसका कोई उत्तर नहीं था। सरकार ने कहा "हमें खेद है, इस पर और चर्चा नहीं की जा सकती है।" क्या यह बात सही नहीं है कि जिस शक्ति ने पिछले तीस वर्षों से क्यूबा की आर्थिक नाकेबन्दी की हुई है उसने हम पर भी दबाव डाला ? हम उसके सामने झुक क्यों गए ? हमने ऐसा क्यों किया ? यदि हम क्यूबा को चावल दे देते तो क्या हो जाता ? क्या संयुक्त राज्य अमरीका की नौसेना भारत पर आक्रमण कर देती अथवा क्या वे सुश्री कार्ला हिल्स को हम पर आर्थिक नाकेबन्दी करने की धमकी देने के लिए भेज देते ? मेरा कहना है कि इन कार्यवाहियों के भयानक दुष्परिणाम होंगे। आप जानबूझकर अपने मित्रों को अपने से दूर कर रहे हैं।

हमने इजरायल को पूर्ण राजनयिक मान्यता देने का निर्णय लिया है। ठीक है, लेकिन हमारे उस मत का क्या हुआ जो हमने वर्षों से बनाया हुआ था कि वे अधिकृत अरब भूमि को छोड़ दें ? संयुक्त राष्ट्र संघ का भी यही निर्णय है। अरब भूमि का गोल्डन हाइट्स तथा माजा पट्टी, जिस पर उन्होंने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, उसे छोड़ दें। क्या हमने उन्हें मान्यता देने के लिए इसे एक शर्त के रूप में उनके सामने रखा है। इस बात को बताने के लिए रिकार्ड में ऐसा कुछ नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि यहूदीवाद का क्या अर्थ है ? हम जानते हैं कि उन्होंने अधिकृत क्षेत्रों में बंधक अरब लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया। हम संयुक्त राष्ट्र संघ के यहूदीवाद से संबंधित पुराने संकल्प को रद्द करने के लिए तैयार है। लेकिन अब हमने यह निर्णय क्यों लिया जबकि हमने अधिकृत अरब भूमि को छोड़ने के मुद्दे पर दृढ़ स्थिति नहीं अपनाई ? मैं जानना चाहता हूं कि हमारे अरब मित्रों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। मैं जानता हूं कि दिल्ली के कुछ लोग यह प्रचार कर रहे हैं। कि इसका क्या उपयोग है क्योंकि इन अरब लोगों ने हमें कभी कुछ नहीं दिया। अरबों के साथ हमारी मित्रता का क्या उपयोग है ? हमें उनसे क्या मिला ? हमें कुछ नहीं मिला। अत: इसमें क्या नुकसान है यदि अमरीका इजरायल को पूर्ण राजनयिक मान्यता देने के हमारे निर्णय के प्रति इतना उत्सुक है; इसमें क्या गलत है ? कुछ सर्किलों में यहां-वहां मैंने ऐसी ही बात सुनी है। मैं जानना चाहता हूं कि हम क्या करने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि इस बारे में हमें किसी ने कुछ नहीं बताया। आज सुबह जो कुछ इस सभा में हुआ, वह आपने सुना है। इस सभा के सभी पक्ष यह शिकायत कर रहे थे कि इस बारे में सभा को अंधेरे में रखा गया। सरकार ने हमें यह नहीं बताया कि वह क्या कर रही है और क्यों कर रही है ? अत: हम

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

पर यह आरोप नहीं लगाना चाहिए कि हम अर्थहीन बात कर रहे हैं अथवा प्रासंगिक विचार प्रकट कर रहे हैं।

ये सब हो रहा है मैं जानता हूं कि जब हाल ही में श्री यासर अराफात भारत आए थे तो वह आशावान थे। हमने उनके साथ कुछ बात की थी; वे विभिन्न दलों के नेताओं से मिले थे। वे इस संबंध में आशावान थे कि यदि भारत इजराइल को पूरी तरह से राजनयिक मान्यता देता है तो वह भारत का मध्य-पूर्व सहयोग, मध्य-पूर्व शांति प्रक्रिया में शामिल होने का साधन बनेगा और उसके अनुसार अरब लोग इस सबके काफी इच्छुक थे। अरब राष्ट्र चाहते थे कि भारत मध्य-पूर्व शान्ति प्रक्रिया में भाग ले। शायद उन्होंने ऐसा सोचा था कि और अब लगता है कि गलत ही सोचा था क्योंकि यदि भारत इजराइल को इस वजह से मान्यता दे दे कि इस आधार पर इजराइल मध्य-पूर्व सम्मेलन में भारत के प्रवेश में बाधा पैदा कर रहा है तो हम पर भी बुरा प्रभाव डाल सकता है। लेकिन अब क्या हुआ है? हम मध्य-पूर्व सम्मेलन के नजदीक हैं। खैर मैं नहीं जानता कि क्या होने जा रहा है। यह महाशक्ति जिसका श्री वाजपेयी जी ने वर्णन किया है वह महाशक्ति के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध चाहे वह दक्षिणपंथी हो या वामपंथी हो प्रतिबन्ध लगायेगी। इराक के विरुद्ध लगाये गए प्रतिबन्ध शुरू में काफी न्यायोचित लगे थे क्योंकि इराक ने कुवैत के विरुद्ध लड़ाई छेड़ी थी। बाद में ये प्रतिबन्ध जारी रहे और इससे उस देश में गरीबों, बच्चों, औरतों और गैर-सैनिक लोगों को परेशानी हुई जिन्हें भोजन, दूध, दवाईयां आदि तक नहीं मिल पा रही हैं।

फिर क्यूबा के विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाये जिनके बारे में मैंने कहा है, लीबिया के विरुद्ध भी प्रतिबन्ध लगाए गए। 'टाईम' पत्रिका को प्रत्येक व्यक्ति जानता है, इस पत्रिका ने स्वयं अनुसंधान करके एक लेख छापा है जिसमें कहा गया है कि वे दो व्यक्ति जिनकी अमरीकियों ने मांग की है उन्हें उनको सौंप दिया जाना चाहिए क्योंकि वे लाकरबी में उस हवाई जहाज को बम से उड़ाने के जिम्मेदार हैं। टाईम पत्रिका का कहना है कि यह काल्पनिक कहानी है। केवल इन दो व्यक्तियों ने ही नहीं बल्कि इनके अलावा किसी और ने ही लाकरबी में हवाई जहाज उड़ाने का कार्य किया। मैं नहीं जानता कि किस पर विश्वास किया जाय। लेकिन वे मांग कर रहे हैं कि इन लोगों को उन्हें सौंप दिया जाय, उन्हें किसी अन्य व्यक्ति को सौंपा जा सकता है, अरब लीग को या किसी निरपेक्ष देश या किसी व्यक्ति को सौंपा जा सकता है।

अब रूसी संघ के विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाने का खतरा भी बना हुआ है और इस मामले का हमसे निकटतम संबंध है और यह मामला रॉकेट प्रतियोगिकी के अन्तरण के प्रश्न से सम्बद्ध है। यह महाशक्ति जो कि पूरी तरह से प्रतिबन्ध लगाने का भय पैदा कर इसकी सहायता से कार्य करना चाहती है और यही यह भी देखिए कि हम किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, कैसे आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तलवे चाट रहे हैं। अब इस प्रकार से न तो हमारी विश्व में कोई इज्जत रहेगी बल्कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि कभी न कभी यह तलवार, यह प्रतिबन्धरूपी हथियार भारत के विरुद्ध भी उस समय इस्तेमाल किए जाएंगे जब वह महसूस करेंगे कि हमारी खड़े रहने और लड़ाई लड़ने के लिए कोई भी रीढ़ की हड्डी नहीं रही जिसका हम सहारा ले सकें। काफी सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमारे उनसे मतभेद हैं, लेकिन फिर भी वे कोशिश करेंगे कि हम इनके संबंध में प्रतिबन्धों के दबाव के आगे झुक जाएं।

परमाणु अप्रसार संधि पर जिन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए हैं वे सभी दबाव में रह रहे हैं और उनमें से कई देशों ने तो घुटने भी टेक दिए हैं। भारत ने घुटने नहीं टेके और भारत को झुकना भी नहीं

चाहिए। मैं समझता हूं यही इस सभा का भी विचार है।

हमने इस परमाणु अप्रसार संधि के एकमात्र व्यवहारिक विकल्प के रूप में अपनी व्यापक सार्वभौमिक परमाणु निरस्तिकरण नीति के बारे में बात कही है और हमें उस विभेद को भी स्पष्ट कर देना चाहिए जो कि एक बार इस परमाणु अप्रसार संधि के बारे में दिखाया गया था लेकिन वह भी अब पुराना पड़ चुका है। इस विभेद का कोई मतलब नहीं है। सभी शक्तियों पर समान रूप से एक ही बात लागू होनी चाहिए।

दुर्भाग्य से रूढ़िवादी और सत्तावादी ताकतें अभी तक विश्व के कई भागों में सक्रिय हैं। अब एक नया खतरा पैदा हुआ है। हम पूर्व सोवियत संघ के केन्द्रीय एशियाई गणतन्त्रों के बारे में हमेशा से ही चिंतित रहे हैं कि वे हमारी सीमाओं तक भी रूढ़िवादी ताकतों से कुछ न कुछ खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। निःसंदेह वहां की सरकारें अभी तक भारत के प्रति मित्रवत और सहयोगी रवैया अपनाए हुए हैं और मैं आशा करता हूं कि इस प्रक्रिया को हम बरकरार रखेंगे। लेकिन अब हमारी सीमा पर अफगानिस्तान में पिछले कुछ दिनों से जो हालात उभर रहे हैं उससे हम सभी निश्चित रूप से चिंतित हैं। हमने हमेशा एक ऐसे अफगानिस्तान की बात की है जो स्वतन्त्र हो, गुट निरपेक्ष हो और रूढ़िवादी न हो बल्कि इनके बावजूद भी अपना अस्तित्व बनाए रखे। लेकिन आज वहां क्या हो रहा है ? मैं नहीं जानता कि भारत सरकार का क्या दृष्टिकोण है। इस बारे में हमें बताना चाहिए। लेकिन कट्टरपंथी अफगानिस्तान के उभरने से एक वास्तविक खतरा पैदा हो रहा है और मैं समझता हूं कि यह केन्द्रीय एशियाई गणतन्त्रों में जो कुछ हो रहा है उससे ज्यादा खतरनाक है।

आज 'दक्षेस' के देशों और गुट निरपेक्ष देशों के मध्य प्रभावी सहयोग आवश्यक है। अन्य देश भी इसके बारे में बोले हैं। लेकिन इन गुटों में जो बड़े देश हैं यदि वह इन सभी देशों को एक साथ लाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें अन्य देशों की अपेक्षा ज्यादा रियायतें देनी पड़ेंगी।

अब यहां कुछ आर्थिक सवालों या अन्य सवालों पर उप-क्षेत्रीय गुटबन्दी भी चल रही है जिन्हें एकजुट करने की बात कही गई है। किसी ने वृहत एशियाई पहचान के बाबत कहा है, ऐसा करने की बात भी की गई है। खैर यदि हम सब इस प्रयोजन के लिए समुचित ढंग से 'दक्षेस' और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का इस्तेमाल करें तो हमारी इन पहलों के जरिये यह किया जा सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें एक अधिक असंयमित और निरंकुश महाशक्ति से निपटना होगा जो कि दक्षिण के देशों पर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करेगी। अतः अब शक्ति के संदर्भ में जो समीकरणें हैं वे राजनैतिक सैन्य समीकरणों से अधिक आर्थिक समीकरण पर निर्भर करेंगी। आर्थिक समीकरणें अधिक महत्वपूर्ण हो रही हैं और इस बात को महसूस करते हुए मैं जो कुछ भी श्री मणि शंकर अय्यर ने कहा है उसका समर्थन करता हूं कि हम अब पिछले कई वर्षों की तुलना में, जबकि हम इस नीति को निरन्तर जारी रखे थे, काफी शक्तिशाली देश हैं। वस्तुतः अमरीका बहुत शक्तिशाली नजर आ सकता है लेकिन हम जानते हैं कि वह किस प्रकार के आर्थिक संकट और दबाव से पीड़ित हैं। उनके लिए भी सब-कुछ ठीक-ठाक नहीं है। कुछ पत्रिकाओं ने कहा है कि यह स्थिति सभी दबावों की जननी है—ये वे दबाव हैं जो अमरीका की तुलना में अन्य देशों जैसे जापान या जर्मनी आदि पर भी कम नहीं है। हम जानते हैं कि अमरीका की मजबूत स्थिति नहीं है प्रभुत्व जमाने वाली स्थिति नहीं है बल्कि इसकी बहुत गई है। हमें इस बात से नहीं डरना चाहिए कि पश्चिम के हमारे बड़े देश हमें धमका कमजोर स्थिति हो रहे हैं अतः हमें उनकी बात माननी चाहिए।

अन्ततः पाकिस्तान के बारे में क्या राय है ? मैं जानता हूं कि यह काफी कठिन समस्या है।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध सुधारना भारत के दीर्घकालिक हितों की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। निःसंदेह इसमें दोनों को अपनी भूमिका निभानी है। यह केवल एक पक्ष के बूते पर नहीं हो सकता है। क्योंकि इसमें दोनों के परस्पर प्रतिरक्षा व्यय कम करने की बात शामिल है तथा यह दोनों देशों के हित में है।

लेकिन चूंकि भारत सरकार के अभी तक पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध सुधारने की दिशा में कोई खास उपलब्धि हासिल नहीं की है अतः मैं सुझाव दूंगा कि दोनों देशों के मध्य जहां तक सम्भव हो तनाव खत्म करने के लिए गैर-सरकारी अभिकरणों को ज्यादा दूरदर्शितापूर्वक और तेजी से संबंध सुधारने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए और ऐसी स्थिति लाई जा सकती है जिसमें भारत और पाकिस्तान सामान्य रूप से अपने पड़ोसी संबंध स्थापित कर सकें। विभिन्न प्रकार की गैर-सरकारी अभिकरणों पर यहां चर्चा हो सकती है। उन्हें पहले से अधिक इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

अन्ततः मैं तो कहूंगा कि लोग यह कह रहे हैं कि समाजवाद खत्म हो गया है। समाजवाद खत्म नहीं हुआ है। यह कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। इसकी विचारधारा समाप्त नहीं हो सकती है। लेकिन एक विचारधारा जिस पर हमें गौर करना है जो विश्व के लगभग सभी देशों में अधिक बलवती हो रही है। चाहे यह पूर्ण समाजवादी देश हों या पश्चिम के देश हों या तीसरे विश्व के अन्य देश हों, यहां लोकतन्त्र के लिए एक इच्छा पनप रही है। लोकतन्त्र के नाम पर हमने देखा है कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है। यह लोकतन्त्र की इच्छा विश्वव्यापी होती जा रही है यह एक सार्वभौमिक राजनैतिक शासन प्रणाली है जो कि विभिन्न प्रकार के सत्तावादी और कट्टरवादी रूपों के विरुद्ध एक सबसे अच्छा बचाव का रास्ता है।

मैं यह कहते हुए अपना भाषण समाप्त करूंगा कि जिस नारे पर हमें अपने ध्येय को केन्द्रित करना है और आगे बढ़ना है और जिन नारों को प्रचारित करना है जिसे भारत करने में सक्षम भी है; वह नारा है—लोकतन्त्र, विकास और शान्तिमय सह-अस्तित्व का जिसमें निरस्त्रिकरण भी शामिल है। ये वे तीन मुद्दे हैं जिन पर आज समस्त विश्व के देशों में सभी लोगों को संगठित एवं कार्यप्रवृत करना सम्भव है। मैं इस नारे को लोकतन्त्र, विकास और शान्तिमय सह-अस्त्रित्व जिसमें निरस्तिकरण भी शामिल है, को दोहराता हूं।

मैं आशा करता हूं कि हमारे विदेश मंत्री जो यह जाने बगैर कि कहां जाना है ऊंची उड़ान भर रहे हैं; हमें यह बताएंगे कि क्या उन्होंने कोई दृढ़ दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय लिया है जिस पर देश को एकजुट किया जा सके ताकि इस उलझन से हमें मुक्त किया जा सके।

———

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अनुपूरक कार्यसूची को लेते हैं। मन्त्री महोदय द्वारा पत्र सभा पटल पर रखे जाने हैं।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मंत्री महोदय के सभा पटल पर पत्र रखने से पूर्व,

क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस अधिसूचना के कारण क्या हैं ? बजट के बाद सरकार को पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क की समीक्षा करने की क्या आवश्यकता पड़ गई है ? (व्यवधान) कृपया उन्हें इसके कारण को बताने दें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : अन्यथा हम उन्हें यह अधिसूचना सभा पटल पर नहीं रखने देंगे। (व्यवधान)

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : यह एक मामूली-सी ही तो राशि है। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : वह केवल स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : सदस्यों में आपसी बातचीत की बजाय हमें औपचारिक स्पष्टीकरण मिलना चाहिए। (व्यवधान)

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—जारी

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शांता राम पोतदुखे) : महोदय, मैं सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) अधिसूचना संख्या 160/92-सी०शु० जो 25 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय निर्यात संवर्धन पूंजी माल स्कीम के अन्तर्गत आयातित पूंजी माल पर, विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन रहते हुए मूल्यानुसार 25 प्रतिशत अथवा 15 प्रतिशत की सीमा शुल्क की रियायती दर विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) अधिसूचना संख्या 161/92-सी०शु० जो 20 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय निर्यात संवर्धन पूंजी माल स्कीम के अंतर्गत निर्यातक निर्माताओं को प्रदाय के लिए पूंजी माल के विनिर्माण हेतु आयातित संघटकों पर, विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, मूल्य के सीमा शुल्क की रियायती दर विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) अधिसूचना संख्या 162/92-सी० शु० जो 20 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय निर्यात संवर्धन पूंजी माल स्कीम के अंतर्गत आयातित पूंजी माल तथा संघटकों को सहायक सीमा शुल्क से पूर्ण छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—1799/92]

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : सभा-पटल पर रखे गये पत्रों में जिस व्याख्यात्मक ज्ञापन का जिक्र है, वह कहां है ? व्याख्यात्मक ज्ञापन कहां है ? (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : व्याख्यात्मक ज्ञापनों की मांग का मैं समर्थन करता हूं। (व्यवधान)

6.00 म० प०

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : कृपया इसे वापिस ले लिया जाये तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित पुनः इसे सभा पटल पर रखा जाये।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, इसे कल सभा-पटल पर रखा जा सकता है। महोदय, इसकी अब अनुमति न दें।

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : उन्होंने इसके साथ व्याख्यात्मक ज्ञापन भी रख दिया है।

श्री वसुदेव आचार्य : यह व्याख्यात्मक ज्ञापन है कहां ?

श्री शरद दिघे : यहां पर यह कहा गया है, "एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित"।

श्री वसुदेव आचार्य : यह कहां है ? हमें यह मिलना ही चाहिए ? (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : व्याख्यात्मक ज्ञापन का उल्लेख है। लेकिन, ज्ञापन कहां है ? यह अधिसूचना है, न कि ज्ञापन।

श्री वसुदेव आचार्य : इसलिये, उन्हें इसे कल सभा पटल पर रखना चाहिए। उन्हें इसे आप सभा-पटल पर रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

श्री शरद दिघे : इसे सभा पटल पर रख दिया गया है। आप इसे प्राप्त करने के लिए बाध्य हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : ज्ञापन कहां है ?

श्री शरद दिघे : वह इसे कार्यालय से ला रहे हैं। जो सभा पटल पर रखा गया है, वह कार्यालय को दे दिया गया है और इसे परिचालित कर दिया जायेगा। (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : उन्हें इसे अवश्य ही कल रखना चाहिए। उन्हें इसे आज रखने की अनुमति न दें। अब छः बज गये हैं। मंत्री महोदय इसे कल प्रस्तुत करें।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभा-पटल पर रखा जा चुका है ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप ये कहते हैं कि मेमोरण्डम रख दिया गया है, पता नहीं जो रखा गया है वह क्या रखा गया है। यह अभी रखा गया जब हम लोगों ने

आपत्ति की है। सिर्फ यह कहने से नहीं होता है। मैं पार्लियामेंट में पिछले 30 साल से हूं।··· ···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे : लेकिन इसका यहां जिक्र किया गया है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जब यह कहा जाता है कि मेमोरण्डम रखा जा रहा है तो मेमोरण्डम रखा जाना चाहिए। इसमें कहने से नहीं होता है। आप प्रिसाइड करते हैं, आप इस तरह से सरकार का पक्ष मत लीजिये। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे : जब हम कहते हैं, 'यह रख दिया गया है', तो इसका अर्थ है कि हम सभी संबंधित पत्र सभा-पटल पर रख दिये गये हैं। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदय, आप सभा को विश्वास में लें कि सभा पटल पर ज्ञापन रखा गया है अथवा नहीं।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, अब आप सभा को स्थगित कर दें। (व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, वे इसकी गम्भीरता को नहीं समझते हैं। आप अब सभा स्थगित कर दें। (व्यवधान)। तीन व्याख्यात्मक ज्ञापन होने चाहिए। वे अब केवल एक कह रहे हैं। महोदय, अब आप सभा स्थगित कर दें। (व्यवधान)। वे सभा को हंसी-मजाक में नहीं ले सकते। महोदय, आप उन्हें इसे कल प्रस्तुत करने की अनुमति दें। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग जानते हैं कि यह एक फाइनैन्शयल इम्पलीकेशन्स रखने वाला नोटिफिकेशन है इसीलिए आप शाम को लाए हैं। ऐसा लगता है कि जल्दी में लाए हैं और जो एक्सप्लेनेटरी मेमोरण्डम है, वह भूल आये हैं, लेकिन अगर आप इसके लिए खेद प्रकट करें और कहें—इसका जाना जरूरी है—क्योंकि आपने केवल सदन में आकर यह कार्यवाही पूरी नहीं की है, इस पर सदन के बाहर कार्यवाही शुरू हो गई होगी। क्योंकि ड्यूटी घटाने का आपने फैसला किया है तो 5 बजे ऐलान कियान किया जाता है, फिर उस पर अमल शुरू हो जाता है लेकिन सदन के साथ इस तरह का बर्ताव क्या है। अब अगर वह मेमोरण्डम आ रहा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। (व्यवधान)

अभी देखना है कि यह क्या है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, हम सभा का समय 10 मिनट के लिए और बढ़ा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा की सहमति से सभा का समय 10 मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है।

(व्यवधान)

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : महोदय, हम भी इस सभा के सदस्य हैं। मैं इस सभा का 1980 से सदस्य हूं तथा जो श्री वाजपेयी ने कहा है वह सही है।

यह पत्र व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ होना चाहिए था। मंत्री और वित्त मंत्रालय ने इसे लोक सभा सचिवालय को दे दिया है। (व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब तक आप सभा से अनुमति नहीं लेते, सभा अवश्य ही 6.00 म०प० स्थगित हो जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा का समय पहले ही दस मिनट के लिए और बढ़ाया जा चुका है।

(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वित्त मंत्रालय द्वारा जब अधिसूचना लोक सभा सचिवालय को दी गई थी तो क्या इसके साथ व्याख्यात्मक ज्ञापन था। यह किसी की गलती हो सकती है, परन्तु यह जानबूझकर की गई गलती नहीं है। यह सचिवालय की गलती है। (व्यवधान)

श्री राम नाईक : महोदय, प्रश्न काल क्षमा-याचना से प्रारम्भ हुआ था। अन्तिम मुद्दों को भी मंत्री महोदय की ओर से एक क्षमा-याचना के रूप में समाप्त होने दें क्योंकि वे सभा-पटल पर व्याख्यात्मक ज्ञापन प्रस्तुत करना भूल गए थे। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि एक्सप्लेनेटरी मेमोरण्डम दिया गया है, तो इससे हमें संतोष है। मगर आप लोक सभा सचिवालय को दोष मत दीजिए। अगर कोई दोषी है, तो आप हैं।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : वह सही सूचना न मिलने के कारण हुआ।

6.10 म०प०

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

कुछ माननीय सदस्य : महोदय, आपका स्वागत है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समायोजन के लिए आपका धन्यवाद करने के लिए आया हूं।

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 21 अप्रैल, 1992/1 वैशाख, 1914 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिन्स, न्यू सीलमपुर, दिल्ली-110053

XXXVIII. 16/2003
572

© 2003 By Lok Sabha Secretariat

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Tenth Edition) and Printed by The Indian Press, G.T. Karnal Road, Delhi-110033.